अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website-http://updes.up.nic.in

उत्तर प्रदेश
की
आर्थिक समीक्षा
वर्ष 2022-23

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website-http://updes.up.nic.in

पत्रिका संख्या–594

उत्तर प्रदेश
की
आर्थिक समीक्षा

2022-2023

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश

प्राक्कथन

प्रदेश के आर्थिक विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 द्वारा वार्षिक रूप से ''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा'' प्रकाशन तैयार किया गया है। इस प्रकाशन में प्रदेशीय अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों, यथा–यथा बैकिंग कृषि, वन एवं पर्यावरण, पशुधन, मत्स्य, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायत, औद्योगिक प्रगति, अवस्थापना, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, समाजकल्याण आदि के सम्बन्ध में अद्यतन उपलब्ध आँकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। इस श्रृंखला में ''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा–2022–23'' का वर्तमान अंक प्रस्तुत है।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा के इस संस्करण में विभागों द्वारा उपलब्ध अद्यतन सूचनाओं/आँकड़ों को समावेशित करते हुए 17 अध्यायों में तैयार किया गया है।

यह समीक्षा प्रभाग मुख्यालय के अधिकारियों श्रीमती मालोविका घोषाल, अपर निदेशक, श्रीमती अलका बहुगुणा ढ़ौंडियाल, संयुक्त निदेशक, श्रीमती शालू गोयल, उप निदेशक, डॉ. राजेश कुमार चौहान, अर्थ एवं संख्याधिकारी, डॉ. प्रियंका सिंह भदौरिया, अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्री अनिल कुमार जाटव, अपर सॉख्यिकीय अधिकारी, श्री अजय कुमार पाण्डेय, अपर साँख्यिकीय अधिकारी एवं सुश्री आरती गुप्ता, अपर साँख्यिकीय अधिकारी द्वारा तैयार की गई है।

इस संस्करण हेतु अपेक्षित आँकड़ें एवं विषयवस्तु उपलब्ध कराने में विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन नियोजकों, नीति निर्धारकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं एवं प्रशासकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वर्तमान अंक को पूर्व अंकों से और बेहतर एवं उपयोगी बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया है तथापि इसे और अधिक उपयोगी और सार्थक बनाने हेतु सुझावों का सहज स्वागत है।

लखनऊः
दिनांकः 15 फरवरी, 2023

(अमृत त्रिपाठी)
निदेशक, अर्थ एवं संख्या,
उत्तर प्रदेश।

आर्थिक समीक्षा

वर्ष–2022-23

विवरणिका

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
01.	राज्य अर्थव्यवस्था एवं लोक–वित्त	1–12
02.	बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त	13–19
03.	कृषि	20–24
04.	वन एवं पर्यावरण	25–30
05.	पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	31–38
06.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	39–43
07.	खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	44–49
08.	ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण	50–58
09.	औद्योगिक प्रगति	59–69
10.	सेवा क्षेत्र	70–72
11.	अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार	73–87
12.	पर्यटन एवं नागरिक विमानन	88–95
13.	शिक्षा	96–109
14.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	110–120
15.	समाज कल्याण	121–131
16.	श्रमशक्ति एवं सेवायोजन	132–136
17.	सतत् विकास	137–140

उत्तर प्रदेश

अनुमानित मानचित्र

अध्याय–01
राज्य अर्थव्यवस्था एवं लोक–वित्त

मुख्य बिन्दु

- ❖ वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) की वृद्धिदर 9.64 प्रतिशत एवं प्रचलित भावों पर 16.76 प्रतिशत रही है।
- ❖ वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, स्थायी भावों पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धिदर वर्ष 2021–22 में क्रमशः 14.59 प्रतिशत, 10.32 प्रतिशत, 6.53 प्रतिशत एवं प्रचलित भावों पर क्रमशः 16.16 प्रतिशत, 14.90 प्रतिशत, 14.02 प्रतिशत रही है।
- ❖ वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, स्थायी भावों पर जी.एस.वी.ए मे वर्ष 2021–22 में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 25.33, 26.74 एवं 47.93 प्रतिशत तथा प्रचलित भावों पर क्रमशः 28.44, 24.61 एवं 46.95 प्रतिशत है।
- ❖ वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 के रू० 32002 से बढ़कर वर्ष 2020–21 व 2021–22 में क्रमशः रू० 61374 एवं रू० 70792 हो गयी है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पडता है। प्रदेश सरकार ने '**सदी में एक बार होने वाली**' महामारी से जुडी अत्यधिक अनिश्चितता को पहचानते हुए आपातकालीन सहायता और आर्थिक नीतियों के मिश्रण को चुनकर संक्रमण की नयी लहरों एवं मुद्रास्फीति के खिलाफ लचीले ढंग से एक विकसित स्थिति को उत्पन्न किया हैं जिससे वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 16.76 प्रतिशत वृद्धिदर के साथ 1916913 करोड़ रूपये पहुँच गया है। यह स्थिति दर्शाती है कि राज्य की आर्थिक गतिविधियां कोविड–19 के प्रकोप से उभर चुकी है।

राज्य की अर्थव्यवस्था

किसी अर्थव्यवस्था का आय विश्लेषण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है। यह अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों के मूल्यांकन तथा भविष्य की योजनाओं के निर्माण के लिए आधार प्रस्तुत करता है। आय विश्लेषण से विभिन्न खण्डों, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्ड एवं उनके उप–खण्डों की वृद्धि दर तथा योगदान प्रदर्शित होता है। प्रदेश मे राज्य आय विश्लेषण का यह महत्त्वपूर्ण कार्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसके अन्तर्गत सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ ही सकल राज्य मूल्य वर्धन, निवल राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रतिव्यक्ति आय का आँकलन किया जाता है।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जारी वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) की वृद्धि दर 9.64 प्रतिशत एवं प्रचलित भावों पर 16. 76 प्रतिशत रही है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एन.एस.डी.पी) के सन्दर्भ में वर्ष 2021–22 मे प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर रू० 70792 आँकलित हुई है, जो गत वर्ष से 15.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थायी एवं प्रचलित भावों पर

वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) स्थायी एवं प्रचलित भावों पर निम्नवत् है–

तालिका–1.01– सकल राज्य मूल्य वर्धन का प्रगति विवरण

वित्तीय वर्ष	स्थायी भावों पर		प्रचलित भावों पर	
	जी.एस.वी.ए (रु0 करोड मे)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	जी.एस.वी.ए (रु0 करोड मे)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
2012–13	716339	5.05	777206	13.98
2013–14	754331	5.30	885565	13.94
2014–15	780937	3.53	948993	7.16
2015–16	851574	9.05	1057651	11.45
2016–17	952314	11.83	1196900	13.17
2017–18	998406	4.84	1323676	10.59
2018–19	1039562	4.12	1442854	9.00
2019–20	1079526	3.84	1555681	7.82
2020–21	1026120	(-)4.95	1504324	(-)3.30
2021–22	1123455	9.49	1727540	14.84

स्रोत– अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।

स्थायी भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) वर्ष 2011–12 तथा वर्ष 2021–22 (त्वरित अनुमान) के बीच 5.12 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढा है जबकि प्रचलित भावों पर उक्त अवधि मे 9.74 प्रतिशत सीएजीआर से बढा है।

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थायी भावों पर जी. एस.वी.ए वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 में क्रमशः रू० 716339 करोड़, रू० 754331 करोड़, रू० 780937 करोड़, रू० 851574 करोड़, रू० 952314 करोड़, रू० 998406 करोड़, रू० 1039562 करोड़, रू० 1079526 करोड़, रू० 1026120 करोड़ एवं रू० 1123455 करोड़ रहा है तथा वृद्धि दर क्रमशः 5.05, 5.30, 3.53, 9.05, 11.83, 4.84, 4.12, 3.84, (–)4.95 एवं 9.49 प्रतिशत रही है।

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर जी. एस.वी.ए वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 में क्रमशः रू० 777206 करोड़, रू० 885565 करोड़, रू० 948993 करोड़, रू० 1057651 करोड़, रू० 1196900 करोड़, रू० 1323676 करोड, रू० 1442854 करोड़, रू० 1555681 करोड़, रू० 1504324 करोड़ एवं रू० 1727540 करोड़ रहा है तथा वृद्धि दर क्रमशः 13.98, 13.94, 7.16, 11.45, 13.17, 10.59, 9.0, 7.82, (–)3.30 एवं 14.84 प्रतिशत रही है।

खण्डवार विश्लेषण (स्थायी एवं प्रचलित भावों पर)

राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न खण्डों के योगदान में परिवर्तन से यह बोध होता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, स्थायी भावों पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्ड की वृद्धि दर क्रमशः 14.59 प्रतिशत, 10.32 प्रतिशत, 6.53 प्रतिशत एवं प्रचलित भावों पर क्रमशः 16.16 प्रतिशत, 14.90 प्रतिशत, 14.02 प्रतिशत रही है।

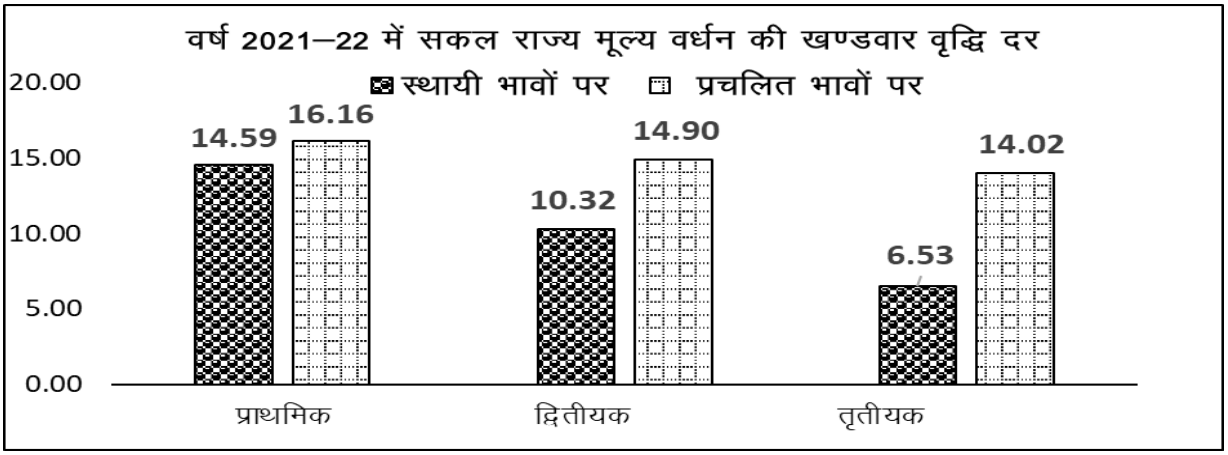

प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की खण्डवार स्थिति निम्न चित्रों में दर्शायी गयी है। वर्ष 2020–21 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कुल जीएसडीपी में 28.11 प्रतिशत था जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 28.44 प्रतिशत हो गया, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2020–21 में 24.60 था जो वर्ष 2021–22 में 24.61 प्रतिशत हो गया है। वहीं कुल उत्पाद कर (उत्पाद अनुदान को घटाते हुए) का योगदान वर्ष 2020–21 में 8.4 प्रतिशत था जो वर्ष 2021–22 में बढकर 9.9 प्रतिशत हो गया है।

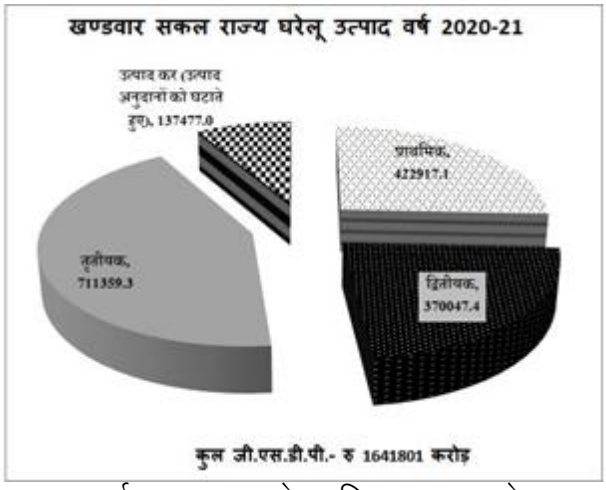

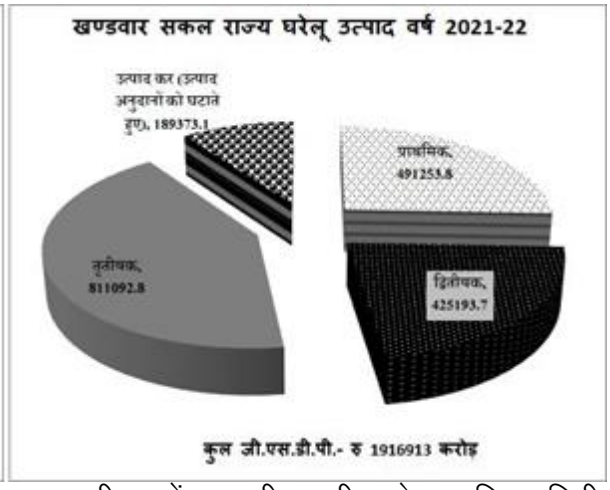

वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, स्थायी भावों पर जी.एस.वी.ए मे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 25.33, 26.74 एवं 47.92 प्रतिशत तथा प्रचलित भावों पर क्रमशः 28.44, 24.61 एवं 46.95 प्रतिशत है। विगत वर्षों मे वृद्धि दर तथा योगदान निम्नवत रही है।

तालिका–1.02–सकल राज्य मूल्य वर्धन मे खण्डवार प्रतिशत वृद्धि एवं योगदान स्थायी भावों पर

प्रतिशत में (आधार वर्ष 2011–12)

वित्तीय वर्ष	प्राथमिक खण्ड		द्वितीयक खण्ड		तृतीयक खण्ड	
	वृद्धि दर	योगदान	वृद्धि दर	योगदान	वृद्धि दर	योगदान
2011-12	-	27.82	-	26.66	-	45.51
2013-14	(-)0.12	26.23	7.92	26.73	7.07	47.04
2014-15	(-)0.93	25.10	(-)2.05	25.29	9.18	49.61
2015-16	5.56	24.30	15.30	26.74	7.62	48.96
2016-17	6.44	23.13	27.96	30.60	5.70	46.28
2017-18	9.88	24.24	(-)4.68	27.82	8.62	47.94
2018-19	3.61	24.12	1.02	26.99	6.18	48.89
2019-20	(-)2.10	22.74	3.48	26.89	6.98	50.37
2020-21	1.18	24.21	(-)6.18	26.54	(-)7.05	49.25
2021-22	14.59	25.33	10.32	26.74	6.53	47.92

स्रोत– अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।

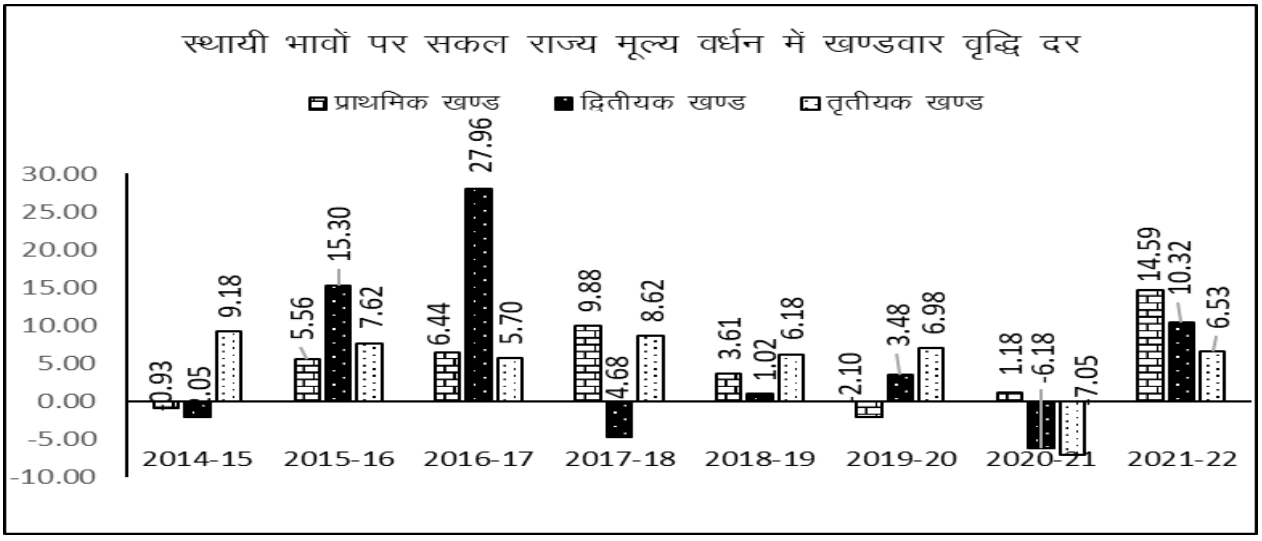

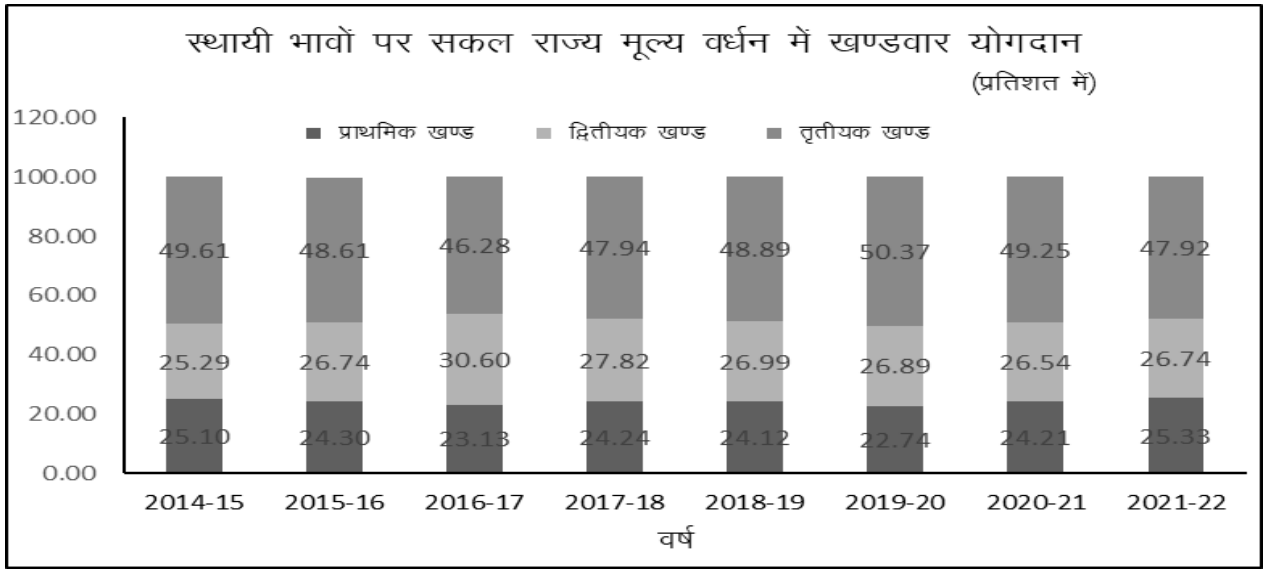

प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन श्रृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक–पृथक आँकलित किये गये हैं जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत ही आँकलित किये जाते थे। द्वितीयक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल है तथा तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन, संचार, व्यापार", "वित्त तथा स्थावर संपदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उप–खण्ड सम्मिलित हैं।

प्रति व्यक्ति आय

वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 2011–12 के रू० 32002 से बढ़कर वर्ष 2020–21 व 2021–22 में क्रमशः रू० 61374 एवं रू० 70792 हो गयी है। स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रू० 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2021–22 में रू० 42525 हो गयी है। यह वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के उत्थान को परिलक्षित करती है।

तालिका–1.03– राज्य मे प्रतिव्यक्ति आय का विवरण (वृद्धि दर प्रतिशत में)

वित्तीय वर्ष	स्थायी भावों पर		प्रचलित भावों पर	
	प्रति व्यक्ति आय रु0	प्रतिशत वृद्धि	प्रति व्यक्ति आय रु0	प्रतिशत वृद्धि
2011–12	32002	–	32002	–
2014–15	34583	1.6	42267	5.3
2015–16	36973	6.9	47118	11.5
2016–17	40847	10.5	52671	11.8
2017–18	41771	2.3	57944	10.0
2018–19	42333	1.3	62350	7.6
2019–20	43019	1.6	65677	5.3
2020–21	39298	–8.6	61374	–6.6
2021–22	42525	8.2	70792	15.3

स्रोत– अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।

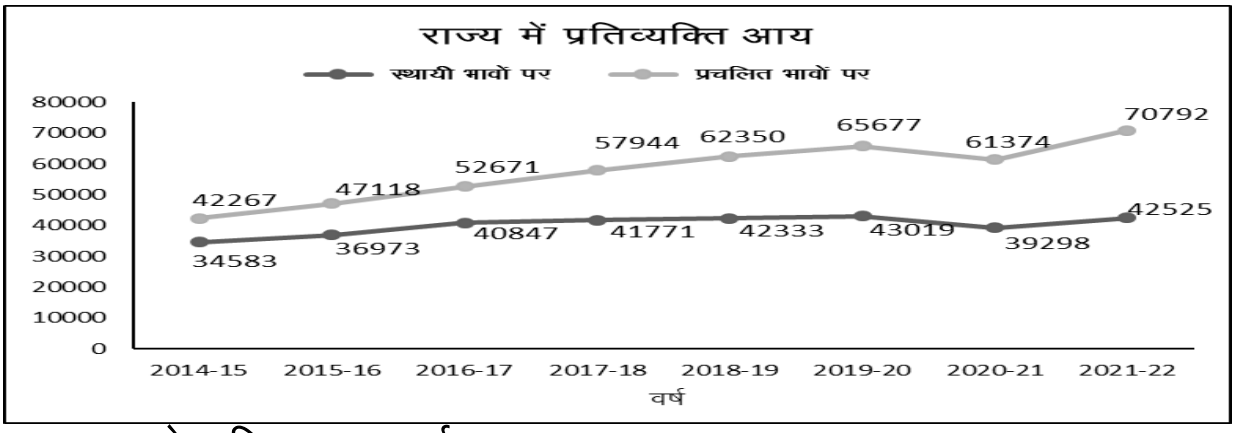

राज्य आय के त्वरित अनुमान, वर्ष 2021–22

प्रदेश के वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रचलित एवं स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वार्षिक वृद्धि दर एवं खण्डों उपखण्डों के कुल जीएसवीए मे योगदान को तालिका 1.04 से दर्शाया गया है –

तालिका–1.04– सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2021–22 का त्वरित अनुमान

क्र.सं.	खण्ड	प्रचलित भावों पर			स्थायी भावों पर		
		जी.एस.वी.ए (करोड़ रू0 मे)	वृद्धि दर प्रतिशत	योगदान प्रतिशत	जी.एस.वी.ए (करोड़ रू0 मे)	वृद्धि दर प्रतिशत	योगदान प्रतिशत
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	468346	16.38	27.11	260342	14.82	23.17
1.1	फसलें	319037	20.07	18.47	173432	18.17	15.44
1.2	पशुधन	114435	9.37	6.62	65349	10.41	5.82
1.3	वानिकी और लट्ठा बनाना	23199	8.70	1.34	16346	2.33	1.46
1.4	मत्स्यन और जलीय कृषि	11674	8.48	0.68	5215	8.46	0.46
2.	खनन और उत्खनन	22908	11.90	1.33	24282	12.12	2.16
	क–प्राथमिक (1+2)	491254	16.16	28.44	284625	14.59	25.33
3.	विनिर्माण	211616	20.95	12.25	162561	13.57	14.47
4.	विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें	39657	8.67	2.30	17100	4.40	1.52
5.	निर्माण कार्य	173920	9.66	10.07	120795	7.05	10.75
	ख–द्वितीयक (3 से 5)	425194	14.90	24.61	300457	10.32	26.74
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	150518	24.33	8.71	107706	9.50	9.59
7.	परिवहन, संग्रहण तथा संचार	118376	12.01	6.85	98392	6.91	8.76
7.1	रेलवे	26788	7.06	1.55	12321	0.32	1.10
7.2	अन्य साधनों द्वारा परिवहन	55661	15.28	3.22	62447	10.21	5.56
7.3	भण्डारण	3035	11.17	0.18	1814	4.15	0.16
7.4	संचार तथा प्रसारण सम्बन्धी सेवायें	32893	10.95	1.90	21810	2.19	1.94
8.	वित्तीय सेवायें	67261	12.96	3.89	47767	5.85	4.25
9.	स्थावर संपदा,आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें	255913	12.57	14.81	146248	3.79	13.02
10.	लोक प्रशासन और रक्षा	121968	11.85	7.06	78521	5.86	6.99
11.	अन्य सेवाएं	97057	9.43	5.62	59741	9.07	5.32
	ग–तृतीयक (6 से 11)	811093	14.02	46.95	538374	6.53	47.92
सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थायी भावों पर)		1727540	14.84	100.00	1123455	9.49	100.00
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर)		1916913	16.76	100.00	1181361	9.64	100.00

स्रोत– अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।

प्रथम त्रैमास के अनुमान (अप्रैल से जून 2022)

स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2022–23 के राज्य आय के प्रथम त्रैमासिक अनुमान में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2021–22 के तत्सम्बन्धी त्रैमास के सापेक्ष परिलक्षित हुई। स्थिर भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2022–23 के प्रथम त्रैमास में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2021–22 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष क्रमशः 4.7 प्रतिशत, 16.5 प्रतिशत तथा 11.5 प्रतिशत रही है। इस प्रकार द्वितीयक खण्ड में सर्वाधिक वृद्धि दर परिलक्षित हुई है।

लोक निधि

उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या की 16.6 प्रतिशत जनता निवास करती है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 77.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। यद्यपि प्रदेश के कर राजस्व में कृषि क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम होता है। प्रदेश के कर–करेत्तर राजस्व में मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्र का योगदान होता है।

राजस्व प्राप्ति

राज्य के संसाधन मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण के आधार पर प्राप्त होते हैं। राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं– कर, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण। केन्द्रीय अन्तरण के स्रोत हैं केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से प्राप्त अनुदान। वर्ष 2020–21 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की 296176.33 करोड़ रूपये की कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से 131743.45 करोड़ रूपये तथा केन्द्र से करों के विभाज्य अंश में तथा केन्द्रीय अनुदानों के रूप में रू0 164432.88 करोड़ रूपया प्राप्त हुआ। राज्य के गत पांच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों को तालिका–1.05 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.05 राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति से आय के स्रोत का प्रतिशत (रू0 करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय संक्रमण		कुल राजस्व प्राप्तियां
	राज्य कर तथा शुल्क	राज्य करेत्तर राजस्व	केन्द्रीय करों में अंश	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	
2017–18	97,393.00	19,794.86	1,20,939.14	40,648.45	2,78,775.45
2018–19	1,20,121.85	30,100.71	1,36,766.46	42,988.49	3,29,977.51
2019–20	1,22,825.83	81,705.08	1,17,818.30	44,043.96	3,66,393.17
2020–21	1,19,897.30	11,846.15	1,06,687.01	57,745.88	2,96,176.33
2021–22(पु0अ0)	1,60,349.78	15,524.02	1,14,894.19	87,963.41	3,78,731.40
2022–23 (ब0अ0)	2,20,655.00	23,406.48	1,46,498.76	1,08,652.47	4,99,212.71

राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2020–21 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 44.48 प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 55.52 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है। संसाधनों में वृद्धि के लिये राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति, 2022–23 में उल्लिखित संसाधन वृद्धि के राज्य सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों को बाक्स–1 में दर्शाया गया है।

बाक्स–1

1. वाणिज्यिक कर विभाग

- ईट भट्ठा निर्माताओं को सुविधा प्रदान करने तथा अधिक राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से स्पेशल रेट स्कीम योजना दिनांक 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी की गयी है इससे ईट भट्ठा निर्माताओं को कर जमा करने में आने वाली समस्या से राहत मिलेगी।
- सचल दल के वाहनों पर व्हैकिल ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यालय में केन्द्रीकृत कमाण्ड सेन्टर स्थापित किया गया है जहॉ इसका लगातार अनुश्रवण किया जाता है।
- प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या बढ़ाने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है।
- विभाग द्वारा राजस्व संग्रह बढ़ाने हेतु कर निर्धारण व प्रवर्तन दोनों कार्यो में अधिकाधिक आई0टी0 फैसिलिटी का उपयोग करके कार्य किया जा रहा है।
- प्रवर्तन कार्यो में प्रगति के दृष्टिगत फील्ड स्तर पर साप्ताहित/पाक्षिक समीक्षा प्रचलित है।
- कर निर्धारण व प्रवर्तन कार्यो की कार्य प्रगति समीक्षा हेतु डैशबोर्ड बनाया गया है।

2. आबकारी विभाग

- वित्तीय वर्ष 2021–22 की आबकारी नीति निर्धारित की गयी।
- देशी शराब की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस, एम0जी0क्यू0 आदि में वृद्धि की गयी।
- माडल शॉप्स की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस में वृद्धि की गयी।
- बीयर की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस में वृद्धि की गयी।

3, परिवहन

- विभाग की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हेतु प्रवर्तन कार्यो में तेजी के साथ–साथ विभागीय स्तर पर समीक्षा बैठक लगातार आयोजित की गयी।
- बकाया में संचालित वाहनों के विरूद्ध नियमित विशेष चेकिंग अभियान चलाकर बकाया की वसूली करके राजस्व में वृद्धि की गयी।
- बकाया में रहने वाले वाहनों के स्वामियों को मांग पत्र नियमित रूप से भेजा गया और तब भी बकाया वसूल न हाने पर भू–राजस्व की भॉति वसूली पत्र निर्गत किया जा रहा है।

4. स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

- सरकार द्वारा पुराने/लम्बित स्टाम्पवादों को तत्काल निस्तारित कराये जाने के उद्देश्य से 31 मार्च, 2022 तक के लिये विशेष स्टाम्प अदालत/समाधान योजना का आयोजन कराया गया जिसमें अर्थदण्ड में पुराने लम्बित वादों का तत्काल निस्तारण किया गया।
- नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपंजीकृत फ्लैटों के निबन्धन के विशेष प्रयास कर अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति की गयी।

5. भूतत्व एवं खनिकर्म

- प्रवर्तन कार्यो में पारदर्शिता एवं करापवंचन पर रोक हेतु विशेष प्रयास किया गया ताकि अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके।

विदित है कि जुलाई, 2017 से देश में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रणाली लागू हो गयी है। ज्ञातव्य है कि पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त होने वाले कर को छोड़ कर मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) के सभी घटक जी.एस.टी. में समाहित हो गये हैं तथा मनोरंजन कर एवं लग्जरी कर भी जी.एस.टी. में शामिल हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व में जी.एस.टी. की हिस्सेदारी लगभग 40.00 प्रतिशत है जबकि वैट का अंश लगभग 16.41 प्रतिशत है। राज्य उत्पाद शुल्क का अंश 22.28 प्रतिशत हो गया है तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क का अंश लगभग 13.46 प्रतिशत है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व इन्हीं मदों से प्राप्त होने वाले कर पर ही मुख्यतः निर्भर रहता है।

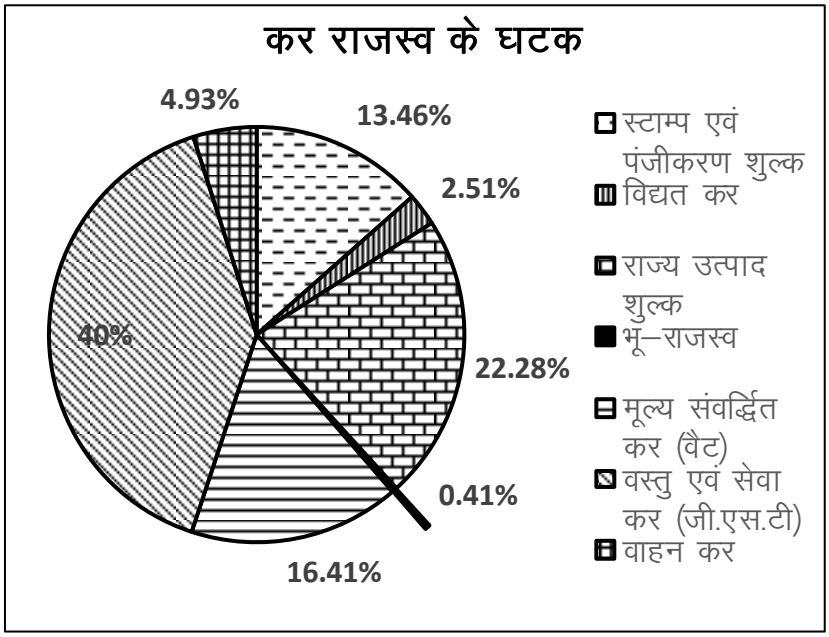

राजस्व व्यय

राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं– राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। वर्ष 2017–18 से वर्ष 2022–23 की अवधि में सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं एवं स्थानीय निकायों के अनुदान पर होने वाले राजस्व व्यय को तालिका 1.06 में दिया गया है।

तालिका 1.06 राजस्व व्यय के मुख्य घटक

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के घटक			
		सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	स्थानीय निकायों को अनुदान
1	2	3	4	5	6
2017–18	2,66,223.52	1,05,781.67	84,251.68	64,634.76	11,555.41
2018–19	3,01,727.96	1,31,057.25	91,311.73	67,258.59	12,100.39
2019–20	2,98,833.04	1,17,674.86	1,03,848.76	62,809.42	14,500.00
2020–21	2,98,543.46	1,19,057.50	1,09,726.67	55,550.91	14,208.38
2021–22 (पु0अ0)	3,56,624.21	1,39,315.57	1,27,198.88	73,609.73	16,500.02
2022–23 (ब0अ0)	4,56,089.06	1,77,692.39	1,69,118.02	91,300.62	18,000.02

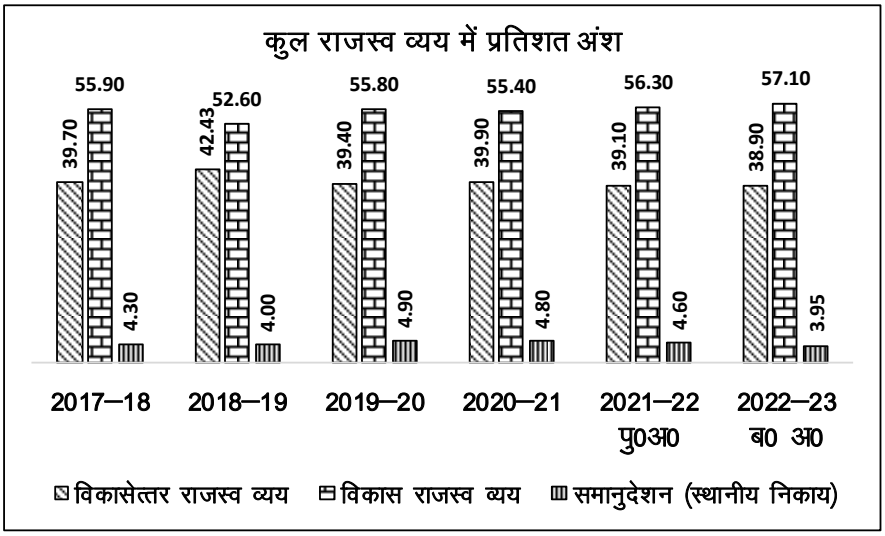

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय, विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय, विकासेत्तर व्यय की श्रेणी में आता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में विकासेत्तर राजस्व व्यय का अंश कुल राजस्व व्यय में घट कर 38.9 प्रतिशत के स्तर तक का अनुमान हैं। विकास व्यय 2022–23 में 57 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है।

वेतन, पेंशन, ब्याज

राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा वेतन/पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। इन मदों में किये जाने वाले व्यय का विवरण तालिका–1.07 में दिया गया है।

तालिका–1.07 वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर राजस्व व्यय (रू0 करोड़ में)

वर्ष	वेतन	पेंशन	ब्याज	वेतन+पेंशन+ब्याज
1	2	3	4	5
2017–18	84,160.43	38,476.49	29,135.83	1,51,772.75
2018–19	90,262.88	44,023.94	32,042.09	1,66,328.91
2019–20	1,01,780.77	49,603.45	34,813.02	1,86,197.24
2020–21	97,432.30	48,219.36	37,428.48	1,83,080.14
2021–22 (पु0अ0)	1,19,664.14	53,715.07	42,504.25	2,15,883.46
2022–23 (ब0अ0)	1,53,569.66	77,077.75	45,987.46	2,76,634.87

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर होने वाले कुल व्यय को राज्य की राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार इन वचनबद्ध व्ययों को नियन्त्रण में रखने के सार्थक प्रयास कर रही है।

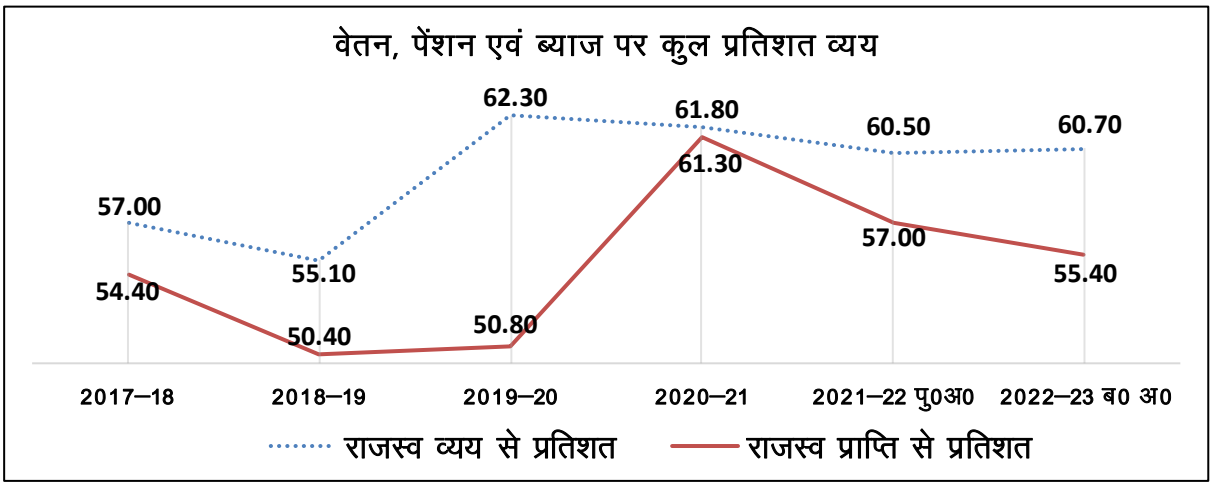

पूंजीगत परिव्यय

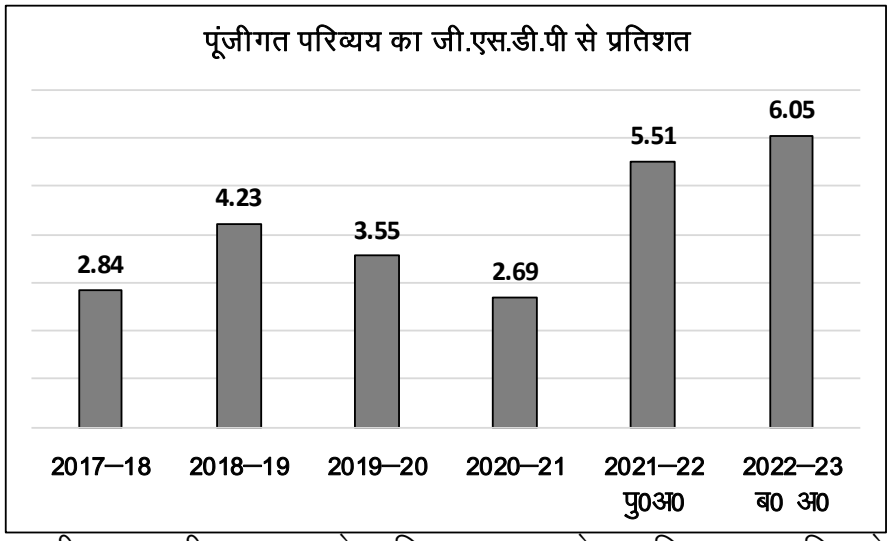

पूंजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है। यद्यपि पूंजीगत परिव्यय का कोई मानक निर्धारित नहीं है फिर भी यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में जितना अधिक होगा, राज्य के लिये बेहतर माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों की वर्षों से चली आ रही ऋण की समस्या के दृष्टिगत ऋण मोचन किया गया जिसके कारण परिव्यय में वर्ष 2017–18 में कमी हुई थी। तदोपरान्त इसमें वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में वृद्धि हुई, किन्तु वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के कारण पुनः कमी दृष्टिगत हो रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि होना अनुमानित हैं।

ऋण का उपयोग

विकासशील व्यवस्था में ऋण का महत्वपूर्ण योगदान होता है परन्तु वित्तीय अनुशासन के अभाव में लिया जाने वाला ऋण अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। प्रदेश की जनोपयोगी परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय माध्यमों से ऋण लिया जाता है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिये ऋण लेना बुरा नहीं है बशर्ते उस ऋण का उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये किया जाय। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2002–03 मे लिये गये ऋण का मात्र 46 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय में उपयोग हुआ था जिसका अर्थ है कि ऋण के आधे से अधिक अंश का उपयोग पूंजीगत कार्यों में नहीं किया जा रहा था जो एक अव्यस्थित अर्थव्यवस्था को इंगित करता है यद्यपि आगे के वर्षो में स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि में यह 100 प्रतिशत के स्तर से ऊपर है। जिसका आशय है कि न सिर्फ शत् प्रतिशत ऋण का उपयोग विकास कार्यों के लिये किया गया बल्कि राजस्व बचत के बड़े अंश का उपयोग भी पूंजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक है।

वित्तीय संकेतक

वर्ष 1988–89 से वर्ष 2005–06 तक राज्य में राजस्व घाटे की स्थिति बनी रही। वर्ष 2004 में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम पारित किये जाने के उपरान्त वर्ष 2006–07 में राजस्व अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति प्राप्त की जा सकी तथा तब से लगातार राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी हुयी थी, किन्तु वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण राजस्व प्रभावित हुआ तथा राज्य राजस्व घाटे की स्थिति में आ गया। विगत वर्षों में राज्य के वित्तीय संकेतकों को तालिका–1.08 से समझा जा सकता है।

तलिका 1.08– राजकोषीय स्थिति के प्रमुख संकेतक

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	राजस्व अधिशेष	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा
2017–18	12,551.93	27,809.56	–1,326.27
2018–19	28,249.56	35,203.11	3,161.02
2019–20	67,560.13	–11,082.68	–45,895.70
2020–21	–2,367.13	54,622.11	17,193.63
2021–22 (पु0अ0)	22,107.19	74,745.63	32,241.38
2022–23 (ब0अ0)	43,123.65	81,177.98	35,190.52

राजकोषीय घाटा

किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को आंकने का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक राजकोषीय घाटा का जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत होता है। 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015–20 में इसे जी.एस.डी.पी. के 3 प्रतिशत के अंदर रखने का प्रयास किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान राजकोषीय घाटे का जी.एस.डी.पी. से अनुपात चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर था। उक्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 03 प्रतिशत रखे जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 0.66 प्रतिशत का राजकोषीय अधिशेष था। वित्तीय वर्ष 2020–21 पन्द्रहवें वित्त आयोग की अवधि का प्रथम वर्ष था तथा आयोग की अतंरिम रिपोर्ट में राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत 3 प्रतिशत रखा गया था। कोविड–19 महामारी के कारण राज्य एवं केन्द्र के संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा जिसके दृष्टिगत अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 02 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा अर्थात कुल 05 प्रतिशत की सीमा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अनुमन्य की गई। तदनुसार उ0प्र0 एफ0 आर0 बी0 एम0 अधिनियम 2004 को वर्ष 2020–21 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा जी0 एस0 डी0 पी0 के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पॉच प्रतिशत करने हेतु संशोधित किया गया । वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित पॉच प्रतिशत की सीमा के अंदर रहा है जो जी.एस.डी.पी. का 2.81 प्रतिशत था।

प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटे की राशि में से ब्याज अदायगियों का कुल व्यय भार घटाने से जो राशि निकलती है वह प्राथमिक घाटा दर्शाती है। राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2022–23 में लगभग 1.72 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है।

राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेकों कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है।

तालिका 1.09 राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचत	भविष्य एवं पेंशन निधियां	ऊर्जा बन्धपत्र	अन्य *	कुल ऋणग्रस्तता
2017–18	2,02,050.26	60,608.32	51,263.76	49,674.02	45,120.13	**4,08,716.49 (29.6)**
2018–19	2,35,356.93	55,736.67	54,907.14	49,674.02	49,528.48	**4,45,203.24 (30.2)**
2019–20	2,89,383.00	50,614.60	58,220.80	49,674.02	52,075.13	**4,99,967.55 (29.6)**
2020–21	3,54,683.00	45,492.53	59,283.21	43,331.16	61,299.56	**5,64,089.46 (29.1)**
2021–22 (पु0अ0)	4,01,353.00	40,370.45	60,986.81	39,016.00	69,555.16	**6,11,281.42 (34.9)**
2022–23 (ब0अ0)	4,66,003.00	35,248.33	62,690.41	34,700.85	67,510.80	**6,66,153.39 (32.5)**

* अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम अन्य देयतायें शामिल हैं।

() कोष्ठक में जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत अंश दर्शाया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था विकासशील है जिस कारण अनेकों स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है।

ऋण के स्रोत

राज्य की ऋण की संरचना में सर्वाधिक अंश बाजार ऋण का है। वर्ष 2021–22 तक के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल ऋणग्रस्तता का लगभग आधा से अधिक अंश अर्थात 65.7 प्रतिशत अंश बाजार ऋण से ही प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात् अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से लिया गया ऋण लगभग 6.60 प्रतिशत है तथा 14वें वित्त आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में एन. एस.एस.एफ. से राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की प्रक्रिया समाप्त होने से इसमें लगातार कमी हो रही है। भविष्य एवं पेंशन निधिया भी राज्य के ऋण में समुचित योगदान करती हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 से 12वें वित्त आयोग की अवधि लागू होने पर आयोग द्वारा बाजार ऋण को अधिक महत्ता देते हुये केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋण को हतोत्साहित किया गया जिसके उपरान्त यह लगातार घटते हुये अब मात्र 4.6 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। विदित है कि राज्यों को भिन्न–भिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले ऋण की अदायगी की अवधि एवं ब्याज दर ऋण की शर्तों के अनुसार अलग–अलग होते हैं।

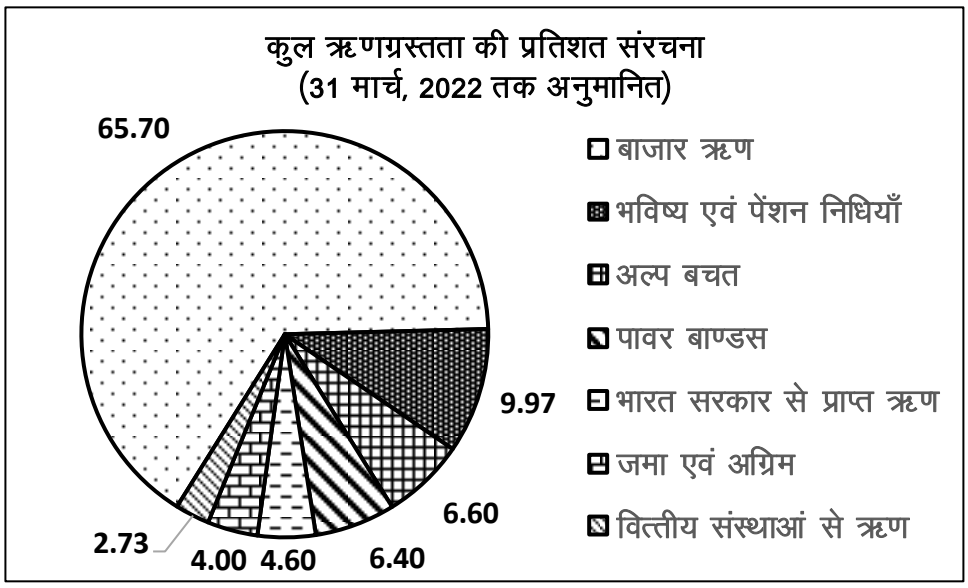

ऋण सीमा एवं ऋण सेवा

राज्यों के लिए ऋण सीमा केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा विगत कई वर्षों से निर्धारित सीमा के अधीन ही प्रत्येक वर्ष ऋण लिया जा रहा है।

राज्य सरकार की ऋण सेवा के दो घटक हैं–

ऋणों का प्रतिसंदाय एवं ब्याज अदायगी जिसमें विगत वर्षों में लगातार कमी हुयी है। एक दशक पूर्व ऋण सेवा का राजस्व प्राप्ति से अनुपात 26 प्रतिशत से अधिक था जो वर्ष 2017–18 तक घटते हुये 14.80 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। इसके उपरान्त यद्यपि ऋण सेवा में वृद्धि परिलक्षित हो रही है तथा वर्ष 2019–20 में यह 15.6 प्रतिशत के स्तर पर आ गया एवं वर्ष 2020–21 तक इसके 21.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, वर्ष 2021–22 **(पु0अ0)** एवं वर्ष 2022–23 में यह क्रमशः 18.8 प्रतिशत एवं 13.7 प्रतिशत होना अनुमानित है।

विश्लेषण

राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में विकासोपयोगी योजनाओं एवं किसानों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.55 करोड़ किसानों को 6000 रूपये वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य सरकार एक्सप्रेस–वे, जलमार्ग हवाई अड्डों तथा अन्य मल्टी मॉडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढ़ांचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारम्परिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित "एक जनपद एक उत्पाद" के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रूपये हो गया है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इस दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैकिंग में अभूतपूर्व प्रगति की है। राज्य में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है।

****

अध्याय–02
बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त

मुख्य बिन्दु

- ❖ स्टैंण्ड अप इण्डिया योजना में प्रदेश, भारत में प्रथम स्थान पर है।
- ❖ प्रधानमंत्री जन–धन योजना मे देश में खोले गये कुल 45.41 करोड़ खातो में प्रदेश सर्वाधिक 7.93 करोड़ खाते (17.46 प्रतिशत) खोलते हुए प्रथम स्थान पर है।
- ❖ प्रदेश में कृषि क्षेत्र में दिये जा रहे ऋण में अधिकांश हिस्सेदारी लघुकालीन कृषि गतिविधियों की है।

प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क सितम्बर, 2021 मे औसतन एक आउटलेट प्रति 2.19 वर्ग कि0मी0 से बढ़कर सितम्बर, 2022 में औसतन 1.33 वर्ग कि0मी0 हो गया है। कुल 19348 बैंक शाखाओं (जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, कॉपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेन्स बैंक एवं पेमेण्ट बैंक शाखाएं सम्मिलित हैं) 19414 ए0टी0एम0 एवं 111357 बैंक मित्रों तथा 32666 बैंक सखी के माध्यम से प्रदेश के समस्त नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है।

तालिका 2.01– प्रदेश मे बैंकिंग क्षेत्र का प्रगति विवरण (राशि करोड़ मे)

क्र.सं	विवरणी	सितम्बर, 2021	सितम्बर, 2022
1	जमा	1313815	1431306
2	कुल अग्रिम	666897	751346
3	कुल व्यवसाय	1988830	2190857
4	ऋण जमा अनुपात	51.38	53.07
5	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	387233	452940
6	कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेंत्र का %	57.37	59.63
7	कृषि अग्रिम	175681	194306
8	कुल अग्रिमों में कृषि क्षेत्र का %	26.03	25.58
9	लघु उद्यमियों को अग्रिम	140050	149903
10	कुल अग्रिमों में लघु उद्यमियों का %	20.75	19.74
11	अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	71501	2427
12	कुल अग्रिमों में अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र %	10.59	0.32
13	कमजोर वर्गों को अग्रिम	126035	150858
14	कुल अग्रिमों में कमजोर वर्गो का %	18.67	19.86
15	शाखा विस्तार		
	• ग्रामीण	8447	8618
	• अर्द्धनगरीय	4572	4426
	• शहरी/मेट्रो	6185	6304
16	कुल शाखाओं की संख्या	19204	19348

स्रोत–राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तर प्रदेश

सभी बैंको द्वारा डी.बी.टी. जी.आई.एस. पोर्टल पर अपनी बैंक शाखा/बैंक मित्र/ए.टी.एम. की सम्पूर्ण जानकारी अक्षांश और देशांतर के साथ भारत के मानचित्र पर उपलब्ध करायी गयी है जो भारत सरकार द्वारा निर्मित जनधन दर्शक ऐप पर भी उपलब्ध है, जिसे सामान्य लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपने नजदीकी बैंकिग आउटलेट की स्थिति जान सकते है। प्रदेश के समस्त केन्द्रों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंकिंग आउटलेट से संतृप्त करते हुए केन्द्रों की मैपिंग डी.बी.टी. जी.आई.एस. पोर्टल पर की जा चुकी है।

वार्षिक ऋण योजना

प्रदेश के एक समान विकास की अवधारणा से विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों यथा– कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, गृह, ऊर्जा आदि क्षेत्रों मे बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण कराये जाने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती है। वर्ष 2021–22 की समान अवधि मे रू0 279794 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष सितम्बर, 2021 तक उपलब्धि रू0 104452.20 करोड़ (37.33 प्रतिशत) थी जबकि वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत रू0 294987.74 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष सितम्बर, 2022 तक की उपलब्धि रू0 148791.99 करोड़ (50.44 प्रतिशत) रही है, सेक्टरवार ऋण वितरण की स्थिति निम्नानुसार है–

तालिका 2.02– वार्षिक ऋण योजना की स्थिति (धनराशि करोड़ मे)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि	%उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	%उपलब्धि
	2021–22	सितम्बर, 2021	सितम्बर,2021	2022–23	सितम्बर,2022	सितम्बर, 2022
कृषि	180541	55624.82	30.81	188571	66786.44	35.42
लघु उद्यम	72251	45197.94	62.56	78360	71409.07	91.13
सेवायें (शिक्षा+गृह+अन्य)	27002	3629.44	13.44	28057	3884.64	13.84
कुल	279794	104452.20	37.33	294988	148791.99	50.44

स्रोत–राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तर प्रदेश

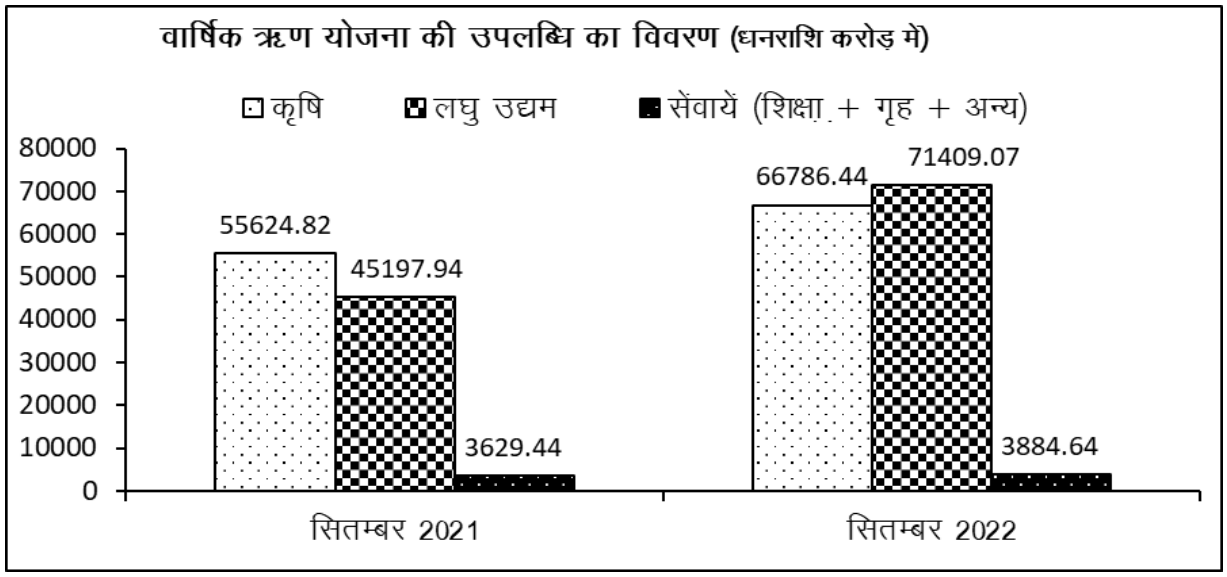

सितम्बर 2022 तिमाही के दौरान कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कुल रू0 66786 करोड़ का ऋण वितरण किया गया जो कि गत वर्ष की समान अवधि की उपलब्धि रू0 55624 करोड़ की तुलना में रू0 11162 करोड़ अधिक है।

कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना–

यह भारत सरकार की एक अनूठी योजना है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र हेतु आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है। इस योजना के अन्तर्गत रू0 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ कृषि क्षेत्र में कार्यरत कृषकों, कृषि उत्पादक संगठन, प्राथमिक कृषि ऋण समिति, सहकारी विपणन समिति, बहुउद्देशीय सहकारी समिति इत्यादि द्वारा लिया जा सकता है। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा पात्र इकाइयों को रू 2 करोड़ तक का ऋण सम्पार्श्विक प्रतिभूति के बिना प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा रू 2 करोड़ तक की ऋण सीमा पर 3 प्रतिशत का ब्याज उपादान भी प्रदान किया जाता है। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा भी कृषि समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत 3 प्रतिशत का ब्याज उपादान की सुविधा प्रदान की जा रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड योजना बैंको द्वारा संचालित की जा रही एक अत्यंत सफल एवं प्रभावी योजना है जिसका उद्देश्य बैंक ऋण के द्वारा किसानों को उनकी कृषि की जरूरतों को समय पर पूरा करना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु फसली ऋण खरीफ एवं रबी तथा किसान क्रेडिट कार्ड हेतु जनपदवार लक्ष्य की स्थिति निम्न है।

तालिका 2.03– के0सी0सी0 वितरण हेतु वित्तीय लक्ष्य 2022–23 (रू0 करोड़ में)

	खरीफ 2022	रबी 2022–23	कुल
व्यवसायिक बैंक	56699.71	90304.56	147004.27
कोऑपरेटिव बैंक	6306.00	420400	426706.00
कुल	63005.71	94508.56	157514.27

स्रोत–राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तर प्रदेश

तालिका 2.04– के0सी0सी0 वितरण हेतु भौतिक लक्ष्य 2022–23 (रू0 करोड़ में)

	नवीनीकरण	नये के0सी0सी0	कुल
व्यवसायिक बैंक	3634620	2259323	5893943
कोऑपरेटिव बैंक	387182	240677	627859
कुल	4021802	2500000	6521802

स्रोत–राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तर प्रदेश

- वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सितम्बर 2022 तक कुल– 16,49,267 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। प्रदेश में अब तक कुल 1,49,74,814 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं।
- प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश मे ऋण प्रवाह हेतु आगामी 100 दिवसो, 6 माह एवं 1 वर्ष मे किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा फसली ऋण वितरण प्रदान किए जाने हेतु विशेष ऋण प्रवाह अभियान की शुरूआत की गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन गतिविधि से लाखों लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ–साथ भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं की आय पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य से संबद्ध कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करने हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी साप्ताहिक जिला स्तरीय के.सी.सी शिविर के रूप में एक विशेष संतृप्ति अभियान शुरू किया गया है। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अन्तर्गत देश के कृषकों को प्राकृतिक आपदा से होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

तालिका 2.05– वर्षवार/सीजनवार आच्छादित कृषकों की संख्या

वित्तीय वर्ष	खरीफ	रबी	कुल
2018–19	3125465	2899184	6024649
2019–20	2284062	2260063	4544125
2020–21	2171760	1953534	4125294
2021–22	2160222	1992536	4152758
2022–23	2308487	–	–

स्रोत–राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तर प्रदेश

- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजनांतर्गत खरीफ फसल के अर्न्तगत कुल 2308487 कृषको को आच्छादित किया गया है जो गत वर्ष (2160222 कृषक) की तुलना में 148265 कृषक अधिक है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज

कोविड–19 महामारी के कारण प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि (पी.एम.स्वनिधि) योजना की शुरूआत की गयी है। योजनान्तर्गत पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेताओं को रू 10,000 का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह ऋण मुद्रा योजना मे शिशु श्रेणी मे प्रदान किया जा रहा है। **पी.एम.स्वनिधि पोर्टल** के अनुसार प्रदेश में जून, 2022 तक कुल 909046 एवं 879911 (106 प्रतिशत) स्ट्रीट वेन्डर्स को क्रमशः ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया जा चुका है।

प्रदेश में वित्तीय समावेशन

(क) **प्रधानमंत्री जन–धन योजना** मे प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में मार्च, 2022 तक 7.93 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें 7.37 करोड़ खाते सक्रिय है तथा इनमें रू0 33774.19 करोड़ की धनराशि जमा है। इनमें से 4.31 करोड खाते (54.35 प्रतिशत) महिला जनधन खाते है। कुल जनधन खातों मे से लगभग 6.55 करोड़ (88.97 प्रतिशत) खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है। देश में खोले गये कुल 45.41 करोड़ खातो में प्रदेश सर्वाधिक 7.93 करोड़ खाते (17.46 प्रतिशत) खोलते हुए प्रथम स्थान पर है।

(ख) **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)** के अन्तर्गत बैंक खाता धारकों, जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है, को वार्षिक प्रीमियम रू0 12 में रू0 2.00 लाख के दुर्घटना बीमा का कवरेज है जो विकलांग हो जाने की स्थिति में भी उपलब्ध होगा। मार्च, 2022 तक 3.75 करोड़ पंजीकरण के साथ प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। योजना में मार्च, 2022 तक 9669 दावों के सापेक्ष 6951 का निस्तारण किया जा चुका है।

(ग) **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई)** के अन्तर्गत बैंक के खाता धारकों जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष है, को रू0 2.00 लाख का जीवन बीमा वार्षिक प्रीमियम रू0 330/– पर उपलब्ध होगा। इस बीमा योजना मे वित्तीय वर्ष मार्च, 2022 तक 1.13 करोड़ पंजीकरण किये गए। योजना में मार्च, 2022 तक 52700 दावों के सापेक्ष 48263 का निस्तारण किया जा चुका है।

(घ) **अटल पेंशन योजना (एपीवाई)** के अन्तर्गत वृद्धावस्था में जीवन यापन हेतु 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु यह योजना लागू की गयी है ताकि 60 वर्ष की आयु से उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। इसका उद्देश्य नागरिकों को विशेषकर असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। मार्च, 2022 तक 60.11 लाख लोगों को पंजीकृत किया जा चुका है। नोडल एजेंसी पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु 11,46,970 नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष मार्च, 2022 तक कुल 15,88,176 लाख (138 प्रतिशत) नामंकन किये जा चुके है।

जन सुरक्षा योजनाओं हेतु संतृप्तीकरण अभियान

समस्त नागरिकों को जनधन खाते से जोड़ने व समस्त अर्ह नागरिकों को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जनसुरक्षा योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से शत प्रतिशत संतृप्त करने के उद्देश्य से 02 अक्टूबर 2021 से 30 नवम्बर 2022 तक के लिए ''संतृप्तीकरण अभियान'' की शुरूआत की गई है।

बैंकमित्रों एवं बैंक सखियों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सेवायें

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय सेवायें सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने हेतु समस्त प्रदेश को 27,628 सब–सर्विस एरिया में बाँटा गया है। सब–सर्विस एरिया 4 से 6 हजार की आबादी व 5 कि0मी0 की त्रिज्या दूरी को ध्यान में रखकर बनाया गया। प्रदेश में कुल 19157 बैंक शाखाओं, 101323 बैंक मित्र एवं 25002 बैंक सखियों द्वारा आधार एवं रूपे कार्ड आधारित ट्रांजेक्शन के माध्यम से सेवाएं प्रदान किया जा रहा है। दिसम्बर 2021 मे बैंक मित्रों की संख्या 66173 थी जो मार्च 2022 मे बढ़कर 101323 हो गयी है।

डिजिटल बैंकिंग

कोविड–19 महामारी के पश्चात कैशलेस लेंन–देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैकों द्वारा आधार एवं रूपे कार्ड आधारित जमा/भुगतान की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया जा रहा है। साथ ही ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंको द्वारा मोबाइल बैंकिग, यू0पी0आई, भीम एप, इण्टरनेट बैंकिग, डेबिट कार्ड इत्यादि जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जा रही है।

तालिका 2.06– डिजिटल ट्रांजेक्शन वृद्धि

वित्तीय वर्ष	डिजिटल ट्रांजेक्शन की संख्या (करोड मे़)	प्रतिशत वृद्धि (गत वर्ष से)
2017–18	122.84	–
2018–19	161.69	31.63
2019–20	189.07	16.93
2020–21	391.02	106.81
2021–22	426.68	9.11
2022–23 (जून–2022)	218.33	–

स्रोत–राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तर प्रदेश

डिजिटल पेमेंट को बढावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा चलाये गये डिजिटल इण्डिया अभियान के अंतर्गत बैंकों द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। बैंको द्वारा जून 2022 तक कुल 218.33 करोड़ ट्रांजेक्शन किये जा चुके है।

प्रदेश के आकांक्षात्मक 100 विकास खण्डो में वित्तीय समावेशन

प्रदेश के आकांक्षात्मक 100 विकास खंडों में बैंकों के माध्यम से संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित वित्तीय समावेशन मानकों पर निरन्तर समीक्षा की जा रही हैः–

1.कुल मुद्रा ऋण वितरण रू0 करोड़ में (प्रति 10 हजार की जनसंख्या पर)।

2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन (प्रति 10 हजार की जनसंख्या पर)।

3. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन (प्रति 10 हजार की जनसंख्या पर)।

4. अटल पेंशन योजना (लाभार्थी प्रति 10 हजार की जनसंख्या पर)।

5. सी0बी0एस0 एनब्लेड बैंकिग आउटलेट (प्रति 10 हजार की जनसख्या पर)।

6. ए.टी.एम. की उपलब्धता (प्रति 10 हजार की जनसंख्या पर)।

एग्रीक्लीनिक/एग्री बिजनेस केन्द्र

भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना मे कृषि संकाय के स्नातकों, डिप्लोमा होल्डर्स इत्यादि को कृषि क्लीनिक व कृषि व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु 02 माह का पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, तत्पश्चात बैंक ऋण के माध्यम से जोड़ने का प्रावधान है। वित्त–पोषित लाभार्थियों को भारत सरकार से 36 से 44 प्रतिशत तक के अनुदान का भी प्रावधान है। इसके माध्यम से बैंको द्वारा जहाँ एक ओर स्व–रोजगार को बढावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में ऋण की संभावनाओं में भी वृद्धि होगी। प्रदेश में मार्च 2022 तक विभिन्न बैंकों द्वारा कुल प्राप्त 136 आवेदन पत्रों के सापेक्ष 121 आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृति के साथ ही 117 आवेदन पत्रों में ऋण वितरण की कार्यवाही की गयी है तथा कुल रू 623.56 लाख की धनराशि वितरित की गयी है।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्व–रोजगार योजना

इस योजना मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं, को कृषि एवं उससे सम्बन्धित तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के क्रिया–कलापों हेतु ऋण उपलब्ध कराने पर केन्द्रित है। चालू वित्तीय वर्ष मे मार्च 2022 तक कुल प्रेषित 49543 आवेदन पत्रों में से ऋण स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही क्रमशः 10072 एवं 3328 आवेदन पत्रों में सुनिश्चित की गयी।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गाँव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना मे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को पूँजीगत ऋण रू0 10 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु पूँजीगत ऋण पर 4 प्रतिशत से अधिक ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती हैं। नोडल एजेंसी उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 2022 तक कुल वार्षिक लक्ष्य 800 के सापेक्ष ऋण वितरण की कार्यवाही 861 आवेदन पत्रों में सुनिश्चित की गयी जो कि आवंटित लक्ष्य का 108 प्रतिशत है।

अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार इन समुदायों को प्रदत्त ऋण सुविधाओं को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर वर्गो हेतु ऋणों में वर्गीकृत किया जाता है, साथ ही प्राथमिकता क्षेत्र के कुल ऋण का 15 प्रतिशत तक प्रदान करने हेतु निर्देश है।

प्रदेश के 21 जनपदों को अल्पसंख्यक बाहुल्य के रूप में चिन्हित किया गया है। मार्च 2022 तक अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 2317118 व्यक्तियों को रू 49607 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, जो कि कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदत्त ऋण का क्रमशः 12.18 प्रतिशत (खाते) एवं 11.87 प्रतिशत (धनराशि) है।

अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में कुल 2010621 व्यक्तियों को रू 22251 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, जो कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदत्त ऋण का क्रमशः 25.72 प्रतिशत (खाते) एवं 20.70 प्रतिशत (धनराशि) हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

भारत सरकार द्वारा अति लघु इकाइयों के विकास तथा पुनर्वित्तपोषण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु मुद्रा योजना की शुरूआत, गैर–कार्पोरेट एवं गैर–कृषि लघु/लघु उद्यमों को रू0 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए की गई है। योजना की प्रगति निम्न है–

तालिका 2.07– प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मे वित्त पोषण **(धनराशि करोड़ मे)**

अवधि	शिशु ऋण (रू0 0.50 लाख तक)			किशोर ऋण (रू0 0.50–5 लाख तक)			तरूण ऋण (रू0 5–10 लाख तक)		
	खातों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि	खातों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि	खातों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि
मार्च 2021	3898753	10301	10017	737244	11040	10461	102455	7890	7397
मार्च 2022	4592780	12770	12616	1098459	12892	12524	96743	8002	7711

स्त्रोत–राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तर प्रदेश

स्टैण्ड अप इण्डिया योजना

भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2016 मे स्टैण्ड–अप इण्डिया योजना का शुभारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को रू 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना है। इसमे प्रत्येक बैंक शाखा को एक अनुसूचित जाति/जनजाति एवं एक महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। भारत सरकार द्वारा योजना के संचालन मे यह संशोधन किया गया है कि आवेदनकर्ता द्वारा व्यावसायिक इकाई की परियोजना लागत को 25 प्रतिशत से कम करते हुए 15 प्रतिशत करना एवं कृषि सम्बद्ध गतिविधियों तथा इन गतिविधियों को सहायता करने करने वाली सेवाओं को भी लाभान्वित किया जाना है। प्रदेश, भारत में प्रथम स्थान पर है। संक्षेप में प्रगति निम्नानुसार हैः–

तालिका 2.08– स्टैण्ड–अप इण्डिया योजना में वर्ष 2022–23 में नवम्बर 2022 तक की प्रगति

(धनराशि करोड़ मे)

बैंक	शाखाओं की संख्या	लक्ष्य @2 प्रति शाखा	स्वीकृत		वितरित (नव.2022)	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	10799	21598	15819	3225	10906	1692
प्राइवेट बैंक	1636	3272	720	168	206	41
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4290	8580	757	127	600	68
कुल योग	16725	33450	17296	3520	11712	1801

स्त्रोत–राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तर प्रदेश

प्रधानमंत्री आवास योजना

भारत सरकार द्वारा जून, 2015 मे सभी शहरी क्षेत्रों हेतु आवास योजना का शुभारम्भ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य सबके लिए आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना सभी शहरों में लागू की गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु हुडको एवं नेशनल हाउसिंग बैंक को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है चूँकि यह योजना माननीय प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना हैं। इस योजना के सी.एल.एस.एस घटक के अन्तर्गत मार्च 2022 तक 52531 प्रस्तावों में रू 5477.40 करोड की धनराशि का ऋण वितरण व रू 975.22 करोड़ अनुदान राशि का समायोजन किया गया है।

****

अध्याय–03
कृषि

मुख्य बिन्दु

- ❖ वर्ष 2021–22 के राज्य आय के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्राथमिक खण्ड का (प्रचलित भावों पर) जीएसवीए में योगदान 28.4 प्रतिशत रहा।
- ❖ प्रदेश का गेहूँ तथा खाद्यान्न उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है।
- ❖ वर्ष 2021–22 में कुल 60.10 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया है, जिसमें खरीफ 2021 में 8.42 लाख कुन्तल एवं रबी में 51.68 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत 133 कृषकों को रू0 189.07 लाख की धनराशि वितरित की गयी।
- ❖ प्रदेश की चयनित 27 नवीन मण्डी स्थलों के आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत 26 नवीन मण्डी स्थलों का आधुनिकीकरण कराया गया है।

उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से चौथा सबसे बडा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3 प्रतिशत है। इस राज्य के चार पारिस्थितिकी क्षेत्र है, जो तराई, गंगा के मैदान, भाभर और विंध्य क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। राज्य में छः स्पष्ट और विशिष्ट मृदा समूह हैं–भाभर, तराई, विन्ध्य, बुन्देलखण्ड, अरावली और जलोढ़ मृदा हैं। वर्षा, भूभाग और मृदा की विशेषताओं के आधार पर प्रदेश के नौ विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं।

इस राज्य की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय और खेती के अनुकूल है। प्रदेश के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के जल से राज्य में गेहूँ, मक्का, धान, आलू, गन्ना, दालें, तिलहन और कई फल तथा सब्जियों की खेती की जाती है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन मे प्राथमिक खण्ड का योगदान

इसके अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन श्रृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक–पृथक आँकलित किये गये हैं, जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत ही आँकलित किये जाते थे। वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार,

प्राथमिक क्षेत्र का प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में 28.44 प्रतिशत एवं स्थायी भावों पर 25.33 प्रतिशत का योगदान है।

तालिका–3.01–सकल राज्य मूल्य वर्धन मे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान एवं वृद्धि दर

(स्थायी भावों पर)

वित्तीय वर्ष	जीएसवीए (रु0 करोड. मे)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	जीएसवीए में योगदान (प्रतिशत में)
2011–12	**189787**	–	**27.83**
2014–15	**196024**	**–0.93**	**25.10**
2015–16	**206927**	**5.56**	**24.30**
2016–17	**220250**	**6.44**	**23.13**
2017–18	**242021**	**9.88**	**24.24**
2018–19	**250752**	**3.61**	**24.12**
2019–20	**245488**	**–2.10**	**22.74**
2020–21	**248389**	**1.18**	**24.21**
2021–22	**284625**	**14.59**	**25.33**

वर्ष 2020–21 अनन्तिम अनुमान , वर्ष 2021–22 त्वरित अनुमान।

स्रोतः– अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।

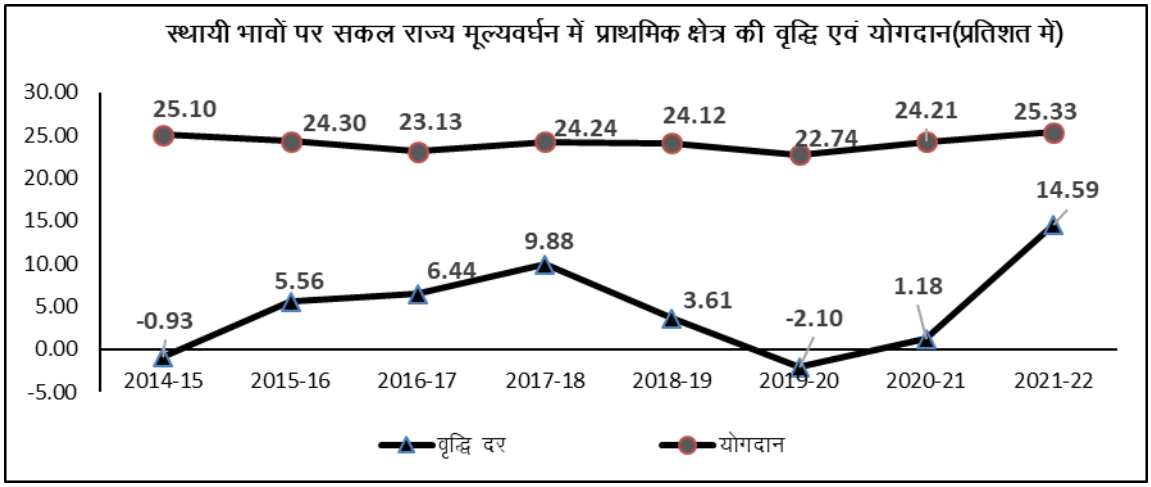

वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्राथमिक खण्ड का स्थायी भावों पर राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान जो वर्ष 2011–12 मे 27.83 प्रतिशत था, वर्ष 2021–22 में कम होकर 25.33 प्रतिशत हो गयी है। विगत् वर्षों मे प्राथमिक खण्ड के उप–खण्डों की स्थायी भावों पर वृद्धि दर निम्नवत् रही है–

तालिका–3.02 प्राथमिक उप–खण्ड का स्थायी भावों पर वृद्धि दर (आधार वर्ष 2011–12)

क्र.सं	उप–खण्ड	2021–22
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	14.82
1.1	फसलें	**18.17**
1.2	पशुधन	10.41
1.3	वानिकी और लट्ठा बनाना	2.33
1.4	मत्स्ययन और जलीय कृषि	8.46
2	खनन और उत्खनन	12.12
प्राथमिक खण्ड (1+6)		14.59

वर्ष 2000–01 की तुलना में वर्ष 2021–22 में प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता निम्नवत् रहीः–

तालिका–3.03 – प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्र. सं.	फसल	2000–01			2021–22			2022–23 (खरीफ)		
		आच्छादन लाख हे0	उत्पादन लाख मी0टन	उत्पादकता कु0/हे0	आच्छादन लाख हे0	उत्पादन लाख मी0 टन	उत्पादकता कु0/हे0	आच्छादन लाख हे0	उत्पादन लाख मी0 टन	उत्पादकता कु0/हे0
1	चावल	59.04	116.72	19.77	59.7	160.57	26.75	57.96	155.79	26.88
2	गेहूँ	92.39	251.68	27.24	97.63	364.59	37.34	95.90	370.17	38.60
3	धान्य फसलें	176.16	405.76	23.03	177.53	568.67	32.03	–	–	–
4	दलहन	26.92	21.61	8.03	24.28	26.19	10.82	26.60	29.94	11.26
5	खाद्यान्न फसलें	203.08	427.37	21.04	201.81	594.80	29.48	200.93	598.70	29.80
6	तिलहन	8.92	7.10	8.25	12.75	12.38	10.22	13.76	15.67	11.39

स्रोत–कृषि सांख्यिकीय एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।

प्रदेश में प्रमुख फसलों वर्ष 2021–22 व 2022–23 की उत्पादकता की तुलनात्मक स्थिति–

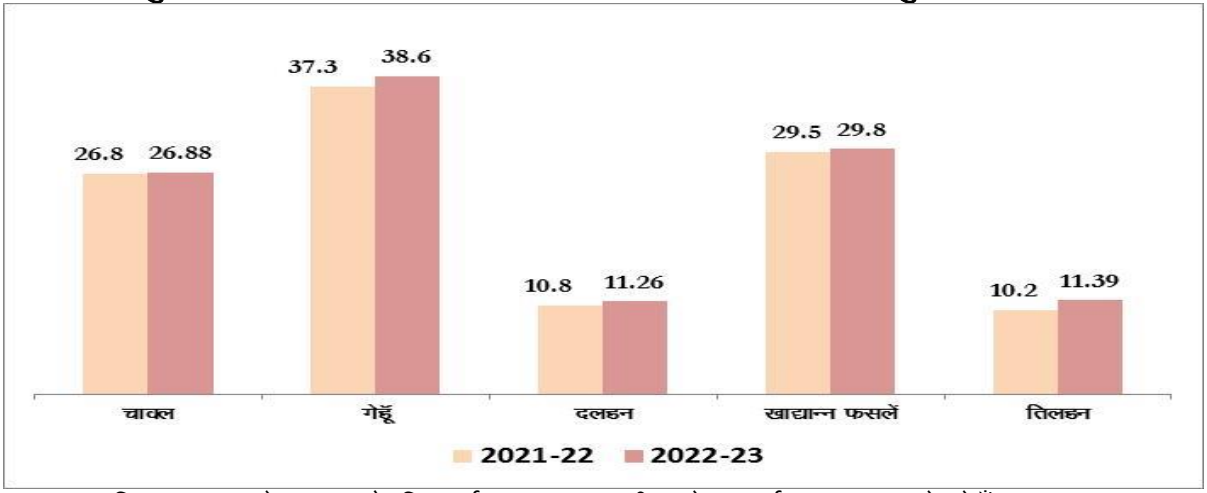

तालिका 3.03 से स्पष्ट है कि वर्ष 2021–21 की अपेक्षा वर्ष 2022–23 में गेहूँ, दलहन ,खाद्यान्न फसलें तथा तिलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता मे वृद्धि हुई है।

उर्वरक

विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में उपयोग वांछित है। वांछित उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए नत्रजन के साथ–साथ फास्फोरस एवं पोटाश के उपयोग पर विशेष बल दिया गया इससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिला है। विभिन्न वर्षों मे रासायनिक उर्वरकों की खपत के पूर्ति का विवरण निम्नवत है–

तालिका–3.04– रासायनिक उर्वरकों की खपत

उर्वरक(000मी0 टन में) कृषि रक्षा रसायन (मी0 टन/कि0ली0 में)

क0सं0	फसल	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	खरीफ	4131	3553	4989	4989
2	रबी	5483	5078	3421	5902
3	योग(खरीफ+रबी)	9614	8631	8410	10891
4	कृषि रक्षा रसायनों का वितरण	16703	10247	13572	19577

स्रोत–कृषि विभाग,उत्तर प्रदेश।

तालिका–3.04 मे रासायनिक उर्वरकों की खपत प्रदर्शित की गयी है। वर्ष 2018–19 में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम था, जो वर्ष 2021–22 मे बढकर 10891 हजार मी0टन हो गया है।

बीज वितरण

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उन्नतिशील बीजों के उत्पादन के साथ–साथ इनका ससमय वितरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 2021–22 में कुल 60.10 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया है, जिसमें खरीफ 2021 में 8.42 लाख कुन्तल एवं रबी में 51.68 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया। तालिका–3.05 मे वर्षवार फसलवार बीज वितरण दर्शाया गया है।

तालिका–3.05– प्रदेश में बीज वितरण (हजार कु0 में)

क0सं0	फसल	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	**धान**	683.44	698.46	706.76	720	725.56
2	**अन्य खरीफ**	113.88	115.68	119.09	115.69	116.25
3	**कुल खरीफ**	**797.32**	**814.15**	**825.85**	**835.69**	**841.81**
4	**गेहूँ**	4218.78	4487.61	4635.96	4626.10	4700.10
5	**अन्य रबी**	452.07	439.79	458.07	468.96	472.34
6	**कुल रबी**	**4670.85**	**4927.39**	**5094.03**	**5095.06**	**5168.48**
7	**योग(खरीफ+रबी)**	**5468.17**	**5741.54**	**5919.88**	**5930.75**	**6010.28**

स्रोत–कृषि विभाग,उत्तर प्रदेश।

विपणन परिज्ञान

भारत सरकार के सहयोग से विपणन सूचना तंत्र के तहत एगमार्कनेट के अन्तर्गत प्रदेश की 257 मण्डियों एवं 01 कम्पयूटर निदेशालय में स्थापित कराये गये है। प्रमुख कृषि बाजारों से कम्प्यूटर के माध्यम से भारत सरकार की बेवसाइट डब्लू0डब्लू0डब्लू0डाटएजीमार्कनेटडाटजीओवीडाटइन पर कृषि जिन्सों के बाजार भाव व आवक आदि की सूचना नियमित प्रेषित की जाती है। इसके साथ निदेशालय की वेबसाइट डब्लू0डब्लू0डब्लू0डाटयू0पी0कृषिविपरणडाटइन व मोबाइल ऐप यू0पी0मण्डीभाव पर भी उपरोक्त सूचनायें तैयार कराई जाती है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई नाम) असेयिंग/वाणिज्यात्मक वर्गीकरण

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) योजना के अंतर्गत प्रदेश की कुल 125 ई–नाम मण्डियों/केन्द्रों पर असेयिंग कार्य हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 181939.48 मी0 टन कृषि उपज का असेयिंग तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 206405.00 मी0 टन तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर तक 48019.59 मी0 टन कृषि उपज का असेयिंग कार्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत कराया गया है।

एगमार्क वर्गीकरण

उपभोक्ताओं को शुद्ध एगमार्क वर्गीकृत कृषि पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के कृषि उत्पाद (वर्गीकरण एवं चिन्हान्कन) अधिनियम–1937 के प्राविधानों के अन्तर्गत एगमार्क वर्गीकरण के कार्यक्रमों हेतु 04 राजकीय एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशालायें कृषि पदार्थो के नमूनों की जांच हेतु स्थापित है तथा मण्डी परिषद के सहयोग से 08 अतिरिक्त एगमार्क प्रयोगशालाएं भी स्थापित करायी गयी हैं इस प्रकार कुल 12 एगमार्क प्रयोगशालायें वर्तमान में कार्यरत है। एगमार्क वर्गीकरण कार्यो के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 81,996 कुं0 मात्रा का एगमार्क वर्गीकरण कराया गया हैं वर्ष 2020–21 में 91,328 कु0 एवं वर्ष 2021–22 में 87,208 कुं0 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर 2022 तक 65,837 कुं0 का एगमार्क वर्गीकरण कराया गया है।

जी0आई0 (भौगोलिक उपदर्शन) के प्रोत्साहन कार्यो हेतु नोडल एजेंसी

शासनादेश संख्या–12/2022/120/अस्सी–2–2022/80–2099/87/2022 दिनांक 14.12.2022 के द्वारा उत्तर प्रदेश के विशिष्ट कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का भौगोलिक उपदर्शन पंजीयन कराने एवं ऐसे भौगोलिक उपदर्शन प्राप्त उत्पादों के उत्पादकों/निर्यातकों/विक्रेताओं को अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीयन कराते हुए जी0आई टैग के साथ विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0, को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है जिसके द्वारा जी0आई0 उत्पादों के प्रचार–प्रसार हितधारकों की क्षमता निर्माण, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण सहित विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए प्रोत्साहन किया जाना है।

प्रदेश मे मण्डी समितियों की कार्य प्रगति

- नियमित समीक्षा द्वारा कर चोरी पर लगाम के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) मण्डी समितियों की कुल आय रू0 972.12 करोड़ हो चुकी है, जो कि गत वर्ष की समान अवधि से रू0 610.49 करोड़ अधिक है।
- गडढामुक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक 445.12 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग रू0 58.94 करोड़ की लागत से पूर्ण रूप से नवीनीकृत/ब्लैक टाप कराया गया।
- भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी परियोजना राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नैम) अन्तर्गत कृषकों को उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश की 125 मण्डियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक रू0 1148.93 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया गया है।
- मण्डी समितियों के आन्तरिक कार्यो को भी आनलाइन करने की दिशा में ई–मण्डी योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 17,962 ई–लाईसेन्स निर्गत किये गये हैं एवं ई मण्डियों में 11 लाख से अधिक प्रपत्र आनलाइन निर्गत गयी।

- मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनाओं अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर 2022 तक कुल 5245 कृषक लाभार्थियों को रू0 723.57 लाख की अनुदान राशि वितरित की गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में मैंगो पैक हाउस लखनऊ एवं सहारनपुर के माध्यम से 76.07 मीट्रिक टन आम प्रोसेस व पैकिंग कर विभिन्न देशों में निर्यात किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 521 छात्रों को रू0 185.82 लाख की धनराशि वितरित की गयी। वित्तीय वर्ष 2022–23 में (जुलाई, 2022 तक) मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 748 छात्रों को रू0 258.94 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है।
- प्रदेश की चयनित 27 नवीन मण्डी स्थलों के आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत 26 नवीन मण्डी स्थलों का (वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में 01) आधुनिकीकरण कराया गया है।

****

अध्याय–4
वन एवं पर्यावरण

मुख्य बिन्दु

- ❖ प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग कि0मी0 का मात्र 9.23 प्रतिशत है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है।
- ❖ प्रदेश में वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में 91 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.04 प्रतिशत है।
- ❖ इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से प्रदेश के समस्त पक्षी विहारों एवं वन्यजीव विहारों के विकास हेतु संचालित है।
- ❖ पक्षियों के वास स्थल, क्रियाकलाप तथा विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में प्रतिवर्ष माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है।
- ❖ गौरैया व अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता हेतु प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है।

वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वन, दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक वास है। प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल 22,239 वर्ग कि0मी0 है जो कि कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग कि0मी0 के सापेक्ष मात्र 9.23 प्रतिशत है। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, वनावरण तथा वृक्षावरण निम्न प्रकार हैः–

प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षावरण मे वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 मे 91 वर्ग कि0मी0 की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रुप से वनों के समुचित प्रबन्धन तथा सफल वृक्षारोपण के कारण हुई है।

तालिका–4.01– कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वनावरण एवं वृक्षावरण (प्रतिशत में)

वर्ष	वनावरण	वृक्षावरण	कुल वनावरण एवं वृक्षावरण
2003	5.86	3.20	9.06
2005	5.86	3.41	9.27
2009	5.95	3.06	9.02
2011	5.95	3.06	9.02
2013	5.96	2.86	8.82
2015	6.00	2.92	8.93
2017	6.09	3.09	9.18
2019	6.15	3.05	9.19
2021	6.15	3.08	9.23

स्रोत–वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0।

तालिका 4.01 मे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वनावरण व वृक्षावरण के क्षेत्रफल के प्रतिशत को प्रदर्शित किया गया है वर्ष 2015 मे वनावरण क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6 प्रतिशत था जो वर्ष 2021

मे बढ़कर 6.15 प्रतिशत हो गया है वहीं वृक्षावरण क्षेत्रफल 2.92 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2021 मे 3.08 प्रतिशत हो गया है। देश के समस्त प्रदेशों में वनावरण एवं वृक्षावरण का आकंलन भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा प्रत्येक दो वर्षों में किया जाता है।

प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व

इमारती लकड़ियों में साल, सागौन, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस आदि प्रमुख है। विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज का विवरण निम्नवत् है –

तालिका–4.02– प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

क0सं0	प्रजाति	इकाई	2020–21	2021–22 (अनन्तिम)	2022–23 (अनन्तिम)
1	साल	हजार घन मी0	18	8	15
2	सागौन	हजार घन मी0	6	5	5
3	शीशम	हजार घन मी0	16	12	14
4	खैर	हजार घन मी0	2	1	3
5	यूकेलिप्टस	हजार घन मी0	56	54	69
6	विविध	हजार घन मी0	41	42	45
	गौण वनोपज				
1	जलौनी	चट्टा हजार घन मी0	12	16	20
2	बम्बू	हजार कोड़ी	11	11	41
3	तेन्दू पत्ता	हजार मानक बोरा	89	109	157

स्रोत–वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0।

तालिका 4.02 से स्पष्ट है कि प्रदेश के मुख्य वनोपज मे वर्ष 2020–21 की अपेक्षा वर्ष 2021–22 मे विविध के उत्पादन मे वृद्धि हुई है तथा उक्त अवधि मे गौण वनोपज मे जलौनी, तेन्दू पत्ता मे वृद्धि हुई है।

तालिका–4.03–राजस्व एवं विकास पर कुल व्यय

वर्ष	राजस्व			व्यय			
	कुल (लाख रू0)	वर्ष 1990–91 की तुलना मे 2000–01 से राजस्व का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि	कुल (लाख रू0)	वर्ष 1990–91 की तुलना मे 2000–01 से राजस्व का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि	व्यय का राजस्व से प्रतिशत
1990–91	8770.85	100	–	12931.10	100	–	147.43
2000–01	12710.07	144.91	44.91	20091.96	155.38	55.38	158.08
2010–11	28032.59	319.61	219.61	46598.39	360.36	260.36	166.23
2011–12	28496.82	324.90	224.90	48959.79	378.62	278.62	171.81
2012–13	33131.05	377.74	277.74	59136.59	457.32	357.32	178.49
2013–14	35508.73	404.85	304.85	69806.78	539.83	439.83	196.59

वर्ष	राजस्व			व्यय			
	कुल (लाख रू0)	वर्ष 1990–91 की तुलना मे 2000–01 से राजस्व का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि	कुल (लाख रू0)	वर्ष 1990–91 की तुलना मे 2000–01 से राजस्व का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि	व्यय का राजस्व से प्रतिशत
2014–15	41292.25	470.79	370.79	79527.10	615.00	515.00	192.59
2015–16	62936.95	717.56	617.56	85097.46	658.08	558.08	135.21
2016–17	25926.16	295.59	195.59	124983.62	966.53	866.53	482.07
2017–18	31997.56	364.81	264.81	83200.92	643.41	543.41	260.02
2018–19	35299.52	402.46	302.46	94782.28	732.98	632.98	268.50
2020–21	27289.32	310.22	250.22	109631.12	847.80	747.80	401.73
2021–22	29653.78	338.09	238.09	152666.84	1180.61	1080.61	514.83
2022–23	29718.28	338.83	238.83	176436.69	1364.43	1264.43	593.59

स्रोत–वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0। **वर्ष** 2021–22 अनुमानित एवं 2022–23 प्राविधानित है।

उपरोक्त तालिका में वर्ष 1990–91 की तुलना मे वर्ष 2000–01 से वर्ष 2021–22 तक अर्जित कुल राजस्व एवं कुल व्यय को उल्लिखित किया गया है। अर्जित कुल राजस्व मे वृद्धि वर्ष 2000–01 के 44.91 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022–23 मे 238.83 प्रतिशत हो गयी है जबकि उक्त अवधि मे व्यय 55.38 प्रतिशत से बढ़कर 1264.43 प्रतिशत हो गयी है।

जैव विविधता

प्रदेश की विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना एवं जलवायु में पाये जाने वाले वन्य जीवों एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहारों, आरक्षित संरक्षण क्षेत्र तथा प्राणि उद्यानों की स्थापना की गयी है। वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणि उद्यान का निर्माण, इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास किया गया है। गौरैया व अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता हेतु प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है।

तालिका–4.04– राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार

क्र0 सं0	नाम	स्थापना का वर्ष	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	स्थिति (जिला)	मुख्य वन जीव
राष्ट्रीय उद्यान					
1	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान	1977	490.29	लखीमपुर–खीरी	बाघ, तेन्दुआ, भालू, गैण्डा
टाइगर रिजर्व					
1	पीलीभीत टाइगर रिजर्व	2014	730.00		बाघ, तेन्दुआ,गैण्डा
2	अमानगढ़ टाइगर रिजर्व	2012	81.00		बाघ,तेन्दुआ, हाथी आदि।
वन्य जीव विहार					
1	चम्बल वन्यजीव विहार	1979	635.00	इटावा, आगरा	घड़ियाल, मगर, डालफिन,

क्र0 सं0	नाम	स्थापना का वर्ष	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	स्थिति (जिला)	मुख्य वन जीव
2	कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार	1976	400.09	बहराइच	तेन्दुआ, शेर, चीतल,
3	रानीपुर वन्यजीव विहार	1977	230.00	बांदा	तेन्दुआ, काला हिरन
4	महावीर स्वामी वन्यजीव विहार	1977	5.00	ललितपुर	भालू, तेन्दुआ, चिंकारा
5	चन्द्रप्रभा वन्यजीव विहार	1957	78.00	चन्दौली	बारासिंघा, शेर चीतल
6	किशनपुर वन्यजीव विहार	1972	203.41	लखीमपुर खीरी	भालू, तेन्दुआ, चिंकारा
7	कैमूर वन्यजीव विहार	1982	501.00	मिर्जापुर	बारासिंघा
8	हस्तिनापुर वन्यजीव विहार	1986	2073.00	मुजफ्फरनगर, मेरठ,	चीतल, शेर, आदिं
9	सोहागीबरवा वन्यजीव विहार	1987	428.00	महराजगंज	चीतल, शेर आदि
10	सोहेलवा वन्यजीव विहार	1988	452.00	गोण्डा,बलरामपुर, श्रावस्ती	चीतल, शेर आदि
11	कछुआ वन्यजीव विहार	1989	7.00	वाराणसी	कछुआ
पक्षी विहार					
12	नवाबगंज पक्षी बिहार	1984	2.00	उन्नाव	प्रवासी पक्षी।
13	समसपुर पक्षी विहार	1987	8.00	रायबरेली	प्रवासी पक्षी।
14	लाखबहोसी पक्षी विहार	1988	80.00	कन्नौज	प्रवासी पक्षी।
15	सांडी पक्षी विहार	1990	3.00	हरदोई	प्रवासी पक्षी।
16	बखीरा पक्षी विहार	1990	29.00	संतकबीर नगर	प्रवासी पक्षी।
17	ओखला पक्षी विहार	1990	4.00	गौतमबुद्ध नगर	प्रवासी पक्षी।
18	समान पक्षी विहार	1990	5.00	मैनपुरी	प्रवासी पक्षी।
19	पार्वती अरंगा पक्षी विहार	1990	11.00	गोण्डा	प्रवासी पक्षी।
20	विजय सागर पक्षी विहार	1990	3.00	महोबा	प्रवासी पक्षी।
21	पटना पक्षी विहार	1990	1.00	एटा	प्रवासी पक्षी।
22	सूरसरोवर पक्षी विहार	1991	4.00	आगरा एवं इटावा	प्रवासी पक्षी।
23	जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार (सुरहा ताल)	1991	34.00	बलिया	प्रवासी पक्षी।
24	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार	2003	4.00	प्रतापगढ़	प्रवासी पक्षी।
25	शेखा झील अलीगढ़	2016	0.40	अलीगढ	प्रवासी पक्षी।
26	चाँद खमहरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र मेजा इलाहाबाद	2017	126.12	इलाहाबाद	कृष्ण मृग
प्राणि उद्यान					
1	लखनऊ, प्राणि उद्यान			लखनऊ	बाघ, तेन्दुआ, भालू, गैण्डा
2	कानपुर प्राणि उद्यान			कानपुर	बाघ, तेन्दुआ, भालू, गैण्डा

स्रोत–वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0।

तालिका 4.04 मे प्रदेश मे स्थित राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव विहार एवं पक्षी विहार के स्थापना वर्ष के साथ ही उनके क्षेत्रफल, जनपद व मुख्य वन्यजीव का उल्लेख किया गया है।

वानिकी एवं वन्य जीव योजनाएं

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाष्ठ, ईधन एवं चारा पत्ती तथा लघु वन उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की भूमि यथा अवनत वन क्षेत्र सामुदायिक भूमि, नहर, रेल तथा सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है। वर्ष 2020–21 तक योजनान्तर्गत रू0 37501.41 लाख व्यय कर 62814 हेक्टेयर, वर्ष 2021–22 में रू0 41568.63 लाख़ व्यय कर 56919 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 69184.74 लाख व्यय कर प्रदेश में कुल 35 करोड पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें से 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर 1272 लाख पौधों का रोपण विभागीय वृक्षारोपण के अन्तर्गत किया गया है।
- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण एवं सौन्दर्य को दृष्टिगत रखते हुए स़ड़कों के किनारे खाली पड़ी भूमि एवं पार्कों की भूमि पर शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत पर्यावरण के दृष्टिकोण से उपयोगी तथा शोभाकार वृक्षों का रोपण किया जाता है। वर्ष 2020–21 तक योजनान्तर्गत रू0 500 लाख व्यय कर 55 लाख वृक्षारोपण कराया गया। वर्ष 2021–22 में रू0 1000 लाख व्यय कर 99 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराया गया।
- नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम योजना नेशनल वेटलैण्ड कन्जर्वेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य संरक्षित तथा गैर–संरक्षित वेटलैण्ड की सुरक्षा, प्राकृत–वास सुधार, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, शोध, स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी प्रबन्ध एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण आदि मदों में सहायता पहुँचाना है। वर्ष 2013–14 से 2019–20 में इस योजना में रू0 1614.70 लाख व्यय किया गया।
- पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने एवं विद्यार्थियों को इन जीवों के वास स्थल, क्रियाकलाप तथा विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में प्रतिवर्ष दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है।
- मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार जनता को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने, जनपद के स्कूली बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने तथा विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गयी।
- प्रदेश के विभिन्न वेटलैण्ड्स के पारिस्थितिकीय विकास हेतु वेटलैण्ड्स की सफाई, हानिकारक खर–पतवार निकालना, पौधा रोपण एवं बीज बुआन, बन्धों का निर्माण तथा अवस्थापना का विकास सम्बन्धी कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं।

वन्य जीव परिरक्षण योजनाएं

- प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अन्तर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1977 में आच्छादित किया गया। कालान्तर में किशनपुर वन्यजीव विहार, कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार, आजमगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी संयुक्त रूप से ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजनान्तर्गत लाया गया। वर्ष 2012–13 से 2019–20 में योजना में रू0 10701.68 लाख व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 3141.26 लाख व्यय किये गये।
- इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से प्रदेश के समस्त पक्षी विहारों एवं वन्यजीव विहारों के विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही है। योजना मे वर्ष 2012–13 से 2019–20 में रू0 3510.65 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2021–22 में अनुमानतः रू0 1307.62 लाख व्यय किया गया।

- प्रोजेक्ट एलीफैन्ट योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त सहायता से ''उत्तर प्रदेश एलीफैन्ट रिजर्व''चलाई जा रही है। हाथी के प्राकृतवास की सुरक्षा व संरक्षण, अवैध शिकार स्थानीय समुदायों में वन्यजीव संरक्षण के प्रति चेतना व जागरूकता उत्पन्न करना आदि कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। वर्ष 2021–22 में रू0 80.50 लाख व्यय किया गया।
- वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान का निर्माण किया जा रहा है।

तालिका–4.05–दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की संख्या

वर्ष	पर्यटकों की संख्या		
	भारतीय	विदेशी	योग
2011–12	12,950.00	119.00	13,069.00
2012–13	18,071.00	106.00	18,177.00
2013–14	21,567.00	103.00	21,670.00
2014–15	20,131.00	94.00	20,225.00
2015–16	21,820.00	84.00	21,904.00
2016–17	23,359.00	112.00	23,471.00
2017–18	24,334.00	94.00	24,428.00
2018–19	29,125.00	304.00	29,429.00
2019–20	28,309.00	281.00	28,590.00
2020–21	38,710.00	9.00	38,719.00
2021–22	43,328.00	48.00	43,376.00
2022–23	16,634.00	18.00	16,652.00

स्रोत–वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0।

तालिका 4.05 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 मे भारतीय पर्यटकों की संख्या 12950 थी जो वर्ष 2021–22 मे 234.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 43328 हो गयी है। वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या 119 थी जो घटकर 48 हो गयी है। कुल पर्यटकों की संख्या 13069 थी जो वर्ष 2021–22 मे बढ़कर 43376 हो गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 समाप्त होने में अभी दो माह का समय अवशेष है अतः पर्यटकों की संख्या अनन्तिम प्रेषित की जा रही है।

****

अध्याय–5
पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

मुख्य बिन्दु

- ❖ प्रदेश में 20वीं पशुगणना वर्ष 2019 के अनुसार कुल 692.20 लाख पशुधन हैं जो देश में सर्वाधिक है। प्रदेश, पशुधन (कुक्कुट को छोड़कर) मे देश में प्रथम स्थान पर है।
- ❖ वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, पशुपालन एवं मत्स्ययन उपखण्ड की स्थायी भावों पर वृद्धि दर क्रमशः 10.4 एवं 8.5 है।
- ❖ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन प्रतिशत बढ़ाये जाने हेतु 15 लाख पशुओं में निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाना लक्षित है।
- ❖ प्रदेश के समस्त ग्रामों में कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया जाना लक्षित है जिस हेतु दिसम्बर 2022 तक 217 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 81.77 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया गया तथा 22.26 लाख इनाफ पोर्टल पर फीडिंग की गयी।
- ❖ वर्ष 2020–21 में प्रदेश 313.597 लाख मीट्रिक टन (वृद्धि दर–1.58 प्रतिशत) एवं वर्ष 2021–22 मे 329 लाख मीट्रिक टन (वृद्धि दर 4.85 प्रतिशत) दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है।
- ❖ प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पशुधन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है क्योंकि पशु कृषि कार्यों के साथ–साथ एक सहयोगी उद्यम की भूमिका का निर्वहन करते हैं जिनके माध्यम से किसान को विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, दही, मक्खन तथा जैविक खाद आदि के साथ अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। विभिन्न पशु उत्पाद से प्रदेश को हजारों करोड़ रूपये की आय होती है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का महत्वपूर्ण अंश है।

पशुधन

प्रदेश में 20वीं पशुगणना वर्ष 2019 के अनुसार कुल 692.20 लाख पशुधन है। कुक्कुट को छोड़कर पशुधन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। दुधारू गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में दुधारू पशुओं की संख्या बहुतायत में है।

तालिका–5.01–पशुजन्य पदार्थों की प्रतिपशु उत्पादकता

क्र0सं0	पशुजन्य पदार्थ का नाम	पशु प्रजाति का नाम	इकाई	वर्षवार औसत उत्पादन प्रतिपशु प्रतिदिन (भारित औसत)			
				2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	दुग्ध उत्पादन	स्वदेशी गाय	किग्रा0	8.456	8.636	8.716	8.855
		क्रास ब्रीड गाय	किग्रा0	7.091	7.206	7.172	7.283
		अवर्णित गाय	किग्रा0	2.219	2.243	2.290	2.308
		स्वदेशी भैंस	किग्रा0	4.823	4.872	4.917	4.956
		अवर्णित भैंस	किग्रा0	3.286	3.326	3.354	3.363
		बकरी	किग्रा0	0.772	0.780	0.786	0.783
2	अण्डा उत्पादन	अवर्णित	संख्या	140.8	141.8	142.4	142.6
		उन्नतिशील	संख्या	224.9	232	240.3	261.2
3	ऊन उत्पादन	भेंड़	किग्रा0	0.910	0.914	0.918	0.920

प्रदेश कुल सकल अण्डा उत्पादन का 35 प्रतिशत अण्डा निजी क्षेत्रों से तथा 65 प्रतिशत बैकयार्ड पोल्ट्री से प्राप्त होता है। उत्पादन–खपत के अन्तर को पूरा करने के लिए लगभग 45 लाख अण्डा और 0.30 लाख ब्रायलर पक्षियों का प्रतिदिन आयात करना होता है।

वर्तमान वृद्धि दर से वर्ष 2030 तक 562.77 लाख मी0टन दूध, 2139.89 हजार मी0टन मांस एवं 56698.40 लाख अण्डों का उत्पादन सम्भावित है। दूध, अण्डा एवं मांस की उपलब्धता क्रमश 370 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन, 15 अण्डा प्रति व्यक्ति एवं 4530 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष है।

गोवंशीय, महिषवंशीय, बकरी, भेड़, सूकर, कुक्कुट व अन्य पशुधन आदि के स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, टीकाकारण आदि कार्य नियमित रूप से किये जा रहे है, जिससे उच्च प्रजनन क्षमता व उत्पादन में वृद्धि हो सके।

प्रदेश में 2202 पशुचिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केन्द्र, 267 "द" श्रेणी पशु औषधालय, 25 सचल पशु चिकित्सालय, 06 पॉलीक्लीनिक, 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला, 10 मण्डलीय प्रयोगशाला, 774 बहुउद्देशीय सचल वाहन कार्यरत हैं। तरल नत्रजन केन्द्र 02, सघन भेड़ विकास प्रायोजना 01, मेढ़ा केन्द्र 05, भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र 180, भेड़ प्रक्षेत्र 02, राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र 04, भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन 01, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र 10, सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र 06, सूकर रोग निदान प्रयोगशाला 04 (01 क्रियाशील), सूकर पालन प्रशिक्षण केन्द्र 01, बत्तख प्रक्षेत्र 01, कुक्कुट काम्प्लेक्स 08, कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला 01, सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक लैब 02, कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केन्द्र 01, कुक्कुट प्रक्षेत्र 04, पुलोरम डिजीज कन्ट्रोल यूनिट 02, पशुशव उपयोग प्रशिक्षण केन्द्र बक्शी का तालाब 01, बोवाइन स्टर्लिटी एवं इन्फर्टिलिटी नियन्त्रण 09, थनैला रोग नियंत्रण प्रयोगशाला 01, टी.बी ब्रूसेला एवं जोनाइन यूनिट 01, आहार परीक्षण प्रयोगशाला 01, कैनाइन रैबीज कन्ट्रोल यूनिट 10, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र 5044, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र 03 एवं 01 पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान पशुपालकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

प्रजनन सेवाएं

- भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी प्रजाति के उच्च उत्पादक गोवंशीय पशुओं की संख्या में त्वरित वृद्धि हेतु सांड़ो का उत्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है। बरेली में स्थापित पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र के माध्यम से उच्च प्रजनन क्षमता के स्वदेशी मादा पशुओं में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का प्रयोग करते हुए 1000 भ्रूण उत्पादन किया जाना है जिससे वर्ष 2022 तक लगभग 400 संतति प्राप्त होंगी जिनकी औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता 4000 ली0 प्रति ब्यांत होगी। पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र पर स्वदेशी प्रजाति के 200 उच्च जनन क्षमता के सांड़ों का उत्पादन सम्भव होगा।
- प्रदेश में उ0प्र0 पशु प्रजनन नीति–2018 क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2022 तक 180 लाख प्रजनन योग्य पशुओं को आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। देशी गायों की साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा, गंगातीरी प्रजातियों से शत–प्रतिशत उन्नत प्रजनन आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन प्रतिशत बढाये जाने हेतु 15 लाख पशुओं में निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाना लक्षित है।

तालिका–5.02– विभिन्न योजनाओं की भौतिक प्रगति (लाख में) (दिसम्बर, 2022 तक)

कार्यक्रम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कृत्रिम गर्भाधान	133.6	140.8	144.86	146.35	81.77
टीकाकरण	1434.02	1382	996.51	583.47	694.37
चिकित्सा	375.45	400	422.95	439.29	259.29
बधियाकरण	24.7	29.42	31.25	32.56	18.45

राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एन.ए.आई.पी.)

भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के फेज–4 अगस्त 2022 से 31 मई 2023 तक उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद द्वारा ग्रामों के चयन, इनाफ पोर्टल पर डाटा की अपलोडिंग एवं प्रत्येक पशु की यूआईडी टैगिंग किये जाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किया गया है। प्रदेश के समस्त ग्रामों में कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया जाना लक्षित है।

पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण

- प्रदेश के सीमित आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये, वर्तमान में 15000 बड़े पशुओं की संख्या के आधार पर एक पशु चिकित्सालय स्थापित है।
- सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान एवं अशक्त पशु को किसी बीमारी आदि में त्वरित आकस्मिक चिकित्सा के दृष्टिगत 774 विकास खण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालय पर बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
- 65 जनपदों के सदर–पशुचिकित्सालयों पर पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना के फलस्वरूप पशुपालकों के पशुओं को नवीन वैज्ञानिक तकनीक आधारित पशुचिकित्सा, रोगों की पहचान में सुलभता, संक्रामक रोग के फैलने एवं उनके प्रभावी नियंत्रण में तत्काल रोक में सुलभता होगी।
- इस वर्ष 10000 पशुचिकित्सा शिविर आयोजित करने के लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन दिसम्बर 2022 तक 1866 शिविर अयोजित किये गये हैं।
- टीकाकरण कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगभग 43000 टीकाकरण कार्यकर्ताओं एवं लगभग 35000 सहायकों का चयन ग्राम पंचायतवार करके प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में गोवंश एवं महिषवंश के 455.11 लाख पशुधन की टैगिंग तथा 248.30 लाख पशुओं की टैगिंग की सूचना इनाफ पोर्टल पर अंकित की गयी है।
- गलाघोंटू रोग से पशुओं के बचाव हेतु एच0एस0 टीकाकरण कराने हेतु नवीन योजना संचालित की जा रही है।

गोवंशीय पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन

प्रदेश में 20वीं पशुगणना के अनुसार 11.84 लाख छुटटा/निराश्रित गोवंश है, जिनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निम्न कार्य किए जा रहे है–

- वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक में प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गौवंश समस्या के निराकरण हेतु समस्त जनपदों में 303 वृहद् गौ–संरक्षण केन्द्र का निर्माण कराया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष 224 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 05–05 गौ–आश्रय केन्द्र स्थापित/क्रियाशील है। इस हेतु कुल रू0 10 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।
- गोसंरक्षण केन्द्रों में मनरेगा के सहयोग से वर्मी कम्पोस्ट, हरा चारा उत्पादन, बाउण्ड्री वाल निर्माण, समतलीकरण, सौर ऊर्जा आदि के कार्य कराये जा रहे हैं।
- मा0 मुख्यमंत्री सहभागिता योजनान्तर्गत इच्छुक पशुपालकों को 162471 गौवंश की सुपुर्दगी की गयी।

पशु आरोग्य मेलों का आयोजन

पशु आरोग्य मेलों का 18 मण्डल मुख्यालयों पर आयोजन कर पशुपालकों को पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान, लघु शल्य चिकित्सा के साथ–साथ बाँझपन के पशुओं की निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2022–23 में मण्डल स्तरीय मेलों में 4980 बड़े पशु तथा 7540 छोटे पशु पंजीकृत किये गये है जिसमें 3030 सामान्य चिकित्सा, 8455 पशुओं को कृमिनाशक दवापान, 72 की लघुशल्य चिकित्सा आदि कार्य प्रमुखतः से किये गये है। इसी प्रकार न्याय पंचायत स्तरीय मेलों में 13166 बडे पशु तथा 11596 छोटे पशु पंजीकृत किये गये है जिसमें 7704 सामान्य

चिकित्सा 15746 पशुओं को कृमिनाशक दवापान, 734 पशुओं की लघुशल्य चिकित्सा आदि कार्य किये गये हे।

कुक्कुट पालन

प्रदेश में 108 करोड़ अण्डा प्रतिवर्ष उत्पादित होता है, जबकि 473 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष उपभोग किये जाते है। प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के व्यवसायी लगभग 365 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात करते है। कुक्कुट मांस उत्पादन हेतु वर्तमान में लगभग 1082 लाख ब्रायलर के चूजे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रतिवर्ष पाले जा रहे हैं। जिसमें 972 लाख ब्रायलर चूजे अन्य प्रदेशों से आयात होते है। क्रिटिकल गैप को देखते हुए प्रदेश को अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कामर्शियल लेयर पालन तथा ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना हेतु कुक्कुट विकास नीति–2013 लागू की गयी थी, जिसकी अवधि 31 मार्च 2018 को समाप्त हो गयी थी। पुनः उक्त नीति को 2022 तक बढ़ाया गया है।

कुक्कुट विकास नीति के तहत कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग की (30,000 पक्षी की एक इकाई) 380 इकाइयां क्रियाशील हैं। कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग की (10,000 पक्षी की एक इकाई) 340 इकाइयां क्रियाशील है। ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की (10,000 पक्षी की एक इकाई) 45 इकाइयां क्रियाशील है जिनसे कुल 89.54 लाख अतिरिक्त अण्डा प्रतिदिन उत्पादन हो रहा हैं तथा 101580 व्यक्तियों को स्व–रोजगार मिला है। नीति के अन्तर्गत अद्यतन प्रदेश में रू0 1109.29 करोड़ का निवेश हुआ है एवं 50.00 लाख अतिरिक्त चूजे प्रतिमाह उत्पादित हो रहे हैं।

दुग्ध उत्पादन

दुग्ध उत्पादन

वर्ष 2020–21 में प्रदेश 313.597 लाख मीट्रिक टन (वृद्धि दर–1.58 प्रतिशत) एवं वर्ष 2021–22 मे 329 लाख मीट्रिक टन (वृद्धि दर 4.85 प्रतिशत) दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान रहा। वर्ष 2022–23 में प्रदेश में अद्यतन 264.50 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन किया गया है।

प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम–प्रमुख आयाम

- महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से प्रारम्भ किये गये मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के दुग्ध सहकारी समितियों एवं दुग्ध संघो में महिला सशक्तिकरण हेतु महिला गोष्ठियों, दुग्ध संघ भ्रमण एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया है। द्वितीय चरण तक 1224 गोष्ठियों का आयोजन कराया जा चुका है, जिसमें 46067 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है।
- वाराणसी में स्थापित ग्रीन फील्ड डेरी प्लान्ट का संचालन/प्रबन्धन दिसम्बर 2021 से एन०डी०डी०बी को हस्तगत किया गया, साथ ही लखनऊ में रू0 124.17 करोड की लागत से निर्मित 03 लाख ली० प्रतिदिन की क्षमता के एवं कानपुर में रू0 160.84 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन 04 लाख ली० प्रतिदिन की क्षमता के नवीन डेरी प्लाण्ट का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- भारतीय गोवंश द्वारा सर्वाधिक दुग्ध देने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिता के अन्तर्गत प्रोत्साहन (नन्दबाबा पुरस्कार) योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 से पुरस्कार प्रदान किये जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक दूध, दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को देने वाले दुग्ध उत्पादक को रु0 51,000 हजार का पुरस्कार, जनपद स्तर पर रु0 21,000 एवं विकास खण्ड स्तर पर रू0 5100 की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
- दुग्ध समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध की सही नाप–तौल तथा गुणवत्ता की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं उनके दूध का सही मूल्य दिलाने के उददेश्य से 7331 कार्यशील दुग्ध समितियों में डेटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट (डी.पी.एम.सी.यू.) की स्थापना की जा रही है। वर्तमान समय तक 6853 डीपीएमसीयू की स्थापना की जा चुकी है।

- दूध का ऑनलाइन भुगतान करने हेतु वेब आधारित ऑनलाइन मानीटरिंग साफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है जिसके माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को सीधे उनके खातें में ऑनलाइन दुग्ध मूल्य का भुगतान कराया जा रहा है।
- दूध का प्राकृतिक स्वभाव बनाए रखने के दृष्टिगत 271 बल्क मिल्क कूलर की स्थापना का कार्य रूरल इफ्रास्ट्रक्चर डवलेपमेंट फण्ड/अवस्थापना विकास कोष की वित्तीय व्यवस्था से पूर्ण किया जा चुका है। दुग्ध परिवहन में ट्रांजिट हानि को नियंत्रित करने, पूर्णतया पारदर्शी व लाभप्रद बनाये जाने के दृष्टिगत 500 वेहिकल ट्रैकिंग सिस्टम की स्थापना की गयी है।
- अयोध्या मे नवीन ग्रीन फील्ड डेयरी प्लान्ट का शिलान्यास मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा किये जाने के दृष्टिगत डेयरी प्लान्ट का कार्य कार्यदायी संस्था से पूर्ण कराया गया तथा दुग्ध प्रसंस्करण का कार्य नये प्लान्ट मे अगस्त, 2022 के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ किया जा चुका है।
- तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री हेतु ई–कामर्स पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से शहरी क्षेत्रो मे पराग मित्रो से एवं ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला स्वयं सहायता समूहो के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री का प्रयास किया जा रहा है। अद्यतन ई–कॉमर्स पोर्टल से 24566 उपभोक्ता, 60 महिला स्वयं सहायता समूह तथा 212 पराग मित्रों को जोड़ा जा चुका है तथा पोर्टल के माध्यम से लगभग रू0 2.68 करोड़ का व्यवसाय किया गया है।
- आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत नवीन ग्रीन फील्ड डेयरी प्लान्ट लखनऊ का ट्रायल पूर्ण कराकर फरवरी 2022 से प्रयोग में है। गोरखपुर, मुरादाबाद व लखनऊ डेयरी प्लान्ट मे घी टिन व घी पेटजार के ट्रायल का कार्य पूर्ण हो गया है। बरेली डेयरी प्लान्ट मे जून, 2022 से उत्पादन आरम्भ हो गया है।

मत्स्य पालन

प्रदेश में गंगा नदी प्रणाली में मछलियों की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसलिए मत्स्य पालन को रोजगारोन्मुख (विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में) करने के लिये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अन्तर्गत जल संसाधनों का मत्स्य क्षमता के अनुसार दोहन करते हुये मत्स्यिकी को आधुनिक उद्योग के रूप में परिवर्तित करने, मछुआरों व मत्स्य पालकों की आय दोगुना करने, प्रदेश की खाद्य व पौषणिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, मत्स्य विपणन व पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना का विकास तथा नदियों में मत्स्य संपदा के संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलपमेंट आफ फिशरीज सेक्टर 2013

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द डेवलेपमेन्ट आफ फिशरीज सेक्टर 2013 का अवधारण करते हुए दस वर्षीय कार्यक्रमों को लागू कराने का संकल्प लिया है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करते हुए उसके प्राविधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश में उपलब्ध वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.34 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत हैः–

तालिका–5.03–मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)

बंधा हुआ जल संसाधन	कुल उपलब्ध जलक्षेत्र	मत्स्य पालन के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया जलक्षेत्र	प्रतिशत
वृहद एवं मध्यमाकार	2.28	2.26	99.12
जलाशय प्राकृतिक झीलें	1.33	0.20	15.03
ग्रामीण अंचल के तालाब	1.73	1.20	69.36
कुल	5.34	3.66	68.53

स्रोतः– मत्स्य विभाग उ0प्र0।

तालाबों का पट्टा

प्रदेश में उपलब्ध जलसंसाधनों में मुख्यतः ग्रामसभा के अन्तर्गत आने वाले तालाब एवं झीलें हैं। ग्रामसभा में निहित तालाबों का पट्टा मछुआ समुदाय एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को ही दिया जाता है, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु आवास/बीमा/ऋण आदि की सुविधायें भी सुलभ करायी जाती हैं। वर्ष 2022–23 में ग्राम सभा के तालाबों के पट्टे का वार्षिक लक्ष्य 2590 हे0 के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक 3934.67 हेक्टेयर (अनन्तिम) का पट्टा किया जा चुका है।

मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण

मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के 38 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 285 हैचरियों का निर्माण कराया जा चुका है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में 10 मिलियन क्षमता की एक हैचरी की स्थापना हेतु रू0 25 लाख इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 10 लाख तथा अनुसूचित जाति/महिला वर्ग को 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 15 लाख अनुदान धनराशि देय है तथा शेष लाभार्थी को स्वयं के संसाधन या बैंक ऋण के रूप में लाभार्थी अंश है। मछली के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति का मत्स्य बीज निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाता है।

विगत वर्षो में अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता, मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा वितरण से सम्बन्धित लक्ष्य व उपलब्धियों का विवरण निम्नवत् है–

तालिका–5.04–अनुमानित मत्स्य उत्पादन/उत्पादकता एवंमत्स्यबीज उत्पादन/संचय/वितरण

(दिसम्बर, 2022 तक)

वर्ष	अनुमानित मत्स्य उत्पादन (लाख मी0टन0)	औसत मत्स्य उत्पादकता (किग्रा0/है0/वर्ष)	अंगुलिका/मत्स्य बीज वितरण (लाख में)	अंगुलिका/मत्स्य बीज संचय (लाख में)	अंगुलिका/मत्स्य बीज उत्पादन (लाख में)
	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि
2017–18	6.29	4375	26333.92	786.95	27120.87
2018–19	6.62	4455	29442.13	347.22	29789.35
2019–20	6.987	4367	30008.96	278.57	30287.53
2020–21	7.456	4670	33392.98	294.78	33687.76
2021–22	8.087	4800	33856.19	280.30	34136.49
2022–23 (अनन्तिम) दिसम्बर 2022 तक	6.81	वार्षिक गणना	35248.54	220.74	35469.28

स्रोतः– मत्स्य विभाग उ0प्र0।

तालिका 5.04 द्वारा अनुमानित मत्स्य उत्पादन, औसत मत्स्य उत्पादकता, अंगुलिका/मत्स्य, बीज वितरण, बीज संचय व बीज उत्पादन को परिलक्षित किया गया है। वर्ष 2017–18 में अनुमानित उत्पादन 6.29 लाख मीट्रिक टन से बढकर 2022–23 में माह दिसम्बर, 2023 तक 6.81 लाख मीट्रिक टन (अनन्तिम) उत्पादन किया गया है। वर्ष 2017–18 में औसत मत्स्य उत्पादकता 4375 किलो0 ग्राम/हेक्टेयर था वर्ष 2022–23 में 5189 कि0ग्रा0 हेक्टेयर का लक्ष्य है। औसत मत्स्य उत्पादकता की गणना वार्षिक आंकड़ों के आधार पर की जाती है।

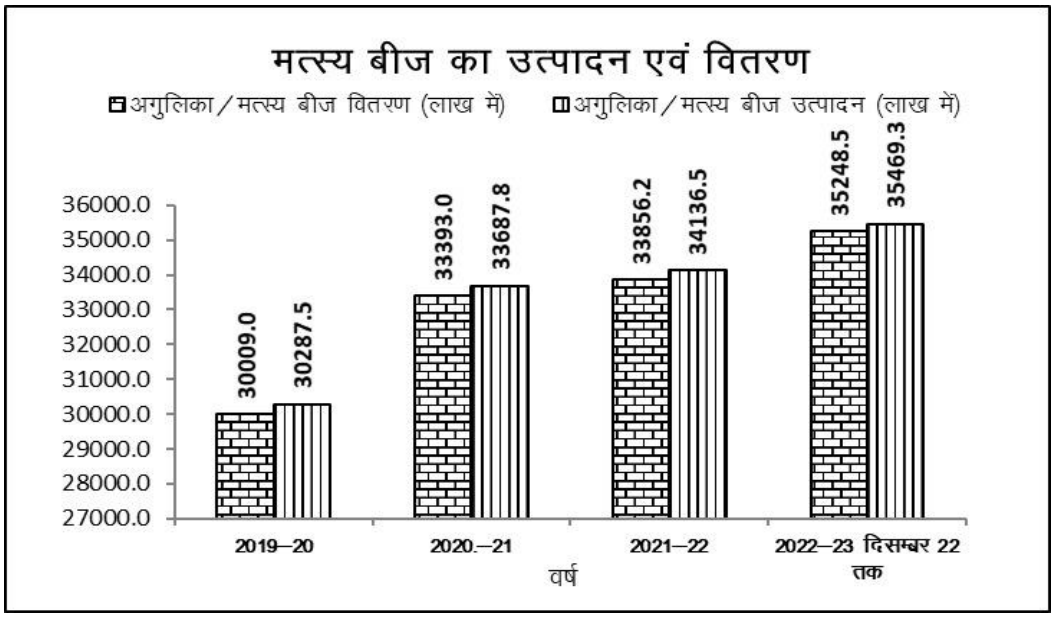

मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रम

मत्स्य व्यवसाय से जुड़े मछुआ जाति के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु सहकारिता के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय ढ़ांचा तैयार किया गया है। प्रदेश स्तर पर मत्स्य जीवी सहकारी संघ, जनपद स्तर पर जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन फेडरेशन तथा न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियां गठित की गई हैं। वर्तमान में 1146 प्राथमिक समितियां, 23 जनपद स्तरीय संघ एवं एक प्रादेशिक मत्स्य सहकारी संघ की स्थापना की गयी है।

क–प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत संचालित सामूहिक मछुआ दुर्घटना बीमा योजना

प्रदेश में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 1985–86 से प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत आच्छादित सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता की दशा में रू 02 लाख तथा दुर्घटना में आंशिक स्थाई अंपग होने की दशा में रू0 01 लाख बीमित राशि का भुगतान किया जाता था। वर्ष 2020–21 में यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में समाहित कर ली गयी है तथा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। वर्ष 2020–21 से सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत मछुआरा सहकारी समिति के सदस्यों तथा सक्रिय मत्स्य पालको की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता होने की दशा में रू0 05 लाख व स्थाई आंशिक अपंगता की दशा में रू0 2.50 लाख तथा दुर्घटना के पश्चात् अस्पताल में उपचार हेतु रू0 0.25 लाख बीमित राशि का भुगतान किया जाता है। बीमा धनराशि का प्रीमियम रू0 72.44 (रू0 43.46 भारत सरकार व रू0 28.98 राज्य सरकार) प्रति सदस्य की दर से भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2022–23 में 74185 मत्स्य पालकों को बीमागत आच्छादन उपलब्ध कराया जा चुका है। योजना के प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में सम्मिलित होने के पश्चात् अभी तक कुल 06 दावे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें क्रियान्वयन संस्था राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद को प्रेषित किया जा चुका हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल बजट रूपये 25 लाख आवंटित किया गया है, जिसमें से अद्यतन रू0 20.00 लाख व्यय किया जा चुका है।

ख– मछुआ आवास योजना

इस योजना के अन्तर्गत आवास विहीन मछुआरों को वर्ष 2017–18 से प्रति आवास रू 1.20 लाख, जिसमें रू0 0.60 लाख केन्द्रांश तथा रू0 0.60 लाख राज्यांश के रूप में प्रदान किया जाता है। प्रदेश में वर्ष 2019–20 तक कुल 25882 मछुआ आवास निर्मित कराये जा चुके हैं।

भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित ''ब्लू रिवोलुशनः इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' योजना में कल्याणार्थ मद हेतु मछुआ आवास योजनान्तर्गत प्रति आवास इकाई लागत रू0

1.20 लाख जिसमें 60 प्रतिशत रू0 0.72 लाख प्रति आवास केन्द्रांश के रूप में निहित है। ब्लू रिवोल्यूशन की गाइडलान्स के अनुसार, निर्मित किये जाने वाले आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा।

ग–जलाशय मात्स्यिकी

प्रदेश में ग्राम सभा के तालाबों के बराबर ही 1.57 लाख हेक्टेयर के वृहद, मध्यम एवं लघु जलाशयों में 100 मिमी0 आकार की मत्स्य अंगुलिका संचय की प्रवृत्ति का तेजी से विकास हो रहा है।

घ– मत्स्य विपणन

तालाबों में मत्स्य संवर्धन से 54 प्रतिशत, जलाशय/झील से 43.80 प्रतिशत एवं नदियों से 2.20 प्रतिशत मछली बिक्री के लिए बाजार में आती है। प्रदेश के बाहर से लगभग 1.45 लाख टन मछली का आयात हो रहा है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

यह योजना वर्ष 2020–21 से प्रदेश में संचालित है। इसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अनुदान (केन्द्रांश 24 प्रतिशत व राज्यांश 16 प्रतिशत) तथा महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 60 प्रतिशत अनुदान राशि (केन्द्रांश 36 प्रतिशत व राज्यांश 24 प्रतिशत) निर्धारित है। अवशेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में सन्दर्भित योजनान्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासन से रू0 (5186.6174 + 4350.8456) लाख की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की गयी है, निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 5186.6174 लाख की धनराशि एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित कराते हुए धनराशि व्यय की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2022–23 में कराये जाने वाले कार्य की प्रगति

- मत्स्य उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य 9.21 लाख मी0टन के सापेक्ष दिसम्बर 2022 तक 6.81 लाख मी0 टन (अनन्तिम) मत्स्य उत्पादन किया गया।
- ग्राम सभा के तालाबों के पट्टे का वार्षिक लक्ष्य 2590.08 हे0 के सापेक्ष दिसम्बर 2022 तक 3934.67 (अनन्तिम) हे0 जलक्षेत्र का पट्टा आवंटित कराते हुए 4880 (अनन्तिम) परिवारों का मत्स्य पालन में आच्छादन किया गया।
- 35248.54 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया गया।

मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

शत–प्रतिशत राज्यपोषित एक नवीन योजना मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत दो परियोजनाएं संचालित की जाएंगी–

- मनरेगा कन्वर्जेन्स अथवा पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य उत्पादन हेतु प्रथम वर्ष निवेश।
- मनरेगा कन्वर्जेन्स अथवा पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना

योजना में तालाबों के ऐसे सभी पट्टाधारक आवेदन कर सकते हैं जिनके पट्टे की अवधि में न्यूनतम 4 वर्ष अवशेष हो। योजना हेतु आवेदक को इकाई लागत रू0 4.00 लाख प्रति हे0 पर 40 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। एक आवेदक को योजनान्तर्गत अधिकतम 2.0 हे0 जलक्षेत्र तक लाभ अनुमन्य है।

कम लागत का उद्योग होने के कारण मछली पालन में रोजगार के अवसर असीमित है। पर्यावरणीय पर्यटन के रूप में भी मत्स्य उद्योग में असीम सम्भावनायें हैं। सजावटी मछलियों की बढ़ती मांग के चलते भी इस उद्योग में सीमा से अधिक विस्तार की सम्भावना है।

****

अध्याय–6
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

मुख्य बिन्दु

- ❖ वित्तीय वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना में नवीन उद्यान रोपण में नवीनतम एक्जोटिक फ्रूट क्रॉप (ड्रैगन फ्रूट, फिग, स्ट्रॉबेरी) तथा निके फ्रूट क्रॉप (आँवला, करौंदा, जामुन, हनुमान फल, बेल, टेमरिंड, फालसा, जैक फ्रूट) को भी शामिल किया गया था।
- ❖ एकीकृत बागवानी विकास मिशन (राज्य औद्यानिक मिशन) प्रदेश के 45 जनपदों में संचालित की जा रही है, जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है। शेष 30 जनपदों में औद्यानिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत किया जा रहा है।
- ❖ प्रदेश में तीन फलों आम, अमरूद एवं आँवला के विकास हेतु फल पट्टी विकसित की गयी हैं।
- ❖ नए तथा पूर्व से स्थापित उद्योगों हेतु तकनीकी रूप से दक्ष कर्मी उपलब्ध कराने के लिए बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचाालित है।
- ❖ प्रदेश के 75 जनपदों में 77 केन्द्र (लखनऊ में 03) घरेलू क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाओं के लिए राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है।

कृषि के विविधीकरण का आर्थिक एवं पोषणीय दृष्टि से एक सक्षम विकल्प होने के कारण बागवानी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश की विविधतापूर्ण जलवायु सभी प्रकार की बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। प्रदेश में बागवानी विकास हेतु संचालित कियाकलापों के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं–

- औद्यानिक फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु नवीनतम तकनीकी को अपनाने हेतु प्रेरित करना।
- फसलों के सघनीकरण एवं फसल–चक्र में परिवर्तन कर उत्पादकों को उनके श्रम एवं कम निवेश पर अधिक लाभ पहुंचाना।
- वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार आवश्यक निवेशों का सामयिक एवं वैज्ञानिक उपयोग कराना।
- फसलों का उचित मूल्य दिलाने तथा सतत् आपूर्ति हेतु भण्डारण, विधायन एवं विपणन की सुविधाओं का विकास करना, प्राथमिक औद्यानिक सहकारी समितियों को प्रभावी बनाना।
- फल एवं सब्जी संरक्षण, कुकरी, बेकरी, खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम तथा मौन पालन में अल्पकालिक एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा पान विकास के लिए कार्यक्रम चलाना।
- बागवानी की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूंढना तथा प्रयोगिक परिणामों को जन साधारण तक पहुँचाना।
- क्षेत्र आधारित रणनीति के माध्यम से जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, विस्तार, फसल कटाई के बाद का प्रबन्धन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल है, के माध्यम से बागवानी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना।

तालिका–6.01– बागवानी फसलों का उत्पादन (हजार मी0 टन में)

क्र0सं0	फसल	उत्तर प्रदेश	भारत	योगदान प्रतिशत	प्रथम तीन राज्य
1	आलू	15555.53	51310.01	30.32	1.उत्तर प्रदेश 2.पश्चिम बंगाल 3.बिहार
2	आम	4551.83	21822.32	20.86	1.उत्तर प्रदेश 2.आन्ध्र प्रदेश 3.बिहार
3	अमरुद	928.44	4053.51	22.90	1.उत्तर प्रदेश 2.मध्य प्रदेश 3.बिहार

स्रोत–औद्यानिक सांख्यिकी 2018, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वर्ष 2017–18 के आँकड़ों के आधार पर आलू, आम एवं अमरूद के उत्पादन में प्रदेश का योगदान क्रमशः 30.32 प्रतिशत, 20.86 प्रतिशत एवं 22.90 प्रतिशत रहा है। प्रदेश उक्त तीनों के उत्पादन मे देश मे प्रथम स्थान पर है।

प्रदेश के समन्वित बागवानी विकास हेतु संचालित औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है–

तालिका–6.02–बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण (लाख रू0 में)

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्ष 2021–22			वर्ष 2022–23		
		आय व्ययक प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	व्यय	आय व्ययक प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	व्यय (जनवरी, 2023)
1.	उद्यान सेक्टर	74692.56	59117.25	53374.86	123756.16	58328.57	47114.72
2.	खाद्य प्रसंस्करण	48725.17	10998.80	8978.05	60401.79	6918.35	5297.57
	योग	123417.73	70116.05	62352.91	184157.95	65246.92	52412.29

एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है–

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (राज्य औद्यानिक मिशन)

बागवानी विकास के दृष्टि से यह एक महत्वाकांक्षी योजना है,यह प्रदेश के 45 जनपदों में संचालित की जा रही है, जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है। योजनान्तर्गत पेरीनियल एवं नॉन–पेरीनियल फलों के नवीन उद्यान रोपण, शाकभाजी बीज उत्पादन, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, आई.पी.एम. प्रोत्साहन, कृषकों को नवीन तकनीकों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं रोजगार सृजन सम्बन्धी कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना में नवीन उद्यान रोपण में नवीनतम एक्जोटिक फ्रूट क्रॉप (ड्रैगन फ्रूट, फिग, स्ट्रॉबेरी) तथा निके फ्रूट क्रॉप (आँवला, करौंदा, जामुन, बेल, टेमरिंड, फालसा, जैक फ्रूट) को भी शामिल किया गया है।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना का संचालन वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ किया गया। योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को पृथक–पृथक परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के 30 जनपदों में क्रियान्वयन कराया जा रहा है। प्रदेश के 30 नान एन.एच.एम. जनपदों में योजनान्तर्गत नवीन उद्यान रोपण, पुष्प विकास, मसाला विकास, शाकभाजी क्षेत्र विस्तार, मौनपालन तथा कृषक प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित हैं। वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 में योजनान्तर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नवत् है–

तालिका–6.03–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2021–22		2022–23*	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	नवीन उद्यान रोपण	हे0	3542	3446	3280	1413
2	मसाला क्षेत्र विस्तार	हे0	6960	6769	6110	5829
3	पुष्प क्षेत्र विस्तार	हे0	967	906	870	800
4	संकर शाकभाजी क्षेत्र विस्तार	हे0	4660	4430	5000	4345
5	मधुमक्खी पालन	सं0	434	424	400	229
6	प्रशिक्षण	सं0	6875	6675	7000	1400

* अनन्तिम

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन)

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है, जिसके उपघटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप–माइक्रोइरीगेशन''

का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का कार्य अधिक लागतजन्य होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान, लघु सीमान्त कृषकों को 80 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 से 75 प्रतिशत उपलब्ध कराया जा रहा है।

तालिका–6.04–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2021–22		2022–23*	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	ड्रिप सिंचाई	हे0	43303	16690	49607	24243
2	स्प्रिंकलर सिंचाई	हे0	114697	17241	70393	17965
3	मानव संसाधन विकास	सं0	15650	7250	15650	850

* अनन्तिम

4. आलू बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला (हिमाचल प्रदेश) से ब्रीडर आलू बीज प्राप्त करके उसका संवर्धन चयनित राजकीय प्रक्षेत्रों पर आधारित प्रथम एवं आधारित द्वितीय श्रेणी में कराया जाता है। वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में आलू बीज के उत्पादन एवं वितरण का विवरण निम्नवत् है–

तालिका–6.05–आलू बीज उत्पादन एवं वितरण (कुन्तल में) कार्यक्रम की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	2021–22		2022–23*	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	भारत सरकार द्वारा प्राप्त ब्रीडर आलू बीज	11400	8782.43	9214.94	–
2	उत्पादित आलू बीज	40000	38143.50	44310	–
3	आलू बीज उत्पादकों के मध्य वितरित आलू बीज	40000	37092.38	38143.50	34703

* अनन्तिम

5. नवीन योजनायें

लघु एवं सीमान्त कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में शाकभाजी की फसल सघनता में वृद्धि कर अधिक आय प्राप्त करने हेतु संकर शाकभाजी का उत्पादन, प्रबन्धन की योजना समस्त जनपदों में क्रियान्वित है। लघु एवं सीमान्त कृषकों को न्यूनतम 0.1 हे0 से 2.0 हे0 की सीमा तक अनुदान अनुमन्य हैं। मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ हार्टीकल्चर की ऑपरेशनल गाइड–लाइन में संकर शाकभाजी उत्पादन की इकाई लागत प्रति हेक्टेयर धनराशि रू 50000 निर्धारित है। इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू 20000 प्रति हेक्टेयर संकर टमाटर, पातगोभी, कुकरबिट्स, भिन्डी, फूल गोभी एवं बैगन पर अनुमन्य है। प्रदेश में तीन फलों आम, अमरूद एवं आँवला के विकास हेतु फल पट्टी विकसित की गयी हैं। इसके माध्यम से क्षेत्र विस्तार, पुराने अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार, प्लास्टिक क्रेट्स, मैंगों हार्वेस्टर, आई.पी.एम./आई.एन.एम., कृषक प्रशिक्षण एवं गोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है।

तालिका–6.06–फल पट्टियों का विकास

क्र0सं0	फल पट्टी	आच्छादित जनपद
1	आम	सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या तथा बाराबंकी के 31 विकास खण्ड।
2	अमरूद	कौशाम्बी एवं बदायूँ के 6 विकास खण्ड।
3	आँवला	प्रतापगढ़ के दो विकास खण्ड।

प्रदेश के 27 चिन्हित जनपदों में आलू एवं शाकभाजी का उत्पादन अधिक होता है जबकि शीतगृहों की भण्डारण क्षमता कम है। ऐसे चिन्हित जनपदों के 58 विकास खण्डों में प्रथम शीतगृह की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत पूर्व से अनुमन्य 5000 मी. टन क्षमता हेतु इकाई लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम रू. 140 लाख) के अतिरिक्त 15 प्रतिशत

(अधिकतम रू. 60 लाख) का अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है इस प्रकार ऐसे विकास खण्डों में स्थापित होने वाले प्रथम शीतगृह को 5000 मी. टन क्षमता हेतु रू. 140 लाख के स्थान पर अधिकतम रू. 200 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा।

6. खाद्य प्रसंस्करण हेतु संचालित योजनाएं

- राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ द्वारा निरन्तर शोध कार्य किया जा रहा है तथा नए तथा पूर्व से स्थापित उद्योगों हेतु तकनीकी रूप से दक्ष कर्मी उपलब्ध कराने के लिए बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठयक्रम संचाालित है।
- प्रदेश मे वर्ष भर कृषि एवं औद्यानिक उत्पाद की उपलब्धता एवं जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगीकरण तथा पर्यटन उद्योग के विकास की पृष्ठभूमि में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बड़े–बड़े होटल,कैटरिंगसंस्थानों का विस्तार हो रहा है। इनको तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 10 नगरों (वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कानपुर, अयोध्या, आगरा, बरेली तथा मुरादाबाद) में एक–एक राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है, जहाँ एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी तथा पाककला एवं एक मासीय अंशकालीन बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, पाककला, कुकरी तथा खाद्य संरक्षणमे संचालित हैं।
- प्रदेश के 75 जनपदों में 77 केन्द्र (लखनऊ में 03) घरेलू क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाओं के लिए राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है जहाँ विभिन्न जनपदों/ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है, साथ ही 15 दिवसीय अल्पकालीन फल संरक्षण प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017** के अन्तर्गत कुल 1470 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें पूँजी निवेश रू. 4031.47 करोड़ तथा कुल प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन 50999 प्रस्तावित है। अब तक 571 परियोजनायें, जिनमें पूँजी निवेश रू. 1562.37 करोड़ हेतु स्वीकृत कर दिया गया है। गतवर्ष तक 399 प्रस्तावों की अनुदान धनराशि रू.143.10 लाख संस्थाओं को नेफ्ट/आर. टी.जी.एस. के माध्यम से अवमुक्त की गयी।
- महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जागरूकता, उद्यमिता के विकास हेतु न्याय पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन एवं इच्छुक अभ्यर्थी को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण देकर इकाई स्थापना हेतु मशीन–उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 01 लाख का अनुदान अनुमन्य है।

तालिका–6.07–खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित योजनाओं की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2021–22		2022–23*	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(अ)	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान	संख्या	40	24	40	40
(ब)	**राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजनाएं**					
1	एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा–खाद्य प्रसंस्करण	संख्या	150	150	150	150
2	एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा–बेकरी एवं कन्फेक्शनरी	संख्या	150	150	150	150
3	एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा–कुकरी (पाक–कला)	संख्या	150	135	150	135
4	एक मासीय अल्पकालीन बेकरी एवं कन्फेक्शनरी प्रशिक्षण	संख्या	310	238	250	222
5	एक मासीय अल्पकालीन कुकरी प्रशिक्षण	संख्या	250	188	250	200
6	एक मासीय अल्पकालीन सम्मिलित कोर्स	संख्या	500	466	500	450

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2021–22		2022–23*	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
7	15 दिवसीय फल संरक्षण प्रशिक्षण	संख्या	25450	13581	15400	13853
8	100 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण	संख्या	510	510	510	510
9	सामुदायिक संरक्षण कार्य	कि.ग्राम	108000	9462	108000	90630
(स)	**उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017 में महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्व–रोजगार योजनान्तर्गत**					
11	03 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण कौशल विकास जागरूकता शिविर	संख्या	13950	500	4620	4020
12	एक माह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (30 प्रशिक्षार्थी प्रति बैच)	संख्या	1110	0	2250	2010

* अनन्तिम

****

अध्याय–07
खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

मुख्य बिन्दु

- ❖ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्रदान करना है।
- ❖ 'प्राथमिकता' वाले पात्र परिवारों को हर महीने खाद्यान्न 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति एवं अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो अनाज की सुरक्षा मिल रही है।
- ❖ महिलाओं, बच्चों व पुरूषों में आयरन की कमी तथा कुपोषण दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चन्दौली में फोर्टीफाइड राईस का वितरण जनवरी, 2021 से प्रारम्भ कराया गया है।
- ❖ तृतीय चरण में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक राज्य के सभी जनपदों को फोर्टीफाइड चावल के वितरण की योजना है। माह जनवरी, 2023 तक प्रदेश के 63 जनपदों में फोर्टीफाइड चावल का वितरण कराया जा रहा है।
- ❖ खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 हेतु धान कॉमन का समर्थन मूल्य रू0 2040 प्रति कुन्तल एवं धान ग्रेड–ए का रू0 2060 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया।
- ❖ खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत दिनांक 08.02.2023 तक प्रदेश के 4431 क्रय केन्द्रों के माध्यम से कुल 1020957 किसानों से 62.24 लाख मी0 टन की धान खरीद (निर्धारित क्रय लक्ष्य 70 लाख मी0टन के सापेक्ष 88.91 प्रतिशत) की गयी। धान खरीद प्रगतिमान है।

खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की योजना और नीति में प्रमुखता पर है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ व्यक्तिगत स्तर पर, हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुँच प्राप्त हो, जो एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार सम्बन्धी आवश्यकताओं और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करता हो। परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए, सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है, जिसके तहत पात्र परिवारों को सब्सिडी पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्रदान करना है, ताकि मूल्य वृद्धि के प्रभावों से उन्हें बचाया जा सके तथा नागरिकों में न्यूनतम पोषण की स्थिति को भी बनाए रखा जा सके।

एनएफएसए के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

केन्द्र सरकार द्वारा एनएफएसए योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एन0एफ0एस0ए0 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को, दिनांक 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा कोविड महामारी की दुश्वारियों के दृष्टिगत उपभोक्ताओं/राशन कार्डधारकों को सहजता से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये माह दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को नियमित वितरित होने वाले गेहूं एवं चावल का वितरण निःशुल्क करते हुए, तीन अन्य आवश्यक वस्तुओं को भी सम्मिलित कर आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (कुल 05 आवश्यक वस्तुओं) का निःशुल्क वितरण कराया गया। आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल के निःशुल्क वितरण की उक्त योजना माह अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक कुल 03 माहों हेतु विस्तारित

की गई। योजना पर लगभग रुपया 7741.25 करोड़ का व्यय–भार निहित है जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हुए। यह देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है। प्रदेश में माह दिसम्बर, 2021 से जून, 2022 तक 31.11 लाख मी0टन गेहूं, 23.76 लाख मी0टन चावल, 2.36 लाख मी0टन चना, 2.36 लाख मी0टन नमक, 2.36 करोड़ ली0 सोयाबीन तेल एवं 11401 मी0टन चीनी का निःशुल्क वितरण कराया गया है।

तालिका–7.01–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति का विवरण

क0सं0	मद	इकाई	संख्यात्मक विवरण (01 फरवरी 2023 की स्थिति)
1	कुल राशन कार्ड– पात्र गृहस्थी अन्त्योदय	करोड़ में	3.60 3.19 0.41
2	कुल लाभार्थी – पात्र गृहस्थी अन्त्योदय	करोड़ में	15.04 13.71 1.33
3	लाभार्थी आधार सीडिंग	करोड़ में	15.02
4	उचित दर विक्रेता	संख्या	79385

स्रोत– खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

इस योजना के अन्तर्गत समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 निःशुल्क खाद्यान्न व प्रति कार्ड 01 किग्रा0 निःशुल्क चना का वितरण अप्रैल से नवम्बर, 2020 तक कुल 56.19 लाख मी0टन खाद्यान्न तथा 2.69 लाख मी0टन चना का निःशुल्क वितरण कराया गया। वर्ष 2021–22 में इस योजना के अन्तर्गत फेज–3 मई, 2021 से जून, 2021, फेज–4 जुलाई, 2021 से नवम्बर 2021 एवं फेज–5 दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 का सफल क्रियान्वयन किया गया, जिसमें निःशुल्क 05 किग्रा0 प्रति व्यक्ति अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है।

तालिका–7.02–योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में खाद्यान्न वितरण

फेज	अवधि	माह	खाद्यान्न आवंटन (लाख मी0 टन)		
			गेहूँ	चावल	कुल
फेज 3	मई एवं जून 2021	02 माह	8.49	5.66	14.15
फेज 4	जुलाई, 2021 से नव. 2021	05 माह	26.75	8.45	35.20
फेज 5	दिस. 2021 से मार्च 2022	04 माह	21.13	14.08	35.21
फेज 6	अप्रैल 2022 से सित. 2022	06 माह	4.46	40.15	44.61
फेज 7	अक्टूबर, 2022 से दिसम्बर, 2022	03 माह	0.00	22.36	22.36

जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का आंवटन एवं वितरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत प्रत्येक माह की 01 तारीख को प्रदर्शित एन0आई0सी0 उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर आगामी माह हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में चयनित लाभार्थियों अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी हेतु लगभग 08 लाख मी0टन खाद्यान्न गेहूँ + चावल का आंवटन किया जाता है। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

अधिनियम–2013 के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में 5846414.664 मी0टन गेहूँ, 3981341.676 मी0टन चावल एवं 2762.85 मी0टन मक्का का आवंटन किया गया तथा 5530730.419 मी0टन गेहूँ, 3792383.284 मी0टन चावल तथा 2762.85 मी0टन मक्का का वितरण किया गया। वर्ष 2022–23 में माह जनवरी, 2023 तक 330733.976 मी0टन गेहूँ, 476451.888 मी0टन चावल एवं 19649.076 मी0टन बाजरा का आवंटन किया गया गया।

आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

इस योजना के अन्तर्गत प्रवासी/अवरूद्ध मजदूरों को अस्थायी राशन कार्ड संख्या जेनरेट करते हुए मई से अगस्त, 2020 तक प्रति यूनिट 05 किग्रा0 की दर से 11888.657 मी0टन निःशुल्क खाद्यान्न व प्रति कार्ड 01 किग्रा0 की दर से 1060.497 मी0टन निःशुल्क चना का वितरण कराया गया।

तालिका–7.03–आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति विवरण

क्र0सं0	मद	इकाई	संख्यात्मक विवरण (अक्टूबर 2022 तक)
1	नये राशन कार्ड लाभार्थी	संख्या	209170 529905
2	राहत से प्राप्त राशन कार्ड लाभार्थी	संख्या	78979 100316
3	कुल राशन कार्ड लाभार्थी	संख्या	288149 630221

स्रोत– खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

फोर्टीफाइड राइस का वितरण

महिलाओं, बच्चों व पुरूषों में आयरन की कमी तथा कुपोषण को दूर करने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चन्दौली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत फोर्टीफाइड राईस का वितरण जनवरी, 2021 से प्रारम्भ कराया गया है।

सम्पूर्ण प्रदेश में फोर्टीफाइड राईस का वितरण 03 चरणों के अन्तर्गत किया जाना है, जिसमें से प्रथम चरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में मार्च, 2022 तक आई0सी0डी0एस0 एवं पी0एम0 पोषण योजना के तृतीय त्रैमास (अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021 तक) एवं चतुर्थ त्रैमास (जनवरी, 2022 से मार्च 2022 तक) में प्रदेश के समस्त जनपदों में फोर्टीफाइड राइस आवंटित किया गया, जिसके सापेक्ष 43328.230 मी0टन फोर्टीफाइड राइस का वितरण किया गया।

द्वितीय चरण में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक आई0सी0डी0एस0 एवं पी0एम0 पोषण योजना के साथ सभी आकांक्षी एवं हाई बर्डेन डिस्ट्रिक्ट (कुल 60 जिलों) में फोर्टीफाइड राइस के वितरण की योजना है।

चीनी का उठान एवं वितरण

एन.एफ.एस.ए. योजना के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय कार्डधारकों को खाद्यान्न के साथ चीनी प्रदान किये जाने के निर्णय के क्रम में अन्त्योदय राशनकार्ड लाभार्थियों हेतु अप्रैल 2022 से दिसम्बर, 2022 तक 36850.35 मी0टन चीनी का आवंटन त्रैमासिक आधार पर किया गया, जिसके सापेक्ष चीनी मिलों से 34614.803 मी0टन चीनी का उठान एवं वितरण सुनिश्चित कराया गया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का एक समर्थित मूल्य प्रदान करना है। किसी फसली वर्ष में उत्पादन की बाजार कीमत को एक निश्चित स्तर से नीचे आने से किसानो को होने वाली क्षति से बचाने के लिए सरकार द्वारा फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है इससे किसानों को एक निश्चित आय प्राप्त होती हैं।

रबी विपणन वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत गेहूँ खरीद

रबी विपणन वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 1975 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। गेहूँ क्रय सत्र की अवधि में कोविड–19 मे लॉकडाउन से उपजी विषम परिस्थितियों के बाद भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश मे 5678 क्रय केन्द्र स्थापित कर 1301753 कृषकों से 56.41 लाख मी0टन गेहूँ क्रय किया गया जो गत वर्ष के सापेक्ष 179.62 प्रतिशत है जो अब तक प्रदेश मे सबसे अधिक गेहूँ खरीद है, जिसके सापेक्ष कृषकों के खाते में रू0 11141.406 करोड़ का पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सीधे भुगतान किया गया।

तालिका–7.04–गेहूँ खरीद विवरण 2022–23

(दिस. 2022 तक)

क0सं0	मद	इकाई	संख्यात्मक विवरण
1	गेहूँ खरीद सत्र मे पंजीकृत किसान	संख्या	351368
2	गेहूँ क्रय– लाभार्थी किसान	संख्या	87991
3	गेहूँ क्रय– मात्रा	लाख मी0 टन	3.36
4	गेहूँ क्रय– केन्द्र	संख्या	5683
5	डिपो की संख्या	संख्या	608

स्रोत–खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

रबी विपणन वर्ष 2022–23 में गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 2015 प्रति कु0 निर्धारित किया गया है। किसानों को इसका लाभ प्रदान करने हेतु प्रदेश में 5683 क्रय केन्द्र स्थापित कर 87991 कृषकों से क्रय सत्र की समाप्ति, जून 2022 तक 3.36 लाख मी0टन गेहूँ क्रय किया गया तथा कृषकों के खाते में पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से रू0 675.63 करोड का भुगतान किया जा चुका है।

तालिका–7.05–गेहूँ क्रय–केन्द्र विवरण

क0सं0	एजेंसी का नाम	केन्द्रों की संख्या	डीएससी पंजीकृत केन्द्र
1	खाद्य विभाग की विपणन शाखा	1052	1052
2	भारतीय खाद्य निगम	101	101
3	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ	3235	3235
4	उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम	49	49
5	उत्तर प्रदेश को ऑपरेटिव यूनियन	794	794
6	उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ	450	450
7	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी परिषद	02	02
योग		5683	5683

स्रोत–खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के अन्तर्गत धान खरीद

खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 हेतु भारत सरकार द्वारा धान कॉमन का समर्थन मूल्य रू0 2040 प्रति कुन्तल एवं धान ग्रेड–ए का रू0 2060 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया तथा दिनांक 08.02.2023 तक प्रदेश के 4431 क्रय केन्द्रों के माध्यम से कुल 1020957 किसानों से 62.24 लाख मी0टन की धान खरीद की गयी, जिसके सापेक्ष किसानों के खाते में रू0 11805.46 करोड़ का पीएफएमएस पोर्टल से भुगतान किया गया। विपणन वर्ष 2022–23 मे धान क्रय किए जाने हेतु प्रगति विवरण निम्न तालिका–7.06 मे दिया गया है।

तालिका–7.06–धान खरीद विवरण 2022–23 **(08 फरवरी .2023)**

क्र0सं0	मद	इकाई	संख्यात्मक विवरण
1	धान खरीद सत्र मे पंजीकृत किसान	संख्या	1419820
2	धान क्रय– लाभार्थी किसान	संख्या	1020957
3	धान क्रय– मात्रा	लाख मी0 टन	62.24
4	धान क्रय– केन्द्र	संख्या	4431
5	चावल मिल	संख्या	1717

स्रोत– खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत बाजरा क्रय

भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2023 से ''इण्टरनेशनल मिलेट इयर'' घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 हेतु बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 2350 प्रति कुं0 निर्धारित किया गया। उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 में बाजरा में अधिक उत्पादन करने वाले 18 जनपदों में प्रथम बार न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत किसानों से बाजरा खरीद का निर्णय लेते हुए 50 हजार मी0टन क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया, इस हेतु 106 क्रय केन्द्र स्थापित किए गए। खरीद की अंतिम तिथि तक 8532 किसानों से 43.44 हजार मी0टन बाजरा खरीद की गई, जिसके सापेक्ष किसानों के बैंक खातों में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से 9905.46 लाख का सीधा भुगतान किया गया।

सरकार द्वारा वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाये जाने हेतु किये जा रहे उपाय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाये जाने हेतु प्रदेश की समस्त उचित दर दुकानों पर ई–पॉस मशीन स्थापित कर दी गयी है, जिसके माध्यम से प्रतिमाह ई–पॉस से बायोमैट्रिक प्रणाली द्वारा आधार प्रमाणीकरण और ओ.टी.पी. प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।

राशनकार्ड पोर्टबिलिटी

'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' प्रवासियों की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए राशन कार्डों की राज्य के भीतर तथा अंतर–राज्य पोर्टेबिलिटी के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली है। इस प्रणाली से अनेक प्रवासी लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल (ई–पीओएस) उपकरण पर बायोमेट्रिक पहचान प्रमाणन के माध्यम से अपने उसी मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करते हुए देश के अधिकांश हिस्सों में अपनी पसन्द की किसी भी उचित दर (राशन) की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत रियायती खाद्यान निर्बाध रूप से प्राप्त कर रहे हैं। यह लाभार्थियों को उनकी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न उठाने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है।

प्रदेश मे अन्तर्जनपदीय राशनकार्ड पोर्टबिलिटी संचालित किये जाने के उपरान्त भारत सरकार की 'वन नेशन वन राशनकार्ड' योजना के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टबिलिटी की सुविधा मई, 2020 से लागू है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर दुकान से

अपना खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है। इस सुविधा से समाज के उन गरीब मजदूर वर्ग को लाभ होगा, जो आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान रहते हैं, साथ ही राशन कार्ड लाभार्थी और उचित दर विक्रेता के मध्य व्यक्तिगत असंतुष्टि की स्थिति में लाभार्थी द्वारा पोर्टबिलिटी सुविधा से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।

****

अध्याय–8
ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण

मुख्य बिन्दु–

- ❖ प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022–23 में 10803 अमृत सरोवरों पर कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है, जिसमें से 8562 पर कार्य पूर्ण हो चुका है।
- ❖ वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के 826 विकास खण्डों में इन्सेंटिव स्ट्रेटजी के तहत योजना क्रियान्वित है।
- ❖ प्रदेश ने 15 नवम्बर 2022 तक 3000 तालाब के लक्ष्य के सापेक्ष 8240 तालाब पूर्ण करके देश में प्रथम स्थान अर्जित किया।
- ❖ मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में मनरेगा योजनान्तर्गत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2022–2023 में ठोस तरल अपशिष्ट हेतु लक्षित 24,314 गाँव की कुल आबादी लगभग 6.46 करोड़ को ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबन्धन से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है।
- ❖ सामुदायिक शौचालय का प्रबन्धन प्रदेश के 826 विकासखण्डों की 54216 ग्राम पंचायतों में समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।
- ❖ सखी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन–देन को प्रोत्साहित करने हेतु 32654 बी0सी0 सखी के द्वारा लेन–देन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

प्रदेश की 77.73 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार ने ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण जनसंख्या को मूलभूत सुविधाओं के साथ रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एस0डी0जी0 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज के निम्न संकेतकों को शामिल किया गया है–

- मनरेगा अन्तर्गत रोजगार प्राप्त परिवारों का प्रतिशत।
- स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत।
- आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों की संख्या।
- स्वच्छ जल के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत।
- व्यक्तिगत शौचालय योजना के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत।
- पाइपलाइन पेयजल के अन्तर्गत आच्छादित बस्तियां।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022–2023 में ग्राम्य विकास की प्रगति के प्रयासों का विवरण –

- त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यो को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है।
- मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में मनरेगा योजनान्तर्गत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 से अब तक 1.02 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। योजनान्जर्गत प्राकृतिक आपदा, कालाजार, जे0ई0/ए0ई0एस0 कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा वनटांगिया एवं मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, नट, चेरां जनजाति एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परन्तु एस0ई0सी0सी0–2011 के आधार

पर आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित न होने वाले छतविहीन एवं आश्रयविहीन कच्चे तथा जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का सृजन किया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में तीन चरणों में कुल 16 जनपदों में 19 क्लस्टर (18 गैर जनजातीय एवं 01 जनजातीय क्लस्टर) चयनित कर लिये गये हैं।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गत पाँच वर्षों में 3,414 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत वर्ष 2022–2023 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु 12 हजार रू0 तथा 1460 सामुदायिक शौचालयों हेतु 3 लाख रू0 तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।
- वित्तीय वर्ष 2022–2023 में ठोस तरल अपशिष्ट हेतु लक्षित 24,314 गाँव की कुल आबादी लगभग 6.46 करोड़ को ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबन्धन से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु कार्य कराये जाते हैं।

ग्राम्य विकास के कार्यक्रम/योजनाएं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा)

इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण अवस्थापना के लिए सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना भी है। भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर शत–प्रतिशत तथा सामग्री में 75 प्रतिशत अंश एवं राज्य सरकार द्वारा सामग्री में 25 प्रतिशत अंश दिया जाता है। मनरेगा अन्तर्गत गत् तीन वर्षों में लाभान्वित परिवार तथा व्यय धनराशि का विवरण निम्न तालिका में उपलब्ध कराया जा रहा है।

तालिका–8.01– मनरेगा अन्तर्गत लाभान्वित परिवार तथा व्यय धनराशि का विवरण

(नवम्बर, 2022 तक)

क्र0सं0	वर्ष	सृजित मानव दिवस (लाख)	व्यय धनराशि (लाख)
1	2018–19	2121	584563
2	2019–20	2444	605243
3	2020–21	3945	1286389
4	2021–22	3258	876739
5	2022–23 (नवम्बर, 2022 तक)	2402	773440

प्रदेश में मजदूरी दर रू0 213 प्रति मानव दिवस निर्धारित है। प्रदेश में कुल क्रियाशील श्रमिक लगभग 170.54 लाख है। पारदर्शिता बनाये रखने के लिये आधार पेमेन्ट ब्रिज सिस्टम तथा जियो टैगिंग को अपनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक 61.15 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 2.63 लाख परिवारों को 100 दिवसों का एवं 27.03 लाख महिला श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। महिला सहभागिता को बढ़ाने हेतु स्वयं सहायता समूह की 19416 महिला मेटों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश मे वित्तीय वर्ष 2022–23 में 10803 अमृत सरोवरों पर कार्य प्रारम्भ

कराया जा चुका है, जिसमें से 8562 पर कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रदेश ने 15 नवम्बर 2022 तक 3000 तालाब के लक्ष्य के सापेक्ष 8240 तालाब पूर्ण करके देश में प्रथम स्थान अर्जित किया।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम)

दीन दयाल अन्त्योदय योजना–एनआरएलएम भारत सरकार द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर समुदाय द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की कम से कम एक महिला सदस्य को समूह एवं अन्य सामुदायिक संस्था के माध्यम से संगठित कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना है। गरीबों के लिए आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना–बाहरी क्षेत्रों में रोजगार के अनुसार उनका कौशल विकास करना और स्वरोगार एवं उद्यमशीलता (लघु उद्यमों के लिए) प्रोत्साहित करना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाते हुए गरीबी को दूर करना है। वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के 826 विकास खण्डों में इन्टेन्सिव स्ट्रेटजी के तहत योजना क्रियान्वित है। मिशन अन्तर्गत बजट व्यवस्था मे भारत सरकार का 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 40 है।

तालिका–8.02– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रगति विवरण

क्र0सं0	वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 (नव. 2022 तक)
1	गठित समूह	46092	63537	106842	128195	146885	92509
2	रिवॉल्विंग फण्ड प्राप्त समूह	34395	40774	68125	82227	122205	82433
3	बैंक क्रेडिट	26301	21961	31690	48160	47565	40731
4	ग्राम संगठन	2191	3772	6862	5233	6648	10109
5	संकुल स्तरीय संघ	190	146	384	335	448	325
6	सीआईएफ	19811	31076	52620	65880	114804	4156

तालिका–8.03– वित्तीय वर्ष 2022–23 मे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रगति विवरण

(नव. 2022 तक)

क्रम संख्या	घटक	कुल प्रगति
1	स्वयं सहायता समूह का गठन	92509
2	कुल आच्छादित परिवार	1017599
3	रिवालिविंग फण्ड	82433
4	बैंक क्रेडिट लिंकेज	40731
5	सी0आई0एफ0	4156
6	ग्राम संगठन	10109
7	क्लस्टर लेवल फेडरेशन	520
8	जोखिम निवारण निधि	6081
9	ग्राम संगठन आजीविका निधि	386
10	स्वयं सहायता समूह स्टार्ट अप फण्ड	121715
11	ग्राम संगठन स्टार्ट आप फण्ड	6361
12	संकुल स्तरीय संघ स्टार्ट अप फण्ड	325
13	महिला किसान प्रशिक्षण	100737
14	कृषि आजीविका सखी	1984
15	प्रेरणा पोषण वाटिका	75065
16	कुल वित्तीय खर्च (करोड़ रूपये)	665.30

- महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 8.8 लाख महिला किसानों को 75 जनपदों के 476 विकासखण्डों में सतत् कृषि पद्धतियों एवं गुणात्मक पशुपालन पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में डेयरी वैल्यूचेन 'बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी' वैल्यूचेन के रूप में अब तक 6 जनपदों के 701 ग्रामों से 40730 शेयर होल्डर्स हैं। वर्तमान में प्रतिदिन महिला सदस्यों द्वारा 1.22 लाख लीटर दुग्ध का संग्रह एवं कुल रू0 260 करोड़ का भुगतान किया गया है।
- स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यमिता हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में 16903 लघु उद्यमियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इससे प्रति महिला उद्यमी को औसतन 6000–8000 रू0 की मासिक आय सृजित हो रही है।
- प्रेरणा ओजस (ऑर्गनाइजेशन फार ज्वाइन्ट ऐक्शन ऐण्ड सस्टेनेबिलिटी) नामक नॉन–प्रॉफिट कम्पनी के माध्यम से 89 असेंबली इकाई की स्थापना की जा रही है, जिससे उत्पादित होने वाले सौर उत्पादों को 1000 सोलर शॉप के माध्यम से विक्रय किया जायेगा।
- आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 453 वाहनों का संचालन किया जा रहा है। उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। योजना से प्रति महिला वाहन मालिक को औसतन 7000–9000 रू0 की मासिक आय का सृजन किया गया है।
- वर्तमान में 705 से ज्यादा प्रेरणा कैन्टीन के संचालन से स्वयं सहायता समूह की प्रति महिला को औसतन 6000 रू0 की मासिक आय प्राप्त हो रही है।
- उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 के साथ स्वयं सहायता समूह की 15427 महिला सदस्यों में से 9288 सक्रिय सदस्यों द्वारा 216 करोड़ रू0 का बिल कलेक्शन कार्य किया गया है। इससे प्रति महिला औसतन 3000–5000 रू0 की मासिक आय सृजन हो रहा है।
- मनरेगा अन्तर्गत समूह की महिलाओं को लगभग 45 करोड़ मूल्य के 115560 सी0आई0बी0 बोर्ड का आर्डर दिया गया जिससे प्रति महिला को औसतन 8000–10000 रू0 की मासिक आय हो रही है तथा मनरेगा से अभिसरण के अन्तर्गत समूह के सदस्यों द्वारा 17995 कम्पोस्ट पिट, 15540 कैटल शेड, 13411 पोल्ट्री शेड, 13901 बकरी शेड, 2741 नर्सरी का कार्य किया गया है।
- स्वयं सहायता समूह मे कृषि आजीविका अन्तर्गत महिला कृषकों द्वारा पोषण सुरक्षा एवं आर्थिक उन्नयन हेतु 75065 प्रेरणा पोषण वाटिका का निर्माण एवं वर्तमान में 2085 उचित दर की दुकान का प्रबंधन किया जा रहा है। दुकान संचालन से प्रति समूह औसतन 5000–70000 रू0 की मासिक आय का सृजन हो रहा है।
- सामुदायिक शौचालय का प्रबन्धन प्रदेश के 826 विकासखण्डों की 54216 ग्राम पंचायतों में समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है तथा सखी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन–देन को प्रोत्साहित करने हेतु 32654 बी0सी0 सखी के द्वारा लेन–देन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
- आई0सी0डी0एस0 से अभिसरण के माध्यम से 61075 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ड्राई राशन का वितरण 164177 ऑगनबाड़ी केन्द्रों में किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आवासहीन, कच्चे व जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है। निर्मित आवास का क्षेत्रफल रसोई सहित 25 वर्गमीटर निर्धारित है जिसकी लागत सामान्य क्षेत्रों के लिये रू0 1 लाख 20 हजार तथा नक्सल प्रभावित जनपदों के लिये रू0 1 लाख 30 हजार निर्धारित है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। योजनाारम्भ वर्ष

2016–17 से 2021–22 तक प्रदेश मे कुल 26.16 लाख आवासों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 25.88 लाख आवासों का निर्माण हो चुका है, जो लक्ष्य का 98.93 प्रतिशत है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 तक योजनान्तर्गत सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना–2011 के आधार पर तैयार स्थायी पात्रता सूची में सम्मिलित सभी पात्र 14.49 लाख परिवारों के लिये भारत सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। इस तरह एसईसी सी–2011 के आधार पर स्थायी पात्रता सूची संतृप्त हो गयी है। छूटे हुए 26.67 लाख पात्र परिवारों हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में कुल 11.66 लाख आवासों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 11.49 लाख आवासों का निर्माण कराया जा चुका है तथा अवशेष निर्माणाधीन है।

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

फरवरी, 2018 मे प्रारम्भ मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पूर्णतः राज्य सहायतित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, वनटांगिया, मुसहर वर्ग, कालाजार से प्रभावित, जे0ई०/ए0ई0एस0 से प्रभावित, कुष्ठ रोग से प्रभावित, कोल सहरिया, थारू नट चेरो, बैगा (अनुसूचित जनजाति), पछइया लोहार/गढ़इया लोहार, दिव्यांगजन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परन्तु एसईसीसी–2011 एवं आवास प्लस के आधार पर आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित न होने वाले छतविहीन एवं आश्रयविहीन कच्चे/जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है।

इसमें मुसहर वर्ग के 42,194, वनटांगिया वर्ग के 4,822, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 36,307, कालाजार से प्रभावित 224, जे0ई०/ए0ई0एस0 से प्रभावित 601, कुष्ठ रोग से प्रभावित 3,686, थारू वर्ग के 1,546, कोल वर्ग के 13,102, सहरिया वर्ग के 5,611 एवं चेरो वर्ग के 559 परिवारों को लाभान्वित कराया जा चुका है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के लिए कुल रु0 1322.6974 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई। वर्ष 2021–22 में आवंटित 28,083 आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष 27,445 आवास पूर्ण हो गये है, शेष निर्माणाधीन है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

इस योजना का शुभारम्भ 25 दिसम्बर 2000 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले सड़क–सम्पर्क से वंचित मजरों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना था, जिसे प्रदेश में पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश के नक्सल समस्या से प्रभावित सोनभद्र, चन्दौली एवं मिर्जापुर में मानक को शिथिल करते हुये 250 या उससे अधिक आबादी की बसावटों को बारहमासी मार्गों से जोड़ा जा चुका है।

इस योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदेश में 7162.55 किमी सड़क का निर्माण हो चुका है। इन निर्मित मार्गों का 05 वर्ष तक रख–रखाव (अनुरक्षण) की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होती है। अनुरक्षण का बजट राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मार्गो की गुणवत्ता की जांच हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसके माध्यम से मार्गों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–3 के अन्तर्गत रू0 14240–79 करोड़ की लागत से 2534 मार्ग, लम्बाई 18770.17 किमी0 के स्वीकृत कार्य के सापेक्ष 5376.33 कि0मी0 के कार्य पूर्ण करते हुए 553 मार्गों का कार्य भी पूर्ण कराया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत प्रदेश में पहली बार एफडीआर तकनीक से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस तकनीक के तहत 5508.08 करोड की लागत से 696 मार्ग, लम्बाई 5458.61 किमी0 का निर्माण किया जा रहा है। एफडीआर तकनीक से स्वीकृत 40 मार्गो पर कार्य प्रगति में है तथा 134 किमी0 एफडीआर के अन्तर्गत नवम्बर 2022 तक निर्माण किया जा चुका है।

सामुदायिक विकास योजना

इसके अंतर्गत जिला मुख्यालय पर विकास भवन तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्डों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य राज्य सरकार के शत–प्रतिशत वित्तीय संसाधन द्वारा कराया जाता है।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि)

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास हेतु उक्त योजना का प्रारंभ किया गया। इसके अन्तर्गत प्रत्येक मा0 सदस्य को वर्ष 2020–21 से वार्षिक रू0 03 करोड़ (जीएसटी सहित) निर्धारित की गयी है। इस निधि से सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षण संस्थाओं में कक्ष निर्माण, पुस्तकालय, सरकारी अस्पतालों के लिए एक्सरे मशीन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड हेतु वाहन एवं अन्य उपकरण क्रय किया जाना अनुमन्य है। कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021–22 मे भी चिकित्सीय उपकरण क्रय हेतु एवं कोविड केयर फण्ड में धनराशि हस्तान्तरित करने की व्यवस्था भी की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल रू0 2000 करोड़ बजट प्राविधान के सापेक्ष 1494 करोड़ रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ तथा रू0 1102 करोड़ व्यय कर 22769 परियोजनाएं पूर्ण की गयी।

बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र मे स्थानीय उपलब्धता के आधार पर सतत् रोजगार के अवसर सृजित करना है। नवम्बर 2019 के नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति को 23 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। अनुदान के रूप मे अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग लाभार्थियों को प्रति इकाई 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 70000 तथा सामान्य लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 50000 (जो भी कम हो) अनुमन्य है।

पंचायत सशक्तिकरण

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 02 अक्टूबर, 2014 से प्रारम्भ किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश को खुले में शौच मुक्त कर, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है। वर्ष 2018–2019 में प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा स्वयं को खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिया गया है। योजना में व्यक्तिगत शौचालय की लागत रू0 12 हजार है, जिसमे केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत है। सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव हेतु 52993 स्वयं सहायता समूहों को हस्तान्तरित करते हुये, रु0 418.32 करोड़ उनके खाते में (रु0 9000 प्रतिमाह) अवमुक्त किये जा चुके हैं।

बहुउद्देशीय पंचायत भवन (जिला योजना)

वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 19.96 करोड़ का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष धनराशि रू0 12.08 करोड़ व्यय किया जा चुका है। वर्ष 2022–23 में लक्षित 113 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के सापेक्ष 109 पंचायत भवनों पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यो हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का संचालन वर्ष 2017–18 में किया गया। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष धनराशि की उपलब्धता के अनुसार ग्राम पंचायतों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणियों से पुरस्कृत किया जाता है। ग्राम पंचायतें पंचायती राज के वेबपोर्टल 'हमारी पंचायत' पर पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन करती है। जनपद स्तर पर अनुमोदन किए जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन राज्य स्तर को अग्रसारित किया जाता है। राज्य

स्तर से वेरीफिकेशन के पश्चात् गठित एसेसमेंट कमेटी द्वारा ग्राम पंचायतों के गत वर्ष के कार्यो के आधार पर ग्राम पंचायतों के चयन एवं संख्या पर अंतिम निर्णय लिया जाता है।

डॉ राम मनोहर लोहिया सशक्तिकरण योजना

डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना वर्ष 2016–17 से पंचायतों में ई–गर्वनेन्स स्थापना के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्तपोषित योजना है, जिसके अन्तर्गत मुख्यतः पंचायतों में ई–गर्वनेन्स की स्थापना में राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में तकनीकी परामर्शी/कर्मियों की सेवाओं के साथ ई–गवर्नेस कार्य हेतु सॉफ्टवेयर डेवलमेंट का कार्य एवं प्रशिक्षण कार्य की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में रू0 4.05 करोड़ का बजट प्राविधानित किया है, जिसके सापेक्ष धनराशि रू0 2.12 करोड़ का व्यय किया गया है।

पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से ई–गवर्नेन्स की स्थापना हेतु राज्य/मण्डल स्तर पर तकनीकी रिसोर्सेज/एकाउन्टेंट की तैनाती की गयी। इसके साथ विभागीय वेबसाइट पंचायती राज मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार द्वारा लागू विभिन्न साफ्टवेयर ई–एच.आर.एम.एस., ई–डिस्ट्रिक, ई–ग्राम स्वराज, ऑडिट ऑनलाइन के माध्यम जनपद स्तर एवं ग्राम पंचायतों की तकनीकी कार्यों में सहायता एवं प्रगति अनुश्रवण तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों को सम्पादित किया गया।

ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थल (जिला योजना)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्येष्टि स्थलों का विकास किया जा रहा है। प्रति अंत्येष्टि स्थल की लागत रू0 24.36 लाख शासन द्वारा निर्धारित की गयी है। इसके अन्तर्गत शवदाह के लिए प्लेटफार्म का निर्माण, उपस्थित लोगों को पेयजल, शौचालय तथा शवदाह हेतु लकड़ियों की उचित व सुलभ व्यवस्था के लिए लकड़ी का टाल आदि का निर्माण किया जाता है। योजनान्तर्गत ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 99.876 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया था। कुल लक्षित 410 ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के सापेक्ष 325 स्थलों का निर्माण पूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में आवंटित समस्त धनराशि रू0 99.876 करोड पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के खातों में हस्तान्तरित की जा चुकी है एवं ग्राम पंचायतों में समस्त स्थलों पर कार्य प्रारम्भ है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान** योजना को केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में 60:40 (केन्द्रांशःराज्यांश) के वित्तीय अनुपात में वर्ष 2018–19 से संचालित किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के अनुरूप अनुमोदित गतिविधियों यथा–पंचायत प्रतिनिधियों/कर्मियों/संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण, संदर्भ साहित्य विकास, मॉडल पंचायतों को लर्निंग सेंटर के रूप स्थापित करना, पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना, पंचायतों को कम्प्यूटर डेस्कटॉप/लैपटॉप, जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर का निर्माण/संचालन तथा राज्य/मंडल/जनपद स्तर पर तकनीकी व गैर–तकनीकी मानव संसाधन की तैनाती आदि का संचालन किया जाता है।

पंचायतों में ई–गवर्नेन्स की स्थापना हेतु विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को 'ई–ग्राम स्वराज' के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे कि ग्राम पंचायतों में नियोजन, कार्यो के क्रियान्वयन तथा लेखा–जोखा का अनुश्रवण किया जा सके। पंचायतों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता हेतु पी. एफ.एम.एस. के संचालन एवं अनुश्रवण को प्राथमिकता पर क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना की प्रगति निम्नवत है–

- पंचायतों को मॉडल के रूप में स्थापित करने एवं उनके द्वारा किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यों से अन्य पंचायतों को प्रोत्साहित करने और उन्हें एक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि रू 05 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2018–19 में 20 ग्राम पंचायतों एवं 2019–20 में 06 ग्राम पंचायतों को पंचायत लर्निंग सेन्टर के तौर पर विकसित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश हेतु धनराशि 514.69 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 85.04 करोड़ केन्द्रांश एवं मैचिंग रू0 46.78 करोड़ राज्यांश अवमुक्त किया जाना प्रक्रियाधीन है।
- राज्य नोडल एकाउंट में पंचायत भवन की रिफंड धनराशि के सापेक्ष 649 ग्राम पंचायतों को धनराशि रू. 32.99 करोड़ की लिमिट निर्गत की गयी है एवं 518 यूनिट पूर्ण की जा चुकी है।
- 336 के लक्ष्य के सापेक्ष 212 पंचायत भवनों की द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 14.81 करोड़ की लिमिट निर्गत की गयी है एवं 159 पंचायत भवन पूर्ण किए जा चुके है।
- 4612 अनुमोदित सी.एस.सी. कक्ष में से अब तक 1486 सी.एस.सी. हेतु धनराशि रू0 59.44 करोड़ की लिमिट ग्राम पंचायतों को निर्गत की गयी है एवं 183 सी.एस.सी. अतिरिक्त कक्षों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से क्लस्टर प्रोजेक्ट अन्तर्गत 44 ग्राम पंचायतों में मॉडल ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना को तैयार किया गया।
- 06 जनवरी 2022 द्वारा प्रदत्त प्राविधानानुसार प्रदेश में कुल 15720 क्लस्टर का निर्माण कराया गया। निदेशालय स्तर पर विकसित कॉल सेन्टर द्वारा इन्हीं क्लस्टर मुख्यालय पर ग्राम पंचायत सचिवों की उपस्थिति का अनुश्रवण किया जा रहा है।
- राज्य से बाहर 150 प्रधानों को एनआईआरडीपीआर में रूरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट को समझने के लिए हैदराबाद भेजा जाना मार्च माह में प्रस्तावित है तथा 75 प्रधान/कर्मियों को हरियाणा, पुणे तथा केरल राज्य में भ्रमण कराया जा चुका है।

पंचायत कल्याण कोष योजना

मार्च, 2022 के द्वारा प्रदेश के निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष तथा त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्यों को पद पर रहते हुए उनके मृत्यु की दशा में उनके परिवार या आश्रितों को राज्य वित्त आयोग की आवंटित धनराशि से सहायता प्रदान किये जाने हेतु पंचायत कल्याण कोष स्थापित किया गया है।

पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार योजना

- पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यो के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार (केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित) द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए –
- दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु जिला पंचायत को रू0 50 लाख, क्षेत्र पंचायत को रू0 25 लाख एवं ग्राम पंचायतों को रू0 08–15 लाख की धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है।
- नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार हेतु ग्राम सभा को रू0 10 लाख की धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है।
- बाल मैत्रिक पंचायत पुरस्कार एवं ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार हेतु रू0 05 लाख की पुरस्कार धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है।

अन्य कार्य

- पंचायत के प्रभावी तरीके से कार्यों के सम्पादन, ग्राम पंचायत की नियत समय पर नियमित बैठकें पंचायत कार्यालय में हो, इसके दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना किया जा रही है।
- समस्त ग्राम प्रधान,ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों एवं समस्त सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर बनवा दिये गये है, तथा समस्त धनराशियों का हस्तान्तरण डिजिटल माध्यम से ही किया जा रहा है।
- केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की संक्रमित धनराशि से पंचायतों में आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुरक्षण व मरम्मत, आंगनबाड़ी भवनों का सुदृढ़ीकरण एवं बाल मैत्रिक शौचालयों का पुनरूद्धार कराया गया है।
- समस्त ग्राम पंचायतों में केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि से सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराते हुए निर्मित सामुदायिक शौचालयों को स्वयं सहायता समूहों को अनुरक्षण व संचालन हेतु हस्तान्तरित किया गया है।

****

अध्याय–9
औद्योगिक प्रगति

मुख्य बिन्दु

- ❖ वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, द्वितीयक खण्ड में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 के स्थिर भावों पर 10.3 प्रतिशत की वृद्धि तथा प्रचलित भावों पर 14.9 प्रतिशत की वृद्धि रही।
- ❖ भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक–'निवेश मित्र'' है जिसके माध्यम से उद्यमियों को 362 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यह विभिन्न राज्यों के उन अग्रणी पोर्टलों में से एक है जिन्हें नेशनल सिंगल विन्डो सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है।
- ❖ उद्यमियों से लाइसेन्स हेतु प्राप्त आवेदनों के 97 प्रतिशत से अधिक निस्तारण दर के साथ यह पोर्टल वर्तमान में विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित सिंगल विन्डो पोर्टल में सबसे कुशल सिंगल विन्डो पोर्टल बन गया है।
- ❖ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतानों के त्वरित निस्तारण हेतु उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर में स्थापित फैसिलीटेशन काउन्सिल को मण्डल स्तर तक विकेन्द्रीकृत किया गया है।
- ❖ प्रक्रिया के सरलीकरण तथा निवेशकों को समुचित सहायता प्रदान करने के लिए ''इन्वेस्ट यूपी'' द्वारा एक ''ऑनलाइन निवेशक सम्बन्ध प्रबन्धन पोर्टल'' विकसित किया गया है जिसे निवेश

आत्म–निर्भर भारत की संकल्पना के साथ–साथ अग्रसर रहते हुए प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु औद्योगिक क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश बढ़ाना महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र उत्पादन और रोजगार की समग्र संवृद्धि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, प्रदेश मे द्वितीयक खण्ड का योगदान वर्ष 2021–22 के तैयार किये गये त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर भावों पर 26.7 प्रतिशत है तथा द्वितीयक खण्ड में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 के स्थिर भावों पर 10.3 प्रतिशत की वृद्धि तथा प्रचलित भावों पर 14.9 प्रतिशत की वृद्धि रही।

द्वितीयक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जल संपूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल है। वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में विनिर्माण उपखण्ड में गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 में स्थिर भावों पर 13.6 प्रतिशत की वृद्धि तथा प्रचलित भावों पर 21.0 प्रतिशत की वृद्धि रही। इसी प्रकार से विद्युत, गैस तथा जल संपूर्ति उपखण्ड में गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 में स्थिर भावों पर 4.4 प्रतिशत की वृद्धि तथा प्रचलित भावों पर 8.7 प्रतिशत की वृद्धि रही। निर्माण उपखण्ड में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 में स्थिर भावों पर 7.0 प्रतिशत की वृद्धि तथा प्रचलित भावों पर 9.7 प्रतिशत की वृद्धि रही। विनिर्माण उपखण्ड का योगदान स्थिर भावों पर वर्ष 2021–22 के तैयार किये गये त्वरित अनुमानों के अनुसार 14.5 प्रतिशत, विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति उपखण्ड का 1.5 प्रतिशत तथा निर्माण उपखण्ड का 10.8 प्रतिशत रहा।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) एक निश्चित समयावधि की तुलना में एक विशिष्ट समयावधि में औद्योगिक वस्तुओं के एक समूह में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। उत्तर प्रदेश का सेक्टरवार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के कुल 1000 भारांक में विनिर्माण क्षेत्र का 809.35 प्रतिशत, खनन क्षेत्र को 118.89 प्रतिशत तथा विद्युत क्षेत्र का 71.76 प्रतिशत भारांक है।

उत्तर प्रदेश हेतु आधार वर्ष 2011–12 पर तैयार किये गये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार वर्ष 2021–22 में सामान्य सूचकांक 125.58 के स्तर पर रहा जो विगत वर्ष की तुलना में 6.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विनिर्माण, खनन एवं विद्युत उपखण्ड के सूचकांक क्रमशः 125.73, 115.21 एवं 141.09 के स्तर पर आंकलित किये गये जो गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 6.64, 6.76 एवं 7.81 की वृद्धि को दर्शाते हैं।

व्यापार सुगमता– ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्र में अनेक सुधारों की पहल की है जिससे समग्र व्यवसाय वातावरण बेहतर हुआ है। व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के लिये विद्यमान नियमों को सरलीकृत और युक्तियुक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है जिससे प्रदेश में अब उद्यमियों द्वारा उद्यम लगाना सरल हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ''विश्वास आधारित शासन'' के सिद्धान्त को आत्मसात किया है।

- पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान के अन्तर्गत 600 से अधिक सुधार लागू किये गये हैं।
- तीस से अधिक विभागों को डिजिटलाइज करने के साथ ही 110 से अधिक सेवाओं को जनहित गारण्टी अधिनियम में सम्मिलित किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में उठाये गये प्रमुख कदमों में भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक–'निवेश मित्र'' का कार्यान्वयन है जिसके माध्यम से उद्यमियों को 362 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यह विभिन्न राज्यों के उन अग्रणी पोर्टलों में से एक है जिन्हें नेशनल सिंगल विन्डो सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है। निवेश मित्र में निरन्तर सेक्टर विशिष्ट सेवाएं जोड़ी जा रही हैं। इसके माध्यम से (वन–स्टॉप सॉल्यूशन) उपलब्ध है।
- उद्यमियों से लाइसेन्स हेतु प्राप्त आवेदनों के 97 प्रतिशत से अधिक निस्तारण दर के साथ यह पोर्टल वर्तमान में विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित सिंगल विन्डो पोर्टल में सबसे कुशल सिंगल विन्डो पोर्टल बन गया है।

उ0प्र0 द्वारा औद्योगिक विकास से सम्बन्धित संचालित योजनाएं

प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है जो प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारत सरकार के सहयोग से संचालित योजनाएं

1-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

भारत सरकार की यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 13 मई 2022 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–पीएमईजीपी/पॉलिसी–09/2022 द्वारा संशोधित करते हुये विनिर्माण क्षेत्र की परियोजना लागत 20 लाख रू0 से बढ़ाकर 50 लाख रू0 तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रू0 से बढ़ाकर 20 लाख रू0 तक की नई इकाइयों को स्थापित करने हेतु चिन्हित बैकों से वित्तपोषण कराकर सरकारी सहायता के रूप में 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी का अनुदान दिया जाता है। यह परिर्वतन 01 जून 2022 से लागू कर दिया गया है। योजना में विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा–अनु0जाति/अनु0 जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग इत्यादि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्यमों पर 35 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी की व्यवस्था है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिये 15 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है। नई इकाई के स्थापना हेतु सामान्य वर्ग के लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत है।

विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक अथवा सेवा क्षेत्र में 5 लाख रूपये से अधिक की परियोजना के लिये लाभार्थी को कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें पीएमईजीपी/मुद्रा लोन से सम्बन्धित इकाइयों हेतु द्वितीय चरण में विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 1 करोड़ एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रू0 तक की परियोजना लागत में लाभार्थी का अंशदान 10 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाता है जबकि एनईआर में 20 प्रतिशत तक अनुदान की व्यवस्था है।

प्रदेश में योजना का कियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट केवीआईसीऑनलाइनडॉटजीओवीडॉटइन पर किया जाता है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से उ0प्र0 में 4854 इकाइयों की स्थापना हेतु रू0 14693 लाख मार्जिन मनी लक्ष्य के सापेक्ष कुल 6129 लाभार्थियों को रू0 19165.27 लाख मार्जिन मनी वितरित की गयी जो लक्ष्य के सापेक्ष 130.44 प्रतिशत थी। यह बढ़ोत्तरी यह दर्शाती है कि लोगों का रूझान उद्यमिता की ओर है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार से उ0प्र0 में 5772 इकाइयों की स्थापना हेतु रू0 16739 लाख मार्जिन मनी का लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर, 2022 तक 2666 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए रू0 8739.07 लाख का व्यय हुआ।

प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु दिनांक 30.06.2022 को मिशन रोजगार के तहत रोजगार संगम लोन मेला समारोह का आयोजन करते हुए बैंकों के माध्यम से लगभग 16 हजार करोड़ का ऑनलाइन ऋण वितरण किया गया।

प्रदेश सरकार उद्यमियों के विलम्बित भुगतान की समस्या के त्वरित निराकरण हेतु राज्य स्तर पर गठित फैसिलिटेशन काउसिंल की व्यवस्था का मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीयकरण किया गया है जिससे उद्यमियों की समस्या का निराकरण शीघ्र हो सके।

2-सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी)

योजनान्तर्गत भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित क्लस्टर विकास योजना के माध्यम से क्षेत्र विशेष/क्लस्टर विशेष को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र के कॉमन फैसिलिटी सेन्टर स्थापित कराने हेतु (कम से कम 20 सदस्य) एस0पी0वी0 के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जाती है। सरकार ने इस योजना में नये दिशा–निर्देश दिये हैं जो 15वें वित्त आयोग (2021–22 से 2025–26) के दौरान लागू किया जायेगा।

इस येाजना में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) हेतु केन्द्र सरकार का अनुदान 05 करोड रूपये से 10 करोड रूपये तक लागत वाली परियोजना के लिये 70 प्रतिशत जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों व आकांक्षी जिलो में 80 प्रतिशत तक और 10 करोड़ रूपये से 30 करोड़ रूपयें तक लागत वाली परियोजना के लिये 60 प्रतिशत जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों व आकांक्षी जिलो में 70 प्रतिशत तक सीमित होगा। 30 करोड़ रूपये से ज्यादा लागत की परियोजना पर भी विचार किया जायेगा लेकिन सरकारी सहायता, अधिकतम 30 करोड़ रूपये तक की लागत परियोजना को ध्यान में रखकर की जायेगी।

बुनियादी ढांचा विकास (आई डी) हेतु फैक्टरी परिसर की स्थापना के लिये 05 करोड़ रूपये से 15 करोड़ रूपये तक की परियोजना के लिये सरकारी अनुदान लागत के 60 प्रतिशत तक जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों व आकांक्षी जिलों के लिये 70 प्रतिशत तक सीमित होगा वहीं मौजूद फैक्टरी परिसर उन्नयन के लिये 05 करोड़ रूपये से 10 करोड़ रूपये तक की परियोजना के लिये सरकारी अनुदान लागत के 50 प्रतिशत जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों व आकांक्षी जिलो के लिये 60 प्रतिशत तक सीमित होगा।

3- स्फूर्ति योजना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित स्फूर्ति योजना का मुख्य उद्देश्य पारम्परिक ढंग से काम कर रहे उद्योगों एवं उनके कारीगरों का सामूहिक रूप से कौशल विकास करना है, जिसके अन्तर्गत कारीगरों की आय बढ़ाने हेतु, कॉमन फैसिलिटी सेन्टर, प्रौद्योगिक उन्नयन, प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, नवाचार, डिजाइन हस्तक्षेप, विपणन क्षमता, बेहतर पैकेजिंग एवं विपणन से सम्बन्धित सुविधाओं को मुहैया कराना है।

इस योजना के तहत दो प्रकार के क्लस्टर्स हेतु वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की जाती है। 500 से कम कारीगरों के समूह को रेगुलर क्लस्टर हेतु 2.50 करोड़ रूपयें का प्राविधान है तथा 500 से अधिक कारीगरों के समूह को मेजर क्लस्टर हेतु 5 करोड़ रूपये का प्राविधान है। योजना के शुरूआत से जुलाई 2022 तक उत्तर प्रदेश में 55 क्लस्टर इस योजना के तहत अनुमोदित किये जा चुके है तथा 21 क्लस्टर कार्यात्मक स्थिति में है।

4-एस्पायर योजना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एस्पायर योजनान्तर्गत संस्थाओं को एल0बी0आई0 (लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेशन सेन्टर) स्थापित करने हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है। यह अनुदान मात्र मशीनरी के मद में अधिकतम रू0 एक करोड़ तक अनुमन्य है। सरकारी संस्था को रू0 एक करोड़ की सीमा तक शत–प्रतिशत अनुदान देय है। प्राइवेट संस्था को मशीन की कुल लागत का

75 प्रतिशत या अधिकतम रू0 75 लाख का अनुदान अनुमन्य है। 15वें वित्त आयोग के दौरान कुल 125 एल0बी0आई0 स्थापित करने का लक्ष्य है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 हेतु महत्वपूर्ण नई योजनाओं में युवाओं को स्व–रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना एवं कौशल एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू है। प्रदेश में संचालित कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नवत है :–

1-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रू0 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु रू0 10 लाख तक ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराये जाने का भी प्राविधान है जो कि विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु रू0 2.50 लाख है।

इस योजना हेतु हाईस्कूल उत्तीर्ण 18–40 आयु वर्ग के उ0प्र0 के ऐसे मूल निवासी पात्र है जो किसी भी वित्तीय संस्थान से डिफाल्टर घोषित न हों। योजनान्तर्गत गठित जिलास्तरीय चयन समिति के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बैंको को प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही करायी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में 5000 इकाइयों को स्थापित करने के लक्ष्य के अनुरूप रू0 9700 लाख का बजट आवंटित किया गया था जिसमें 4187 लाभार्थियों को रू0 9698.74 लाख मार्जिन मनी वितरित की गई। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 6250 इकाइयों को स्थापित करने हेतु रू0 12500 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसमें से दिसम्बर, 2022 तक 1849 लाभार्थियों को लाभन्वित कराते हुए 4423.23 लाख का व्यय हुआ।

2-एक जनपद एक उत्पाद योजना

प्रदेश के जनपदों के कारीगरो, हस्तशिल्पियों के कौशल विकास एवं विशिष्ट उत्पादों की ब्रांडिग के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु सरकार द्वारा जनवरी 2018 को **'एक जनपद एक उत्पाद'** योजना प्रारम्भ की गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत उत्पाद विशेष के समग्र विकास हेतु मार्जिन मनी योजना, प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, विपणन सहायता योजना व कॉमन फैसिलिटी सेन्टर योजना संचालित की जा रही है।

'एक जनपद एक उत्पाद' की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कम पूँजी निवेश से बेहतर रोजगार की भरपूर सम्भावना है। इस महत्वाकांक्षी योजना से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने के साथ ही स्थानीय रूप से रोजगार में भी बढ़ोत्तरी होगी। इस योजना से राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों, दुकानदारों, पढ़े–लिखे युवाओं व प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित कामगारों को अधिक से अधिक रोजगार व जीविका के अवसर उपलब्ध होंगे।

इसके वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 4268 लाभार्थियों के सापेक्ष रू0 10670 लाख बजट आवंटित किया गया था जिसके सापेक्ष 3053 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए रू0 11435 लाख का मार्जिन मनी वितरित किया गया। वर्ष 2022–23 में लक्ष्य बढ़ाकर 4656 इकाइयों को स्थापित करने हेतु रू0 12000 लाख का आवंटन किया गया जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2022 तक 1343 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए रू0 6107.52 लाख का व्यय किया गया।

ओडीओपी कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 21000 लाभार्थियों को टूलकिट वितरण के लक्ष्य हेतु रू0 4677.02 लाख आवंटित किय गये थे, जिसके सापेक्ष 21000 लाभार्थियों को टूलकिट वितरण में कुल रू0 4636.33 लाख व्यय हुये। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 21000 लाभार्थियों को टूलकिट वितरण लक्ष्य हेतु रू0 4625 लाख रूपये का प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष समस्त 21000 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

3-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों, बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि स्वरोजगारियों तथा पारम्परिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन एवं संवर्धन तथा उनकी आय में वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान

योजना लागू की गयी है। योजनान्तर्गत इन कारीगरों को स्किल प्रशिक्षण एवं उन्नत टूलकिट उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में कारीगरों को रू0 200 प्रतिदिन मानदेय उपलब्ध कराया जाता है एवं उनके खान–पान की भी व्यवस्था की जाती है। इस योजनान्तर्गत यथावश्यक इन कारीगरों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगारपरक योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान कराये जाने की भी व्यवस्था की गई है।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 75000 पारम्परिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराने हेतु रू0 10993.64 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष 75000 पारम्परिक कारीगरों/हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित कराते हुये टूलकिट वितरण में रू0 10940 लाख रू0 का व्यय हुआ। वर्ष 2022–23 में 30000 लाभार्थियों हेतु रू0 11250 लाख की धनराशि का प्रविधान किया गया है। सितम्बर 2022 तक कुल रू0 1000 लाख आवंटित धनराशि से 29950 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

4-मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना

प्रदेश के हस्तशिल्पियों के जीवनस्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने एवं पारम्परिक कलाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा दिसम्बर 2017 से मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना के अन्तर्गत चयनित हस्तशिल्पी को रू0 500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पात्र हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है (महिला हस्तशिल्पियों एवं शारीरिक रूप से विकलांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है) तथा शिल्पकार के परिवार की आय 1 लाख रू0 से अधिक नही हो।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 87.47 लाख रू0 बजट आवंटित किया गया जिसके सापेक्ष 83.12 लाख रू0 का व्यय करते हुये 1387 हस्तशिल्पियों को पेंशन प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी 100 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत सितम्बर 2022 तक 1353 हस्तशिल्पियों को पेंशन प्रदान किया जाना प्रक्रियाधीन रहा।

5-कौशल एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण योजना एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये है।

5.1 पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना

वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018–19 में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण की योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को विभिन्न ट्रेड में 4 माह का कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के उपरान्त टूलकिट एवं मानदेय भी प्रदान किया जाता है, जिससे कि वे प्रशिक्षणोपरान्त स्वयं उद्यम स्थापित कर सके।

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु इस योजना में 2775 प्रशिक्षणार्थियों के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु रू0 200 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसके सापेक्ष 2775 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित करते हुए रू0 199.73 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु इस योजनान्तर्गत 2775 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रू0 200 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। सितम्बर 2022 तक लक्ष्य के सापेक्ष 112 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

5.2 अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण योजना

इस योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति युवक/युवतियों को प्रशिक्षण हेतु चयनित कर कौशल विकास हेतु निर्धारित ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों को एक माह का सैद्धान्तिक एवं 03 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत प्रशिक्षण उपरान्त टूल किट एवं मानदेय भी प्रदान किया जाता है।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 487.50 लाख रू0 आवंटित धनराशि के लक्ष्य के सापेक्ष रू0 486.64 लाख की धनराशि व्यय करते हुये 6771 के लक्ष्य के सापेक्ष समस्त 6771 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 मे इस योजनान्तर्गत 6792 प्रशिक्षणार्थियों हेतु रू0 489 लाख का प्राविधान किया गया। सितम्बर 2022 तक 312 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किये जा चुके है।

5.3 उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुये औद्योगिक विकास को गति देने तथा बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं उन्हें स्वरोजगार युक्त बनाये जाने के दृष्टिकोण से यह योजना संचालित की जा रही है।

इस योजनान्तर्गत शिक्षित युवाओं को उद्यमिता के सम्बन्ध में 02 सप्ताह का सामान्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण में परियोजना संरचना, बैंकों से लेन–देन की जानकारी व अन्य सामान्य जानकारियां प्रदान की जाती है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1200 प्रशिक्षणार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष 6 लाख रू0 की धनराशि व्यय की गयी जो लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत प्रगति रही। वर्ष 2022–23 में 3375 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 12 लाख रू0 बजट का प्राविधान है।

6-हस्तशिल्प विकास की योजनायें

हस्तशिल्पियों के उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना, हस्तशिल्प प्रशिक्षण योजना विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना चलाई जा रही हैं।

6.1 हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

इस योजनान्तर्गत प्रदेश के हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिये जाने के क्रम में परिवहन व्यय एवं स्टॉल के किराये में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रू0 10000 राज्य सहायता प्रदान करने का प्राविधान है। यह सुविधा वर्ष में एक शिल्पकार को दो बार उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना हेतु हस्तशिल्पी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, उसके पास हस्तशिल्पी पहचान पत्र हो। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 200 लाख स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 196.50 लाख की धनराशि व्यय कर 2000 लक्ष्य के सापेक्ष 1967 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2000 लाभार्थियों के लिए 200 लाख रू0 की धनराशि स्वीकृत है।

6.2 हस्तशिल्प प्रशिक्षण योजना

इस योजनान्तर्गत दो तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है।

6.2.1 हस्तशिल्प कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना

यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य वाले जिलों में संचालित है, जिसके अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के व्यक्ति पात्र होते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को पांच वर्ष की शिथिलता प्रदान की गयी है। इस योजना का उद्देश्य हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे–धीरे बेहतर तकनीकी से कराना एवं उनके कौशल विकास की दृष्टि से प्रशिक्षण कराना है। इस योजनान्तर्गत परम्परागत शिल्पकारों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें नवीनतम तकनीक एवं उन्नत किस्म के औजारों व उपकरणों के उपयोग भी सिखाये जाते हैं। यह छः माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, जिसमें एक कार्यक्रम में 10 प्रतिभागी प्रशिक्षित किये जाते है। प्रशिक्षण शिल्प गुरूओं के माध्यम से प्रदान कराया जाता है।

6.2.2 निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

यह योजना प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प क्षेत्रों में जहां हस्तशिल्पियों द्वारा निर्यात योग्य उत्कृष्ट कलाकृतियां बनायी जा रही है, संचालित की जाती है। इस योजना में वही हस्तशिल्पी पात्र होंगे जो हस्तशिल्प/निर्यात से सम्बन्धित उत्पादों में अनुभव रखते है। यह 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रति कार्यक्रम 20 शिल्पी प्रतिभाग करते हैं।

हस्तशिल्प प्रशिक्षण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1740 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित करने के लिए रू0 120.00 लाख की स्वीकृत धनराशि से शतप्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गयी। वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी 1740 हस्तशिल्पियों हेतु रू0 120 लाख का प्राविधान किया गया है।

6.3 विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के शिल्पगुरू के रूप में चयनित अथवा राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार/दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों को रू0

2000/– प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। शिल्पियों की न्यूनतम आयु 50 वर्ष तथा अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नही होता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में 57.60 लाख रू0 की स्वीकृत धनराशि से 256 विशिष्ट शिल्पकारों को पेंशन प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 57.60 लाख रू0 इस योजना हेतु आवंटित किये गये है।

7-निवेश मित्र पोर्टल/एकल मेज व्यवस्था एवं उद्योग बन्धु

उद्यमियों की विभिन्न विभागों से सम्बन्धित उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा त्रिस्तरीय उद्योग बंधु व्यवस्था संचालित है। जिला स्तरीय उद्योग बन्धु प्रत्येक माह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एवं मण्डलस्तरीय उद्योग बन्धु दो माह में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आहुत की जाती है।

एमएसएमई क्षेत्र की सुगमता के लिये आवश्यक विभिन्न स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा सहमतियों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निवेश–मित्र पोर्टल की व्यवस्था की गई है, जिसमें उद्यमियों द्वारा वेबसाइट निवेशमित्रडॉटयूपीडॉटइन पर स्वयं आवेदन कर विभिन्न विभागों से सम्बन्धित एन0ओ0सी0 आदि प्राप्त कर सकते है।

8-विभाग द्वारा स्थापित औद्योगिक आस्थान/मिनी औद्योगिक आस्थान

औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 1960–70 में प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रफल के 78 वृहद औद्योगिक आस्थान विकसित किये गये जिनमें 959 शेड तथा 3658 भूखण्ड आवंटित हैं एवं 11 शेड और 25 भूखण्ड रिक्त हैं। इसी प्रकार तहसील व विकास खण्ड स्तर पर 1980 से 1992 के मध्य 160 मिनी औद्योगिक आस्थान विकसित किये गये जिनमें 6305 भूखण्ड आंवटित हैं एवं वर्तमान में 1551 भूखण्ड रिक्त हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में 16 औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि रू0 700.00 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों/कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित की गयी। वर्ष 2022–23 में इस हेतु रू0 200.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष अगस्त 2022 तक रू0 53.97 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों/कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित की गयी।

9-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना

भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में परिवर्तन कर उद्योग आधार मेमोरेण्डम (यूएएम) व्यवस्था सितम्बर 2015 में लागू की गई थी, जिसे पुनः परिवर्तित कर 'उद्यम रजिस्ट्रीकरण' दिनांक 26 जून 2020 के भारत के राजपत्र द्वारा प्रकाशित किया गया तथा 1 जुलाई, 2020 से लागू किया गया। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

(1) सूक्ष्म उद्यम – ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश 1 करोड़ रूपये से अधिक नही है और आवर्तन टर्न ओवर पांच करोड़ से अधिक नही है।

(2) लघु उद्यम – ऐसा लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश दस करोड़ रूपये से अधिक नही है और आवर्तन टर्न ओवर पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं है।

(3) मध्यम उद्यम – ऐसा मध्यम उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश पचास करोड़ रूपये से अधिक नही है और आवर्तन टर्न ओवर दो सौ पचास करोड़ से अधिक नही है।

प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास व रोजगार तथा स्वरोजगार अवसरों के सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की महती भूमिका है। प्रदेश में अधिकाधिक एमएसएमई इकाईयों की स्थापना कराकर प्रदेश में पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन सुनिश्चित किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 28.09.2022 को नवीन एमएसएमई नीति–2022 घोषित की गयी है। नई नीति में रोजगार सृजन में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि सम्भावित है। उद्योग स्थापना के लिए भूमि क्रय किये जाने पर पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा सम्पूर्ण प्रदेश की महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र में 75 प्रतिशत स्टैम्प डयूटी छूट प्रदान की जाएगी। इस नीति के अन्तर्गत एमएसएमई इकाइयों को प्रथम बार रू0 4 करोड़ तक पूंजी उपादान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराया जाएगा जिससे प्रदेश में पूंजी निवेश के साथ ही अधिकाधिक रोजगार सृजन हो सकेगा।

प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया गया है। एमएसएमई अधिनियम–2020 के माध्यम से इकाइयों को 1000 दिवस तक किसी भी विभाग से निरीक्षण से छूट प्रदान की गयी है। इसी प्रकार निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के

क्रम में वांछित अनापत्ति/लाइसेन्स/अनुमति आदि को प्राप्त करने की पूर्णतया ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गयी है जिसमें उद्यमी समयबद्ध रूप से स्वीकृतियां आदि प्राप्त कर रहा है।

प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2022–23 के लिए रू0 110906.74 लाख का आय–व्ययक प्राविधान एवं रू0 41686.77 लाख का आवंटन किया गया जिसके सापेक्ष रू0 23511.24 लाख का व्यय किया गया।

उ0प्र0 सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए किये गये प्रयास

- प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया गया है। एम.एस.एम.ई अधिनियम 2020 के माध्यम से इकाईयों को 1000 दिनों तक किसी भी विभाग से निरीक्षण से छूट प्रदान की गयी है। इसी प्रकार निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वाछिंत अनापत्ति/लाइसेन्स/अनुमति आदि को प्राप्त करने की पूर्णतया आनलाइन व्यवस्था की गयी है जिससें उद्यमी समयबद्ध रुप से स्वीकृतियॉ आदि प्राप्त कर रहा है। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2021–22 में लगभग कुल 412134 उद्यम पंजीकृत हुये, जिसमें 2806425 रोजगार का सृजन हुआ।
- लॉकडाउन से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुगमतापूर्वक कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना के अर्न्तगत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारण्टी स्कीम (ईसीएलजीएस) के रुप में विशेष आार्थिक पैकेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा एस0एल0बी0सी0 के सहयोग से बैको द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र में अधिकाधिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया गया है।
- कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों/परियोजनाओं को जिलास्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा चयन/संस्तुति प्रदान करने की व्यवस्था को सरलीकृत करते हुये अपने सर्कुलर दिनांक 06–05–2020 द्वारा स्कोरिंग मॉडल (स्कोर कार्ड) के आधार पर ऋण प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों के चयन की व्यवस्था लागू की गयी है।
- प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु दिनांक 23.06.2021 को ऑनलाइन रोजगार संगम कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लगभग 31542 इकाइयों को रू0 2505.58 करोड़ का ऑनलाइन ऋण वितरण किया गया। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 9 जनपदों में सामान्य सुविधा केन्द्र का ऑनलाइन शिलान्यास हुआ तथा ई–सेवा पोर्टल का भी शुभारम्भ किया गया।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतानों के त्वरित निस्तारण हेतु उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर में स्थापित फैसिलीटेशन काउन्सिल को मण्डल स्तर तक विकेन्द्रीकृत किया गया है।
- औद्योगिक विकास में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत आधुनिक रूप में विकसित कर उन्हें कारपोरेट लुक दिये जाने हेतु प्रतिवर्ष पाँच–पाँच जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना लागू की गयी है।
- कोविड–19 के कारण प्रभावी लॉक–डाउन के समय उद्यमियों की विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु एमएसएमई साथी नाम से एक पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल पर कोई उद्यमी किसी भी विभाग से सम्बन्धित अपने प्रकरणों को दर्ज कर सकता है। उक्त प्रकरण सम्बन्धित विभाग को निराकरण हेतु ऑटोमेटिक रूप से अग्रसारित हो जाता है।
- निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 20.09.2021 से दिनांक 27.09.2021 तक भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स द्वारा वाणिज्य मेगा एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव गाजियाबाद, गौतमबुद्व नगर, मुरादाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर में आयोजित किया गया। शेष जनपदों में भी एक एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया।
- शासकीय क्रय को जेम पोर्टल के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। जेम पोर्टल से क्रय में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है एवं पोर्टल से रु0 11275 करोड़ का क्रय वित्तीय वर्ष 2021–22 में कराया गया है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत तीन सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित किये जा चुके है एवं 02 स्थापनाधीन है। इसी क्रम में एक जनपद एक उत्पाद

योजना की उप योजना' सामान्य सुविधा केन्द्र के अन्तर्गत अब तक 41 सीएफसी की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है जिसमें से 22 सीएफसी क्रियान्वयन की स्थिति में है।

हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग

- हथकरघा उद्योग रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हजार हथकरघे हैं। प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं जिसके माध्यम से 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।
- वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उददेश्य से उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एण्ड गारमेंटिंग पालिसी–2022 प्रख्यापित की गयी है जिसमें वस्त्र क्षेत्र के निवेशकों एवं स्वरोजगार प्रारम्भ करने वाले युवकों को अनेक वित्तीय सुविधाएं अनुमन्य की गयी हैं।
- प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है।
- प्रदेश में गारमेंटिंग हव बनाने हेतु पी0एम0 मित्र योजना के अन्तर्गत मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए जनपद हरदोई/लखनऊ में भूमि चिन्हित है।
- पावरलूम बुनकरों को गैर–पारम्परिक ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा का लाभ दिलाने, पर्यावरण की रक्षा एवं बुनकरों को वस्त्र उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा मे बनाये रखने हेतु अनुदानित दर पर यूपी नेडा के माध्यम से मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना लागू की गयी है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वरोजगार की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं–

- पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभान्वित लाभार्थियों को ही ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्षों तक दिये जाने का प्राविधान है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 500 लाख का प्राविधान है।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को रू0 10 लाख की परियोजना लागत में निर्धारित पूंजीगत ऋण पर बैंक द्वारा प्रभारित कुल ब्याज में 4 प्रतिशत के अतिरिक्त शेष प्रभारित ब्याज धनराशि तथा अन्य सभी आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को सम्पूर्ण प्रभारित ब्याज राशि उपादान स्वरूप लाभार्थियों को 05 वर्षों तक ऋण दाता बैंक शाखा को भुगतान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 626 लाख का प्राविधान किया गया है जिसके अन्तर्गत 800 इकाइयों को रू0 4000 लाख पूंजीगत निवेश ऋण के साथ 16 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना एवं कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 655 लाख का प्राविधान किया गया। जिसके अन्तर्गत 9009 लाभार्थियों को कौशल सुधार प्रशिक्षण तथा 909 प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कराने का लक्ष्य है।
- पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 1500 लाख का प्राविधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत 212 खादी की संस्थाओं को भुगतान कराये जाने का लक्ष्य है।
- ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों के आयोजन एवं विपणन विकास सहायता कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में रू0 400 लाख का प्राविधान किया गया।
- ई–गवर्नेंस कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 40 लाख का प्राविधान है।
- पुरस्कार योजना के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा वित्तपोषित खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों के अच्छे एवं उत्कृष्ट उत्पादन एवं बिक्री का कार्य करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना में रू0 10 लाख का प्राविधान है।
- खादी के शोध, डिजाइन, मानकीकरण एवं प्रचार–प्रसार के अन्तर्गत खादी की संस्थाओं को खादी को प्रीमियम ब्रांड की तरह विकसित करने का कार्य राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली से कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजनान्तर्गत रू0 40 लाख का प्राविधान है।

- कम्बल कारखानों को पुनर्संचालन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 108.22 लाख का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष 22 हजार नग कम्बल का उत्पादन कराये जाने का लक्ष्य है।
- कॉमन फैसिलटी सेंटर कुशीनगर में खादी उत्पादन केन्द्र एवं बिक्री भण्डार योजना हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निर्माण निगम द्वारा रू0 500 लाख का प्राविधान है।
- खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 1200 लाख का प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष 1000 सोलर चरखा, 539 दोना–पत्तल मशीन एवं 383 पॉपकॉर्न मशीन क्रय करते हुए चयनित लाभार्थियों को वितरित कराये जाने का लक्ष्य है।
- माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित योजनान्तर्गत प्रदेश में माटी कला के पराम्परागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0 1000 लाख का बजट प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष माह नवम्बर, 2022 तक रू0 333.33 लाख का व्यय किया जा चुका है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

- इस फ्लैगशिप इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश में विद्यमान निवेश की असीमित सम्भावनाओं को मूर्तरूप देने हेतु निवेशक समुदाय को समेकित अवसर प्रदान कर रही है। 10 से 12 फरवरी, 2023 के मध्य लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी, 2018 में पहली बार यूपी इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया था। इसके उपरान्त जुलाई, 2018 में प्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह तथा दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह जुलाई 2019 में आयोजित किया गया जिसमें क्रमशः 61792 करोड़ रूपये के निवेश वाली 81 परियोजनाओं तथा 67202 करोड़ रूपये के निवेश वाली लगभग 292 परियोजनाओं का सफलतापूर्वक शुभारम्भ किया गया। माह जून, 2022 में ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के तीसरे संस्करण का अयोजन किया गया जिसमें लगभग 80000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश वाली 1400 से अधिक परियोजनाओं का शुभारम्भ किया गया जो पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व औद्योगिक प्रगति का प्रमाण है। आने वाले समय में इन निवेशों के फलस्वरूप विकास के बहुआयामी प्रभाव स्वतः ही प्रदर्शित होंगे।
- यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 17 लाख करोड़ रूपये का निवेश आकर्षित करने तथा लगभग 01 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पार्टनरशिप के लिए राज्य सरकार ने अब तक लगभग 19 देशों से सम्पर्क किया। नीदरलैण्ड, डेनमार्क, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एवं मारीशस ने इस समिट में प्रदेश के साथ सहभागिता के लिए सहमति व्यक्त की है।
- यूपीजीआईएस 2023 के लिए 16 देशों के 21 शहरों में निवेश प्रोत्साहन हेतु रोड–शो आयोजित किये गये।
- वैश्विक व्यापारिक समूह से लगभग 7.12 लाख करोड़ रूपये के 149 निवेश आशय प्राप्त हुए हैं।
- एमओयू पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा निवेशकों को समुचित सहायता प्रदान करने के लिए ''इन्वेस्ट यूपी'' द्वारा एक ''ऑनलाइन निवेशक सम्बन्ध प्रबन्धन पोर्टल'' विकसित किया गया है जिसे निवेश सारथी के रूप में जाना जाएगा।
- उत्तर प्रदेश ने आईटी/आईटीईएस, डेटा सेंटर, ईएसडीएम, डिफेन्स एवं एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग एवं लोजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएमएमई सहित विभिन्न क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए अनेक सुधारात्मक कदम उठाये हैं।

डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर

देश एवं प्रदेश के सुरक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने के उददेश्य से प्रदेश में झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा एवं कानपुर में रक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्योगों को स्थापित करते हुए विभिन्न अवसंरचनाओं के विकास के कार्य प्रगति पर हैं। इससे इन उद्यमों का विकास होने के साथ ही रोजगार तथा आस–पास के क्षेत्र का विकास होने से वहां के जनमानस को अन्य भी अनेक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होंगे।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय महायोजना

पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लागू करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। राज्य में बुनियादी ढांचे की योजना को सक्षम करने के लिए पोर्टल पर प्रमुख महत्वपूर्ण लेयर्स को एकीकृत किया गया है। इस प्लान द्वारा राज्य सरकार के व्यवसाय को बढ़ाने, जीवन स्तर के उत्थान, उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक राज्य में विकास को बढ़ावा देने एवं वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को बनाने के संकल्प में सार्थक गति प्रदान की है।

प्रदेश में खनिज उत्पादन

खनिज मुख्य रूप से दो श्रेणियों में–मुख्य खनिज एवं उपखनिज में वर्गीकृत है। केन्द्र सरकार के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम–1957 के अन्तर्गत मुख्य खनिजों का व्यवस्थापन केन्द्र सरकार द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार को उपखनिजों के परिहार को नियन्त्रित करने हेतु अधिकार प्रदान किये गये है जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 सम्प्रति 2021 प्रख्यापित की गयी है।

वर्ष 2021–22 के तैयार किये गये त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर भावों पर खनन एवं उत्खनन उपखण्ड का योगदान 2.2 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 के तैयार किये गये त्वरित अनुमानों के अनुसार खनन एवं उत्खनन उपखण्ड में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 में स्थिर भावों पर 12.1 प्रतिशत की वृद्धि तथा प्रचलित भावों पर 11.9 प्रतिशत की वृद्धि रही।

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, मैग्नासाइट, ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट, सिलिकासैण्ड, गन्धक, स्टीटाइट तथा कोयला आदि सम्मिलित हैं। उपखनिज पदार्थों के अन्तर्गत साधारण बालू, इमारती पत्थर, ईंट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़ शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन सम्मिलित हैं।

मुख्य खजिन में वर्ष 2020–21 से 2021–22 में सिलिका सैन्ड, कोयला, चूने के पत्थर, गन्धक के परिमाण में क्रमशः 14.02, 5.91, 7.84 व 11.25 की वृद्धि रही। उपखनिजों में वित्तीय वर्ष 2020–21 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 में इमारती पत्थर स्लैब स्टोन व ग्रेनाइट के उत्पादन में क्रमशः 128.57 प्रतिशत व 11.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इन्टिग्रेटेड माइनिंग सर्विलाइन्स सिस्टम के अन्तर्गत खनन क्षेत्रों के जियोटैंगिंग, वाहनों में वीटीएस, निकासी स्थल पर कैमरे व वेब्रिज स्थापित करने तथा निदेशालय स्थित कमांड सेंटर से इन्टिग्रेशन कराये जाने के उपरान्त ही खनिजों की निकासी अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में 85 हजार वाहनों को पंजीकरण किया गया है तथा 485 वेब्रिज स्थापित किये गये हैं। ड्रोन एवं क्लाउड सर्विसेज का प्रयोग कर खनन क्षेत्रों की ड्रोन के माध्यम से विडियोग्राफी कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश में मुख्य खनिजों एवं उपखनिजों से वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्धारित लक्ष्य रू0 4860 करोड़ के सापेक्ष माह अक्टूबर, 2022 तक रू0 1422.37 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई।

****

अध्याय–10
सेवा क्षेत्र

मुख्य बिन्दु

- ❖ वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, प्रचलित भावों पर प्रदेश के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 में 45.51 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 46.95 प्रतिशत हो गया।
- ❖ प्रदेश के जीएसवीए में वर्ष 2020–21 में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह उप–खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 8.05 प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्ष 2021–22 में 8.71 प्रतिशत हो गया।
- ❖ प्रदेश में क्षेत्र विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में प्रसारण सम्बन्धी सेवाओं को नई श्रृंखला में शामिल किया गया है।

अर्थव्यवस्था के तीन खण्डों–प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तृतीयक खण्ड का सबसे अधिक योगदान है। वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, प्रचलित भावों पर वर्ष 2021–22 मे इस सेक्टर का अंश 46.95 प्रतिशत है जो वर्ष 2020–21 मे 47.29 प्रतिशत था। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक क्रियाकलाप आते हैं जिनके कई आयाम हैं। कुछ सेवाएं उच्च प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता की हैं तो कुछ सामान्य सेवाएं यथा–बाल कटिंग तथा वस्त्र धुलाई आदि। इसी प्रकार से कुछ सेवाएं संगठित तथा कुछ असंगठित क्षेत्र में हैं।

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी वर्गीकरण के अनुसार तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह, परिवहन संग्रहण तथा संचार, वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं।

सेवा खण्ड का निष्पादन

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी प्रदेश के वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, प्रदेश के जीएसवीए मे स्थायी भावों पर सेवा क्षेत्र का 47.92 प्रतिशत योगदान है, जबकि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र का क्रमशः 25.33 प्रतिशत तथा 26.74 प्रतिशत है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का महत्व स्वयंसिद्ध है।

तालिका–10.01– प्रचलित एवं स्थायी भावों पर जीएसवीए मे सेवा क्षेत्र का योगदान एवं वृद्धिदर

वर्ष	प्रचलित भावों पर			स्थायी भावों पर		
	सेवा क्षेत्र का जीएसवीए (रु0 करोड. मे)	वृद्धिदर प्रतिशत	योगदान प्रतिशत	**सेवा क्षेत्र का जीएसवीए** (रु0 करोड. मे)	वृद्धिदर प्रतिशत	योगदान प्रतिशत
2011–12	310326	–	45.51	310326	–	45.51
2015–16	504649	10.63	47.71	416939	7.62	48.96
2016–17	554049	9.79	46.29	440696	5.70	46.28
2017–18	626642	13.10	47.34	478665	8.62	47.94
2018–19	699899	11.69	48.51	508254	6.18	48.89
2019–20	767433	9.65	49.33	543727	6.98	50.37
2020–21	711359	–7.31	47.29	505370	–7.05	49.25
2021–22	811093	14.02	46.95	538374	6.53	47.92

वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार, इस क्षेत्र की वृद्धिदर 6.53 प्रतिशत रही है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 में 45.51 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 46.95 प्रतिशत हो गया है।

प्रदेश के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का स्थायी भावों पर वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, एवं वर्ष 2021–22 में क्रमशः 5.70, 8.62, 6.18, 6.98, (–)7.05 तथा 6.53

प्रतिशत की वृद्धिदर है। इस खण्ड के अन्तर्गत प्रचलित भावों पर वर्ष 2021–22 में सर्वाधिक योगदान स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें उपखण्ड का 31.55 प्रतिशत है।

उप–खण्डवार सेवा क्षेत्र का विश्लेषण

(1) परिवहन, संग्रहण तथा संचार

राष्ट्रीय लेखा साँख्यिकी के वर्गीकरण के अनुसार परिवहन, संग्रहण तथा संचार के अन्तर्गत अधिसंरचनात्मक क्षेत्र यथा–रेलवे, वायुयान परिवहन, भण्डारण, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाएं, रेलवे के अतिरिक्त अन्य परिवहन सेवाएं शामिल की जाती हैं। वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार इस उप–खण्ड का स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में जीएसवीए रू० 40475 करोड़ था जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर रू० 98392 करोड़ हो गया है। वर्ष 2021–22 में इस उप–खण्ड में स्थायी भावों पर 8.8 प्रतिशत की वृद्धिदर परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर जीएसवीए में इसका योगदान वर्ष 2011–12 में 5.94 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2021–22 में 6.85 प्रतिशत हो गया है।

वर्ष 2021–22 में भण्डारण का जीएसवीए स्थायी भावों पर रू० 1815 करोड़, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाओं का मूल्यवर्धन रू० 21810 करोड़ है। उल्लेखनीय है कि प्रसारण सम्बन्धी सेवाओं को नई श्रृंखला में शामिल किया गया है। प्रदेश में यह क्षेत्र विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में सामने आया है।

(2) व्यापार होटल एवं जलपान गृह

इस उप–खण्ड में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह के साथ पर्यटन उद्योग भी शामिल है। वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार इस उप–खण्ड का जीएसवीए स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 मे रू० 69466 करोड़ था जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर रू० 107706 करोड़ हो गया है। वर्ष 2021–22 में इस उप–खण्ड में 9.50 प्रतिशत की वृद्धिदर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के जीएसवीए में वर्ष 2011–12 में इस उप–खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 10.19 प्रतिशत था, जो वर्ष 2021–22 में 8.71 प्रतिशत है।

(3) वित्तीय सेवाएं

इसके अन्तर्गत समस्त वित्तीय सेवाएं सम्मिलित हैं। इसमें वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार जीएसवीए स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में रू० 25182 करोड़ था जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर रू० 47767 करोड़ हो गया है। इस उप–खण्ड में वर्ष 2021–22 में 5.85 प्रतिशत की वृद्धिदर परिलक्षित हुई है। प्रदेश के जीएसवीए में वर्ष 2011–12 में इस उप–खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 3.69 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2021–22 में 3.89 प्रतिशत हो गया है। उल्लेखनीय है, कि इसके आँकड़े केन्द्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार से प्राप्त होते हैं जो रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

(4) स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं

इसके अन्तर्गत स्थावर संपदा, कम्प्यूटर तथा सूचना सम्बन्धी सेवाएं, व्यवसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां, शोध एवं विकास गतिविधि सहित, प्रशासनिक तथा सहायक सेवाओं सम्बन्धी गतिविधियां, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इसमें वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार जीएसवीए स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में रू० 97454 करोड़ था, जो बढ़कर वर्ष 2021–22 में रू० 146248 करोड़ हो गया है। इस उप–खण्ड में वर्ष 2021–22 में 3.79 प्रतिशत की वृद्धिदर परिलक्षित हुई है। प्रदेश के जीएसवीए में वर्ष 2011–12 में इस उप–खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 14.29 प्रतिशत था जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 14.81 प्रतिशत हो गया। सेवा खण्ड के अन्तर्गत इस उप–खण्ड का योगदान सर्वाधिक है।

(5) लोक प्रशासन

सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के अन्तर्गत प्रदेश सरकार, समस्त ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाएं तथा छावनी परिषद को सम्मिलित किया जाता है। इस उप–खण्ड में वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में जीएसवीए स्थायी भावों पर रू० 42348 करोड़ था, जो कि वर्ष 2021–22 में बढ़कर रू० 78521 करोड़ हो गया है। वर्ष 2021–2022 में इस उप–खण्ड में 5.86 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के जीएसवीए में इस उप–खण्ड का योगदान वर्ष 2011–12 में 6.21 एवं वर्ष 2021–22 में 7.06 प्रतिशत रहा है।

(6) अन्य सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के साथ ही मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, खेल–कूद गतिविधियां, संघों की सदस्यता सम्बन्धी गतिविधियां, व्यक्तिगत सेवाएं यथा वस्त्र उत्पाद की साफ–सफाई, बालों की कटिंग तथा अन्य ब्यूटी सैलून, दर्जी आदि की सेवाएं भी सम्मिलित हैं। इस उप–खण्ड में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं, जिनकी कई विशेषताएं और आयाम हैं। इस उप–खण्ड में वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में जीएसवीए स्थायी भावों पर रू० 35401 करोड़ था जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर रू० 59741 करोड़ हो गया है। वर्ष 2021–22 में इस उप–खण्ड में 9.07 प्रतिशत की वृद्धिदर परिलक्षित हुई है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के जीएसवीए में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान 5.19 प्रतिशत था जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 5.62 प्रतिशत हो गया।

****

अध्याय–11
अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार

मुख्य बिन्दु

- बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे नियन्त्रित परियोजना (ग्रीन फील्ड) का लोकार्पण मा० प्रधानमंत्रीजी द्वारा 16 जुलाई 2022 को (ग्राम कैथेरी) जालौन में किया गया। एक्सप्रेस–वे पर यातायात निर्बाध रूप से चल रहा है।
- प्रदेश सरकार ने पश्चिमी भाग (मेरठ) को पूर्वी भाग (प्रयागराज) से जोड़ने के लिए लगभग 600 किमी लम्बे गंगा एक्सप्रेस–वे के निर्माण के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जिसका निर्माण कार्य नवम्बर, 2022 से प्रारम्भ हो गया।
- मार्ग एवं सेतु के निर्माण सम्बन्धी समस्त गतिविधियों को सशक्त करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं पूर्ण पारदर्शिता के उददेश्य से ''चाणक्य'', ''विश्वकर्मा'' व ''प्रहरी'' ऑनलाइन पोर्टल लागू किये गये हैं।
- आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से शिक्षार्थी लाइसेन्स निर्गमन की व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाराबंकी कार्यालय में अगस्त 2021 से प्रारम्भ की गयी थी। जनवरी, 2022 से इसका विस्तारीकरण कर प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में लागू किया गया।
- रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु नेशनल सिंगल विन्डो वेबसाइट पर दिनांक 18.02.2022 से आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।
- 150 नयी बी0एस0–6 साधारण डीजल बसों का दिनांक 10.08.2022 को शुभारम्भ किया गया। प्रत्येक जनपद को उक्त नयी बसों से जोड़ा गया है।
- वर्ष 2022–23 में माह अप्रैल से अक्टूबर तक औसतन ग्रामीण क्षेत्र में 17:26 घण्टे तहसील क्षेत्र में 20:52 घण्टे तथा शहरी क्षेत्र में 23:26 घण्टे आपूर्ति की गयी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति–2022 प्रख्यापित की गयी है। इस नीति में आगामी 5 वर्षों में 22 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माह सितम्बर, 2022 में ''उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022'' घोषित की गयी है, जिसमें कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट इत्यादि जैसे विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट, बायो कोल (पैलेट्स और ब्रिकेट्स), बायो डीजल/बायो एथेनॉल की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया गया है।

परिवहन, संचार, ऊर्जा, एवं पेयजल आदि अवस्थापना सुविधाओं पर होने वाला निवेश आर्थिक विकास का उत्प्रेरक है। आर्थिक विकास को उचित दिशा देने हेतु इस क्षेत्र को अधिकाधिक सुदृढ़ किया जाना प्राथमिकता है।

सड़क परिवहन

सड़क परिवहन अर्थव्यवस्था के निरन्तर और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। यह देश में यात्री परिवहन और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाइल कनेक्टिविटी की भूमिका की वजह से महत्वपूर्ण है। प्रदेश के औद्योगिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सड़कों एवं सेतुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई सड़कों के निर्माण के साथ–साथ बढ़ते यातायात को ध्यान में रखते हुए विद्यमान सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण द्वारा रोड नेटवर्क की क्षमता वृद्धि एवं नियमित रख–रखाव किया जाना आवश्यक है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सभी ग्रामों एवं बसावटों तक सर्वऋतु योग्य सड़कों का निर्माण किया जाना प्राथमिकता है।

तालिका–11.01– सड़क नेटवर्क की वर्तमान स्थिति

(किमी0)

क्र.सं.	मार्ग का वर्गीकरण	मार्च 2018 तक	मार्च 2019 तक	मार्च 2020 तक	मार्च 2021 तक	मार्च 2022 तक
1	राष्ट्रीय मार्ग	8488	11384	11487	11455	11590
2	राज्य मार्ग	6892	6593	8322	11060	10901
3	प्रमुख जिला मार्ग	7377	7201	5550	5550	6749
4	अन्य जिला मार्ग	49405	48616	49476	50316	54244
5	ग्रामीण मार्ग	168692	169512	180135	182626	204148
	योग–	**240854**	**243306**	**254970**	**261007**	**287632**

स्रोतः– लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.।

तालिका–11.02–वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23 में विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य एवं प्रगति (सितम्बर, 2022 तक)

(धनराशि रू0 करोड़ में)

योजना का नाम	वर्ष 2021–22					वर्ष 2022–23		
	बजट प्राविधान	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	प्रगति	बजट प्राविधान	आवंटन	व्यय
ग्रामीण मार्गो का नविनिर्माण/पुर्ननिर्माण	2640	585	73	3520	310.31	2165	302	85
ग्राम/बसावटों को जोड़ा जाना					48.30			
विभिन्न श्रेणी के मार्गो का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	7252	1786	619	2900	310.60	8289	3963	1730
नदी सेतुओं का निर्माण एवं रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य	3124.41	607	419	222	31	3746	743	428
इन्डो नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना	280	44	30	46	6	72	16	16

तालिका–11.03–वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में बजट प्राविधान

(अनुपूरक/पुनर्विनियोग सहित) (धनराशि रू0 करोड़ में)

क0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23
	आयोजनागत व्यय		
(क)	**ग्रामीण मार्गो का निर्माण/पुनर्निर्माण**		
1	जिला योजना	225	190
2	पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना	710	200
3	आर0आई0डी0एफ0 योजना	320	1000
4	अनजुड़ी बसावटों में मार्गो का निर्माण	700	500
5	श्यामा प्रसाद मुखर्जी	100	20
6	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	45	55
7	महत्वपूर्ण ग्रामीण मार्गो के चौड़ीकरण कार्य	-	200
(ख)	**मार्गो का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण**		
1	राज्य सड़क निधि	1800	1750
2	आर0आई0डी0एफ0 योजना	900	800
3	पं0 दीन दयाल उपाध्याय तहसील/ब्लाक योजना	250.75	185
4	केन्द्रीय मार्ग निधि	2836	2850
5	गंगा नहर पटरी चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण	1726.98	200
6	प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय मार्गो का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	170	200
7	काशी विश्वनाथ कारीडोर	0.01	500

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23
8	शारदा कैनाल के दोनो तरफ तीन–तीन लेन का सड़क निर्माण	01	–
9	प्रमुख/अन्य जिला मार्गे का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	2726.9383	2415.8948
10	राज्य मार्गो का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	1732.3819	2087.87
11	धार्मिक स्थल एवं प्रवेश द्वार	160	150
(ग)	अन्य		
1	प्रदेश में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाट के सुधार/साईकिल ट्रैक का निर्माण	150	200
2	उपसा को सहायता	50	50
3	इन्डो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग परियोजना	1.49	2.09
4	शहरों के बाईपास/फ्लाईओवर/रिंग रोड	383.68	600
5	सेतुओं/आर0ओ0बी0 का निर्माण	510	3746.3905
6	पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड विकास निधि	92.7485	700
7	भूमि अध्याप्ति	800	300
8	विश्व बैंक/ए0डी0बी0 योजनायें	612.500	327
9	इन्डो नेपाल बार्डर भूमि अध्याप्ति	10	60
10	इन्डो नेपाल बार्डर पर पर्यावरण वन एवं वन्य जीव सम्बन्धी अनापित्त प्राप्ति क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि से सम्बन्धित कार्य	10	10
11	अन्य एवं विविध मदें (जैसे प्रमुख अभियन्ता की लघु मदें, डिक्रीटल मदें, क्षतिपूरकवनीकरण)	187.3748	168.05
12	भवन	927485	127.4059
	आयोजनेतर व्यय		
1	सेतुओं का अनुरक्षण	80	80
2	भवनों का अनुरक्षण	130.64	150.2140

स्रोतः– लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.।

गंगा एक्सप्रेस–वे

- प्रदेश सरकार ने पश्चिमी भाग (मेरठ) को पूर्वी भाग (प्रयागराज) से जोड़ने के लिए लगभग 600 किमी लम्बे गंगा एक्सप्रेस–वे के निर्माण के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पर समाप्त होगा। इसके लिए 6556 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जायेगी। इस परियोजना में 8 आरओबी (ओवर ब्रिज) और 18 फ्लाई–ओवर्स बनेंगें।
- एक्सप्रेसवे 06 लेन (08 लेन तक विस्तारित) की होगी एवं सभी अवसंरचनाओं को 08 लेन के अनुसार ही विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई 120 मीटर प्रस्तावित है। 3.75 मीटर की सर्विस रोड को एक्सप्रेसवे के एक तरफ विकसित किया जाएगा।

सेतु व रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत 60 मीटर से अधिक लम्बाई के दीर्घ सेतुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा तथा 60 मीटर से कम लम्बाई के लघु सेतुओं का निर्माण लो0नि0वि0 द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 42 दीर्घ सेतु, 15 रेल उपरिगामी सेतु एवं 150 लघु सेतु तथा वर्ष 2022–23 में माह सितम्बर तक 22 दीर्घ सेतु, 03 रेल उपरिगामी सेतु एवं 75 लघु सेतुओं को आवगामन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2021–22 के 767 लघु सेतुओं, 305 दीर्घ सेतुओं एवं 121 रेल उपरगामी सेतुओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2022–23 में 760 लघु सेतु, 291 दीर्घ सेतु एवं 140 रेल उपरिगामी सेतुओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इण्डो नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना

प्रदेश में भारत–नेपाल सीमा पर मार्ग निर्माण की परियोजना है। यह मार्ग उत्तर प्रदेश के सात जनपद क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्वार्थनगर तथा महराजगंज से होकर गुजरता है। 12 अनुबन्धों के सापेक्ष 09 कार्य पूर्ण तथा शेष 03 कार्य प्रगति पर हैं।

स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मात्र मार्ग निर्माण पर आने वाले व्यय का ही वहन किया जायेगा जबकि संरेखण पर आवश्यक भूमि अध्याप्ति, वन एवं वन्य जीवपूर्वानुमति के फलस्वरूप एन0पी0वी0 का भुगतान एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी।

प्रारम्भ से मार्च, 2022 तक कुल रू0 767.15 करोड़ की धनराशि से 235.34 कि0मी0 के सापेक्ष 190.45 कि0मी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह अगस्त तक राज्य सरकार द्वारा भूमि अध्याप्ति हेतु रू0 14.75 करोड़ का आवंटन प्राप्त है, जिसके सापेक्ष रू0 2.36 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

मार्ग एवं सेतु के निर्माण सम्बन्धी समस्त गतिविधियों को सशक्त करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं पूर्ण पारदर्शिता के उददेश्य से ''चाणक्य'', ''विश्वकर्मा'' व ''प्रहरी'' ऑनलाइन पोर्टल लागू किये गये हैं। इनके माध्यम से निम्न सुविधाएं उपलब्ध हैं–

- ई–रजिस्ट्रेशन–विभिन्न श्रेणियों में कार्य हेतु पंजीकरण के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह मॉड्यूल गठित किया गया है।
- ई–एमबी–कार्य के अनुबंध गठन का डाटा प्रविष्टि के साथ कार्य की बिल ऑफ क्वान्टिटी की प्रविष्टि/अपलोड की जाएगी। साफ्टवेयर से कार्य में मदवार मात्रा के सापेक्ष सम्पादित कार्य की मात्रा का आंकलन, मात्रा में विचलन की स्थिति, रियल टाइम आधार पर उपलब्ध रहती है।
- ई–बिल–ई–एम0बी0 में प्रविष्टि बिल ऑफ क्वान्टिटी में प्राविधानित मात्रा के सापेक्ष संपादित कार्य की मात्रा के आधार पर बिल जनरेट होता है। विभागीय प्रक्रिया के अनुरूप सम्बन्धित खण्डीय स्तरों पर बिल के समस्त लेखा परीक्षण, गुणवत्ता परीक्षण, रायल्टी, कर, स्टॉफ से निर्गत सामग्री का समायोजन, सेक्योर्ड एडवांस का समायोजन आदि प्रक्रिया पूर्ण की जाती है।
- ई–मॉनीटरिंग–ई–एम0बी0 की प्रविष्टियों के आधार पर कार्य की वित्तीय तथा भौतिक मॉनीटरिंग की जा सकेगी।
- ई–मैनेजमेंट (प्रहरी) बिड कैपेसिटी इवैल्युएशन सिस्टम–किसी कार्य विशेष में निविदायें प्राप्त होने पर निविदादाता की बिड– कैपेसिटी की गणना सिस्टम की महत्वपूर्ण विशेषता है।
- निगरानी ऐप (गड्ढा मुक्ति)–किसी भी नागरिक द्वारा विभागीय कार्य के किसी भी फीचर, गड्ढा, मार्ग क्षति, पुलिया आदि का फोटो अपने मोबाइल से फोटो लेने पर यह स्वतः गूगल–मैप प्लेटफार्म पर दर्शित होने लगेगा।
- कोर्टकेस एप्लीकेशन–विभाग में चल रहे वादों (हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट) की अद्यतन स्थिति उक्त आनलाइन एप्लीकेशन से प्राप्त कर समय पर उसकी पैरवी की जा सकती है।
- सृष्टि–जी0आई0एस0 आधारित सृष्टि एप्लीकेशन एन0आई0सी0 के माध्यम से विकसित कराया गया है जिसमें विभाग द्वारा उ0प्र0 की समस्त सड़कों का ऑनलाइन नेटवर्क तैयार किया गया है।
- विश्वकर्मा–इस सॉफ्टवेयर के प्रयोग से बेहतर नियोजन, कार्यान्वयन व अनुश्रवण के उद्देश्य की पूर्ति होगी।
- एस्टीमेटर–उ0प्र0 सरकार की ई–गवर्नेंस नीति के कियान्वयन के क्रम में विभाग द्वारा इस सॉफ्टवेयर का विकास कराया गया है।

परिवहन सुविधाएं

प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास में सड़क परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की भी अहम भूमिका है। प्रदेश की विकासवादी अर्थव्यवस्था के लिए परिवहन क्षेत्र को अधिकाधिक

संगठित एवं जनोपयोगी बनाने की प्राथमिकता है। परिवहन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में राजस्व अर्जन हेतु निर्धारित लक्ष्य रू0 9350.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 7159.38 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया। परिवहन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0 10887.11 करोड़ राजस्व अर्जन के लक्ष्य के सापेक्ष अक्टूबर, 2022 तक रू0 5048 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया।

प्रदेश में आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी वाहनों से सम्बन्धित आँकड़े तालिका 11.04 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–11.04–प्रदेश में मोटर वाहनों की संख्या मे परिवर्तन

मद	वाहनो की संख्या (31 मार्च को)		2020–21 की अपेक्षा 2021–22 में प्रतिशत वृद्धि	कुल के सापेक्ष वाहनो की प्रतिशत अंश	
	2020–21	2021–22*		2020–21	2021–22
1–मोटर साईकिल	29756069	31801888	6.88	80.76	80.47
2–कार	3459633	3752253	8.5	9.4	9.49
3–बस	114117	104817	–8.15	0.3	0.27
4–टैक्सी	824187	962947	16.84	2.24	2.43
5–ट्रक	893971	999825	11.84	2.43	2.53
6–ट्रैक्टर	1646213	1741509	5.8	4.47	4.41
7–अन्य	149206	156808	5.09	0.40	0.4
कुल	36843396	39520047	7.26	100	100

स्रोतः–परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम। *अनन्तिम

परिवहन विभाग द्वारा चलायी जा रही जनोपयोगी परियोजनाएं

- आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से शिक्षार्थी लाइसेन्स निर्गमन की व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाराबंकी कार्यालय में अगस्त 2021 से प्रारम्भ की गयी थी। जनवरी, 2022 से इसका विस्तारीकरण कर प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में लागू किया गया।
- सेन्ट्रलाइज स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स निर्गमन का क्रियान्वयन मार्च, 2019 से प्रदेश में प्रारम्भ किया गया था। पैन कार्ड की तरह स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स को केन्द्रीयकृत प्रिन्टिंग एवं आवेदकों के पते पर डाक द्वारा प्रेषण का कार्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के स्थान पर प्रदेश मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश यह व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।
- जी0एस0आर0 240 (ई) एवं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उन्नाव कार्यालय में सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ की गयी थी, जिसका विस्तारीकरण दिसम्बर 2021 से प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में लागू किया गया।
- ऑन–लाइन ट्रेड सर्टिफिकेट योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जनवरी, 2020 से लखनऊ जनपद में प्रारम्भ की गयी जिसके सफल क्रियान्वयन के पश्चात् सभी जनपदों में क्रियान्वित कर दिया गया है। इससे डीलर्स को ऑन–लाइन आवेदन कर ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करने तथा उसके नवीनीकरण कराने की व्यवस्था होगी।
- ठेका परमिट प्राप्त करने की व्यवस्था को अब पूर्णतया ऑन–लाइन कर दिया गया है।
- मशीनों से जाँच कर वाहनों की स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है।
- रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु नेशनल सिंगल विन्डो वेबसाइट पर दिनांक 18.02.2022 से आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। प्रदेश में पांच स्क्रैपिंग सेंटर–02 गौतमबुद्धनगर, 01 आगरा, 01 बुलन्दशहर व 01 अमरोहा में स्थापित हो गये हैं तथा 06 अन्य जनपदों में इन सेंटर्स की स्थापना हेतु आवेदित हैं।

- नम्बर पोर्टबिलिटी सुविधा के अन्तर्गत वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन का पंजीयन चिन्ह ही नये वाहन पर पोर्ट करा सकेंगे।
- वेबबेस्ड वाहन 4.0 व्यवस्था के तहत पूरे देश की वाहन पंजीयन व्यवस्था के लिए सिंगल वेब प्लेटफार्म तैयार किया गया है। इसमें चोरी के वाहनों अथवा पंजीयन निरस्त वाहनों के विवरण को ट्रैक करने तथा वाहन पंजीयन तथा फिटनेस, टैक्स पेमेंट आदि की सूचना एसएमएस के माध्यम से वाहन स्वामी को उपलब्ध कराये जाने की भी सुविधा है।
- विभाग की क्रियाकलापों से सम्बन्धित जन सामान्य की जिज्ञासाओं तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु हेल्प लाइन नम्बर–1800–1800–151 है।

सड़क सुरक्षा

सड़क सुरक्षा सीधे आम जनमानस से जुड़े होने के कारण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन कृत संकल्प है। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य सभी विभागों यथा–लोक निर्माण विभाग, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग के साथ संयुक्त प्रयास किये जा रहे हैं।

सड़क सुरक्षा की दिशा में किये जा रहे प्रयास

भारत सरकार के सहयोग से

- जनपद रायबरेली में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इन्स्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग, ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0) स्थापित कराया गया है। यह परियोजना दिसम्बर, 2016 में प्रारम्भ की गयी थी तथा 30.09.2022 को पूर्ण कर ली गयी है। इसमें हल्की एवं भारी मोटर वाहनों की ट्रेनिंग के अतिरिक्त रिफ्रेशर कोर्स तथा अनुसंधान की व्यवस्था होगी।
- लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से वाहन इन्सपेक्शन एवं सर्टिफिकेशन सेन्टर निर्मित होकर क्रियाशील हो गया है जिसमें वाहनों की स्वस्थता की जांच आधुनिक मशीनों से पूर्णतः कम्प्यूटराइज हो रही है।

सड़क सुरक्षा कोष

- लाइसेन्सिंग प्रणाली को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करने हेतु आटोमेटेड ड्राइंविग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कानपुर नगर एवं बरेली में कराया गया है। इसके अतिरिक्त दो अन्य जनपदों–आजमगढ़ व प्रतापगढ़ में ऐसे ही आटोमेटेड ड्राइंविग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
- भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में इन्सपेक्शन एवं सर्टिफिकेशन (आई0 एण्ड सी0) सेन्टर निर्मित होकर सितम्बर, 2019 से क्रियाशील है। मोर्थ की गाइडलान (सितम्बर, 2021) के अनुसार अन्य सभी शेष जनपदों में अथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन(ए0टी0एस0) की स्थापना की जानी है, जिसके लिए निजी क्षेत्र में ए0टी0एस0 की स्थापना कराये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 02.09.2022 द्वारा राज्य नीति जारी की जा चुकी है।
- सुरक्षित परिवहन व्यवस्था के लिए दक्ष एवं कुशल चालकों को तैयार करने के उद्देश्य से मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 16 मण्डलीय मुख्यालय वाले जनपदों में एक–एक ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट(डी0टी0टी0आई0) स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।
- यात्रियों की सुरक्षित यात्रा हेतु समस्त बसों में स्पीड कन्ट्रोल डिवाइस स्थापित किये गये हैं।
- दिव्यांग यात्रियों की सुविधा हेतु 202 बस स्टेशनों पर व्हील चेयर, रैम्प, रैलिंग, प्रसाधनों की व्यवस्था की गयी है।

यात्री सुविधाओं का विस्तार

- वर्तमान में निगम की 647 वातानुकूलित जनरथ व पिंक बसें संचालित हो रही हैं जिससे प्रदेश के सभी जनपदों को राजधानी लखनऊ से जोड़ा गया है।
- कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत समस्त क्षेत्रों में निगम बसों की डेन्टिंग पेन्टिंग एवं सीटों की मरम्मत का कार्य लक्ष्य के अनुरूप शत–प्रतिशत पूर्ण कराया जा चुका है।

- 84 मुख्य बस स्टेशनों पर लघु मरम्मत सहित रंगाई–पुताई इत्यादि का कार्य परिवहन निगम द्वारा अपने आन्तरिक संसाधनों से पूर्ण कराया जा चुका है।
- दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सड़क परिवहन से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के ब्लॉकों को तहसीलों एवं जिला मुख्यालयों से जोड़ने हेतु ग्रामीण परिवहन सेवा संचालित की जा रही है।
- निगम द्वारा यात्रियों की सुविधार्थ यात्री बाहुल्य मार्गों पर सुव्यवस्थित खान–पान सुविधा हेतु अनुबन्ध के आधार पर ''यात्री प्लाजा'' स्थापित किये गये हैं।
- **यात्री राहत योजना–**परिवहन निगम की बसों के यात्रियों की मृत्यु होने पर वयस्क यात्री हेतु रू0 5 लाख की राहत राशि एवं अति गंभीर रूप से घायल यात्री को रू0 2.50 लाख की चिकित्सीय सहायता दिये जाने का प्राविधान है।
- **महिला सशक्तिकरण–**इसके अन्तर्गत निगम के 50 बस स्टेशनों पर नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु माताओं के लिए शिशु देखभाल कक्ष की स्थापना की गयी है।
- निर्भया योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए 50 वातानुकूलित पिंक सेवाएं संचालित हैं जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में पैनिंक बटन स्थापित है। इन बसों में महिला परिचालक, जीपीएस, अग्रिम आरक्षण, ट्रैकिंग की सुविधा भी है।
- महिला हेल्प लाइन (दामिनी) निरन्तर कार्यरत है।

मेट्रो रेल

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना (एलएमआरसी)

लखनऊ शहर में तीव्र, सुखद, सुरक्षित तथा मितव्ययी, मॉस रैपिड, ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराने एवं ट्रैफिक को कम करने के आशय से भारत एवं उ0प्र0 सरकार के संयुक्त उपक्रम, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा फेज–1 का डीपीआर वर्ष 2013 में तैयार किया गया था। इस परियोजना में दो फेज/कॉरिडोर प्रस्तावित थे–

- फेज–1ए–नार्थ–साउथ कॉरिडोर–22.878 कि0मी0
- फेज–1बी–ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर–11.165 कि0मी0

फेज–1ए नार्थ–साउथ कॉरिडोर (चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया) के 8.5 किमी. का व्यावसायिक संचालन सितम्बर 2017 से एवं परियोजना के सम्पूर्ण 22.878 किमी0 पर मेट्रो सेवा का संचालन मार्च 2019 से किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नवत् है–

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
नार्थ–साउथ कॉरिडोर	19.438	3.440	22.878	17	4	21

ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले क्षेत्रों यथा–गौतमबुद्ध मार्ग, अमीनाबाद, सिटी रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, चौक, वसंतकुंज आदि को जोड़ेगा। प्रस्तावित कॉरिडोर का विवरण निम्नवत् है–

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
चारबाग से वसंत कुंज	4.286	6.879	11.165	5	7	12

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना

परियोजना पर पी0आई0बी0 तथा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा फरवरी 2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया। तद्नुसार भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 तथा मई 2019 में स्वीकृति पत्र प्रेषित

किया गया। अनुपूरक डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना की पूर्णता लागत रू0 11076.48 करोड़ तथा पूर्णता अवधि 5 वर्ष है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन का निर्माण कार्य नवम्बर 2019 को प्रारम्भ किया गया, जिसे सर्वसाधारण हेतु दिसम्बर 2021 से खोला गया। अवशेष सेक्शन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
आई.आई.टी. कानपुर से नौबस्ता	**15.2**	**8.6**	**23.8**	**14**	**8**	**22**
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बर्रा –8	**4.2**	**4.4**	**8.6**	**4**	**4**	**8**

आगरा मेट्रो रेल परियोजना

परियोजना पर पी0आई0बी0 तथा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा फरवरी 2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया। तद्नुसार भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 तथा मई 2019 में स्वीकृति पत्र प्रेषित किया गया। अनुपूरक डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना की पूर्णता लागत रू0 8379.62 करोड़ तथा पूर्णता अवधि 5 वर्ष है।

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
सिकन्दरा से ताज ईस्ट गेट	6.3	7.7	14	6	7	13
आगरा कैण्ट से कालिन्दी विहार	15.4	–	15.4	14	–	14

गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल ट्रांजिट (एल.आर.टी.) परियोजना

गोरखपुर मेट्रोलाइट परियोजना के डी.पी.आर. को राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त अक्टूबर 2020 मे एवं फरवरी 2021 मे परियोजना की अनुपूरक डी.पी.आर. भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित की गई। गोरखपुर मेट्रो रेल परियोजना के श्याम नगर से एम.एम.एम. इन्जीनियरिंग कॉलेज (कुल लम्बाई 15.14 किमी0) के क्रियान्वयन हेतु संस्तुति प्रदान की गई। कॉरिडोर की लागत रू0 2670.37 करोड़ है। परियोजना पर केन्द्रीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रतीक्षित है। परियोजना में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है–

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)	स्टेशन की संख्या
श्याम नगर से मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज	15.14	14
बीआरडी मेडिकल कॉलेज से नौसढ़ चौराहा	12.70	12

मेरठ मेट्रोलाइट रेल परियोजना

मेरठ मेट्रो रेल परियोजना की डी.पी.आर. दिसम्बर, 2017 में तैयार कराई गई जिसको राज्य सरकार के अनुमादेन के पश्चात् भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया। डी0पी0आर0 में कुल 33 किमी0 लम्बे 2 कॉरिडोर प्रस्तावित हैं।

- कॉरिडोर–1: परतापुर से मोदीपुरम (18 कि0मी0)
- कॉरिडोर–2: श्रद्धापुरी से जागृति विहार एक्सटेन्शन (15 कि0मी0)

प्रथम चरण में परियोजना के कॉरिडोर–1 परतापुर से मोदीपुरम (18 किमी0)को आर.आर.टी.एस. परियोजना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका निर्माण कार्य एनसीआरटीसी द्वारा

किया जा रहा है। परियोजना के लगभग 15 किमी0 लम्बे कॉरिडोर–2 श्रद्धापुरी फेज–2 से जागृति विहार एक्सटेंशन के अन्तर्गत 10 एलिवेटेड एवं 03 भूमिगत स्टेशन हैं।

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटेड	भूमिगत	कुल	एलीवेटेड	भूमिगत	कुल
श्रद्धापुरी फेज़–2 से जागृति विहार एक्सटेन्शन	**9.864**	**4.286**	**14.15**	**10**	**3**	**13**

वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना

परियोजना की डी0पी0आर0 में कुल 30 किमी0 लम्बाई के 02 कॉरिडोर का कियान्वयन प्रस्तावित किया गया था नवम्बर, 2019 में परियोजना हेतु कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान तथा दिसम्बर 2019 में ऑल्टर्नेटिव्स एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की गयी। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 40.58 किमी0, रोप–वे सिस्टम 10.5 किमी0, वॉटर ट्रान्सपोर्ट 11 किमी तथा ई– रिक्शा ट्रांजिट सिस्टम 10.4 किमी0 का चयन किया गया है। वाराणसी में पब्लिक ट्रान्सपोर्ट के रूप में रोप–वे/केबल कार के पायलट परियेाजना के कियान्वयन हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर 3.65 किमी0 लम्बी रोप–वे परियोजना हेतु कार्यवाही की जा रही है।

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)	स्टेशन की संख्या
बी0एच0ई0एल0 से बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी	19.5	17
बेनियाबाग से सारनाथ	9.9	9

प्रयागराज मेट्रो रेल परियोजना

परियोजना के अन्तर्गत कुल 44 किमी0 लम्बे 2 कॉरिडोर प्रस्तावित हैं।

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
बमरौली से सिटी लेक फॉरेस्ट	18.71	3.59	22.30	16	2	18
शान्तिपुरम से छिवकी	20.11	–	20.11	16	–	16

ऊर्जा क्षेत्र

विद्युत आपूर्ति

कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं दैनिक जीवन की समृद्धि के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग भी विद्युत की उपलब्धता पर ही निर्भर है। प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु तथा सुदुर इलाके तक विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने, विशेषकर कृषकों को सिंचाई हेतु विद्युत की सुगमता एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की प्राथमिकता है।

तालिका–11.05– उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष 2021–22
1	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)*	7819
2	उपभोग (मिलियन यूनिट)*	93731
3	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	24899
4	कुल विद्युतीकृत ग्राम (संख्या)	97814
5	निजी/बाह्य स्रोत से आयात (मि0यू0)	97017
6	पारेषण लाइनों की कुल ल0(सर्किट कि0मी0)	50593
7	स्वीकृत निजी नलकूपों की सं0(लाख मे)	12.86

स्रोत–उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ। *राज्य सरकार के अधीन(उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि. एवं उ.प्र.ज.वि.नि.लि.) ।

तालिका–11.06–प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग सम्बन्धी आँकड़े–2020–21

क्र. सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन (कि.वा.घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि.वा.घंटा)
1	आन्ध्र प्रदेश	1103	1434
2	बिहार	2	316
3	झारखण्ड	346	794
4	गुजरात	1430	2048
5	हरियाणा	641	2131
6	कर्नाटक	832	1284
8	मध्य प्रदेश	819	1271
9	छत्तीसगढ़	2813	1923
10	महाराष्ट्र	943	1378
11	ओडिशा	737	1829
12	पंजाब	1150	2200
13	राजस्थान	851	1301
14	तमिलनाडु	687	1549
15	पश्चिम बंगाल	410	697
16	उत्तराखण्ड	925	1384
17	**उत्तर प्रदेश**	**317**	**634**
भारत		1013	1161

स्रोत–केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

ऊर्जा विभाग–महत्वपूर्ण कार्य

- वर्ष 2022–23 में माह अप्रैल से अक्टूबर तक औसतन ग्रामीण क्षेत्र में 17:26 घण्टे तहसील क्षेत्र में 20:52 घण्टे तथा शहरी क्षेत्र में 23:26 घण्टे आपूर्ति की गयी।
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना(सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रू0 की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गयी।
- प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 (मार्च 2022) तक कुल 705 नग नये 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत किये जा चुके हैं एवं 1413 नग विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ायी जा चुकी है।
- वितरण क्षेत्र की लाइन हानियों को कम करने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुले विद्युत तारों को ए0बी0 केबल से प्रतिस्थापित किया जा रहा है अब तक कुल 28 हजार किमी0 ए0बी0 केबल लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- दिनांक 01.01.2022 से निजी नलकूप उपभोक्ताओं को विद्युत बीजकों में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूल विद्युत उपभोक्ताओं को एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा भी प्रदान की गयी है।
- प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों की दक्षता एवं वित्तीय स्थिति में सुधार के उददेश्य से भारत सरकार की रिवैम्ड (आरडीएसएस) योजना लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2022–23 से तीन वर्षों में लगभग कुल रू0 36 हजार करोड़ की लागत से हानियों में कमी हेतु आधारभूत संरचना के कार्य एवं समस्त विद्युत संयोजनों पर स्मार्ट मीटर की स्थापना का कार्य कराया जाना निर्धारित है।

- गौशालाओं के नलकूपों एवं विभिन्न धर्मों के अध्यात्म केन्द्र हेतु क्रमशः कृषि एवं घरेलू विद्युत दरों पर आपूर्ति दिये जाने का आदेश मा0 उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से कराया गया।
- प्रदेश के घरेलू, वाणिज्यिक एवं कृषक विद्युत उपभोक्ताओं के व्याज अधिभार माफी हेतु वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में ''एकमुश्त समाधान योजना'' लागू की गयी। एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत 15.07.2022 तक कुल 69,76,265 (लगभग) विद्युत बकायेदार उपभोक्ता लाभान्वित हुए।
- एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत कुल रू0 5,531.11 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई।
- विद्युत तन्त्र में सार्वजनिक स्थलों पर जर्जर तारों को बदलने हेतु ''नवीन जिला विद्युत विकास निधि'' योजना लागू की गयी है।
- घरेलू उपभोक्ताओं को नये संयोजन निर्गत करने हेतु ऑनलाइन झटपट पोर्टल तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये निवेश मित्र पोर्टल की व्यवस्था की गयी है।
- विद्युत उपभोक्ताओं के बिल जमा करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ता सेवा केन्द्रों पर जन सेवा केन्द्र द्वारा विद्युत बिल जमा करने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह एवं राशन की दुकानों के माध्यम से बिल जमा किये जा सकते हैं।
- उपभोक्ताओं को स्वयं ऑन–लाइन अपना बिल जनरेट कर ऑन–लाइन ही विभिन्न माध्यमों से जमा कराये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है।
- ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण कराया जा रहा है।
- हरदुआगंज तापीय परियोजना में निर्मित 1X660 मे0वा0 इकाई का लोकार्पण दिनांक 04.01.2022 को किया गया एवं इकाई फरवरी, 2022 से वाणिज्यिक भार पर परिचालित है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

ऊर्जा की निरन्तर बढ़ती मांग एवं पारम्परिक ऊर्जा के सीमित भण्डारों के कारण वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर आधारित योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन करने के साथ–साथ विद्युत उत्पादन एवं ऊर्जा संरक्षण से सम्बन्धित कार्य किया जा रहा है। यूपीनेडा द्वारा चलाये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं का विवरण निम्नवत् है–

सौर ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाएं

- ग्रिड संयोजित विद्युत परियोजनाएं।
- सोलर रूफटाप ग्रिड संयोजित विद्युत परियोजनाएं।

बायोमास आधारित परियोजनाएं

- बागाज/नान बगाज आधारित विद्युत परियोजनाएं।
- औद्योगिक अपशिष्ट आधारित विद्युत परियोजनाएं।
- बायो डीजल, बायो एथेनाल, मेथेनाल, बायोगैस, बायो सीएनजी, प्राड्यूसर गैस, बायो कोल की परियोजनाएं।

सौर ऊर्जा कार्यक्रम

सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम

- आफ ग्रिड सोलर पावर प्लाण्ट
- सोलर घरेलू बत्ती/सोलर पावर पैक संयंत्र
- सोलर आर0ओ0 वाटर संयंत्र
- सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्र
- सोलर हाई मास्ट
- सोलर कोल्ड स्टोरेज
- सोलर पम्प

सौर तापीय संयंत्र

- सोलर वाटर हीटर कार्यक्रम
- सोलर कंसन्ट्रेटिंग संयंत्र (सी0एस0टी0)

बायो ऊर्जा कार्यक्रम

- फैमिली साइज बायोगैस प्लाण्ट
- बायोगैस आधारित पावर जनरेशन

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

- जागरूकता कार्यक्रम
- कार्यशाला का आयोजन।

तालिका–11.07– सौर परियोजनाओं का प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना	इकाई	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23(अगस्त 2022 तक)
1	सौर परियोजनाओं की स्थापना	मे0वा0	400	97
2	संस्थानों मे रूफटॉप सोलर प्लाण्ट	कि0वा0	1229	1515
3	ग्रामीण क्षेत्र सार्वजनिक प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट मोड	संख्या	10500	4500
4	मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास सोलर स्ट्रीट लाइट योजना	संख्या	6000	–
5	निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट	मे0वा0	13.6	–
6	ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लाण्ट		475	649.5
7	पं दीनदयाल उपाध्याय योजना सोलर स्ट्रीट लाइट	संख्या	1385	415

स्रोत–नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)

महत्वपूर्ण कार्य

- कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी के उददेश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना घोषित की गयी है। कुसुम कम्पोनेट–ए के अन्तर्गत कृषकों द्वारा अपनी अनुपजाऊ भूमि/बंजर भूमि पर स्वयं अथवा विकासकर्ता के माध्यम से 0.5 मेगावाट क्षमता से लेकर अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता तक के सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना करायी जा सकती है। इस प्रकार के सौर पावार प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत का क्रय राज्य की विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 25 वर्षों तक किया जाएगा।
- वर्ष 2022–23 में अगस्त, 2022 तक 97 मेगावाट क्षमता की परियोजना कमीशनिंग की गयी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति–2022 प्रख्यापित की गयी है। इस नीति में आगामी 5 वर्षों में 22 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माह सितम्बर, 2022 में ''उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022'' घोषित की गयी है जिसमें कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट इत्यादि जैसे विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट, बायो कोल (पैलेट्स और ब्रिकेट्स), बायो डीजल/बायो एथेनॉल की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके लिए विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट्स संयन्त्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रारम्भ से अब तक

प्रदेश में लगभग 3.10 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट्स संयन्त्रों की स्थापना करायी जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 29652 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा चुकी है। प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में अब तक 3387 सोलर आर0ओ0 वॉटर संयन्त्रों की स्थापना करायी गयी है।

- नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयन्त्रों/परियोजनाओं की स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण के विषय में दक्षता के विकास हेतु लखनऊ, मऊ तथा कन्नौज में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं।

संचार

डाकघर

प्रारम्भ से ही संचार सुविधाओं में डाकघरों का एक प्रमुख स्थान रहा है। इसके अतिरिक्त डाकघरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में लघु बचत की भावना को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है जिससे विकास कार्यो के लिए इस धन के उपयोग के साथ ही सामान्य जनमानस में बचत भावना विकसित करते हुए उनमें वित्तीय सुरक्षा भी सुलभ हो सकी है। डाकघरों का गाँव–गाँव तक फैले नेटवर्क का बदलते परिवेश में परिवर्धन हुआ है। परम्परागत रूप से कोने–कोने तक विद्यमान अतएव पर्याप्त पहुँच युक्त यह नेटवर्क सामान्य जनमानस में सुरक्षा एंव विश्वास के साथ सुलभ ग्राहय माध्यम है जो वित्तीय सेवा प्रदान करते हुए सरकार की वित्तीय समावेशी विकास के लक्ष्य को पूर्ण करने में अत्यधिक सहायक हो सकेगा। बैंकिग के नये युग में आपका बैंक आपके द्वार के संकल्प के रूप में इण्डिया पोस्ट पेमेन्टस बैंक देश के प्रत्येक जिले, कस्बे तथा ग्राम में स्थित डाक विभाग कर्मचारियों के माध्यम से सभी बैंकिग सुविधायें जन मानस के द्वार तक ला रहा है। बैंकिग सेवाओं एवं डाक विभाग की सेवाओं के लिये लम्बी कतार के स्थान पर स्मार्ट तरीके से भुगतान हेतु आईपीपीबी मोबाइल एप, इन्टरनेट बैंकिग की सुरक्षित और सुविधाजनक सेवायें उपलब्ध हैं। बेटियों को उज्ज्वल भविष्य की सौगात के उद्देश्य से संचालित सुकन्या समृद्धि योजना अन्तर्गत खाता खुलवाने के लिये भी नजदीकी डाकघर में सुविधा उपलब्ध है। डाक लाइफ इन्श्योरेंस सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा योजना भी डाकघर के माध्यम से सहज उपलब्ध है। प्रदेश में वर्ष 2021–22 में 17890 डाकघरों के माध्यम से सुविधाएं जनसामान्य तक पहुँचाई जा रही है।

दूरभाष

दूरभाष (सरकारी एवं निजी क्षेत्र), मोबाइल तथा इनटरनेट सेवा ने दूरसंचार के क्षेत्र में क्रान्ति ला दी है। गत वर्षों में इस क्षेत्र का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। इन उपकरणों के उपभोगकर्ताओं की संख्या में वृद्वि के साथ–साथ इससे जुड़ी तकनीकी में भी तेजी से उन्नयन हुआ है। इन सेवाओं से एंव इन सेवाओं से पूरित विभिन्न सोशल मिडिया प्लैटफार्म्स का सन्देशों के त्वरित आदान–प्रदान में सहायक होने के साथ ही सामाजिक विचारधारा को प्रभावित करने में भी अहम भूमिका है। सामाजिक व व्यक्ति विशेष दोनों के ही सशक्तिकरण के व्यापक यंत्र के रूप में भी विकसित हुआ है।

प्रदेश की क्षेत्रफलीय विस्तारता एवं जन सांख्यिकीय विविधता यथा–साक्षरता, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों आदि स्थितियों में यह सुविधाएं राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय तथा स्थानीय ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र की संवादीय दूरी/समय को कम करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। यह विभिन्न कोनों/क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने की शक्ति प्रदत्त माध्यम है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बढ़ते विकास व अनुसंधान तथा इसी के साथ ही पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति की मांग उत्पन्न होने से रोजगार के भी अवसर सृजित हुए। सहज नेटवर्क की उपलब्धता ने कार्यक्षमता को प्रगति व गति प्रदान की है।

डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल सेवायें उत्तरोत्तर रूप से किसी भी देश की उन्नति और सम्पन्नता के प्रमुख सामर्थ्य और निर्धारक हैं। दूर संचार और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों में भारत उल्लेखनीय रूप से उन्नत क्षमताओं से युक्त है। डिजिटल भारत की अवधारणा के अन्तर्गत नई प्रौद्योगिकी का लाभ सभी लोगों तक समान रूप से और किफायती दरों पर पहुंचाने की प्राथमिकता है। डिजिटल भुगतान को अधिकाधिक प्रमोट किये जाने पर बल है।

'भारत नेट' पहल के अन्तर्गत सबसे बड़ी ग्रामीण ऑप्टिक फाइबर रोल आउट परियोजना के माध्यम से ब्राडबैण्ड द्वारा समस्त गांवों को कनेक्ट करने की योजना है। ग्राम नेट, नगर नेट व जन वाई–फाई से विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को उक्त सेवा प्रदान किया जाना, टियर 1, 2 एवं 3 शहरों में विभिन्न क्षेत्रों तक फाइबर ले जाने के फाइबर फर्स्ट पहल को कार्यान्वित करना, राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना, मोबाइल टावर की अवसंरचना की स्थापना को सुलभ बनाना आदि की योजनाएं हैं। इससे उपलब्ध होने वाले अवसरों से यह स्टार्टअप समुदाय विशेष रूप से लाभान्वित होगा। संचार सुविधाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि संचार क्षेत्र में हुई क्रान्ति को इंगित करती है। दैनिक जीवन में तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक क्रिया–कलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्व है। उत्तर प्रदेश में दूरस्थ क्षेत्रों और राज्य के सभी हिस्सों को जोड़ने वाली एक बहुत ही मजबूत संचार नेटवर्क प्रणाली है। प्रदेश में बढ़ती संचार सुविधाएं एवं उनमें दिन–प्रतिदिन हो रही संचार क्रांति में परिवर्तन का समुचित उपयोग प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है। बैंकिग सहित जनसामान्य के सभी कार्यों को इण्टरनेट/पोर्टल के माध्यम से सुविधाजनक बनाया जा रहा है जिसका लाभ जनमानस को मिल रहा है।

मोबाइल ने संचार के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। मोबाइल के माध्यम से लोगों को शिक्षा, बैंकिंग व्यवसाय इत्यादि से संबंधित सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मोबाइल सेवा ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से सरकारी/लोक सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है।

भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टलों में से एक–'निवेश मित्र' के माध्यम से उद्यमियों को 362 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यह विभिन्न राज्यों के उन अग्रणी पोर्टलों में से एक है, जिन्हें नेशनल सिंगल विण्डों सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया। कुछ प्रमुख विभागों द्वारा जारी किए गये पोर्टल निम्नवत है–

- **यूपी भूलेख**–यह ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व परिषद द्वारा भूमि अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए लॉन्च की गई है।
- **सेवायोजन**–प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत संचालित रोजगार कार्यालयों द्वारा पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। साथ ही बेरोजगार उम्मीदवारों को करियर काउंसलिंग के माध्यम से रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाती है।
- **जनसुनवाई**–उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की शिकायतों/सुझावों को दर्ज करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
- **ई–साथी यूपी**–इसके माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट की सभी महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है।
- **यूपीपीसीएल 'झटपट'**–झटपट मोबाइल ऐप को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण करने में सक्षम बनाने हेतु विकसित किया गया है।

- **यूपीएसआरटीसी एमआईएस एप्लीकेशन**–यह निगम की आंतरिक जानकारी के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) का मोबाइल ऐप है।
- **यूपीकॉप**–यह नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप्लीकेशन है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न अनुरोध किया जा सकता है।
- **यूपी पुलिस ट्रैफिक ऐप**–पुलिस अधिकारियों को यातायात की स्थिति को अपडेट करने, यातायात उल्लंघन की रिपोर्ट करने, वाहन पंजीकरण के विवरण और सड़क उपयोगकर्ताओं के ड्राइविंग लाइसेंस आदि की जांच करने में सहायता करेगा।
- **प्रहरी**–देश में अपनी तरह का एक 'प्रहरी' एप्लीकेशन, बीट और उच्च अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार स्थापित करके बीट पुलिसिंग को सशक्त बनाएगा। यह पुलिस बल को क्रांतिकारी डिजिटल संचार के माध्यम से बीट पुलिसिंग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा।
- **यूपीपीसीएल बिजली**–स्मार्ट मीटर उपभोक्ता ऐप उपभोक्ताओं को यूपीपीसीएल और डिस्कॉम की सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। यह उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में पारदर्शिता प्रदान करता है।
- **यूपी एफपीओ शक्ति**–इस यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल की मदद से किसानों को अपने गांव/ब्लॉक/जिले या राज्य के आसपास के विशिष्ट विषयों पर प्रासंगिक जानकारी मिल सकेगी।

यू0पी0 स्वान 2.0 योजनान्तर्गत उपलबध करायी जा रही बैण्डविड्थ का विभिन्न विभागों के जनपद, तहसील एवं विकास खण्ड स्तरीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न सेवाओं जैसे–ई डिस्ट्रिक्ट, मनरेगा, भूलेख, जनसुनवाई, स्कॉलरशिप आदि हेतु प्रयोग किया जा रहा है। राज्य, जनपद, तहसील एवं विकास खण्ड स्तरीय 885 प्वांइट ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) केन्द्रों को गो–लाइव किया गया है।

कॉमन सर्विस सेन्टर योजनान्तर्गत लगभग 1.80 लाख से अधिक जनसेवा केन्द्र स्थापित किये गये है जिनके माध्यम से लगभग 279 सेवाएं आम जनमानस को उनके द्वार के समीप उपलब्ध करायी जा रही हैं।

****

अध्याय–12
पर्यटन एवं नागरिक विमानन

मुख्य बिन्दु

- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में (जनवरी से अक्टूबर 2022 तक) कुल–2487.42 लाख पर्यटक आयें जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या–2483.31 लाख तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या 4.10 लाख थी।
- अयोध्या में दीपोत्सव, 2022 का भव्य आयोजन किया गया जिसकी लोकप्रियता/ख्याति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। इस अवसर पर एक साथ 15.76 लाख दिये प्रज्ज्वलित कर स्वयं का वर्ष 2021 का रिकार्ड (9.41 लाख दीपं) तोड़ते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश में प्रख्यात सोशल मीडिया ब्लागर्स हेतु फैम टूअर्स का अयोजन किया गया।
- जनपद मथुरा में कृष्णोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।
- उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा ट्रैवल मार्ट लखनऊ, टी0टी0एफ0–हैदराबाद तथा अहमदाबाद, आई0टी0टी0एम0–बैंगलुरू तथा पुणे, टूरिज्म शैल्टर–नागपुर का भव्य आयोजन कराया गया।
- जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जायेगा।
- पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधा एवं मार्ग दर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत वन स्टाप ट्रैवल्स सोल्यूशन पोर्टल लांच किया गया है।

निवेश एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान की अपार क्षमता को देखते हुये वैश्विक अर्थव्यवस्था में पर्यटन के विकास को गति दी जा रही है। भारत भी धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं चिकित्सीय पर्यटन हेतु समृद्ध देश है। 'अतिथि देवो भव' को आदर्श मानने वाला यह देश पर्यटन में विदेशी मुद्रा एवं रोजगार सृजन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए उद्योग का दर्जा प्रदान कर व्यावसायिक स्वरुप दिये जाने की दिशा में अग्रसर है।

पर्यटन के बहु–आयामी आकर्षणों से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश भी भारत का ऐसा राज्य है, जो पर्यटन के विकास हेतु आवश्यक सभी आधारभूत संसाधन, जैसे–भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता, स्वच्छ एवं शांत वातावरण, गंगा यमुना की अविरल धाराएं, पवित्र स्थलों, एवं ऐतिहासिक स्मारकों से परिपूर्ण है। प्रदेश सरकार ने विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि की है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में अनेक लोकप्रिय पर्यटन स्थल विद्यमान हैं जिनमें अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, नैमिषारण्य, विध्याचल, चित्रकूट, मथुरा, वन्दावन, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ प्रमुख हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन वृहद स्तर पर किया गया। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर 1576955 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस प्रकार के आयोजनों से पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से राजस्व में वृद्धि होने के साथ–साथ अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी हो रहा है।

राज्य में पर्यटन–विकास हेतु निजी क्षेत्र के लिए भी पूँजी–निवेश की विपुल सम्भावनाएं विद्यमान हैं। हर आयु, वर्ग, सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भ्रमणार्थ आते हैं। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम निवेश से भी अधिक रोजगार सृजित हो सकते है। रोजगार एवं राजस्व के सन्दर्भ में इस उद्योग की महत्ता को देखते हुये इसके विकास की ओर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

तालिका संख्या–12.01–उत्तर प्रदेश में पर्यटन की स्थिति (संख्या लाख में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल	प्रतिशत परिवर्तन		
				भारतीय	विदेशी	कुल
2015	2065.15	31.04	2096.19	(+) 12.06%	(+) 6.67%	(+) 11.98%
2016	2135.44	31.56	2167.01	(+) 3.40%	(+) 1.69%	(+) 3.37%
2017	2339.77	35.56	2375.33	(+) 9.56%	(+) 12.65%	(+) 9.61%
2018	2850.79	37.80	2888.60	(+) 21.84%	(+) 6.30%	(+) 21.61%
2019	5358.55	47.45	5406.00	(+) 87.97%	(+) 25.53%	(+) 87.15%
2020	861.22	8.90	870.13	(–) 83.93%	(–) 81.24%	(–) 83.90%
2021	1097.08	0.45	1097.53	(+) 27.39%	(–) 94.94%	(+) 26.14%

स्रोत– पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में (जनवरी से अक्टूबर 2022 तक) कुल–2487.42 लाख पर्यटक आयें जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या–2483.31 लाख तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या 4.10 लाख थी। इससे स्पष्ट है कि पर्यटन क्षेत्र में कोविड–19 के प्रभाव के कारण आई कमी में पर्याप्त प्रगति हुई है।

पर्यटन मे बजट प्रावधान

- वार्षिक योजना वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत कुल रू0 107591.53 लाख बजट की व्यवस्था हुई, जिसमें राजस्व मद में रू0 12188.10 लाख एवं पूँजीगत मद के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 88050.02 लाख, जिला योजना में रू0 500 लाख, ब्रजतीर्थ विकास परिषद मथुरा में रू0 5500 लाख तथा केन्द्रीय योजना के लिए रू0 7253.41 लाख सम्मिलित है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में राजस्व मद के अन्तर्गत रू0 9288.35 लाख तथा पूँजीगत मद के अन्तर्गत रू0 41026.15 लाख की स्वीकृतियाँ निर्गत की गयी। कुल बजट के सापेक्ष रू 50314.50 लाख की स्वीकृतियाँ निर्गत की गई है तथा इसके सापेक्ष कुल रू 49244.12 लाख व्यय किया गया है।
- वार्षिक योजना वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत कुल रू0 108419.53 लाख बजट की व्यवस्था हुई, जिसमें राजस्व मद में रू0 14422.32 लाख एवं पूँजीगत मद के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 82638.01 लाख, जिला योजना में रू0 500 लाख ब्रजतीर्थ विकास परिषद मथुरा में रू0 6000 लाख तथा केन्द्रीय योजना के लिए रू0 4859.20 लाख सम्मिलित है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में अगस्त 2022 तक राजस्व मद के अन्तर्गत रू0 6867.46 लाख तथा पूँजीगत मद के अन्तर्गत रू0 22934.68 लाख की स्वीकृतियाँ निर्गत की गयी। कुल बजट के सापेक्ष रू0 29802.14 लाख की स्वीकृतियाँ निर्गत कर कुल रू0 24488.57 लाख व्यय किया गया है।

पर्यटन का विकास

- उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने, निजी उद्यमियों को निवेश की सुगमता एवं पर्यटन उद्योग को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने हेतु उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018 लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत, रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, जैन सर्किट/ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना तथा अयोध्या की दीपावली और ब्रज की होली के आयोजन के लिये प्रावधान हुआ है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018 में की गयी घोषणाओं के दृष्टिगत पर्यटन नीति के अन्तर्गत प्रदेश में रू0 7960.85 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु 220 प्रस्तावों को पंजीकृत किया गया है।
- उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति–2022 का अनुमोदन मा0 मंत्रीपरिषद द्वारा प्रदान किया गया है जिसके अन्तर्गत निवेशकों को विभाग द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों को दृष्टिगत रखते हुए निवेशकों द्वारा काफी बढ़–चढ़ कर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये जा रहे हैं।
- विश्व बैंक सहायतित प्रो–पूअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक अभिनव परियोजना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के दो प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों– आगरा एवं ब्रज क्षेत्र के विकास से स्थानीय लोगों के गरीबी–उन्मूलन तथा रोजगार–सृजन हेतु चिन्हित क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्मारकों/स्थलों पर मूलभूत पर्यटन सुविधाओं का सृजन एवं विकास की व्यवस्था है। परियोजना की कुल लागत रू0 371.43 करोड़ (50.60 मिलियन यू0एस0 डॉलर) है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा 70 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत वहन किया जायेगा। आगरा में शाहजहाँ पार्क एवं मेहताब बाग–कछपुरा का कार्य एवं वृन्दावन में बांके बिहारी जी मंदिर क्षेत्र के पर्यटन विकास का कार्य जनवरी, 2018 में प्रारम्भ हुआ। इस परियोजना में बुद्धा सर्किट के अन्तर्गत सारनाथ एवं कुशीनगर का विकास कार्य कराए जा रहे है।
- बुद्धिष्ट कान्क्लेव–2021 में 3000 राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षुओं एवं श्रीलंका से 150 अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- अयोध्या में दीपोत्सव, 2022 का भव्य आयोजन किया गया जिसकी लोकप्रियता/ख्याति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। इस अवसर पर एक साथ 15.76 लाख दिये प्रज्ज्वलित कर स्वयं का वर्ष 2021 का रिकार्ड (9.41 लाख दीपं) तोड़ते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया।
- बुन्देलखण्ड सर्किट, बुद्धिष्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट एवं अन्य सर्किटों का प्रचार–प्रसार रेडियो जिंगल, मोबाइल ऐप, डिजिटल वेब, बैनर, समाचार पत्रों में विज्ञापन, आउटडोर मीडिया, सोशल मीडिया एवं वेबसाइट (डाइनमिक बैनर) के माध्यम से कराया जा रहा हैा।
- बुद्ध पूर्णिमा पर (मई 2022) बुद्धिष्ट कॉन्क्लेव का सारनाथ (वाराणसी), कुशीनगर, श्रावस्ती एवं संकिसा में भव्य आयोजन किया गया।
- 75 जनपदों में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषदों का गठन किया गया है।

- जनपद लखनऊ में संतकबीर प्राकट्य दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में अमृत योग सप्ताह के अन्तर्गत 'वेलनेस टूरिज्म कॉन्क्लेव' का दिनांक 14 जून से 21 जून 2022 तक आयोजन कराया गया।
- प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन, प्रदेश के गौरवशाली इतिहास एवं प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कराये जाने वाले मेले–महोत्सवों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग के उददेश्य से दुबई में आयोजित अरैबियन ट्रैवल मार्ट–2022 में प्रतिभाग किया गया। इस आयोजन के माध्यम से पर्यटन नीति–2018 के अन्तर्गत निवेशकों को उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की असीम सम्भावनाओं को आकर्षित करने हेतु प्रस्तुतीकरण किया गया।
- एडवेन्चर टूरिज्म के प्रोत्साहन हेतु ब्रज–आगरा कार रैली का तीन दिवसीय आयोजन अप्रैल 2022 में सफलतापूर्वक कराया गया।
- अयोध्या में नियमित रामलीला का आयोजन अप्रैल, 2022 से कराया जा रहा है।
- ईको–टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन किया गया।
- रू0 291.53 करोड़ की 170 परियोजनाएं पूर्ण हुईं।
- लखनऊ, कपिलवस्तु एवं प्रयागराज हैलीपोर्ट–जनपद लखनऊ में स्थित रमाबाई अम्बेडकर स्थल के सामने बना पक्का हैलीपैड, कपिलवस्तु एवं प्रयागराज स्थित हैलीपोर्ट को पी0पी0पी0 मोड पर विकसित एवं संचालित कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
- टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, अयोध्या–जनपद अयोध्या में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर को पी0पी0पी0 मोड पर विकसित एवं संचालित कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
- पर्यटन विभाग के पर्यटक आवास गृह/इकाईयां–पर्यटन विभाग के बन्द/घाटे में चल रहे/असंचालित 29 पर्यटक आवासों को पी0पी0पी0 मोड पर विकसित एवं संचालित कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश में प्रख्यात सोशल मीडिया ब्लागर्स हेतु फैम टूअर्स का आयोजन किया गया।
- जनपद मथुरा में कृष्णोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।
- उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा ट्रैवल मार्ट लखनऊ, टी0टी0एफ0–हैदराबाद तथा अहमदाबाद, आई0टी0टी0एम0–बैंगलुरू तथा पुणे, टूरिज्म शैल्टर–नागपुर का भव्य आयोजन कराया गया।
- ''आजादी का अमृत महोत्सव'' तथा ''चौरा चारी शताब्दी महोत्सव'' के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों, प्रदर्शिनयों, संगोष्ठियों, वेबिनार आदि का नियमित आयोजन किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक सम्पदा, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने हेतु संचालित 15 संग्रहलयों में भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के भ्रमण से वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रवेश टिकट बिक्री, पुस्तकों, अनुकृतियों की बिक्री एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से आय हुई है। स्कूली छात्र–छात्राओं को संग्रहालय से अधिकाधिक संख्या में जोड़ने हेतु स्कूल–कालेजों का शैक्षणिक भ्रमण भी संग्रहालय द्वारा नियमित रूप से किये जा रहे है।

तालिका संख्या–12.02 पूर्ण किये जाने वाले कार्य

क्र०स	कार्य योजना विवरण
1	रू0 206.00 करोड़ की 140 परियोजनाओं का लोकापर्ण
2	कार्यों में द्रुतगति, गुणवत्ता लाने, मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग आदि में तकनीकी सहयोग हेतु पी0एम0यू0 का गठन
3	24 X 7 पोर्टल, हेल्पलाइन एवं मोबाइल एप विकसित किये जायेंगें ।
4	मथुरा में बरसाना रोप–वे का लोकार्पण।
5	अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेवेल राइटर्स एवं ब्लागर्स कान्क्लेव–2022
6	रू0 100.00 करोड़ का निवेश लक्ष्य।
7	17 पर्यटक आवास गृहों को पी0पी0पी0 मोड पर लीज पर निजी निवेशकों को दिया जायेगा।
8	आगरा एवं मथुरा के हेलीपोर्ट के संचालन हेतु पी0पी0पी0 पार्टनर का चयन किया जायेगा।
9	छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, आगरा के संचालन हेतु पी0पी0पी0 पार्टनर का चयन किया जायेगा।
10	डैशबोर्ड तैयार किया जायेगा।
11	एन0सी0सी0,एन0एस0एस0, युवा मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से पर्यटन मित्र तैयार किये जायेंगें।
12	ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस के अन्तर्गत सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स पद्धति अपनाई जायेगी।

स्वदेश दर्शन एवं प्रासाद योजना मे केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत विभिन्न सर्किट को प्रदेश में एकीकृत विकास हेतु स्वीकृत किया है। वर्ष 2022–23 मे किए जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत् है–

तालिका संख्या–12.03–स्वदेश दर्शन स्कीम (रू0 करोड़)

क्र.सं	सर्किट	योजना का नाम	प्रस्तावित धनराशि
1.	रामायण सर्किट	चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर का पर्यटन विकास।	69.45
2.	रामायण सर्किट	अयोध्या का पर्यटन विकास।	127.20
3.	बुद्धिस्ट सर्किट	कुशीनगर, कपिलवस्तु एवं श्रावस्ती का पर्यटन विकास।	99.97
4.	स्पिरिचुअल सर्किट	गोरखपुर, देवीपाटन, डुमरियागंज का पर्यटन विकास।	15.76
5.	स्पिरिचुअल सर्किट	जेवर–दादरी–सिकन्दराबाद–नोएडा–खुर्जा–बांदा का पर्यटन विकास।	12.03

तालिका संख्या–12.04–प्रासाद स्कीम

क्र.सं	योजना नाम	प्रस्तावित धनराशि (रू0 करोड़)
1	वाराणसी में क्रूज बोट संचालन की योजना	10.71
2	वाराणसी के समेकित पर्यटन विकास (फेज–2)	44.60
3	मथुरा स्थित गोवर्धन का पर्यटन विकास	39.73

तालिका संख्या–12.05–वर्ष 2022–23 मे राज्यस्तर पर किए जाने वाले कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख)
1.	वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना	1000
2.	अयोध्या में पर्यटन सुविधा एवं सौन्दर्यीकरण	10000
3.	जिला योजना	500
4.	मा0 अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में बटेश्वर–आगरा व अन्य स्थलों का विकास	1000
5.	उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाएं	6000
6.	मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम में पर्यटन विकास	5000
7.	हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास।	100
8.	गोरखपुर में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास	1500
9.	इको टूरिज्म का विकास	500
10.	सीतापुर स्थित नैमिषारण्य का पर्यटन विकास	1000
11.	आगरा ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो–पुअर पर्यटन विकास परियोजना	19437
12.	चित्रकूट में पर्यटन विकास	2000
13.	विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि क्रय	10000
14.	वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण	1000
15.	मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास	2000

हेरिटेज आर्क

प्रदेश में नदियों के किनारे यात्रा करना अपने आप में एक यादगार अनुभव है। इससे प्रदेश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक आयाम को करीब से देखने का मौका मिलता है और आस–पास के सुन्दर और जीवन्त समाज के भी दर्शन होते हैं। जीवन के विभिन्न आयामों और प्राकृतिक सुन्दरता का एक परिपूर्ण अवलोकन हेरिटेज आर्क पर यात्रा करने से होता है। यह ऐतिहासिक स्मारक, स्थापत्य कला के अनोखे नमूने, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, वन्यजीव, तीर्थ स्थल और आत्मिक शांति प्रदान करने के अनेक प्रतीक और प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों की यात्रा करने का एक अवसर प्रदान करता है। ''हेरिटेज आर्क'' के तीन प्रमुख केन्द्रों व उनसे जुड़े दर्शनीय स्थल निम्नवत् हैं–

तालिका संख्या–12.06–हेरिटेज आर्क एवं सम्बन्धित स्थल

क्र0सं0	हेरिटेज आर्क	सम्बन्धित दर्शनीय स्थल
1.	आगरा	आगरा, फतेहपुर सीकरी, चम्बल सेंचुरी, बरसाना, बटेश्वर, इटावा लायन सफारी, गोकुल, नन्दगाँव, मथुरा, वृन्दावन।
2.	लखनऊ	लखनऊ, अयोध्या, बिठूर, देवाशरीफ, दुधवा, कतरनियाघाट वन्य पशु प्रेक्षक, नैमिषारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य।
3.	वाराणसी	वाराणसी, सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती।

ईको–टूरिज्म

- **पीलीभीत टाइगर रिजर्व–**यह विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसको सितंबर 2008 में भारत के 45वां टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के रूप मे स्थापित किया गया। इसमें 127 से ज्यादा जानवरों, 326 पक्षियों की प्रजातियों और 2,100 पुष्पों के लिए एक बेहतर निवास है। यहाँ, भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 1300 प्रजातियों के पक्षियों में से 326 प्रजातियां देखी जा सकती हैं, जिनमें लाल जंगली मुर्गी, हॉर्नबिल, पी फाउल, फिश ईगल, ब्लैक नेक स्टोर्क, वूली नेक स्टोर्क, ड्रोंगो, नाइट जार, ग्रीन पिजन, स्पॉटड आउल, जंगल बाब्लर, ब्लैक फ्रैंकोलिन, फिश आउल, आदि शामिल है।
- **दुधवा नेशनल पार्क–**लखीमपुर खीरी में नेपाल की सीमा से लगे तराई–भाभर क्षेत्र में स्थित है। यह देश के तराई वन्य क्षेत्रों में शामिल है जहाँ विभिन्न वनस्पति और वन्य जीवों की प्रजातियाँ प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। यहाँ के वन्य क्षेत्र में घने हरे जंगल, लम्बी घास और अन्य पेड़ पाए जाते हैं और हिरनों की कई प्रजातियों के अलावा बाघ, तेंदुआ, बारहसिंघा, हाथी, सियार, लकड़बग्घा और एक सींग वाला गेंडा निवास करते हैं। दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों का प्रवास नवम्बर से मई तक अत्यधिक होता है।
- **सुर सरोवर (कीथम) पक्षी अभ्यारण्य–**आगरा के निकट स्थित प्रवासी एव अप्रवासी पक्षियों के लिए एक सुलभ आश्रय है। यहाँ कई प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। यहाँ एक विशाल झील, कई मानव निर्मित द्वीप और अनेक छोटे तालाब भी हैं।
- **चन्द्र प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य–**वाराणसी के निकट चंदौली जिले में स्थित है। यह एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है जो घने जंगलों और प्राकृतिक झरनों से घिरा हुआ है। इसे एशियाई शेरों के वास के रूप में भी जाना जाता है। बरसात के मौसम में झरने अद्‌भुत दृश्य उपस्थित करते हैं।

पर्यटन–केन्द्रों का प्रचार–प्रसार

- उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रदेश में विद्यमान पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर स्थापित किये जाने हेतु वृहद स्तर पर प्रचार–प्रसार अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में उत्तर प्रदेश के पर्यटन आकर्षणों का प्रभावी प्रचार–प्रसार किया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान के साथ परिलक्षित हो सके।
- राज्य सरकार, विभिन्न महोत्सवों एवं आयोजनों के द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का ध्यान प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है यथा–मगहर महोत्सव (संत कबीर नगर), ताज महोत्सव (आगरा), गोरखपुर महोत्सव (गोरखपुर) तथा लखनऊ महोत्सव (लखनऊ) आदि।
- पर्यटकों को सुविधा एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से एकीकृत वन स्टाप ट्रैवल्स सोल्यूशन पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को सूचना एवं मार्गदर्शन, होटल बुकिंग, टैक्सी एवं रेलवे बुकिंग, आकस्मिक (एम्बुलेन्स सेवा), पुलिस सहायता एवं 24/7 ट्रैवल्स असिस्टेंस इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

पर्यटन हेतु अधोसरंचना का विकास

पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के उद्‌देश्य से प्रदेश में पर्यटन उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए सरकार द्वारा पर्यटन अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है जिसमें जन–उपयोगी सेवाएं, सड़कें, संचार साधन, हवाई अड्‌डे, परिवहन सुविधाएं, जलापूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित हैं। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टिविटी की वजह से महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार एक्सप्रेस–वे, जलमार्ग, हवाई अड्‌डों तथा अन्य मल्टी मॉडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढ़ाँचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेस–वे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है।

- भारतीय रेलवे भी राज्य के पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और माल, यात्रियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है। लखनऊ के अतिरिक्त कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर तथा प्रयागराज मे भी मेट्रो परियोजना प्रस्तावित है।
- प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने का कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वाराणसी, मथुरा, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ एवं अयोध्या में हेलीपोर्ट/हेलीपैड/ एअरस्ट्रिप का निर्माण प्रक्रिया मे है।
- प्रदेश के समस्त मण्डलों में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए पर्याप्त संख्या में निजी व शासकीय क्षेत्र में विभिन्न स्तर के होटल उपलब्ध हैं। पर्यटन विकास एवं पर्यटन उत्पादों के विपणन हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कान्क्लेव, ट्रैवेल मार्ट, मेले–महोत्सव एवं सेमिनार का आयोजन किया जाता है।
- प्रदेश सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल पर रोप–वे की परियोजना प्रदेश के तीन स्थलों चित्रकूट, अष्टभुजा–कालीखोह (विन्ध्यांचल) एवं बरसाना (मथुरा) में कियान्वित की जा रही है। चित्रकूट रोप–वे का संचालन सितम्बर 2019 से एवं विन्ध्यांचल स्थित अष्टभुजा एवं कालीखोह में अगस्त 2021 से प्रारम्भ हो गया है। बरसाना (मथुरा) में राधारानी रोप–वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- पी0पी0पी0 मोड के माध्यम से 15 पर्यटक आवास गृहों/इकाइयों का संचालन किया जा रहा है।

पर्यटन सुरक्षा–व्यवस्था

उ.प्र. पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन पुलिस बल का गठन किया गया है, जिसमें 130 पर्यटन पुलिस कर्मी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा पर्यटकों को सुरक्षा एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। पर्यटन पुलिस बल के गठन हेतु सेना के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटन पुलिस बल की आवश्यकताओं एवं पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए 130 से बढ़ाकर 500 पर्यटन पुलिस बल जिसमें 200 महिला सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति का भी प्राविधान है। इससे राजस्व वृद्धि के साथ–साथ रोजगार के सुअवसर उत्पन्न होते हैं तथा सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

तालिका संख्या–12.07–प्रदेश के पारम्परिक त्योहार, मेला एवं महोत्सव

क्रमांक	स्थान	मेला एवं महोत्सव
1	प्रयागराज	कुंभ मेला वार्षिक माघ मेला
2	आगरा	कैलाश मेला, राम बारात, गंगौर मेला, पशु मेला बटेश्वर ताज महोत्सव
3	ब्रज–मथुरा–नंदगाँव	लड्डमार होली ,श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं मटकी लीला
4	मेरठ	नौचन्दी मेला
5	गढ़मुक्तेश्वर	गढ़ गंगा मेला
6	चित्रकूट	रामायण मेला
7	वाराणसी	देव दीपावली, नक्कटैया, गंगा महोत्सव
8	झाँसी	आयुर्वेद झाँसी महोत्सव
9	अयोध्या	श्रवण झूला मेला, राम नवमी
10	अंबेडकर नगर	गोविंद साहब मेला, किछौछा शरीफ
11	बाराबंकी	देवा मेला, देवा शरीफ,
12	गोरखपुर	तरकुलहा मेला मकर संक्रांति– खिचड़ी मेला
13	कपिलवस्तु सारनाथ, कुशीनगर श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा	बुद्ध महोत्सव

नागर–विमानन

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दायित्वों को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता दर्शायी गई है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुकूल कारोबारी वातावरण बनाने के लिए मजबूत नागर विमानन अवसंरचना के विकास हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करने, विमानन क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करते हुए निवेश आकर्षित करने, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत नए रूट्स का विकास करके एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने, प्रदेश के नॉन–आर.सी.एस. एयरपोर्ट्स के मध्य इण्टर–कनेक्टिविटी हेतु सुविधा प्रदान करने, भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़कर राज्य में पर्यटन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने, व्यापार और रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देने, एयर कार्बो हब के विकास को प्रोत्साहन देकर प्रदेश में कृषि निर्यात एवं अन्य क्षरण योग्य वस्तुओं के निर्यात व विनिर्माण और ई–कामर्स कारोबार को बढ़ावा देने, मानव संसाधन विकसित करके प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित रोजगार के अवसर पैदा कर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने और राज्य में एम.आर.ओ. सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक समग्र उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 को अगस्त, 2017 में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

- लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डे के साथ प्रदेश शीघ्र ही 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जायेगा।
- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत अधिकाधिक शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या मे निर्माणाधीन है।।
- जेवर मे निर्माणाधीन एयरपोर्ट मे हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय लिया गया है। यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा।
- आने वाले कुछ समय में अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर, मेरठ, कुशीनगर एवं अयोध्या एयरपोर्ट्स से हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी।

तालिका संख्या–12.08– वित्तीय वर्ष 2021–22 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

(धनराशि लाख रू0में)

योजना का नाम	बजट प्राविधान	मार्च 2022 तक वास्तविक व्यय	अभ्युक्ति
हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन	1100	404.26	वृहद निर्माण कार्य
	8900	3873.87	भूमि क्रय
गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय स्थापना	50000	223.26	वृहद निर्माण कार्य
	150000	7028.40	भूमि क्रय
अयोध्या में एयरपोर्ट	100	–	वृहद निर्माण कार्य
	10000	700	भूमि क्रय
आर.सी.एस. स्कीम के अन्तर्गत चयनित जनपद श्रावस्ती मे नो–फ्लिस एयरपोर्ट पर मिट्टी भराई का कार्य	404.26	404.26	वृहद निर्माण कार्य
कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास हेतु करार/आपसी समझौते के आधार पर भूमि का क्रय	735.28	735.28	भूमि क्रय
ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मे विकसित करने हेतु आपसी समझौते के आधार पर भूमि के क्रय	2500	2500	भूमि क्रय
आर.सी.एस.स्कीम में चयनित म्योरपुर हवाईपट्टी के विस्तारीकरण एवं टर्मिनल बिल्डिंग से आच्छादित वन भूमि के गैर–वानिकी उपयोग एवं वृक्षों के पातन के कार्य	46.16	46.16	भूमि क्रय
लखनऊ एयरपोर्ट के रन–वे विस्तार एवं बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर एवं अर्जन कार्य।	592.43	592.43	भूमि क्रय

नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट/ जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए व्यय की अंशधारिता के हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य	223.26	223.26	अंशधारिता का भुगतान
नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि क्रय सम्बन्धी भुगतान	7028.39	7028.39	भूमि क्रय

तालिका संख्या–12.09– वित्तीय वर्ष 2022–23 मे नागर विमानन पर पूंजीगत लेखा मे अन्य व्यय

(धनराशि लाख रू0 में)

योजना का नाम	बजट प्राविधान	अधुनान्त व्यय अगस्त 2022 तक	अभ्युक्ति
हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन	8000	58.10	वृहद निर्माण कार्य
	122000	3572.21	भूमि क्रय
गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय स्थापना	10000	0	वृहद निर्माण कार्य
	60000	93.29	भूमि क्रय
अयोध्या में एयरपोर्ट	100	0	वृहद निर्माण कार्य
	20000	500	भूमि क्रय
कानपुर नगर (चकेरी) एयरपोर्ट पर वर्षा के पानी से जल भराव के निराकरण का कार्य	58.10	58.10	वृहद निर्माण कार्य
ललितपुर हवाई पट्टी के निर्माण हेतु भूमि क्रय	3500	3500	भूमि क्रय
चित्रकूट हवाई पट्टी पन वन भूमि का क्रय	0.71	0.71	भूमि क्रय
आगरा एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु भूमि के लीज रेन्ट का भुगतान	14.70	14.70	–
चकेरी एयरपोर्ट कानुपर लाइसेंस फीस का भुगतान	5.90	5.90	–
चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में टैक्सी लिंक का निमार्ण	50.90	50.90	–
नोएडा इण्टरनेशलन एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु भूमि क्रय	93.29.	93.29	भूमि क्रम
अयोध्या एयरपोर्ट हेतु भूमि का क्रय	500	500	भूमि क्रय

प्रदेश में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जा रहा है। कुशीनगर में इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बनने से देश–विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं को इन स्थलों तक पहुँचने में आसानी होगी। एयरपोर्ट बनने से बड़ी सख्या में रोजगार का भी सृजन होगा। भारत सरकार ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया है। इससे थाईलैण्ड, जापान, वियतनाम, श्रीलंका जैसे विश्व के अनेक देशों के बौद्ध धर्म में रुचि लेने वाले शोधकर्ता एवं अनुयायी, जो अच्छी कनेक्टिविटी के अभाव में नहीं आ रहे थे, को बौद्ध सर्किट के भ्रमण में सुगमता होगी।

****

अध्याय–13
शिक्षा

मुख्य बिन्दु

- ❖ प्रदेश में शिक्षा पर किये गये कुल व्यय का सर्वाधिक अंश प्राथमिक शिक्षा तत्पश्चात् माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर किया गया है।
- ❖ उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कारों की संख्या 17 से बढ़ाकर 75 एवं पुरस्कार धनराशि रू0 10000 से बढ़ाकर रू0 25000 की गई।
- ❖ चैम्पियंस आफ चेंज पोर्टल पर प्रदर्शित मार्च 2022 की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार महत्वाकांक्षी जनपद सोनभद्र 7वीं रैंक के साथ टॉप 10 रैंक में शामिल हुआ।
- ❖ परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक की 15448 विशिष्ट आवश्यकता वाली दिव्यांग बालिकाओं को रू0 200 प्रतिमाह की दर से अधिकतम रू0 2000 की दर से स्टाईपेण्ड एवं 6953 गम्भीर एवं बहुदिव्यांग बच्चों को रू0 600 प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह हेतु रू0 6000 की दर से एस्कोट अलाउंस प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 05 सितम्बर, 2022 को डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रेषित की गयी।
- ❖ उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है जिसके द्वारा स्वयं प्रभा चैनल तथा दूरदर्शन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया गया।
- ❖ प्रतियोगी छात्रों को समर्थ बनाने हेतु अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है।
- ❖ प्रदेश के 03 नये राज्य विश्वविद्यालय क्रमशः राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, माँ शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय, सहारनपुर एवं महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ अध्यापन कार्य वर्तमान सत्र से संचालित किया जा रहा है।
- ❖ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकानुसार प्रदेश की राजकीय पोलीटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों में कम्यूनिकेशन स्किल, साफ्ट स्किल आदि की वृद्धि किये जाने के उददेश्य से 89 लैंग्वेज लैब की स्थापना की गयी है।

राष्ट्रीय विकास, सामाजिक उत्थान, आर्थिक समृद्धि, स्वावलंबन, प्रौद्योगिकी तथा सूचना तंत्र के सम्वर्धन में शिक्षा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के साथ ही उनमें मानवीय मूल्यों, सामाजिक समरसता के साथ–साथ उनको भविष्य मे आजीविका के प्रति निश्चिन्त और आशावादी बनाये रख सके। अतः आदर्श व्यक्तित्व के निमार्ण हेतु गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की प्राथमिकता है।

प्रदेश में साक्षरता की स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68 प्रतिशत है, प्रदेश मे पुरुष साक्षरता दर 77.28 प्रतिशत तथा महिलाओं में 57.18 प्रतिशत है। महिला एवं पुरूष के साक्षरता प्रतिशत में 20.10 प्रतिशत का अन्तर है।

वर्ष 1991 में प्रदेश में जो साक्षरता 40.71 प्रतिशत थी, वह 15.56 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2001 में 56.27 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में 11.41 प्रतिशत बढ़कर 67.68 प्रतिशत हो गई है।

प्रदेश में शिक्षा पर व्यय

उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 2022–23 के अनुसार वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में सरकार का शिक्षा पर चालू व्यय, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है–

तालिका–13.01– प्रदेश में शिक्षा पर व्यय (लाख रुपये)

वर्ष	कुल चालू व्यय	शिक्षा पर चालू व्यय	व्यय प्रतिशत	कुल पूँजीगत व्यय	शिक्षा पर पूँजीगत व्यय	व्यय प्रतिशत
2020-21	27853016	6356079	22.82	9163781	265597	2.89
2021-22	32935181	6606662	20.06	14109315	606616	4.29
2022-23	41335824	8574757	20.74	17986472	899863	5.00

स्रोतः– उ0प्र0 आय–व्यय की आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण 2022–23।

तालिका 13.01 से स्पष्ट है कि शिक्षा पर वर्ष 2022–23 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा सभी मदों पर हुए व्यय के सापेक्ष शिक्षा पर किए गए चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय क्रमशः 20.74 प्रतिशत तथा 5.00 प्रतिशत रहा। वर्ष 2021–22 (पुनरीक्षित अनुमान) में शिक्षा पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 20.06 प्रतिशत तथा 4.29 प्रतिशत रहा। वर्ष 2020–21 (वास्तविक अनुमान) में शिक्षा पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 22.82 प्रतिशत तथा 2.89 प्रतिशत रहा। तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा पर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है।

प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर राजस्व व्यय

प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर सरकार द्वारा किये जा रहे राजस्व व्यय तालिका–13.02 में दर्शाये गये है–

तालिका–13.02– प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर राजस्व व्यय (लाख रुपये)

क्रम संख्या	मद	2020–21 (वास्तविक अनुमान)	2021–22 (पुनरीक्षित अनुमान)	वर्ष 2022–23 (आय–व्ययक अनुमान)
1	प्राथमिक शिक्षा	4178372 (78.47%)	4117373 (74.59%)	5244829 (74.25%)
2	माध्यमिक शिक्षा	825039 (15.49%)	1031688 (18.69%)	1342377 (19 %)
3	उच्च शिक्षा	238190 (4.47%)	273610 (4.96%)	352975 (5 %)
4	अन्य	83396 (1.57%)	97668 (1.77%)	123216 (1.75%)
	योग	5324997 (100%)	5520339 (100%)	7063397 (100%)

***स्रोत–* उत्तर प्रदेश बजट की रुपरेखा 2022–2023**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में शिक्षा पर किये गये कुल व्यय का सर्वाधिक अंश प्राथमिक शिक्षा तत्पश्चात् माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर किया गया है।

प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

प्रदेश में वर्ष 2020–21 में जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 138145 थी जो वर्ष 2021–22 में 138078 हो गयी। इसी प्रकार सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 2020–21 में 85570 थी जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 86430 हो गयी। वर्ष 2020–21 में हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की संख्या 27892 थी जो वर्ष 2021–22 में 27806 हो गयी।

प्रदेश में वर्ष 2020–21 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 586 हजार थी जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 589 हजार हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2020–21 में सीनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 502 हजार थी जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 508 हजार हो गयी।

प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विद्यालय/विद्यार्थियों की संख्या–

वर्ष 2021–22 में प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक विद्यालय की संख्या बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 71 है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम 56 है जबकि प्रदेश स्तर पर संख्या 59 है। इसी प्रकार प्रति लाख जनसंख्या पर सीनियर बेसिक विद्यालय की संख्या बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 48 तथा सबसे कम केन्द्रीय क्षेत्र में 32 है जबकि इसी अवधि में प्रदेश स्तर पर यह संख्या 37 है। हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की संख्या पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक 13 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे कम 10 है जबकि प्रदेश स्तर पर यह संख्या 12 है।

तालिका–13.03– विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विद्यालयों/विद्यार्थियों की विवरण (2021–22)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या			प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या		
	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री
पूर्वी	60	37	13	28	30	49
बुन्देलखण्ड	71	48	10	25	26	51
पश्चिमी	56	37	12	26	28	39
केन्द्रीय	59	32	11	26	30	29
उत्तर प्रदेश	59	37	12	27	29	41

स्रोत– सम्बन्धित विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आंकलित।

वर्ष 2021–22 में जूनियर बेसिक विद्यालय में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (28) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (25) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में है जबकि प्रदेश स्तर पर यह संख्या 27 है। सीनियर बेसिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र सर्वाधिक (30) पूर्वी एवं केन्द्रीय क्षेत्र में तथा सबसे कम (26) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में है, जबकि प्रदेश स्तर पर यह संख्या 29 है। हायर सेकेन्डरी विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र सर्वाधिक (51) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम (29) केन्द्रीय क्षेत्र में है, जबकि प्रदेश स्तर पर यह संख्या 41 रही।

प्राथमिक शिक्षा

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके सुसंस्कृत एवं कुशल मानव संसाधन पर निर्भर है। सुसंस्कृत एवं कुशल नागरिकों के निर्माण एवं उनके उचित चौमुखी विकास एवं परिवर्धन हेतु बुनियादी शिक्षा अहम है। प्रदेश वर्ष 2021–22 तक संचालित विद्यालय (1 से 8) एवं नामांकन की स्थिति निम्नवत रही–

तालिका–13.04–संचालित विद्यालय एवं नामांकन की स्थिति

वर्ष	कुल विद्यालय	कुल नामांकन
2013–14	240332	36726500
2014–15	243014	36838720
2015–16	246013	36425964
2016–17	237766	34707745
2017–18	244901	29737966
2018–19	241990	33401231
2019–20	222044	29481334
2020–21	223715	30181000
2021–22	224508	30594000

स्रोत–सॉख्यकीय सारांश

प्रमुख योजनाएं

- शैक्षिक सत्र 2022–23 में छात्र–छात्राओं को को निशुल्क यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता–मोजा, एवं स्टेशनरी के क्रय से सम्बन्धित धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र–छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में हस्तान्तरण।
- आर0टी0ई0 की धारा–12(1)ग के अन्तर्गत अलाभवित समूह एवं दुर्बल आय वर्ग के बच्चों का निजी विद्यालयों में नामांकन।

- शैक्षिक सत्र 2022–23 में लगभग 2.03 करोड़ छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठय पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं का वितरण।
- उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कारों की संख्या 17 से बढ़ाकर 75 एवं पुरस्कार धनराशि रू0 10000 से बढ़ाकर रू0 25000 की गई।
- प्रदेश के विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के अन्तर्गत विद्यालयों को पाइप पेयजल व्यवस्था।
- स्कूल चलो अभियान तथा छात्र नामांकन–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत, "सब पढ़ें, सब बढ़ें" के संकल्प को पूरा करने के लिए विद्यालयों में बच्चों का शत्–प्रतिशत नामांकन। "शारदा ऑनलाइन पोर्टल" (स्कूल हर दिन आयें) के माध्यम से 'आउट ऑफ स्कूल'/ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हांकन करके उनका नामांकन कराया गया।
- प्रदेश के महत्वाकांक्षी जनपदों में विशेष कार्यक्रम–प्रदेश के 8 महत्वाकांक्षी जनपदों के 17626 विद्यालयों के 182500 छात्र लाभान्वित हुए हैं। चैम्पियंस आफ चेंज पोर्टल पर प्रदर्शित मार्च 2022 की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार महत्वाकांक्षी जनपद सोनभद्र 7वीं रैंक के साथ टॉप 10 रैंक में शामिल हुआ।
- वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण–वनटांगिया ग्रामों के समयबद्ध विकास के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021–22 मे महाराजगंज के 03 वनटांगिया ग्रामों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु रू 102.75 लाख आवंटन जनपदों को किया गया जिससे विद्यालय निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।
- आपरेशन कायाकल्प योजना अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित/निर्धारित की गयीं मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को बाल मैत्रिक अभिगम्यता एवं दिव्यांग सुलभता की दृष्टि से सृजित एवं विकसित किये जाने का कार्य। योजना के अन्तर्गत अब तक प्रदेश के 90 हजार विद्यालयों को संतृप्त किया जा चुका है।

समग्र शिक्षा

- **समग्र शिक्षा अभियान**–समग्र शिक्षा भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जो सभी जनपदों में संचालित है। वित्तीय पोषण का स्वरूप भारत सरकार का अंश 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत है।
- वित्तीय प्रगति 2022–23 (30.09.2022 तक)– वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा 8269.56 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की है जिसमें केंन्द्रांश 4961.74 करोड़ एवं राज्यांश 3307.82 करोड़ रूपये है। रू0 3323.12 करोड़ की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 2236.21 करोड़ रूपये व्यय किये गयें।

ठहराव में सुधार

- 91 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 01 कम्पोजिट विद्यालय, 01 प्राथमिक विद्यालय का उच्चीकरण, 366 प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण तथा 78 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण तथा 195 विद्यालयों में विद्युत उपकरण एवं आन्तरिक वायरिंग के सापेक्ष अगस्त 2022 तक 51 विद्यालयों में कार्य पूर्ण।
- 730 बालक शौचालय, 615 बालिका शौचालय, 1239 दिव्यांग शौचालय, 156 बृहद मरम्मत, 546 विद्यालयों में फर्नीचर, 1867 मल्टीपल हैण्डवॉस सिस्टम एवं 80 बी0आर0सी0 मरम्मत हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी।
- समस्त परिषदीय विद्यालयों में छात्र नामांकन के आधार पर कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की व्यवस्था है।

सामुदायिक सहभागिता

- निःशुल्क पाठय पुस्तकें एवं कार्य पुस्तिकाओं का वितरण–अध्ययनरत कक्षा–1 से 8 तक के समस्त छात्र–छात्राओं को हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की निःशुल्क पाठय पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं के साथ–साथ दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि में पाठय–पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं।
- निःशुल्क यूनीफार्म का वितरण– शैक्षिक सत्र 2022–23 में अध्ययनरत कक्षा–1 से 8 तक के समस्त छात्र–छात्राओं को रू0 1200/–(02 सेट यूनीफार्म हेतु रू0 600/–, जूता–मोजा हेतु रू0 125/–, स्वेटर हेतु रू0 200/–, स्कूल बैग हेतु रू0 175/– एवं स्टेशनरी हेतु रू0 100/–) की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से अभिभावकों के खाते में प्रेषित की गयी।
- प्रदेश के शत–प्रतिशत छात्र–छात्राओं के नामांकन हेतु स्कूल चलो अभियान का संचालन।
- जनपहल रेडियो कार्यक्रम–प्रदेश के 75 जनपदों में जन समुदाय एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को उनके कार्य एवं दायित्वों के बारे में जागरूक करने के उददेश्य से जनपहल रेडियो कार्यक्रम ऑल इण्डिया रेडियो द्वारा प्रसारित किया जा रहा है।
- आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं विशेष प्रशिक्षण–शारदा कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन हेतु अध्यापकों, बीटीसी प्रशिक्षुओं एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा डोर टू डोर हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से अक्टूबर, 2022 तक 16 हजार अनांमांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयु संगत कक्षा में नांमाकित कराया गया है।
- अभिभावक–अध्यापक बैठक आयोजित की जा रही हैं।

गुणवत्ता शिक्षा

- **निपुण भारत मिशन**–स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **''निपुण भारत मिशन''** के अन्तर्गत वर्ष 2026–27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बालवाटिका से कक्षा–3 तक सभी बच्चों में पढ़ने–लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- कक्षा–कक्षों के लिए प्रिंटरिच सामग्री यथा आकर्षित पोस्टर, वार्तालाप, चार्ट, टीएलएम, गणित किट, विज्ञान किट, लाइब्रेरी बुक आदि शैक्षणिक सामग्री, समस्त परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध करायी गयीं।
- शिक्षकों को ऑनलाइन शैक्षिक सपोर्ट, हेंडहोल्डिंग, शैक्षिक गुणवत्ता सुधार, रीमिडियल एवं फाउण्डनेशनल प्रैक्टिसेज को कक्षा–कक्ष में लागू करने के लिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स, एस0आर0जी0 एवं डाइट मेंटर के माध्यम से सपोर्टिव सुपरविजन किया जा रहा है।
- दीक्षा एप शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लांच किया गया राष्ट्रीय ई–लर्निंग प्लेटफार्म पाठ्यक्रम आधारित पोर्टल है। इस पर 6500 से अधिक ऑडियो/वीडियो शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध हैं।

बालिका शिक्षा

- प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 6 से 8 तक संचालित हैं। भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 446 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को कक्षा 9 से 12 तक को उच्चीकृत किया जा रहा है।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निर्धारित लक्ष्य 79600 के सापेक्ष अक्टूबर, 2022 की स्थिति के अनुसार 78532 छात्रायें नामांकित हैं जिन्हें मानकानुसार आवासीय सुविधा सहित शिक्षण की व्यवस्था प्रदान की जा रही है। अध्ययनरत छात्राओं को रू0 100 प्रतिमाह की दर से स्टाईपेण्ड की धनराशि एवं निःशुल्क यूनिफार्म हेतु रू0 600 प्रति छात्रा की दर से भुगतान किया जा रहा है।
- आई0आई0टी0 गांधी नगर, गुजरात के सहयोग से बालिकाओं को रोचक गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान विषय में क्षमता सम्वर्धन हेतु क्यूरियॉसिटी का कार्यक्रम संचालित है।

- डिजिटल माध्यम से के0जी0बी0वी0 की बालिकाओं में गणितीय दक्षता विकसित करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराये गये हैं।
- छात्राओं एवं शिक्षिकाओं की उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित करायी जा रही है।

समेकित शिक्षा

- समर्थ तकनीकी प्रणाली के अन्तर्गत अक्टूबर, 2022 तक 2,75,692 दिव्यांग बच्चों का ऑनलाइन चिन्हांकन एवं नामांकन किया गया है।
- दिव्यांग बच्चों को सहायक उपस्कर एवं उपकरण प्रदान किये जाने, मापन कैम्प, चिकित्सीय परीक्षण, मेडिकल एसेसमेंट कैम्प की व्यवस्था है।
- परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक की 15448 विशिष्ट आवश्यकता वाली दिव्यांग बालिकाओं को रू0 200 प्रतिमाह की दर से अधिकतम रू0 2000 की दर से स्टाईपेण्ड एवं 6953 गम्भीर एवं बहुदिव्यांग बच्चों को रू0 600 प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह हेतु रू0 6000 की दर से एस्कोट अलाउंस प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 05 सितम्बर, 2022 को डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रेषित की गयी।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

- विद्यालय तैयारी के 12 सप्ताह के गतिविधि कलैण्डर का संचालन–पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत विद्या प्रवेश के दिशा–निर्देशों एवं राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले बच्चों हेतु स्कूल रेडिनेस पर 1.09 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। उक्त हेतु 12 सप्ताह का गतिविधि कलैण्डर तैयार किया गया एवं सम्बन्धित कलेण्डर दीक्षा पोर्टल में विद्या प्रवेश के अन्तर्गत अपलोड किया गया है। जिसका प्रयोग शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है।
- मण्डल स्तरीय बाल वाटिका/गतिविधि कक्षा–कक्ष की स्थापना–समिति गठित की गई जिसके द्वारा गतिविधि कक्षा कक्ष के रूप में एक ऐसे कक्षा का प्रोटोटाइप तैयार किया गया जिसमें बच्चे गतिविधियों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित दक्षताओं को खेल–खेल में सीख सकें। 18 मण्डलों में सी0एस0आर0 के माध्यम से उक्त गतिविधि कक्षा कक्ष बनाये गये हैं।
- फर्नीचर/शिशु डेस्क–समग्र शिक्षा उ0प्र0 द्वारा 21791 को–लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु फर्नीचर/शिशु डेस्क उपलब्ध कराये जाने हेतु स्वीकृति जारी की गयी।

माध्यमिक शिक्षा

किशोर बालक–बालिकाओं में ज्ञानवर्धन के साथ–साथ सामाजिक सदगुणों को विकास, अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के प्रति जागरूकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास सम्बन्धी चारित्रिक गुणों को विकास करना माध्यमिक शिक्षा का मूल उददेश्य है। वर्तमान में 2357 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 21023 वित्तविहीन, कुल 27892 माध्यमिक विद्यालय तथा संस्कृत शिक्षा के लिए 2 राजकीय, 971 सहायता प्राप्त एवं 267 वित्त विहीन कुल 1240 विद्यालय संचालित हैं जिसके माध्यम से कक्षा–9 में 31.90 लाख, कक्षा–10 में 27.82 लाख, कक्षा–11 में 26.77 लाख तथा कक्षा–12 में 24.11 लाख कुल 110.60 लाख छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन की व्यवस्था की जा रही है। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुल 1240 विद्यालयों के माध्यम से 1.03 लाख छात्र–छात्राओं को संस्कृत शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि कर सृजनात्मक विकास करने के उद्देश्य से अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही है, जो निम्नवत् हैं–

1– विद्यालय ऑनलाइन अनुश्रवण–श्रेणीकरण हेतु पोर्टल परख

शैक्षिक गुणवत्ता को बढाने के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने और विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकताओं की नियमित जानकारी प्राप्त कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए परख पोर्टल विकसित किया गया है। इसके माध्यम से राजकीय विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कार्य की प्रगति, कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति और संसाधनों की उपलब्धता का ऑनलाइन अनुश्रवण सम्भव होगा और श्रेणीकरण से विद्यालयों में स्वस्थ शैक्षिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी।

2– ई–लाइब्रेरी पोर्टल प्रज्ञान

विद्यार्थियों और जनसामान्य को सहजतापूर्वक सम–सामयिक एवं संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ई–लाइब्रेरी पोर्टल ''प्रज्ञान'' और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। पोर्टल पर ई–पुस्तकों के विशाल संग्रह के साथ–साथ प्रतियोगी परीक्षाओं, उद्यमिता व स्टार्ट–अप, एन0आई0सी0 ई–ग्रन्थालय एवं उ0प्र0 लाइब्रेरी नेटवर्क की जानकारी उपलब्ध है। पोर्टल सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है और उपयोगकर्ता मोबाइल एप में अपने स्वयं के अकाउंट में ई–पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं।

3– विद्यालयों की वेबपेज/वेबसाइट निर्माण हेतु पोर्टल परिचय–

अभिभावाकों एवं जनसामान्य को विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी की सुलभता के लिए सभी माध्यमिक विद्यालयों का वेबपेज/वेबसाइट निर्माण प्रारम्भ किया गया। यह शैक्षिक नियोजन, प्रबन्धन एवं प्रशासन में सुगमता लाने में भी सहायक रहा।

4– असेवित बस्ती का चिन्हीकरण (स्कूल मैपिंग) हेतु पोर्टल ''पहुँच''

विद्यालयों की स्थापना के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं संतृप्तीकरण हेतु असेवित बस्तियों का चिन्हीकरण करने के लिए स्कूल मैपिंग साफ्टवेयर और पोर्टल ''पहुँच'' विकसित किया गया है जिससे स्कूल मैपिंग की व्यवस्था से माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया और अधिक तार्किक एवं पारदर्शी हो सकी।

5– विद्यार्थियों की कैरियर काउन्सिलिंग हेतु पोर्टल ''पंख''

विद्यार्थियों को उनकी आकांक्षाओं, रूचि और रूझाान से मेल खाने वाले विभिन्न करियर पथ का चयन करने और उन्हें कालेज, छात्रवृत्ति, कौशल विकास कार्यक्रम, इन्टर्नशिप और शिक्षा के विषय में उपलब्ध विकल्पों के बारे में बेहतर सलाह प्रदान करने के लिए कैरियर पोर्टल ''पंख'' विकसित किया गया। इससे करियर के चुनाव में स्पष्टता होने के कारण सफलता के अवसर में वृद्धि होगी।

6– राजकीय विद्यालयों में वाई–फाई की सुविधा

विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री, ई–कन्टेंट, विभिन्न सम–सामयिक विषयों पर सामग्री, प्रोजेक्टस आदि के ऑनलाइन अध्ययन हेतु लक्षित सभी 2273 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वाई–फाई की सुविधा प्रारम्भ हो गयी है। इससे विद्यालयों में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों को बाधारहित रूप से संचालित किया जा सकेगा तथा सुचारू शैक्षिक अनुश्रवण एवं प्रशासनिक प्रबन्धन में भी मदद मिलेगी।

7– विद्यार्थियों की ईमेल आई0डी0 सृजन प्रारम्भ–

डिजिटल लिट्रेसी के लिए माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की ई–मेल आई0डी0 का सृजन प्रारम्भ किया गया है। इसके प्रयोग की क्षमता विकसित होने से विद्यार्थियों को सूचना/जानकारी के आदान–प्रदान में सुलभता तथा समय की बचत होगी तथा विभाग द्वारा भी विद्यार्थियों के साथ शैक्षिक और विभिन्न उपयोगी जानकारियां प्रदान करने हेतु संवाद किया जा सकेगा।

8–राजकीय विद्यालयों में उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापना प्रारम्भ–

राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करने के लिए लक्षित सभी 2273 राजकीय विद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंन्डेंस डिवाइस स्थापित हो गई है। ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति से विद्यालयों में पठन–पाठन नियमित होगा और विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में वृद्धि होगी।

9– विद्यालय भवन नवीन मानकीकरण की कार्ययोजना विकसित–

प्रदेश की राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज के भवन निर्माण हेतु मानकीकृत आगणन एवं मानचित्र में अप्रासंगिक/अनुपयुक्त/अनुपयोगी मदों को हटाकर समय–समय पर किये गये नीतिगत परिवर्तनों एवं राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 की अनुसंशाओं के दृष्टिगत राजकीय विद्यालय भवन के मानचित्र व आगणन का नवीन मानकीकरण किया गया है। नवीन मानकीकरण में लैंगिक एवं समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्राविधानों का समावेश किया गया है तथा पाठयक्रमीय व पाठ्येत्तर क्रियाकलापों के सुचारू संचालन हेतु आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों की व्यवस्था की गई है।

मानकीकरण में भूमि की उपलब्धता के आधार पर डिजाइन के विकल्प भी प्रस्तावित हैं। नवीन मानकीकरण से विद्यालय की धारण क्षमता में वृद्धि और संचालन की दक्षता में वृद्धि होगी।

10– अध्यापक पुरस्कार हेतु मानकों में संशोधन की कार्ययोजना विकसित–

अध्यापक पुरस्कार हेतु प्रचलित नीति को और अधिक प्रासंगिक एवं आकलन के मानकों को युक्तिसंगत बनाने, अध्यापकों की संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुये विषयवार/वर्गवार पुरस्कारों की संख्या निर्धारित करने के लिये पुरस्कार हेतु प्रक्रिया एवं मानकों में संशोधन किया गया है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक विषय/वर्ग के अध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

11– 39 हाईस्कूल तथा 14 इण्टर कालेज का निर्माण प्रारम्भ–

असेवित क्षेत्रों में गुणवत्तापरक वहनीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये 39 नवीन हाईस्कूल और 14 नवीन इण्टर कालेज का निर्माण प्रारम्भ किया जा रहा है। कार्ययोजना के अन्तर्गत हाईस्कूलों की स्थापना से प्रतिवर्ष लगभग 6240 और 14 इण्टर कालेजों की स्थापना से लगभग 2240 छात्र/छात्राओं को अध्ययन की माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी।

12–प्रोजेक्ट ''अलंकार''–विद्यालयों की संसाधन मैपिंग–

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में मूलभूत अवस्थापना एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता अपरिहार्य होती है। माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक भौतिक संसाधनों की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्राथमिकता का निर्धारण व नियोजन कर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय की धारण क्षमता में वृद्धि तथा अन्यान्य सुविधाओं की उपलब्धता के लिए प्रोजेक्ट अंलकार के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय के संसाधनों की मैपिंग की गयी है। तदनुसार चरणबद्ध तरीके से अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार एवं अनुरक्षण किया जायेगा।

13– 65 बालिका छात्रावासों का संचालन–

सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाली बालिकाओं को भी माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ कराने हेतु लगभग 6500 छात्राओं को प्रतिवर्ष निःशुल्क आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 65 बालिका छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इससे बालिकाओं के ड्रॉपआउट में कमी होगी और उनकी माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

14– 84 निर्मित विद्यालयों का संचालन– असेवित क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिये 84 नवीन राजकीय इण्टर कालेजों का निर्माण करके संचालन प्रारम्भ किया गया है। इन विद्यालयों के संचालन से प्रतिवर्ष लगभग 46,200 छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापरक वहनीय माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध होगी।

15– नवीन स्कूल निर्माण कार्ययोजना विकसित –

प्रदेश के असेवित क्षेत्रों से माध्यमिक विद्यालयों की दूरी, असेवित क्षेत्र की जनसंख्या, साक्षरता दर और आकाक्षांत्मक जनपद इत्यादि मानकों के आधार पर स्थापना हेतु नवीन विद्यालय चयन की पारदर्शी कार्ययोजना विकसित की गयी है। नवीन विद्यालय स्थापना की कार्ययोजना आवश्यकताओं के ऑकलन, प्राथमिकताओं के निर्धारण और चरणबद्ध विद्यालय निर्माण के नियोजन में उपयोगी होगी। कार्ययोजना में असेवित क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के माध्यम से विद्यालय स्थापना के लिये प्रावधान किये गये हैं।

समग्र शिक्षा अभियान

भारत सरकार की सहायता से 14–18 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं की शिक्षा के विशेष उपाय किये जाने हेतु यह अभियान वर्ष 2009–10 से संचालित है। यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है एवं राज्य के सभी जनपदों में संचालित है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश है। इसका मुख्य उद्देश्य हाईस्कूल के छात्र/छात्राओं के लिये 5 किमी0 की परिधि में माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है।

अन्य कार्य

- बोर्ड परीक्षा सम्पादन एवं अन्य कार्यों में सुधार के लिये ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण, अग्रिम पंजीकरण, मान्यता एवं डुप्लीकेट अंक पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
- शासन द्वारा छात्र/छात्राओं के निमित्त कियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के उददेश्य से अग्रिम पंजीकरण कराने वाले तथा इसके पश्चात हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों के साथ–साथ उनकी आधार संख्या को भी ऑनलाइन अपलोड कराने की व्यवस्था की गई है।
- सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली तथा सी0आई0एस0सी0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु जनहित गारंटी अधिनियम के तहत ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र की व्यवस्था की गई है।
- कक्ष निरीक्षकों की डयूटी लगाने एवं देयकों का त्वरित निस्तारण करने के लिये एप्लीकेशन मॉडयूल की व्यवस्था की गई है।
- आन्तरिक परीक्षा/प्री बोर्ड परीक्षा के अंकों हेतु पोर्टल तैयार किया गया है।
- वर्ष 2020 की परीक्षा की भांति वर्ष 2021 एवं 2022 में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के प्रमाण सह अंकपत्र में उनके नाम एवं माता/पिता के नाम हिन्दी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित कराये गये।
- वर्ष 2020 की परीक्षा की भांति वर्ष 2021 एवं 2022 की परीक्षा के परीक्षार्थियों को प्रमाण सह अंक पत्र की हार्डकॉपी निर्गत किये जाने के पूर्व डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण सह अंक पत्र दिये जाने की व्यवस्था की गई है।
- परीक्षा केन्द्रों का ऑनलाइन निर्धारण किया गया।
- परीक्षा अवधि में कमी की गई।
- वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा में 8373 परीक्षा केन्द्रों के लगभग 1.37 लाख कमरों और परिसरों में वाइस रिकार्डर युक्त राउटर एवं हाई स्पीड इन्टरनेट सहित लगभग 3.00 लाख सी0सी0टी0वी0 कैमरे संस्थापित किये गये। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षाएं तथा प्रयोगात्मक परीक्षाएं सी0सी0टी0वी0 की निगरानी में आयोजित की गयीं।
- स्मार्ट प्रोजेक्ट आई. समस्त 75 जनपदों एवं राज्य स्तर पर समस्त तकनीकी आवश्यक सुविधाओं से युक्त कन्ट्रोल एवं मानीटरिंग सेन्टर की स्थापना कराकर सभी 8373 परीक्षा केन्द्रों एवं 75 जनपद स्तरीय कन्ट्रोंल एंव मानीटरिंग सेन्टर की वाइस रिकार्डिग के साथ संस्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों की इमेजिंग के साथ राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम से वेब–कास्टिंग द्वारा लाइव मॉनीटरिंग कराई गयी।
- कन्ट्रोल रूम टोल फ्री नम्बर, ईमेल, ट्विटर हैण्डल, सूचना विश्लेषण एवं सम्प्रेषण से सम्बन्धित कार्यों की मानीटरिंग के लिये निदेशालय स्तर से अधिकारी तैनात किये गये।
- कम मूल्य पर समान गुणवत्ता की पाठय पुस्तकों को उपलब्ध कराया गया।
- अर्द्धवार्षिक, वार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा के अंकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था की गई।
- शैक्षिक पंचांग माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की पूर्ण कार्यकारिणी का प्रथम बार 17 वर्ष बाद पुनर्गठन किया गया। जनसामान्य के उपयोगार्थ पारदर्शी वेबसाइट कियाशील की गई।
- पारम्परिक विषयों के साथ आधुनिक विषयों एवं एन0सी0आर0टी0 के पाठ्यक्रम का समावेश करते हुये संस्कृत शिक्षा के आधुनिकीकरण व प्रसार हेतु समस्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम लागू किया गया।
- माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में प्रथम बार ऑनलाइन परीक्षा आवेदन एवं अग्रिम पंजीकरण की व्यवस्था आरम्भ की गई।
- संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को शैक्षिक सत्र भी परिवर्तित करते हुये 01 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। कम्पार्टमेन्ट/इम्प्रूवमेंट परीक्षा की व्यवस्था की गई। शैक्षिक सत्र 2021–22 में कक्षा 6 से 8 (प्रथमा स्तर) के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं।

- 280 नये राजकीय इण्टर कॉलेज/हाई स्कूल का संचालन प्रारम्भ कर माध्यमिक शिक्षा की पहुँच में विस्तार किया गया।
- 35 नये इण्टर कॉलेजों, 215 राजकीय हाई स्कूल तथा 77 बालिका छात्रावासों के भवनों का निर्माण पूर्ण हुआ।
- 07 केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि की व्यवस्था की गयी।
- बालिका शिक्षा का सशक्तिकरण करने हेतु समस्त राजकीय इण्टर कॉलेजों (बालक) में सह शिक्षा की व्यवस्था, बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था, 30 विकास खण्डों में बालिका छात्रावास का संचालन, 77 विकास खण्डों में बालिका छात्रावासों के भवनों का निर्माण पूर्ण तथा 2273 राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं को आत्मरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जूडो प्रशिक्षण दिया गया।
- कोविड–19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन पठन–पाठन शुरू किया गया। 2.96 लाख वाटसएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण कक्षाएं संचालित की गयी जिसमें 67.73 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
- माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर ई–पाठ्य पुस्तकों, दीक्षा पोर्टल विषयवार शैक्षिक वीडियों, यू–ट्यूब चैनल–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट पर उत्कृष्ट व्याख्यानों, स्व अधिगम मुद्रित सामग्री उपलब्ध करायी गयी।
- उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है जिसके द्वारा स्वयं प्रभा चैनल तथा दूरदर्शन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया गया।
- पी0एम0 ई–विद्या चैनल पर 1360 शैक्षिक वीडियों को प्रसारण किया गया।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक समर्थन के लिए शैक्षिक जिज्ञासाओं के समाधान हेतु टोल फ्री हेल्प लाइन नं0 तथा प्रत्येक विद्यालय में ड्रॉपकार्नर की व्यवस्था करायी गयी।
- प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए संचालित मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में शक्ति मंच का गठन तथा उपरोक्त विषयक मुददों पर जागरूकता हेतु परिचर्चा का आयोजन किया गया।

व्यावसायिक शिक्षा

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवम् कौशल विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा–9 एवं 10 स्तर पर ऑटोमोबाइल, रिटेल, सिक्योरिटी, आई0टी0 विषयों को वैकल्पिक विषयों के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इण्टरमीडिएट स्तर (कक्षा–11 एवं 12) में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत हेल्थकेयर ट्रेड को 42वें ट्रेड के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार शैक्षिक सत्र 2021–22 से कक्षा–9 में प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिशियन, आपदा प्रबन्धन, सोलर सिस्टम रिपेयरिंग एवं मोबाइल रिपेयरिंग को नवीन विषय के रूप में सम्मिलित किया गया।

उच्च शिक्षा

बदलते हुये परिवेश के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं के गुणात्मक विकास हेतु प्रदेश के उच्च शिक्षा के संस्थानों में आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था एवं व्यवसाय–परक शिक्षा प्रदान करने हेतु एक ओर महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तो दूसरी ओर उच्च शिक्षा में निजी निवेश एवं सहभागिता को आकृष्ट करते हुए असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना जैसे कार्यों पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 19 राज्य विश्वविद्यालय, 172 शासकीय महाविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय, 01 डीम्ड विश्वद्यिालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, 331 अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालय, 7372 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाएं

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदेश के तहसील/ब्लाक स्तर पर संचालित 120 राजकीय महाविद्यालयों में ई–लर्निंग पार्क विकसित किये जाने हेतु प्रत्येक राजकीय महाविद्यालयों में 05 कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये।
- शिक्षण तकनीकी में ई–कन्टेन्ट निर्माण में सुविधा प्रदान करने हेतु निदेशालय स्तर पर ई–कन्टेन्ट स्टूडियों की स्थापना हेतु शासन द्वारा 100.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। जिसके सापेक्ष सत्र 2022–23 में रुपये 97 लाख धनराशि कार्यदायी संस्था को आंवटित कर दी गयी है।
- विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों की सम्बद्धता प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दृष्टि से महाविद्यालयों की सम्बद्धता हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।
- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों हेतु चयनित प्रवक्ताओं की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु एन०आई०सी० के माध्यम से साफ्टवेयर तैयार किया गया है। उक्त साफ्टवेयर द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की ऑनलाइन काउन्सिलिंग की प्रक्रिया सम्पन्न करायी जाती है।
- प्रदेश में प्रथम बार हायर एजुकेशन रेनोवेशन मिशन के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों को विज्ञान संकाय विषयों हेतु प्रयोगशाला उच्चीकरण के लिए रु0 1051.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रत्येक मण्डल से 02–02 राजकीय महाविद्यालयों का चयन करते हुए कुल 36 संबंधित राजकीय महाविद्यालयों को धनराशि आवंटित कर दी गयी है।
- हायर एजुकेशन रेनोवेशन मिशन के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय विषयों हेतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकें के लिए रू0 203.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जो प्रदेश के 111 राजकीय महाविद्यालयों को आवंटित किया जा चुका है।
- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्मार्ट क्लास की स्थापना हेतु 58 राजकीय महाविद्यालयों को शासन द्वारा 10.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रु० 9,97,92,000/– की धनराशि संबंधित राजकीय महाविद्यालयों को आवंटित की जा चुकी है।
- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में मेजर ध्यानचन्द्र योजनान्तर्गत खेल–कूद, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किये जाने हेतु 172 राजकीय महाविद्यालयों को प्रति विद्यालय रू0 1.00 लाख की धनराशि आवंटित कर दी गयी है।
- प्रदेश के 03 नये राज्य विश्वविद्यालय क्रमशः राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, माँ शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय, सहारनपुर एवं महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजगमढ़ अध्यापन कार्य वर्तमान सत्र से संचालित किया जा रहा है।
- निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का मानक नगरीय क्षेत्र हेतु 40 एकड़ तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 100 एकड़ निर्धारित था जिसे सरकार द्वारा संशोधित कर क्रमशः नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में 20 एकड़ एवं 50 एकड़ कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना अधिक संख्या में हो सकेगी तथा गुणवत्तापरक स्किल डेवलपमेण्ट युक्त शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।
- महायोगी गुरू श्रीगोरक्षनाथ के लोकोपयोगी मन्तव्यों एवं उपदेशों को एकत्रित कर योगानुकूल सिद्धांतों एवं प्रयोगों को जीवनोपयोगी कार्य तथा व्यवहार में परिवर्तित करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में महायोगी गुरू श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ की स्थापना की गयी है।
- पं0 दीन दयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं चिन्तन पर शोध कार्य हेतु प्रदेश के 15 राज्य विश्वविद्यालयों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में भाऊराव देवरस शोध पीठ तथा अभिनव गुप्त इंस्टीट्यूट आफ शैव फिलॉस्फी एवं एस्थेटिक्स की स्थापना की गई है। श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर लखनऊ विश्वविद्यालय में अटल सुशासन पीठ की स्थापना की गयी है तथा महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार पीठ की स्थापना की कार्यवाही

गतिमान है। वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर में प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल साइन्स आफ स्टडी एण्ड रिसर्च तथा रिसर्च सेण्टर फार रिन्यूएबल एनर्जी एण्ड नैनो साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गयी है।

- राजकीय कृषि महाविद्यालय हरदोई, राजकीय महिला महाविद्यालय, अहरौला, आजमगढ़ एवं राजकीय महाविद्यालय, कटरा चुग्घुपुर, सुल्तानपुर के भवन निर्माण के पश्चात् हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है तथा संघटक महाविद्यालय के रूप में संचालन किया जा रहा है।
- प्रदेश में प्रथम बार पुस्तकालय के संग्रह में लगभग सभी विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित हिन्दी, अग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगल, फ्रेन्च व अन्य भाषाओं में पुस्तकों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। पुस्तकालय के संग्रह में विभिन्न विषयों में लगभग 1.25 लाख पुस्तकें उपलब्ध है।
- भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक, प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व मीन्स एवं नेशनल स्कालरशिप योजनान्तर्गत आनलाइन छात्रवृत्ति योजना संचालित है।
- हायर एजुकेशन रेनोवेशन मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना हेतु रू0 997.92 लाख, राजकीय महाविद्यालयों के प्रयोगशालाओं को उच्चीकरण किये जाने हेतु रू0 1051.00 लाख, राजकीय महाविद्यालयों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 203.00 लाख तथा मेजर ध्यानचन्द मिशन के अन्तर्गत खेलकूद इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु रू0 172.00 लाख तथा राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा विषय के प्रवक्ताओं को योग प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु रू0 10.00 लाख की धनराशि राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।
- प्रदेश में संचालित 172 राजकीय महाविद्यालयी छात्रों को आधुनिक शिक्षण तकनीक से शिक्षण सुविधा प्रदान करने एवं डिजिटलाइजेशन की ओर उन्मुख करने हेतु ई–लर्निंग पार्क, वाई–फाई एवं इंटरनेट एक्सेस की सुविधा, छात्रों की आन लाइन शिक्षण सामग्री, ई–कन्टेन्ट, डिजिटल लाइब्रेरी के उपयोग, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, वेबिनार आदि उपयोगी एवं आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर उनका बहुमुखी विकास किया जा रहा है।

प्रावैधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्राविधियां विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम विकसित हो रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा के स्वरूप व स्तर की प्रासंगिकता का विशेष महत्व है। अतः विकास के इस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्कर्षकाल मे प्राविधिक शिक्षा की विशेष प्रासंगिकता प्रदेश में सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

प्रावैधिक शिक्षा से सम्बन्धित मुख्य कार्यक्रम एवं योजनाएं–

- मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को रूड़की विश्वविद्यालय की भॉति मदन मोहन मानवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर बनाया गया है। हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट (एचबीटीआई कानपुर) को उपर्युक्त की भाँति हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर बनाया गया है।
- वर्तमान में प्रदेश में 168 राजकीय पॉलीटेक्निक, 12 राजकीय इन्जीनियरिंग एवं 02 राजकीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संचालित हैं।
- प्राविधिक शिक्षा विभाग से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश सामान्यतः संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से होते हैं। राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त तथा निजी क्षेत्र की पॉलीटेक्निक संस्थाओं की प्रवेश क्षमता 2,35,464 के सापेक्ष ऑनलाइन काउन्सलिंग के पश्चात् कुल 1,32,390 अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश दिया गया। प्रवेश परीक्षा की सुचिता एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2019–20 से ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा सम्पन्न करायी जा रही है।

- राजकीय पॉलीटेक्निक में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु 47 संस्थाओं में वर्चुअल क्लास रूम एवं 19 संस्थाओं में स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना पूर्व में की जा चुकी है।
- वर्चुअल क्लास रूम के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रिसोर्स सेण्टर/स्टूडियो (ई0एम0आर0सी0) की स्थापना शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर एवं राजकीय पॉलीटेक्निक, गाजियाबाद में की गयी है, जिन्हें वर्तमान में प्रदेश की 47 राजकीय (महिला/पुरूष) पॉलीटेक्निक संस्थाओं में स्थापित वर्चुअल क्लासरूम से जोड़ा गया है।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकानुसार प्रदेश की राजकीय पोलीटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों में कम्यूनिकेशन स्किल, साफ्ट स्किल आदि की वृद्धि किये जाने के उददेश्य से 89 लैंग्वेज लैब की स्थापना की गयी है।
- तकनीकी शिक्षा के आधुनिक विषयों में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वर्तमान में 21 महिला पॉलीटेक्निक (19 राजकीय एवं 02 सहायता प्राप्त) संचालित हैं, सत्र 2021–22 में इनकी कुल प्रवेश क्षमता 5872 रही है। इसके अतिरिक्त असेवित मण्डल/जनपदों में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 07 महिला पॉलीटेक्निक अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं, जो पीपीपी माडल के माध्यम से संचालित कराया जाना है।
- वर्ष 2021–22 में निर्माणाधीन 41 में से 11 महिला छात्रावासों का हस्तान्तरण कर लिया गया है एवं शेष 30 निर्माणाधीन हैं।
- शारीरिक रूप से दिव्यांग नवयुवकों की तकनीकी शिक्षा हेतु प्रदेश में विशिष्ट संस्था डा0 अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फार हैण्डीकैप्ड, उत्तर प्रदेश, कानपुर में स्थापित है, जिसकी प्रवेश क्षमता सत्र 2021–22 हेतु 150 निर्धारित थी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ''स्कीम फॉर इन्टीग्रेटिंग परसन्स विद डिसएबिलटीज इन दि मेन स्ट्रीम आफ टेक्निकल एण्ड वोकेशनल एजूकेशन'' के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक, झाँसी में 26 एवं राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, मुरादाबाद में 06 सीटों पर दिव्यांग तथा अन्य पॉलीटेक्निक संस्थाओं में दिव्यांगजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की भी सुविधा अनुमन्य है।
- प्रदेश की पालीटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को नवीन तकनीकी ज्ञान अर्जित करने के उददेश्य से यूराइज पोर्टल की स्थापना की गयी जिसमें छात्र/छात्राओं को वीडियो लेक्चर, ई–कन्टेन्ट, ऑनलाइन उपस्थिति, डी0जी0 लॉकर एवं परिषद परीक्षा के परिणाम देखने की सुविधा प्रदत्त है।
- भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्तपोषित कम्यूनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलीटेक्निक स्कीम का उददेश्य ग्रामीण अंचलों के निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार अल्पकालीन रोजगार पूरक व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा लाभ पहुंचाना है। वर्तमान में 59 राजकीय एवं अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थानों में यह स्कीम संचालित है।
- नन्दी फाउण्डेशन, हैदराबाद के द्वारा प्रदेश में संचालित राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं के अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्राओं हेतु एप्टीटयूड एण्ड कम्यूनिकेटिव इंग्लिश के साथ साफ्ट स्किल, इन्टरव्यू स्किल, ग्रुप डिस्कशन एवं पर्सनाल्टी डेवलपमेन्ट आदि पर निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जा रहे हैं। सत्र 2018–19 से सत्र 2020–21 तक राजकीय एवं अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थाओं के कुल 12883 छात्र/छात्राओं को नन्दी फाउण्डेशन के माध्यम से निःशुल्क रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
- प्रदेश में डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं की अभिवृद्धि में राज्य सेक्टर से मैनपुरी, कन्नौज, सोनभद्र, मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में एक एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की गयी है। जिसमें से तीन इंजीनियरिंग कालेज यथा –मैनपुरी, कन्नौज एवं सोनभद्र अपने निजी भवन में संचालित हो रहे हैं तथा प्रतापगढ़ एवं मिर्जापुर इंजीनियरिंग कालेज अवस्थापना की प्रक्रिया में है।
- भारत सरकार की आर्थिक सहायता से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ''रूशा'' योजना के अन्तर्गत गोण्डा एवं बस्ती में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जा रहीं है।
- छात्र/छात्राओं को अधिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग हेतु मैन पावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सत्र 2022–23 से न्यू एज कोर्स के अन्तर्गत चार पाठ्यक्रम

यथा–डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इन्टरनेट आफ थिंग्स, साइवर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी में शिक्षण–प्रशिक्षण 21 राजकीय पॉलीटेक्निकों में प्रारम्भ किया गया जिसमें प्रवेश क्षमता 1575 है।

****

अध्याय–14
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

मुख्य बिन्दु–

- ❖ वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज संचालित हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार द्वारा एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं।
- ❖ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों को वित्तीय वर्ष 2018–19 में ही आच्छादित किया जा चुका है।
- ❖ कुपोषित बच्चो का उपचार करने हेतु चयनित जनपदो के जिला पुरूष चिकित्सालयो व मेडिकल कालेजों मे न्यूट्रीशन रिहेबिलीटेशन सेन्टर (पोषण पुनर्वास केन्द्र) चरणबद्ध रूप से तैयार किये जा रहे है।
- ❖ न्यूमोनिया से होने वाली मृत्यु मे कमी लाने के उद्देश्य से नवम्बर–2020 से ''सांस'' कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
- ❖ आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नही आने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए मुख्यमंत्री जनआरोग्य अभियान की शुरूआत मार्च, 2019 में की गई।

स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उन समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता तथा कार्यक्षमता आदि की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आवास की दशाएं, मानव विकास को प्रभावित कर अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य मे सतत विकास के लक्ष्य–2030 मे गोल संख्या–3 के अन्तर्गत सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

जन्म दर, मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर

राज्य सरकार के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरुप जन्म दर वर्ष 2009 के 28.7 प्रति हजार से घटकर 2020 में 25.1 प्रति हजार हो गई वहीं मृत्यु दर 8.2 प्रति हजार से घटकर 6.5 प्रति हजार हो गयी है। इससे प्राकृतिक वृद्धि दर मे 1.8 प्रति हजार की कमी आई है। शिशु मृत्यु दर में उक्त अवधि के दौरान 25 प्रति हजार की कमी आई है, जो 63 प्रति हजार से कम होकर 38 प्रति हजार हो गई है।

तालिका–14.01– प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर तथा शिशु मृत्यु दर

(एस.आर.एस. बुलेटिन, महारजिस्ट्रार, भारत सरकार मई 2022)

मद	वर्ष 2009			वर्ष 2020		
	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण
जन्म दर	28.7	24.7	29.7	25.1	22.1	26.1
मृत्यु दर	8.2	6.5	8.6	6.5	5.4	6.8
प्राकृतिक वृद्धि दर	20.5	18.3	21.1	18.7	16.7	19.3
शिशु मृत्यु दर	63	47	66	38	28	40

स्रोतः– एस.आर.एस. बुलेटिन, महारजिस्ट्रार, भारत सरकार मई 2022।

प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 2022–23 के अनुसार वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर चालू व्यय, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है–

तालिका–14.02– प्रदेश में स्वास्थ्य पर व्यय (लाख रुपये)

वर्ष	कुल चालू व्यय	स्वास्थ्य पर चालू व्यय	व्यय प्रतिशत	कुल पूँजीगत व्यय	स्वास्थ्य पर पूँजीगत व्यय	व्यय प्रतिशत
2020-21	27853016	2145039	7.70	9163781	83066	0.91
2021-22	32935181	2185609	6.64	14109315	331298	2.35
2022-23	41335824	3807018	9.21	17986472	327975	1.82

स्रोतः– उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 2022–23

ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना

जनसेवा केंद्रों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान करना है, जन–मानस को किफायती, पारदर्शी एवं सहज–सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकत्र कर एक ही स्थान से नागरिकों को उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य कार्य है। यह परियोजना प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित है। इसके तहत वर्तमान में निम्नवत् 09 सेवाओं को जन सामान्य को उपलब्ध कराया जा रहा है–

- क्लीनिकल/मेडिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण।
- मेडिकल सर्टिफिकेट का निर्गमन।
- विकलांगता प्रमाण–पत्र का निर्गमन।
- असफल परिवार नियोजन के क्लेम का भुगतान।
- सफल टीकाकरण प्रमाण–पत्र का निर्गमन।
- आयु प्रमाण–पत्र का निर्गमन।
- अस्पताल में मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण–पत्र का निर्गमन।
- सरकारी कर्मचारियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति शुल्क का निर्गमन।
- मेडिको–लीगल (इन्जरी) प्रमाण–पत्र का निर्गमन।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख योजनाएं

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

यह योजना सस्ती और समावेशी स्वास्थ्य सेवा के मामले में एक वैश्विक बेंचमार्क बन गयी है। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक सम्पूर्ण देश को रोगमुक्त करके विकास के पथ पर ले जाना है। आयुष्मान भारत पर आने वाले व्यय को केन्द्र एवं राज्य सरकारें 60–40 के अनुपात में वहन करती हैं, इस योजनान्तर्गत आने वाले सभी परिवारों को पाँच लाख रूपये तक प्रतिवर्ष चिकित्सा बीमा कवर दिया जाता है। आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को चार जोन में बांटा गया है। हर जोन के लिए इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी का चयन किया गया है, जो क्लेम की जाँच करेगी।

मुख्यमंत्री जन–आरोग्य योजना

आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नही आने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए मुख्यमंत्री जनआरोग्य अभियान की शुरूआत मार्च, 2019 में की गई। इसमें हीमोग्लोबीन, मूत्र द्वारा गर्भ की जाँच, यूरिन डिपेस्टिक द्वारा एल्बुमिन एवं ग्लूकोज, ग्लूकोमीटर द्वारा ब्लड ग्लूकोज आदि के जाँच की सुविधा मिलती है।

राष्ट्रीय अन्धता नियन्त्रण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत साठ वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को मुफ्त चश्मा और मोतियाबिन्द आपरेशन के लिए आई0ओ0एल0 विधि द्वारा शल्य–क्रिया की जाती है। मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगों (डायबिटिक, रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा मैनेजमेंट, लेजरटेक्निक, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस) के आपरेशन एवं

इलाज की सुविधा, बड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए आने वाले व्यय को सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

वर्तमान में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत समायोजित कर चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रदेश की अंधता दर 1.58 प्रतिशत से घटाकर 0.3 प्रतिशत पर लाना है। वर्ष 2015–2019 में भारत सरकार द्वारा कराये गये नवीनतम सर्वे के अनुसार प्रदेश की अन्धता की व्यापकता दर 0.36 प्रतिशत हो गई है। इसे वर्ष 2024 तक 0.3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।

- मोतियाबिन्द आपरेशन की आईओएल विधि द्वारा शल्यक्रिया के लिए एनजीओ को रू0 2000 प्रति आपरेशन तथा राजकीय क्षेत्र में रू0 1000 प्रति आपरेशन का भुगतान/व्यय निर्धारित है।
- 8 से 14 वर्ष तक की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों के नेत्रों की जांच एवं निःशुल्क चश्मा वितरित करना।
- नेत्रबैंक की स्थापना एवं कार्निया प्रत्यारोपण को प्रोत्साहन एवं जनता में नेत्रदान हेतु जागरूकता पैदा करना।
- मोतियाबिन्द के अतिरिक्त अन्य नेत्र रोगों (डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा मैनेजमेंट, कार्निया ट्रांसप्लांटेशन, तथा ट्रीटमेण्ट ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस) के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा बड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध कराना।
- प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/एनजीओ क्षेत्र में विजन सेन्टर्स की स्थापना करना।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों/ब्लाकों में वर्ष 2022–23 से 2024–25 तक तीन वर्षीय ''राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान'' को मिशन मोड में चलाकर 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 16 प्रतिशत नागरिकों के नेत्रों की स्क्रीनिंग कर पंजीकृत किये गये मोतियाबिन्द के अधिकाधिक आपरेशन कर प्रदेश को मोतियाबिन्द बैकलॉग मुक्त किये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

गम्भीर मानसिक विकारों में सीजोफ्रेनिया बाई पोलर विकार, आर्गेनिक साइकोसिस और गहन अवसाद से एक हजार की जनसंख्या में बीस व्यक्ति पीड़ित हैं, जिनके उपचार के लिए सभी जिला अस्पतालों में उपचार और सन्दर्भन की व्यवस्था की गयी है। कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान, सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में कुशलता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। मनोरोग एवं उससे सम्बंधित रोगों के उपचार एवं बचाव, मनोरोग विधा द्वारा सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के उत्थान एवं मानसिक स्वास्थ्य द्वारा देश के सम्पूर्ण उत्थान जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार ने वर्ष 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आरम्भ किया था जिसके अन्तर्गत पाइलेट फेज में वर्ष 1998 में कानपुर नगर को सम्मिलित किया गया था।

- डी0एम0एच0पी0 केन्द्र, जिला चिकित्सालय में कार्यरत मनोरोग विशेषज्ञ (चिकित्सक) एवं क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबन्धन एवं विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य इकाइयों यथा–जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकीय परामर्श/काउंसलिंग एवं उपचार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम–2017 के अनुपालन में मानव संसाधन की क्षमता विकास हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तरीय चिकित्साधिकारियों, नर्स, अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों, आशा एवं ए0एन0एम0 आदि को प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण प्रदान किया जाता है, जिससे वह मनोरोग की पहचान/उपचार कर सकने में समर्थ हों।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों को वर्ष 2018–19 से आच्छादित किया जा चुका है।
- टारगेटेड इन्टरवेंशन के अन्तर्गत जनपद के 08 चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रतिवर्ष 01 वृहद शिविर का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के साथ–साथ तम्बाकू नियंत्रण, मधुमेह नियंत्रण, उच्च रक्तचाप इत्यादि असंचारी रोगों की स्क्रीनिंग एवं उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)

भारत सरकार के दिशा निर्देश एवं आर्थिक सहयोग से प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में रोगियों के पंजीकरण, जांच से लेकर उपचार तक की सभी सुविधाएं समस्त सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क प्रदान की जा रही है। प्रदेश में क्षय नियन्त्रण हेतु निम्न कार्य किये जा रहे हैं–

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 के 5.50 लाख लक्ष्य के सापेक्ष जनवरी से मई 2022 तक कुल 205118 (90 प्रतिशत) क्षय रोगी निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत किये गये, जिसमें सरकारी क्षेत्र में 153638 एवं निजी क्षेत्र में 51480 क्षय रोगी हैं ।
- अप्रैल 2018 से भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को रू0 500 प्रति माह की दर से जून 2022 तक 11.84 लाख क्षय रोगियों को रू0 296.68 करोड़ का भुगतान किया गया।
- प्रदेश में क्षय रोगियों को बेहतर आधुनिक जाँच उपलब्ध कराने हेतु प्रयोगशाला नेटवर्क का विस्तार किया गया है। वर्तमान में 166 सी0बी0नॉट एवं 486 ट्रूनॉट प्रयोगशाला, 07 कल्चर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग प्रयोगशाला (सीडीएसटी प्रयोगशाला एवं 02 इन्टरमीडिएट रेफरेन्स प्रयोगशाला) के द्वारा प्रदेश के क्षयरोगियों को निःशुल्क जाँच सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- प्रदेश में स्थापित 22 नोडल डीआरटीबी सेन्टर में एमडीआर/एक्सडीआर (ड्रग रेजिस्टेंट) क्षय रोगियों के उपचार हेतु नई औषधियां बीडाक्यूलीन एवं डेलामेनिड आधारित रेजीमिन पर उपचार किया जा रहा है।
- क्षय उन्मूलन पर उप राष्ट्रीय प्रमाणीकरण के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च 2022 के अवसर पर प्रदेश के 8 जनपदों, ललितपुर को रजत पदक एवं बलरामपुर, चन्दौली, गोण्डा, महाराजगंज, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र तथा उन्नाव को कांस्य पदक प्रदान किया गया।
- आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर क्षय उन्मूलन सम्बन्धी सेवाओं के विकेन्द्रीकरण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से कैम्प आयोजित कर 1173778 व्यक्तियों की स्क्रीनिग की गयी। जिसमें से 62708 संदिग्ध लक्षण युक्त व्यक्तियों में टी0बी0 की जाँच का कार्य किया गया। इनमें कुल 744 नये क्षय रोगियों का चिन्हीकरण किया गया है।
- मण्डलीय स्टेट ड्रग्सस्टोर्स लखनऊ, बरेली एवं वाराणसी से प्रदेश के समस्त जनपद/टी0यू0 तक क्षय निरोधी औषधियों की आपूर्ति, प्लान इण्डिया के सहयोग से सुदृढ की जा रही है।

नेशनल पैलिएटिव केयर प्रोग्राम

पैलिएटिव केयर कैंसर कंट्रोल एवं हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली कार्यक्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। प्रदेश पर पड़ रहे रोगों का बोझ कम किये जाने हेतु पैलिएटिव केयर कार्यक्रम को कैंसर कंट्रोल एवं हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली के साथ संचालित किया जाना अति आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश में नेशनल प्रोग्राम फार पैलिएटिव केयर वित्तीय वर्ष 2016–17 में आरम्भ किया गया था। वर्तमान में कार्यक्रम से प्रदेश के 15 जनपद क्रमशः–जालौन, झांसी, लखीमपुर–खीरी, ललितपुर, इटावा, अयोध्या, फिरोजाबाद, फर्रूखाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, बहराइच, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ एवं मथुरा आच्छादित है।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम

प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम एवं सीओटीपीए–2003 का संचालन सामान्य जनता विशेषकर युवा पीढ़ी को तम्बाकू से होने वाली हानियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

- प्रदेश के समस्त जनपदों में ''येलो लाइन कैम्पेन'' तथा ''तम्बाकू से आजादी'' अभियान वित्तीय वर्ष 2022–23 में समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों विशेषकर विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों में जागरूकता हेतु विस्तारित किया जा चुका है।
- प्रदेश में तम्बाकू, पान–मसाला की दुकानों पर गैर–तम्बाकू उत्पादों (जैसे– टॉफी, बिस्किट, चिप्स, कोल्डड्रिंक आदि) की बिक्री पर रोक एवं तम्बाकू उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदेश के

सभी नगर निगम/स्थानीय निकायों में वेंडर लाइसेंसिंग की व्यवस्था करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा ई–सिगरेट के विक्रय/उपभोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पिछले वर्षों में तम्बाकू नियंत्रण हेतु किये गये कार्यों एवं विश्व तम्बाकू निषेध दिवस अवसर पर किये गये कार्यो की सराहना करते हुए राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को पुरस्कृत किया गया है।

राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम

प्रदेश में माह मार्च 2022 तक कुल 56 जनपद राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम से आच्छादित हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित इस कार्यक्रम में बधिरता की जाँच एवं जिला चिकित्सालय स्तर पर कान की बीमारियों की जटिल एवं नाजुक माइक्रो सर्जरी द्वारा उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है।

कार्यक्रम से आच्छादित 52 जनपदों के चयनित जिला चिकित्सालयों में साउण्ड प्रूफ कक्ष का निर्माण किया जा चुका है। बधिरता के निदान के लिए डायग्नोस्टिक उपकरण तथा कान की सर्जरी हेतु सर्जिकल उपकरणों का क्रय, सम्बन्धित जिला चिकित्सालयों द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु 54 जनपदों के चयनित ईएनटी विशेषज्ञों का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर करा लिया गया है। 54 जनपदों में बाल रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ तथा 55 जनपदों में स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है तथा ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2021–22 से कुल 208022 मरीज देखे गये एवं 1504 की शल्य क्रिया द्वारा उपचार किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह जुलाई 2022 तक कुल 799 मरीजों का शल्य क्रिया द्वारा उपचार किया गया।

जे०ई०/ए0ई0एस0 अभियान

प्रदेश सरकार द्वारा दिमागी बुखार के समूल उन्मूलन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए व्यापक स्तर पर प्रभावित जनपदों में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के इस मॉडल को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त हुई है एवं दिमागी बुखार के प्रकोप को नियन्त्रित करने में सरकार को अभूतपूर्व सफलता मिली है। प्रदेश सरकार द्वारा डेंगू, मलेरिया, कालाजार सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण संचारी रोगों के विरूद्ध स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है–

- पूर्णरूप से सुसज्जित पीआईसीयू, मिनी पीआईसीयू, ईटीसी की स्थापना कर प्रभावी उपचार व्यवस्था को रोगी के घर के निकट पहुँचाया गया। राज्य में संचारी रोगों से होने वाली मुत्यु दर को कम करने एवं रोगियों के प्रभावी उपचार हेतु विगत वर्षों मे निम्न चिकित्सा इकाइयों का निर्माण किया गया –

तालिका–14.03– चिकित्सा इकाइयों का संख्या

कम संख्या	चिकित्सा इकाई का नाम	संख्या
1	कुल ब्लॉक स्तरीय ई0टी0सी0	177
2	कुल मिनी पी0आई0सी0यू0	15
3	कुल पी0आई0सी0यू0	16
4	कुल वेन्टीलेटर युक्त शैय्यायें	202
5	कुल सेन्टीनल प्रयोगशालायें (जे0ई0)	19
6	अन्य सेन्टीनल प्रयोगशालायें (डेंगू)	46
7	अपैक्स प्रयोगशालायें	03

स्रोतः–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0

- संचारी रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रतिवर्ष 3 चरणों में दस्तक/विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा घर–घर जाकर तथा उपचार में होने वाली देरी के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाता है।

- दिमागी बुखार के समुचित प्रबन्धन और उपचार के लिए गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल की सभी सिक न्यूबार्न केयर इकाइयों में वेन्टिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।
- दस्तक/विशेष संचारी रोग नियन्त्रण अभियान के अन्तर्गत उच्च जोखिम वाले गाँवों की पहचान कर सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा समन्वित कार्यवाही।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

- प्रदेश के समस्त जनपदों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 10 जानलेवा बीमारियों (पोलियो, टी0बी0, गलाघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, हेपेटाइटिस–बी, निमोनिया, जे0ई0, खसरा एवं डायरिया) से बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है।
- नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत एचएमआईएस डेटा के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की उपलब्धि वर्ष 2021–22 में 85.86 प्रतिशत रही है।
- प्रदेश के 38 जनपदों में जे0ई0 टीकाकरण से छूटे हुये बच्चों हेतु जे0ई0 विशेष टीकाकरण अभियान फरवरी, 2021 से चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 424227 बच्चों का टीकाकरण किया गया।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन मिशन इन्द्रधनुष 4.0 अभियान तीन चरणों (07 मार्च, 04 अप्रैल एवं 02 मई 2022 से) में चलाया गया, जिसमें कुल 3682512 बच्चों एवं कुल 1031352 गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में मार्च, 2022 से पल्स पोलियो एन0आई0डी0 अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 3,29,19,966 बच्चों को पोलियो ड्राप पिलायी गयी। आगामी अभियान सितम्बर, 2022 से प्रदेश के 50 जनपदों में चलाया जाना है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

वर्तमान में प्रदेश की सकल प्रजनन दर एनएफएचएस–5 वर्ष 2020–21 के अनुसार 2.4 है, जिसे वर्ष 2030 तक 2.1 का लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु परिवार कल्याण की स्थाई व अस्थाई दोनों प्रकार की विधियों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम मे निम्नांकित सेवाएं/सुविधायें प्रदान की जा रही है।

- दो बच्चों के जन्म में अन्तर बनाये रखने हेतु गर्भ निरोधक, जैसे ओरल पिल्स, निरोध, आईयूसीडी, पीपीआईयूसीडी, गर्भ–निरोधक इन्जेक्शन–अंतरा तथा गैर–हार्मोन गर्भनिरोधक गोली सैन्ट्रक्रोमॉन–छाया की सेवा, आशा के माध्यम से तथा चिकित्सा इकाइयों में प्रदान की जा रही है।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम अर्न्तगत महिला तथा पुरुष नसबंदी सेवाएं प्रदान की जा रही है। नसबंदी सेवाएं जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाईयों के अतिरिक्त चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाइयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियत दिवस अथवा नियत दिवस आउटरीच सेवाओं के रुप में प्रदान की जाती हैं।
- फैमिली प्लानिंग इन्डेम्निटी स्कीम के अन्तर्गत नसबन्दी के उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण/जटिलता के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है। मिशन परिवार विकास योजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों में परिवार नियोजन की गतिविधियों एवं गर्भनिरोधक सामग्री की उपलब्धता करायी जा रही है।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से वेबपोर्टल के माध्यम से हौसला साझेदारी योजना सिफ्सा संस्था के माध्यम से संचालित की जा रही है।
- परिवार कल्याण सेवाओं को गति प्रदान करने हेतु राज्य द्वारा नवम्बर 2020 से मुहिम के तौर पर प्रत्येक माह की 21 तारीख को ''खुशहाल परिवार दिवस'' मनाया जाता है। सभी लक्षित दम्पतियों विशेषकर विगत 01 वर्ष के दौरान नवविवाहित दम्पति, उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलायें (एच0आर0पी0) एवं 03 या उससे अधिक बच्चे वाले दम्पति तक प्रभावकारी परामर्श के साथ परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उपरोक्त का चयन महिलाओं के

समुचित स्वास्थ्य यथा–कम आयु में प्रथम गर्भावस्था, अनचाहा गर्भ तथा कुपोषण से बचाव को ध्यान में रखते हुये किया जाता है।

मिशन परिवार विकासः–

तीन या तीन से अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में कार्यक्रम सम्बन्धित गतिविधियों की ग्राहिता एवं गर्भ निरोधक सामग्री की जन समुदाय की सुगम उपलब्धता हेतु मिशन परिवार विकास योजना अप्रैल 2017 से लागू की गयी है। इस योजना को क्रमवत् 5 चरणों में क्रमशः नियमित सेवायें, परिवार नियोजन सेवाओं की वृद्धि हेतु अतिरिक्त मानव संशाधन एवं मानव संशाधन की क्षमता संवर्धन, गर्भ निरोधक सामग्री एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना, नवीन प्रोत्साहन योजनाओं का क्रियान्वयन तथा कार्य अनुरूप वातावरण का निर्माण क्रियान्वित किया जाना है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

शहरी क्षेत्रों में विशेषकर मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या को गुणवत्तापरक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2013–14 में प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का शुभारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 50,000 से अधिक शहरी जनसंख्या वाले कुल 131 शहरों/कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया जा रहा है। 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आच्छादित किया जा रहा है–

- प्रत्येक 50,000 की शहरी जनसंख्या पर एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से 17 नये केन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार कुल 610 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से वर्तमान में 602 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील हैं। चिह्नित 123 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 24 घंटे सप्ताह के प्रत्येक दिवस प्रसव केन्द्र के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है।
- प्रत्येक 500000 की शहरी जनसंख्या वाले शहर में प्रत्येक 250000 की जनसंख्या पर एक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जानी है। लखनऊ के 08 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृह तथा वाराणसी के 03 मैटरनिटी होम एवं वर्ष 2021–22 के 01 झांसी व 02 वाराणसी को सम्मिलित करते हुए कुल 14 में से 11 केन्द्रों को नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालित किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से प्राप्त 50 नये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों की स्वीकृति से वर्तमान में 496 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्रियाशील हैं।
- प्रत्येक 10000 की शहरी जनसंख्या पर एक ए0एन0एम0 तैनात है, जिनके द्वारा अपने क्षेत्र में माह में चार शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित किये जाते है।
- शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों के प्रत्येक 200–500 घरों पर 01 अर्बन आशा का चयन किया गया है जो कि मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनता, स्वास्थ्य इकाई, सेवा प्रदाता एवं महिला आरोग्य समिति के मध्य लिंक वर्कर का कार्य करेगी। इस हेतु प्रथम चरण में प्रत्येक आशा के क्षेत्र में 01 महिला आरोग्य समिति का गठन किया जा रहा है। समिति मलिन बस्तियों में सामुदायिक समूह के रूप में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, मॉनीटरिंग तथा रेफरल का कार्य करेगी।
- प्रत्येक क्रियाशील नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगी कल्याण समिति का गठन किया जा रहा है।
- शहरी मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या जैसे घुमन्तू, ईंट–भट्ठों पर काम करने वाले, रेलवे ट्रैक के पास जीवन–यापन करने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले आदि ऐसे व्यक्ति जो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आकर स्वास्थ्य लाभ उठाने में असमर्थ है, के लिए विशेष रूप से पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। इन कैम्पों में सामान्य बीमारियों के

अतिरिक्त डायबिटीज, हाईपरटेंशन, व्यवसायिक जोखिम, कैंसर इत्यादि के बचाव हेतु जानकारी, चिह्नीकरण एवं संदर्भन किया जा रहा है।

जननी सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2005 से जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1400 व शहरी क्षेत्र में रू0 1000 एवं बीपीएल श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रू0 500 सहायता राशि के रूप में दिये जाते हैं। आशा कार्यकर्त्री पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन व प्रसवोत्तर सभी सेवायें उपलब्ध करवाती है तो आशा को इस कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कुल रू0 600 एवं शहरी क्षेत्र में कुल रू0 400 दिये जाते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारेन्टेड कैशलेस डिलिवरी सेवा प्रदान करना है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों मे अगस्त 2011 से लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारन्टेड कैशलेस डिलिवरी सेवा प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं को समस्त औषधियां एवं जॉच आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है। प्रसवों के उपरान्त माँ की 42 दिन तक और बच्चे की एक वर्ष तक पूरी देखभाल/टीकाकरण/बीमार होने पर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, घर से चिकित्सा इकाई तक एवं चिकित्सा इकाई से घर तक तथा चिकित्सा इकाई से अन्य चिकित्सा इकाई तक पहुँचाने की निःशुल्क सुविधा एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से दी जा रही है।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना जनवरी 2017 से लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत आच्छादित गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए तीन किश्तों में क्रमशः गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण करने पर प्रथम किश्त रू0 1000, कम से कम एक प्रसव पूर्व जॉच (गर्भावस्ता के 6 माह के बाद) पर द्वितीय किश्त रू0 2000 एवं बच्चे के जन्म का पंजीकरण, बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तृतीय किश्त रू0 2000 के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मातृ–मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

एस.आर.एस. सर्वे 2011–13 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का मातृ–मृत्यु अनुपात 285 प्रति 1 लाख जीवित जन्म था जो वर्ष 2017–19 की एस.आर.एस. सर्वे के अनुसार घटकर 167 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गया है। इस उद्देश्य के लिए समस्त जनपदों में पीपीएच प्रबन्धन प्रशिक्षण से अभी तक प्रदेश के 640 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है।

तालिका–14.04– मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

वर्षवार	2021-22	2022-23 (जुलाई 2022 तक)
सम्भावित मृत्यु	11894	9955
मातृ–मृत्यु	3545	1009
मातृ–मृत्यु प्रतिशत	29.80	10.13

स्रोत :– मातृ एवं शिशु कल्याण उ0प्र0।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' प्रत्येक माह की 09 तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचाना और उन्हें सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित करना है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को और व्यापक बनाते हुए वर्ष 2013–14 से जन्म से 19 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु ''राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम'' पूरे

भारत वर्ष में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। सभी बच्चों का 4D's डी0एस0 बर्थ डिफेक्टस, डिफिसियन्शी डिजीज एण्ड डेवलेपमेन्ट डिलेस लीडिंग टू डिस्बिलटी के दृष्टिगत स्वास्थ परीक्षण, उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गई, जो आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा स्कूलों में जाती हैं तथा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करती हैं।

प्रसव केन्द्रों पर जन्में नवजात शिशुओं में जन्मजात दोषों के पहचान हेतु कुल 2.86 लाख शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रदेश में 4 डीईआईसी सेन्टर (डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेशन सेन्टर) यथा– एएमयू अलीगढ़, के.जी.एम.यू लखनऊ, एसएसपीएचपीजी टी.आई.जी.बी. नगर एवं डीसीएच गाजियाबाद संचालित हैं।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 का क्रियान्वयनः–

कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम–1994 उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू है। इसके अतिरिक्त लिंग चयन/भ्रूण हत्या/अवैध गर्भपात/विधिक कार्यवाही हेतु माह जुलाई 2017 में ''मुखबिर योजना'' प्रारम्भ की गयी है। प्रदेश में अब तक 12 सफल डिक्वाय आपरेशन किये जा चुके हैं।

बाल स्वास्थ्य कार्यकम

प्रदेश मे शिशु मृत्यु दर के मुख्य कारणो के रूप मे प्री–टर्म बर्थ, डायरिया, न्यूमोनिया एवं बर्थ एक्सपेक्सिया इत्यादि मुख्य कारण हैं एवं इन कारणों का चिकित्सकीय प्रबन्ध कर ही नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोका जा सकता है। प्रदेश में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत नवजात मृत्युदर, शिशु मृत्युदर व बाल मृत्युदर को कम करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां/कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं–

- प्रदेश के समस्त जिला महिला चिकित्सालयों/सीएचसी/पीएचसी/मान्यता प्राप्त उपकेन्द्रों के प्रत्येक प्रसव कक्ष में नवजात शिशु देखभाल स्थान चरणबद्ध रूप से तैयार किये जा रहे हैं। प्रदेश मे वर्तमान मे 1820 न्यू बार्न केयर कार्नर क्रियाशील हैं।
- प्रसव के पश्चात् कमजोर तथा गंभीर नवजात के लिये वर्तमान में प्रदेश में सन्दर्भन इकाइयों/जिला महिला चिकित्सालयों में न्यू बार्न स्टेबिलाईजिंग यूनिट चरणबद्ध रूप से तैयार किये जा रहे हैं। वर्तमान मे 184 एनबीएसयू क्रियाशील हैं।
- अति गंभीर शिशुओ की विशेष देखभाल हेतु वर्तमान मे प्रदेश के चयनित जिला महिला चिकित्सालयों व मेडिकल कालेजों मे सिक न्यू बार्न केयर यूनिट चरणबद्ध रूप से तैयार किये जा रहे हैं।
- कुपोषित बच्चो का उपचार करने हेतु चयनित जनपदो के जिला पुरूष चिकित्सालयों व मेडिकल कालेजों मे न्यूट्रीशन रिहेबिलीटेशन सेन्टर (पोषण पुनर्वास केन्द्र) चरणबद्ध रूप से तैयार किये जा रहे हैं।
- समस्त जनपदो मे संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं द्वारा संस्थागत एवं घरेलू प्रसव के उपरान्त 42 दिनों के भीतर 6–7 बार गृह भ्रमण किये जाते हैं, जिसमें 6–7 माड्यूल माताओं एवं बच्चों की समुचित देखभाल हेतु जानकारी दी जाती है।

कंगारू मदर केयर

जन्म के तुरन्त बाद प्रत्येक शिशु के लिये त्वचा से सम्पर्क/स्पर्श देखभाल तथा कम वजन एवं समय से पहले जन्मे शिशुओं के शरीर का तापमान स्थिर रखने, स्तनपान कराने एवं मानसिक विकास तथा वृद्धि के लिये एक प्रभावशाली एवं सहज विधि है इसे कंगारू मातृ देखभाल के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश के प्रथम सन्दर्भन इकाइयों/जिला महिला चिकित्सालयों/मेडिकल कालेजों मे संचालित एनबीएसयू/एसएनसीयू के इकाइयों के निकट के0एम0सी0 इकाइयों की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जा रही है। वर्तमान मे 179 इकाइयां 71 जनपदों मे संचालित हैं।

सांस कार्यक्रम

न्यूमोनिया से होने वाली मृत्यु मे कमी लाने के उद्देश्य से नवम्बर–2020 से ''सांस'' कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसमें न्यूमोनिया की जल्दी पहचान, उचित एंटीबयोटिक का

प्रयोग तथा न्यूमोनिया से मृत्यु के प्रमुख कारण हाइपोक्सिया के उपचार हेतु चिकित्सा इकाइयों पर उचित व प्रभावशाली उपायों व आक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

साप्ताहिक आयरन एण्ड फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों, अनाथालयों, बाल अपराध गृह आदि मे पंजीकृत लगभग एक करोड़ से भी अधिक किशोर/किशोरियों को आयरन की नीली गोली से लाभान्वित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त विफ्स कार्यक्रम में स्कूल न जाने वाली 10 से 19 वर्ष की समस्त किशोरियों को आईसीडीएस की आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से साप्ताहिक आयरन की नीली गोली खिलाये जाने का प्राविधान किया गया है।

राष्ट्रीय डी–वार्मिंग डे

प्रदेश के 01 से 19 वर्ष तक के समस्त बच्चों को सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों, मदरसो, अनाथालयों एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वर्ष में दो बार फरवरी व अगस्त में एल्बेण्डाजॉल की गोली दिये जाने का प्राविधान किया गया है जिससे बच्चे, पेट के कीड़ों से छुटकारा पा सके तथा एनीमिया जैसी बीमारियों से बच सके।

किशोरी सुरक्षा योजना

किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकारी/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकीन्स का वितरण किया जाता है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 से 14 वर्ष और 15 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाना है, इससे शहरी और ग्रामीण, स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले, विवाहित और अविवाहित तथा कमजोर/असेवित वर्ग के किशोर/किशोरी सम्मिलित हैं।

- प्रदेश के 32 जनपद चिकित्सालय एवं 25 हाईप्रायोरिटी जनपदों में जनपद चिकित्सालय स्तर के अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी किशोर/किशोरियों को परामर्श, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक स्थापित हैं।
- वर्तमान में प्रदेश में कुल स्थापित 344 किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक पर प्रशिक्षित काउन्सलर्स द्वारा किशोर/किशोरियों के स्वास्थ्य विषयों पर उपचारात्मक सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

पियर एजुकेशन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 25 उच्च प्राथमिता वाले जनपदों के 50 प्रतिशत ब्लॉकों में ग्राम पंचायत स्तर पर 1000 आबादी पर आशा द्वारा 02 स्कूल जाने वाले तथा 02 स्कूल न जाने वाले कुल 4 पियर एजुकेटर्स (15 से 17 वर्ष) का चयन किया गया है। पीयर एजुकेटर, जिन्हें **साथिया** भी कहा जाता है, जो अपने साथियों में सकारात्मक एवं स्वस्थ विचारों का संचार करेंगे।

102 नेशनल एम्बुलेन्स सेवा

प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं 01 वर्ष की आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक तथा एक चिकित्सा इकाई से दूसरे चिकित्सा इकाई तक भेजने में भी प्रयोग की जाती है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में उपलब्ध है।

स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सरण सुविधा

जनसामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वच्छ भारत के विजन के अनुरूप सरकार द्वारा प्रदेश में स्वच्छता के सभी आयामों पर निरन्तर कार्य किया गया है। इसमें व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण, सीवरेज एवं जल निकासी, सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ–साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पाइप पेयजल की व्यवस्था सम्मिलित है।

जल जीवन मिशन

प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु केन्द्र सहायतित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का संचालन केन्द एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर किया जाता है, जिसके

अन्तर्गत ''हर घर को नल से जल'' उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2022–23 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कुल धनराशि रू0 9512.78 करोड़ व्यय किया गया है।

नमामि गंगें कार्यक्रम

नमामि गंगें कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत राज्य स्वच्छ गंगा मिशन– उ0प्र0 का प्रमुख उद्देश्य गंगा एवं सहायक नदियों की निर्मलता, अविरलता सुनिश्चित करना है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित हैं।

- **सीवर परियोजनाएं**

गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल का उत्प्रवाह रोकने के लिये सीवेरेज संबंधी अब तक कुल 27 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित की जा रही हैं, जिनकी कुल लागत रु0 4975.75 करोड़ है। प्रदेश में अब तक कुल 119 एस0टी0पी0 के कार्य पूर्ण कर संचालित किये जा रहे हैं जिनकी कुल शोधन क्षमता 3667 एम0एल0डी0 है।

- **घाट सफाई, वनीकरण, जैव–विविधता, आद्रभूमि, औद्योगिक उत्प्रवाह के शोधन व प्रचार–प्रसार संबंधी परियोजनाएं निम्न विवरण के अनुसार संचालित हैं**
    - बिठूर, कानपुर, प्रयागराज, मथुरा–वृन्दावन तथा वाराणसी में घाट सफाई कार्य।
    - विभिन्न स्थलों पर वनीकरण, जैव–विविधता, आद्रभूमि संबंधी परियोजनाएं।
    - औद्योगिक उत्प्रवाह के शोधन संबंधी परियोजनाएं।
    - वाराणसी में 09 कुण्डों के पुनरोद्धार के कार्य।

****

अध्याय–15
समाज कल्याण

मुख्य बिन्दु

- ❖ प्रदेश में वर्तमान में 18 जनपदों में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय निर्माणाधीन है। 05 नये विद्यालय कन्नौज, गौतमबुद्धनगर, शाहजहाँपुर, सुल्तानपुर एवं मिर्जापुर में निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- ❖ समाज में सर्वधर्म–समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने तथा विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' संचालित है।
- ❖ प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशलन ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0) प्रारम्भ की गयी है।
- ❖ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर भारत सरकार द्वारा रु0 20,000 एवं राज्य सरकार द्वारा रु0 10,000 का एक मुश्त सहायता राशि के रूप में दिया जाता है।
- ❖ अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत एवं पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में 261 राजकीय छात्रावास संचालित हैं।
- ❖ बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने हेतु अप्रैल, 2019 से ''कन्या सुमंगला योजना'' प्रदेश में लागू की गयी है।

सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्बल वर्गों के आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों यथा– अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजनों तथा महिलाओं हेतु छात्रवृत्ति, छात्रावास, आश्रम पद्धति विद्यालय, पेंशन, शोषण के विरुद्ध सहायता एवं भरण–पोषण सम्बन्धी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित है।

उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2022–23 के अनुसार वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में सरकार का सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर प्रदेश के बजट के सापेक्ष चालू व्यय, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत् है–

15.01–प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय (लाख रुपये)

वर्ष	कुल चालू व्यय	समाज कल्याण पर चालू व्यय	व्यय प्रतिशत	कुल पूँजीगत व्यय	समाज कल्याण पर पूँजीगत व्यय	व्यय प्रतिशत
2020-21	27853016	1670021	5.99	9163781	65882	0.72
2021-22	32935181	2403844	7.29	14109315	122562	0.87
2022-23	41335824	3455998	8.36	17986472	180286	1.00

स्रोतः– उ0प्र0 आय–व्यय की आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण 2022–23

समाज कल्याण सम्बन्धी प्रमुख योजनाएं

➢ **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन** योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजनों, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46080 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 56460 से कम है, को कुल रु0 1000 (रु0 800 राज्यांश एव रु0 200 केन्द्रांश) तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को कुल रु0 1000 (रु0 500 राज्यांश एव रु0 500 केन्द्रांश) प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। वर्ष 2021–22 में 5599999 लाभार्थियों को पेंशन के रूप में

427790.56 लाख रूपये की धनराशि व्यय की गयी है, वर्ष 2022–23 में इस योजना हेतु 705356 लाख रूपये बजट का प्राविधान है जिसमें से 5000109 लाभार्थियों को वर्तमान में रु0 441233.14 लाख धनराशि व्यय की जा चुकी है।

- **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ** योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर भारत सरकार द्वारा रु0 20,000 एवं राज्य सरकार द्वारा रु0 10,000 (कुल रु0 30,000) का एक मुश्त अनुदान, सहायता राशि के रूप में दिया जाता है। वर्ष 2021–22 में 26892.30 लाख रूपये व्यय के माध्यम से 89641 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2022–23 में रु0 50000 लाख बजट का प्राविधान के सापेक्ष वर्तमान में रु0 21110.10 लाख धनराशि के व्यय से 70367 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है।
- सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने तथा विवाह में अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त करने हेतु **'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना'** संचालित है, जिसमें गरीब, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं निराश्रित परिवार की कन्याओं का रीति–रिवाज के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। योजना में कुल रु0 51,000 की धनराशि की व्यवस्था है, जिसमें कन्या के खाते में रु0 35,000 की धनराशि का अनुदान एवं रु0 10,000 की धनराशि से विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है तथा विवाह आयोजन पर प्रति जोड़ा रु0 6,000 का व्यय किया जाता है। वर्ष 2021–22 में 49644 लाभार्थियों पर रु0 24957.92 लाख का व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रु0 60000 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है जिसमें वर्तमान में 50063 लाभार्थियों पर रु0 25532.13 लाख की धनराशि व्यय की गई है।
- **राजकीय आश्रम पद्धति** के 94 विद्यालयों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, यूनिफार्म एवं खेल–कूद आदि की निःशुल्क व्यवस्था है। इन विद्यालयों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रो को प्रवेश की व्यवस्था है। बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक विद्यालय खोले गये हैं। राजकीय आश्रम पद्धति के 94 विद्यालयों में से 45 सीबीएसई बोर्ड से एवं शेष 49 माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध हैं, इन्हें भी सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्ध करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुल 93 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हो चुकी है। प्रदेश में वर्तमान में 18 जनपदों में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय निर्माणाधीन है। 05 नये विद्यालय कन्नौज, गौतमबुद्धनगर, शाहजहाँपुर, सुल्तानपुर एवं मिर्जापुर में निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्ष 2021–22 में 35068 छात्रों पर रु0 17658.48 लाख का व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रु0 27428.96 लाख की बजट व्यवस्था में से वर्तमान में 35089 लाभार्थियों पर रु0 21910.24 लाख व्यय कर ली गयी है।
- पूर्वदशम् (अनु0जा0 एवं सामान्य वर्ग) एवं दशमोत्तर (अनु0जा0) के छात्र, जिनके अभिभावक की आय रु0 2.50 लाख वार्षिक एवं दशमोत्तर (सामान्य वर्ग) हेतु रु0 2.00 लाख वार्षिक तक होती है, को ई–पेमेंट के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

तालिका–15.02– छात्रवृत्ति वितरण की प्रगति (धनराशि रु0 लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	बजट प्राविधान	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2021–22				
1	पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना अनु0जाति	20500	320390	7844.33
2	पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना सामान्य वर्ग	3062.58	124193	3058.62
3	दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अनु0जाति	68000	1229461	56749.92
4	दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना सामान्य वर्ग	74937.42	538643	57499.49
2022–23				
5	पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना अनु0जाति	20500.00	382492	4114.59
6	पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना सामान्य वर्ग	2500.00	89542	2500.00
7	दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अनु0जाति	88000.00	266592	3176.44
8	दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना सामान्य वर्ग	40000.00	59711	1793.50

स्रोतःसमाज कल्याण विभाग, उ0प्र0

- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत एवं पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में 261 राजकीय छात्रावास संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु0 4190.51 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष रु0 3049.63 लाख व्यय कर 9025 छात्रों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में वर्तमान में प्राविधानित बजट रु0 4568.65 लाख के सापेक्ष रु0 2168.14 लाख व्यय कर 9286 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा पी0सी0आर0 ऐक्ट के अन्तर्गत अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को न्यूनतम रू0 85,000 से लेकर रू0 8,25,000 तक की सहायता घटना की प्रकृति/धारा के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 19875.86 लाख के व्यय से 20278 व्यक्तियों को एवं 2022–23 में प्राविधानित बजट रु0 27500 लाख के सापेक्ष वर्तमान में रु0 12001.00 लाख के व्यय से 13510 व्यक्तियो/परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

- उत्तर प्रदेश माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली– 2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वृद्धों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, औषधि, मनोरंजन तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में वृद्धाश्रम का संचालन पी.पी.पी. मॉडल के माध्यम से किया जा रहा है जिनकी क्षमता 150 वृद्ध संवासियों की है। वर्ष 2020–21 मे 5246, वर्ष 2021–22 में 5820 एवं वर्ष 2022–23 मे वर्तमान में 5225 निवासरत संवासियों को सुविधा प्रदान की गई है।

तालिका–15.03– योजनान्तर्गत वित्तीय प्रगति (धनराशि रु0 लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान	व्यय
2018–19	5000	4905.06
2019–20	5000	4860.70
2020–21	5000	4630.46
2021–22	5000	4900.50
2022–23(अगस्त 2022)	5000	2650.45

स्रोतःसमाज कल्याण विभाग, उ0प्र0

- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में स्थित तथा निर्बल आय के परिवारों के प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा समुचित मार्गदर्शन के उद्देश्य से प्रत्येक मण्डल मुख्यालयों में मण्डलीय मार्गदर्शन एवं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 1569.63 लाख व्यय करते हुए 10140 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा वर्ष 2022–23 में रु0 3000 लाख के बजट के सापेक्ष वर्तमान में 6250 लाभार्थियों को रु0 502.81 लाख व्यय किया गया है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित है, जो निम्नवत् हैं–

- प्रदेश के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राओं, जो प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रु0 2 लाख या उससे कम हो, को पूर्वदशम् छात्रवृत्ति कक्षा 9 व 10 को रु0 150 प्रति माह, अधिकतम 10 माह हेतु एवं वार्षिक तदर्थ अनुदान रु0 750 एकमुश्त (अधिकतम रु0 2250) दिया जाता है।
- पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना की भाँति ही दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना मे शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में कोर्स ग्रुप–1 के छात्रों को अधिकतम रु0 50 हजार, कोर्स ग्रुप–2 अधिकतम रु0 30 हजार, कोर्स ग्रुप–3 के छात्रों को अधिकतम रु0 20 हजार व कोर्स ग्रुप–4 पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को अधिकतम रु0 10 हजार अथवा संस्था की सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क अथवा छात्र द्वारा मांग की गई शुल्क, इनमें से जो न्यूनतम हो, दिए जाना है।
- अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट पास ऐसे बेरोजगारों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रु0 01 लाख अथवा उससे कम है, को भारत सरकार की डोयक सोसाइटी नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु अधिकतम रु0 15,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी तथा सीसीसी हेतु रु0 3,500 संस्था को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।
- निर्धन छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में 100 छात्र क्षमता के 01 छात्रावास की निर्माण लागत रु0 235.73 लाख एवं 50 छात्र क्षमता के छात्रावास की निर्माण लागत रु0 148.70 लाख निर्धारित है। यह केन्द्र एवं राज्य पोषित योजना है। छात्राओं के छात्रावास हेतु केन्द्र व राज्यांश 90:10 तथा छात्रों के छात्रावास हेतु 60:40 का है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

जनगणना–2011 के अनुसार प्रदेश में निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या 4157514 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। इसमें दृष्टि, वाक्, श्रवण, अस्थि, मानसिक मंदित, मानसिक रूग्ण, बहु निःशक्तता एवं अन्य से ग्रसित व्यक्ति शामिल हैं।

तालिका–15.04– दिव्यांगजन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति (धनराशि लाख रू0 में)

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2021–22			वित्तीय वर्ष 2022–23 (सितम्बर 2022 तक)		
	आवंटित धनराशि	वित्तीय प्रगति	प्रगति प्रतिशत	आवंटित धनराशि	वित्तीय प्रगति	प्रगति प्रतिशत
दिव्यांग पेंशन योजना	89871.55	89870.75	100%	100902.00	32777.03	32.48%
कुष्ठावस्था पेंशन योजना	3750.00	3750.00	100%	3950.00	1025.10	25.95%
कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना	3740.00	3374.74	90.23%	3740.00	649.93	17.38%
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	264.00	120.25	45.55%	264.00	17.30	6.55%
दिव्यांगजन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा	4000.00	3479.19	86.98%	4000.00	1509.30	37.73%
शल्य चिकित्सा अनुदान योजना	546.50	541.75	99.13%	639.40	271.86	42.52%

स्रोतःदिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0

प्रमुख योजनाएं

- ऐसे दिव्यांगजन जिनके जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं उनके भरण–पोषण हेतु दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान (पेंशन) योजना के अन्तर्गत रू0 1000 प्रतिमाह दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 89870.75 लाख व्यय कर 1126670 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया जिसमें 23129 नवीन लाभार्थी सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में पेंशन की द्वितीय त्रैमास किश्त से वर्तमान में रू0 32777.03 लाख के व्यय से 1099088 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है।
- कुष्ठावस्था पेंशन योजनान्तर्गत रू0 3000 प्रतिमाह दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 3750 लाख व्यय कर 11,584 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2022–23 में पेंशन की द्वितीय त्रैमास किश्त से वर्तमान में कुल रू0 1025.10 लाख व्यय कर 11,472 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है।
- प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन, जिनकी आय गरीबी रेखा के अन्दर हों, को अधिकतम रू0 10,000 के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2021–22 में रू0 3374.74 लाख व्यय कर 42184 दिव्यांगजन को तथा वर्ष 2022–23 में वर्तमान में रू0 649.93 लाख व्यय कर 4935 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है।
- दिव्यांग व्यक्तियों को शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग युवक रू0 15,000 दिव्यांग युवती को रू0 20000 तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000 प्रदान किये जाते है। वर्ष 2021–22 मे रू0 120.25 लाख व्यय कर 471 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2022–23 में वर्तमान में रू0 17.30 लाख व्यय कर 66 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है।
- प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य श्रेणी की बसों में न्यूनतम् 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले सभी दिव्यांगजन अकेले तथा 80 प्रतिशत या उससे अधिक अथवा बहुदिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांगजन को एक सहवर्ती के साथ निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021–22 में रू0 3479.19 लाख का भुगतान परिवहन निगम को किया गया हैं, तथा वर्ष 2022–23 में इस हेतु रू0 4000 लाख के सापेक्ष रू0 1509.30 लाख व्यय किया गया।
- दिव्यांगता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा हेतु अधिकतम रू0 10,000 एवं श्रवण बाधित बच्चों के कॉक्लियर इम्प्लान्ट हेतु अधिकतम रू0 6 लाख प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021–22 में रू0 541.75 लाख के व्यय से कुल 173 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया

है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राविधानित धनराशि रू0 639.40 लाख के सापेक्ष कुल रू0 271.86 लाख व्यय किया जा चुका है।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने तथा उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। प्रदेश में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया है।

अल्पसंख्यको के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है–

- वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ इस योजना में किसी गरीब अभिभावक की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रु0 20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना कक्षा 9 व 10 के ऐसे विद्यार्थी, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख से अधिक न हो। योजनान्तर्गत एडमिशन फीस के रूप में रू0 500 वार्षिक एवं ट्यूशन फीस के रूप में रू0 350 प्रतिमाह (अधिकतम रू0 3000 वार्षिक) पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों मे दिये जाने की व्यवस्था है।
- दशमोत्तर कक्षाओं के ऐसे विद्यार्थी, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम रु0 2.00 लाख तक है तथा गत् परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अर्ह माने जायेंगे। इसमें छात्रों को कक्षा 11 तथा 12 हेतु रू0 7000, व्यावसायिक एवं तकनीकी हेतु रू0 10000 तथा अन्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्क्रमों हेतु रू0 3000 वार्षिक संस्था के खाते में भारत सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से दिये जाने की व्यवस्था है।
- प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को परम्परागत शिक्षा के साथ ही कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशलन ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आईटीआई) प्रारम्भ की गयी है वित्तीय वर्ष 2021–2022 में कुल 140 मदरसों में से वर्तमान में संचालित 124 में नियुक्त तीन–तीन अनुदेशक, एक–एक प्रयोगशाला सहायक तथा एक–एक अनुचर के वेतन/मानदेय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 2117.31 लाख के सापेक्ष रू0 1849.19 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।
- अनुदानित मदरसों को पोषण अनुदान दिये जाने की योजना में एनसीईआरटी की पुस्तकें, विद्युत व्यय, जल/भूमिकर, पुस्तक एवं लेखन सामग्री, काष्ठोपकरण, आनुषंगिक व्यय तथा भवन के जीर्णोद्धार के लिये निर्धारित शर्तो एवं मानक के अनुसार अनुदान दिया जाता है। अरबी फारसी मदरसों को मान्यता प्रदान करने तथा इनकी परीक्षाओं को संचालित करने हेतु प्रदेश स्तर पर मदरसा शिक्षा परिषद स्थापित है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 560 अरबी फारसी मदरसों को अनुदान दिया जा रहा है।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रु0 2.50 लाख है तथा गत परीक्षा मे कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हों, अर्ह माने जायेंगे। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रावासीय छात्रों को रू0 10000 एवं दिवा छात्रों को अधिकतम रू0 5000 वार्षिक दिये जाने की व्यवस्था है।
- अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना शत–प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित है। योजनान्तर्गत स्नातक शिक्षकों का मानदेय रू0 8000 तथा परास्नातक के साथ बी.एड.शिक्षकों का मानदेय रू 15000 निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रांश व 40 प्रतिशत राज्यांश दिया गया है।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में महिला छात्रावास निर्माण/कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु भवन निर्माण की योजना भारत सरकार की

शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता से वर्ष 1993 से चलायी जा रही है। इसमें अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती मल्टी–सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम) प्रदेश के 47 जनपदों के 145 विकास खण्डों, 89 नगर पंचायत/नगर पालिका एवं 15 जिला मुख्यालयों में लागू है। वर्ष 2022–23 की संशोधित गाइडलाइन से योजना को प्रदेश के सभी जनपदों में लागू किया गया है। इसके अन्तगर्त 123 इण्टर कालेजों, 9 पॉलीटेक्निक, 39 आईटीआई, 01 डिग्री कालेज, प्राइमरी स्कूल, 21 हॉस्टल, 764 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप केन्द्रों, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 45 होम्योपैथिक/यूनानी/आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 10285 आंगनवाड़ी केन्द्र, 76316 इन्दिरा आवस सहित 42 टैंक टाइप स्टैन्ड पोस्ट तथा 243 पेयजल परियोजनाओं, 213 पोर्टेबल वाटर सप्लाई, 17529 हैण्डपम्प, 2247 स्मार्ट क्लास का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। सामाजिक समरसता और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 30 सद्भाव मंडपों, 01 सांस्कृतिक सद्भावना केन्द्र, 01 यूनानी मेडिकल कालेज और 03 सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल इत्यादि क्षेत्रों की कुल 1218 परियोजनाएं निर्माणाधीन है।
- उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर, टाइपिंग, वेल्डिंग, मोटर ड्राइविंग, फोटोग्राफी, आटोमोबाइल्स, रैफ्रीजरेशन एयरकण्डीशनिंग एवं फैशन डिजाइनिंग आदि में अल्पकालीन प्रशिक्षण के पश्चात् प्रशिक्षित व्यक्तियों को निगम के टर्मलोन/मार्जिन मनी ऋण योजना से स्वतः रोजगार स्थापित कराने का प्रयास भी किया जा रहा है।
- वर्ष 2019 में उ0प्र0 से 31782 हज यात्रियों को सऊदी अरब भेजा गया था। वर्ष 2021–22 में कुल रू0 321.54 लाख का प्राविधान कराया गया। वर्ष 2022 में लखनऊ इम्बार्केशन से 4256 व दिल्ली इम्बार्केशन से 3196 हज यात्रियों को हज यात्रा हेतु भेजा गया।
- वक्फ़ विकास निगम द्वारा वक़्फ़ भूमि को पट्टे पर लेकर उस पर निर्माण कार्य कराया जाता है तथा विकसित योजना की आय के 70 प्रतिशत भाग से निगम द्वारा निवेशित धनराशि सहित 12.50 प्रतिशत सुपरविजन चार्जेज (योजना की लागत पर एक बार) एवं 6 प्रतिशत वार्षिक दर से सर्विस चार्ज वसूल किया जाता है तथा आय का शेष 30 प्रतिशत भाग वक़्फ़ की आवश्यकता एवं उसकी बेहतरी के लिये छोड़ दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–2022 तक रू0 694.53 लाख की धनराशि निवेशित कर प्रदेश में स्थित 117 वक़्फ़ परियोजनाओं पर 1222 दुकानें, 05 मैरिज हाल, 04 गेस्ट हाउस/मुसाफिर खाना तथा 23 आवासीय सेट आदि का निर्माण कराया गया है, जिसके फलस्वरूप वक़्फ सम्पत्तियों को रू0 70 लाख की अतिरिक्त वार्षिक आय प्राप्त हो रही है।

महिला कल्याण

महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत है अतः महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं–

- बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बाल विवाह को रोकने तथा महिलाओं एवं जनमानस में सकारात्मक सोच लाने, उनके प्रति सम्मान भाव जागृत करने हेतु अप्रैल, 2019 से ''कन्या सुमंगला योजना'' प्रदेश में लागू की गयी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 648.23 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 80.93 करोड़ का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0 1200.00 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष वर्तमान में रू0 33.96 करोड़ का व्यय किया गया।
- अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपराधिक मानसिकता से जुड़े न होनें पर भी विभिन्न आयु वर्ग की बालिकाएं किशोरियां अपराध की गिरफ्त में आ जाते हैं अथवा

कुछ ऐसी बालिकाएं/किशोरियां है जिन्हें माता–पिता अथवा अन्य संरक्षक के अभाव में विकास के समुचित अवसर नहीं प्राप्त हो पाते हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान करने, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से आयु–लिंग तथा प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में 14 राजकीय संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 4465.94 लाख बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 1292.22 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0 4696.09 लाख बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष वर्तमान में रू0 468.85 लाख का व्यय किया गया।

- वृन्दावन मथुरा में संचालित दो आश्रय सदन लीलाकुंज एवं रास बिहारी सदन महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों से वृद्ध, निराश्रित तथा विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा फूड मनी, पाकेट मनी, औषधि आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।
- प्रदेश के 11 जनपदों में कुल 14 स्वाधार गृह संचालित है जहाँ आश्रय विहीन एवं दैवी–आपदा अथवा घरेलू हिंसा से पीड़ित तथा परिवार से निकाली गयी महिलायें, जिनके पास रहने एवं आय का कोई साधन नहीं है, को स्वाधार गृह में रखे जाने की व्यवस्था है जहाँ उन्हें निःशुल्क भोजन, वस्त्र, बिस्तर, वोकेशनल ट्रेनिंग, चिकित्सा सुविधा तथा कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
- अनैतिक देह व्यापार से पीड़ित महिलाओं के पुर्नवासन तक आश्रय प्रदान किये जाने हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से उज्ज्वला योजना प्रदेश के 2 जनपदो में संचालित की जा रही है।
- वृन्दावन में निराश्रित विधवा महिलाओं के लिए 1000 की क्षमता के ''कृष्ण कुटीर'' नामक आश्रय सदन का संचालन राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से संचालित है। संस्था में निवासरत महिलाओं को निःशुल्क भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
- ऐसी विधवा महिला जो 35 वर्ष से कम आयु की है आयकर दाता नही हैं, उनसे विवाह करने पर दम्पति को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 11000 का अनुदान दिया जाता है।
- रानी लक्ष्मी बाई आशा ज्योति केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत एक ही छत के नीचे महिला हेल्प लाइन, महिला थाना, कानूनी सहायता, कौशल सुधार, अल्पावास पीड़िता के उपचार हेतु चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करानें के उद्देश्य से प्रदेश के 11 जनपदों आगरा, बरेली, मेरठ, गाजीपुर, कानपुर नगर, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, तथा शाहजहॉपुर में संचालित की जा रही है।
- लखनऊ में स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से 18 वर्ष से ऊपर की मानसिक मंदित महिलाओं को बेहतर जीवन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 100 की क्षमता के 02 गृह संचालन कराये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है। जिसमें मानसिक मंदित महिलाओं को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, प्रशिक्षण आदि की समुचित व्यवस्था होगी।
- विधवा पेंशन पा रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त रू0 10,000 की सहायता प्रदान की जा रही है।
- निराश्रित विधवाओ के भरण पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 से प्रति लाभार्थी रू0 1000 कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 24.49 लाख सामान्य वर्ग की निराश्रित महिलाओं के लिए बजट रू0 293880 लाख, अनुसूचित जनजाति वर्ग की 16650 निराश्रित महिलाओं के लिए रू0 1988 लाख तथा अनुसूचित जाति वर्ग की 894350 निराश्रित महिलाओं के लिए रू0 107322 लाख की बजट व्यवस्था की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 1914.55 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 1914.18 करोड़ का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0 2938.80 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष वर्तमान में रू0 1162.98 करोड़ का व्यय किया गया।

- रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेश की महिलाओं व बालिकाओं के बहादुरी कार्य करने, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 महिला प्रधानों को रानी लक्ष्मी बाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की व्यवस्था है। रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष का उपयोग, जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं को तत्काल आर्थिक तथा चिकित्सीय राहत सुनिश्चित करने, भरण पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ–साथ उनके अवयस्क बच्चों के भरण–पोषण एवं शिक्षा के लिए किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 815 पीड़ितों/उनके परिजनों को पीएफएमएस के माध्यम से रु0 30.53 करोड़ का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0 56.04 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष वर्तमान में रू0 16.26 लाख का व्यय किया गया।
- महिलाओं को सशक्त बनाने एवं जागरूक करने के उद्देश्य से इस योजना में जिला स्तर तथा ब्लाक स्तर पर महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना की गई है जिनके अन्तर्गत जनपद स्तर पर टास्क फोर्स व ब्लाक स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। यह योजना भारत एवं राज्य सरकार के 60:40 के अंश से अवधारित है तथा प्रदेश के 71 जनपदों में संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 32.20 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 2.90 करोड़ का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0 32.20 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष वर्तमान में रू0 8.05 करोड़ का व्यय किया गया।

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत सी.पी.एस. योजना (मिशन वात्सल्य) के अन्तर्गत निम्न प्रयास किए जा रहे है–

- प्रदेश के 75 जनपदों में बाल कल्याण समिति की स्थापना हो चुकी हैं जिसके संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 27.10 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 12.16 करोड़ का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 9.49 करोड़ केन्द्रांश एवं रू0 17.62 करोड़ राज्यांश के बजट के सापेक्ष व्यय वर्तमान में रू0 6.45 करोड़ का व्यय किया गया।
- स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बालकों के लिये खुले आश्रय गृहों को स्थापित किया जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 7.80 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 1.75 करोड़ का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 3.60 करोड़ केन्द्रांश एवं रू0 1.80 करोड़ राज्यांश के बजट के सापेक्ष व्यय वर्तमान में रू0 1.35 करोड़ का व्यय किया गया।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये 19 राजकीय बाल गृहों में निवासरत 10–10 विशेषीकृत विकलांग अन्तःवासियों के लिये एक–एक यूनिट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 1430.00 लाख बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 632.94 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 888.76 लाख केन्द्रांश एवं रू0 570 लाख राज्यांश का बजट के सापेक्ष व्यय वर्तमान में रू0 323.75 लाख का व्यय किया गया।
- जनपदों में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण इकाई की स्थापना किया जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 732.33 लाख बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 240.29 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 439.40 लाख केन्द्रांश एवं रू0 292.93 लाख राज्यांश का बजट के सापेक्ष व्यय वर्तमान में रू0 179.93 लाख का व्यय किया गया।
- वर्तमान गृहों को जरूरतमंद बच्चों के लिये उनकी प्रगति के आधार पर संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 14374.30 लाख बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 5926.19 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 8513.14 लाख केन्द्रांश एवं रू0 5675.96 लाख राज्यांश का बजट के सापेक्ष व्यय वर्तमान में रू0 3067.59 लाख का व्यय किया गया।
- राज्य बाल कल्याण इकाई तथा जिला बाल संरक्षण इकाईयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 6050.00 लाख बजट का प्राविधान है जिसके

सापेक्ष रू0 2045.92 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 3809 लाख केन्द्रांश एवं रू0 2406 लाख राज्यांश का बजट के सापेक्ष व्यय वर्तमान में रू0 1503.75 लाख का व्यय किया गया।

- स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बालगृह (बालक/बालिका/शिशु/आश्रय गृह) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 1080.00 लाख बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 336.41 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 583.20 लाख केन्द्रांश एवं रू0 291.60 लाख राज्यांश का बजट के सापेक्ष व्यय वर्तमान में रू0 243.00 लाख का व्यय किया गया।
- मुख्यालय पर राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 120.00 लाख बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 17.21 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 60 लाख केन्द्रांश एवं रू0 40 लाख राज्यांश का बजट के सापेक्ष व्यय वर्तमान में रू0 22.50 लाख का व्यय किया गया।
- प्रदेश के 75 जनपदों में किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना हो चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 2477.00 लाख बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 986.01 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 884.64 लाख केन्द्रांश एवं रू0 1613.65 लाख राज्यांश का सापेक्ष व्यय वर्तमान में रू0 480.35 लाख का व्यय किया गया।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार

समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस) योजना 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित की गयी है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कुल 897 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत 1,89,014 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से योजनाओं का संचालन जिलाधिकारियों के पर्यवेक्षण में कराया जा रहा है।

- **अनुपूरक पुष्टाहार योजनाः**–उ0प्र0 ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों एवं नैफेड के माध्यम से टेक होम राशन के रूप में 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कराया जा रहा है। प्रदेश के अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 1.85 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 3993.60 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 3317.04 करोड़ का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0 4729.77 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष वर्तमान में रू0 2665.74 करोड़ का व्यय किया गया।
- **किशोरी बालिकाओं के लिए योजना(एस.ए.जी)ः**–भारत सरकार के निर्देश के क्रम में किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस.ए.जी) प्रदेश के 08 आंकाक्षात्मक जनपदों के 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु है। प्रदेश में योजनान्तर्गत लगभग 3.27 लाख लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है।
- **मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजनाः**–योजनान्तर्गत प्रदेश में गम्भीर रूप से अतिकुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने तथा विभागीय योजनओं के सुचारू संचालन व अनुश्रवण हेतु आई0 टी0 सेल की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- **आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माणः–** आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु विभागीय भवन उपलब्ध न होने के कारण आंगनवाड़ी केन्द्र प्राथमिक स्कूल के अतिरिक्त कक्ष में अथवा किराये के भवन में संचालित होते हैं। योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों का अपना विभागीय भवन होना आवश्यक है। अतएव वित्तीय वर्ष 2023–24 में 5000 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण मनरेगाा कन्वर्जन्स एवं पंचायतीराज विभाग के सहयोग से कराये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 59.06 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 13.96 करोड़ का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0 156.10 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष वर्तमान में रू0 16.92 करोड़ का व्यय किया गया।

- **आंगनवाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशनः**—प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों में 2500 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आर0ओ0एल0ई0डी0 आदि से सुसज्जित कर उन्हें सक्षम आंगनवाड़ी के रूप मे विकसित किये जाने का लक्ष्य है।
- **राष्ट्रीय पोषण अभियानः**—प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए नेशनल न्यूट्रीशियन मिशन (राष्ट्रीय पोषण अभियान) कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है, जिसे वर्तमान में सक्षम ऑगनवाड़ी व पोषण 2.0 के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण में कमी लाना, 06 माह से 59 माह तक के बच्चों में एनीमिया के स्तर में कमी, 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं (आकांक्षात्मक जनपद में) औरी गर्भवती/धात्री महिलाओं में एनीमिया के स्तर में कमी लाकर उन्हें कुपोषण की चुनौतीपूर्ण स्थितियों से बाहर निकालना है। अभियान के अन्तर्गत समुदाय की सहभागिता बढ़ाने एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु समुराय आधारित गतिविधियों इत्यादि का आयोजन भी किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु रू0 414.56 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 337.61 करोड़ का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022—23 हेतु रू0 415.08 करोड़ बजट का प्राविधान है जिसके सापेक्ष वर्तमान में रू0 100.66 करोड़ का व्यय किया गया।

****

अध्याय–16
श्रमशक्ति एवं सेवायोजन

मुख्य बिन्दु–

- ❖ रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु वेबपोर्टलः *सेवायोजन.यूपी.एनआईसी.इन* पर ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की गयी है।
- ❖ बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय स्थापित है।
- ❖ पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसकी अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार हेतु रू0 25,000 तात्कालिक आर्थिक सहायता 15 कार्यदिवस मे प्रदान किया जाता है।

श्रमशक्ति का अभिप्राय 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या 1114.42 लाख थी। प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 658.15 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या से सम्बंधित आँकड़े निम्न तालिका–16.01 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–16.01– प्रदेश में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकर (जनगणना वर्ष 2011) (संख्या लाख में)

मद	कुल मुख्य कर्मकर	सीमान्त कर्मकर	कुल कर्मकर
1	2	3	4
ग्रामीण	335.38	184.13	519.51
नगरीय	110.97	27.67	138.64
उत्तर प्रदेश	446.35	211.80	658.15

स्रोतः–जनगणना–2011

प्रदेश की श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ा लक्ष्य है। इस हेतु बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय स्थापित है।

स्वतः रोजगार/नियोजन कार्यक्रम

सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजन के लिये बनायी गयी विभिन्न योजनाओं की भली–भाँति जानकारी कराकर उन्हें स्वतः रोजगार के क्षेत्र में अपना रोजगार आरम्भ करने के लिये उत्प्रेरित किया जाता है। प्रदेश के सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है–

तालिका–16.02– प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

वर्ष	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अर्द्धसरकार (केन्द्र)	अर्द्धसरकार (राज्य)	स्थानीय निकाय	योग
1	2	3	4	5	6	7
मार्च, 2022	301778	697126	156806	331283	107323	1594316

स्रोतः–प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0

तालिका–16.03– प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

वर्ष	एक्ट अधिष्ठान	नॉन–एक्ट अधिष्ठान	योग
1	2	3	4
मार्च, 2022	665718	50582	716300

स्रोतः–प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0

तालिका–16.04– प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष मार्च, 2022
1	सार्वजनिक क्षेत्र	212275
2	निजी क्षेत्र	110564
योग		**322839**

स्रोतः–प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0

सेवायोजन कार्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम

प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण कार्य किये गये–

1.रोजगार मेले का आयोजन

रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु वेब पोर्टलः सेवायोजन.यूपी.एनआईसी.इन पर ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की गयी है।

2.कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

3.मॉडल कैरियर सेन्टर (केन्द्र पुरोनिधानित योजना)

एन.सी.एस. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय–लखनऊ, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय–झाँसी, काशी विश्वविद्यालय–वाराणसी, प्रयाग विश्वविद्यालय–प्रयागराज, सेवायोजन कार्यालय–गाजियाबाद, मिर्जापुर, बरेली, आगरा, सहारनपुर, गोण्डा, अयोध्या, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, हरदोई, सीतापुर, बिजनौर व बहराइच में स्थापित मॉडल कैरियर सेन्टर में नवविकसित टूल्स एवं तकनीकी के माध्यम से काउन्सिलिंग की सुविधा उपलब्ध है।

4. शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र

प्रदेश के 52 जनपदों में स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों द्वारा समाज के निर्बल वर्गों यथा–अनुसूचित जाति–जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को मार्ग दर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी सेवायोजकता में अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है। इन शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में सामान्य ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा, सचिवीय पद्धति, हिन्दी टंकण, आशुलिपि हिन्दी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित योजनाएं एवं प्रगति विवरण

1. मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना

मातृत्व, शिशु मदद योजना मे पंजीकृत महिला एवं पुरूष कर्मकारों की पत्नियों को अधिकतम 02 बच्चों तक प्रसव के उपरान्त शिशुओं के 02 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। कामगारों की पत्नियों के मातृत्व हितलाभ के रूप में रू0 6,000 एकमुश्त एवं महिला निर्माण श्रमिक को उपरोक्त के अतिरिक्त रू0 1,000 की धनराशि चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगी। प्रसव के उपरान्त शिशु के लड़का होने पर धनराशि रू0 20 हजार तथा पहली लड़की होने की स्थिति में धनराशि रू0 25 हजार वर्ष में एक बार एक मुश्त, दो वर्षों तक प्रति शिशु की दर से देय होता है।

बालिका मदद योजना परिवार में पहली बालिका के जन्म होने पर एक मुश्त धनराशि रू0 25,000/– बतौर सावधि जमा, जो 18 वर्ष के लिए होगा, के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं के संदर्भ में यह धनराशि रू0 50,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, के माध्यम से देय होता है।

2. सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो बालक, बालिकाओं को कक्षा 1 से प्रारंभ कर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनकी आयु 01 जुलाई को 25 वर्ष या इससे कम हों तथा वे ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत् हो जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो। कक्षा 1 से 05 तक रू0 150/–प्रतिमाह, कक्षा 06 से 10 तक रू0 200/–प्रतिमाह, कक्षा–11 से 12 तक रू0 250/–प्रतिमाह, स्नातक में रू0 1000/–प्रतिमाह, स्नातकोत्तर में रू0 2000/–प्रतिमाह, प्रोफेशनल कोर्स मे सरकारी संस्थानों/कॉलेजों के वार्षिक शुल्क के समान देय होगी।

3. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना

इस योजना के द्वारा भवन एवं सन्निर्माण पंजीकृत कर्मकार के मेधावी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना एवं उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ना है इसके अन्तर्गत कक्षा 05 से लेकर इन्जीनियरिंग/चिकित्सा डिग्री हेतु रू0 4,000 से 12000 तक प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

4. आवासीय विद्यालय योजना

इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक के साथ कार्य स्थल पर ही रहने वाले 06 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है।

5. निर्माण कामगार आवास सहायता योजना

इस योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत कर्मकारों को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है। एक वर्ष के लिए अंशदान जमा करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिक को रू 1,00,000 की धनराशि (02 किश्तों में) एवं मरम्मत हेतु रू0 15,000 की धनराशि एक मुश्त हेतु पात्र होंगे तथा इस योजना का लाभ सम्पूर्ण जीवन में केवल एक बार ही मिलेगा, परन्तु एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ नहीं दिया जाता है।

6. कन्या विवाह सहायता योजना

पंजीकृत श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न करने हेतु बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में रू0 55,000 तथा अन्तर्जातीय प्रकरणों में रू0 61,000 तथा सामूहिक विवाह की दशा में प्रति जोड़ा रू0 65,000 की धनराशि एवं रू0 7,000 प्रति जोड़े की दर से आयोजन व्यय तथा उक्त के अतिरिक्त वर एवं वधू को रू0 5000/–(रू0 पाँच हजार मात्र) प्रत्येक की दर से पोशाक क्रय किये जाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह की स्थिति में हितलाभ तभी देय होगा जबकि पुनर्विवाह वैधानिक हो।

7. निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना

इस योजना के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत श्रमिक तथा उनका परिवार जो ''आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन–आरोग्य योजना'' तथा ''मुख्यमंत्री जन–आरोग्य योजना'' में आच्छादित नहीं हैं, उनकी गम्भीर बीमारी का सरकारी चिकित्सालय में कराये गए इलाज की प्रतिपूर्ति होगी। शासकीय चिकित्सालय में या भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के स्वायत्तशासी चिकित्सालय अथवा ऐसे चिकित्सालायों जिन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अथवा राज्य स्तर पर कार्यदायी संस्था "साची" द्वारा अपने पैनल पर रखा गया है, में इलाज कराये जाने पर आयुष्मान भारत योजना में चिकित्सा पर आने वाले व्ययभार के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती हे। ऐसी चिकित्सा/शल्यक्रिया आदि के सन्दर्भ में सम्बन्धित चिकित्सालय के सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा इलाज के लिये कोई आगणन दिया जाता है तो उसके आधार पर सम्बन्धित चिकित्सालय को अग्रिम धनराशि का भुगतान किया जाता है।

8. निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना

पंजीकृत श्रमिक के किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर रू0 05 लाख, पूर्ण स्थायी अपंगता/विकलांगता की स्थिति में रू0 03 लाख, स्थायी आंशिक अपंगता/विकलांगता की स्थिति में रू0 02 लाख, कार्यस्थल से इतर स्थायी अपंगता की स्थिति में रू0 02 लाख, अस्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में रू0 01 लाख, सामान्य मृत्यु की स्थिति में रू0 02 लाख की सहायता प्रदान की जायेगी तथा लाभार्थी को दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम होने की दशा में अकुशल श्रमिकों के लिए रू0 1000 एवं अर्धकुशल को रू0 1250 तथा कुशल को रू0 1500 प्रतिमाह अक्षमता पेंशन उसके जीवनकाल तक प्रदान की जाती है।

9. चिकित्सा सुविधा योजना

योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार को इकाई मानकर सामान्य बीमारियों व चोट हेतु वर्ष में एक बार चिकित्सा सुविधा हेतु एकमुश्त धनराशि रू0–3,000 तथा अविवाहित पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एकमुश्त रू0 2,000 की धनराशि उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित किये जाने का प्राविधान है।

10. महात्मा गाँधी पेंशन योजना

पंजीकृत 60 वर्ष की आयु के निर्माण श्रमिकों को पेंशन के रूप में रू0–1,000 प्रतिमाह और मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी/पति को देय होती है। पेंशन में प्रति दो वर्ष पर रू0–50 प्रतिमाह (अधिकतम रू0 1,250) की दर से वृद्धि करते हुए भुगतान किया जाता है। पारिवारिक पेंशन के रूप मे पति/पत्नी को रू 1000 की पेंशन अनुमन्य होती है।

11. निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसकी अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार हेतु रू0 25,000 तात्कालिक आर्थिक सहायता 15 कार्यदिवस मे प्रदान किया जाता है।

12. आपदा राहत सहायता योजना

इस योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की ऐसी स्थिति में, जबकि उनकी जीविका एवं भरण पोषण का संकट उत्पन्न होने की संभावना हो तो श्रमिकों को भरण पोषण करने हेतु आपदा काल में रू 1000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

तालिका–16.05–पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित योजनाएं

क्र.सं.	योजना	2021–2022		2022–2023 (मई 2022 तक)	
		भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
1	मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना	**86554**	**18375**	**7197**	**1589**
2	सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना	**33518**	**1642**	**2041**	**72.9**
3	मेधावी छात्र पुरस्कार योजना	**3067**	**153**	**174**	**5.7**
4	आवासीय विद्यालय योजना	**2400**	**1010**	**0**	**0**
5	निर्माण कामगार आवास सहायता योजना	**47**	**24**	**08**	**04**
6	कन्या विवाह सहायता योजना	**52117**	**30854**	**3595**	**1985**
7	गम्भीर बीमारी सहायता योजना	**6**	**4.3**	**1**	**0.48**
8	मृत्यु,विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना	**2045**	**4250**	**248**	**539**
9	चिकित्सा सुविधा योजना	**78363**	**2324**	**5**	**0.15**
10	महात्मा गाँधी पेंशन योजना	**155**	**4.9**	**0**	**0**
11	निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना	**1864**	**466**	**112**	**28**

स्रोतः उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

****

अध्याय–17
सतत् विकास

मुख्य बिन्दु

- ❖ सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) वर्ष 2030 तक गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने के लिए एक साहसिक और सार्वभौमिक समझौता है।
- ❖ एस0डी0जी0 इण्डिया इण्डेक्स–3.0 में 16 गोल्स के 115 इण्डीकेटर्स पर अनुश्रवण किया गया है जो 16 गोल्स के 70 लक्ष्य को कवर करता है।
- ❖ प्रदेश के 64 विभागों को सम्मिलित करते हुए विजन डॉक्यूमेन्ट–2030 तैयार किया गया है, जिसके अन्तर्गत 2030 तक गरीबी हटाने, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, भोजन तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- ❖ एसडीजी के लक्ष्य–7 सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा में सर्वोत्तम सुधार हुआ जो परफार्मर से एचीवर पर पहुँच गया है, वहीं लक्ष्य–11 संवहनीय शहर और समुदाय एवं लक्ष्य 12 संवहनीय उपभोग और उत्पादन में परफार्मर से फ्रंट रनर पर पहुँच गया है।
- ❖ एसडीजी के लक्ष्य–3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, लक्ष्य–4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं लक्ष्य–5 लैंगिक समानता मे प्रदेश, एस्पिरेण्ट से परफार्मर मे पहुँच गया है।

विश्व में व्याप्त वैश्विक समस्याओं का सामना करने, वैश्विक सोच की व्यापकता प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक सम्पन्न अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। भारत सरकार सतत् विकास लक्ष्य 2030 के एजेंडा के प्रति दृढ़ता से समर्पित है।

सतत् विकास लक्ष्य 5पी (पीपुल, प्रास्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप एवं प्लैनेट अर्थात सब लोग, सम्पन्नता, शान्ति, साझेदारी एवं पृथ्वी) के सिद्धान्त पर आधारित है। इस समग्र एजेंडा में माना गया है कि अब केवल आर्थिक वृद्धि पर फोकस करना पर्याप्त नही है, बल्कि निष्पक्ष और अधिक समतामूलक समाजों तथा अधिक संरक्षित एवं अधिक सम्पन्न पृथ्वी पर फोकस करना होगा। सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय इंडीकेटर फ्रेमवर्क, राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय इंडीकेटर फ्रेमवर्क व स्थानीय स्तर पर जिला स्तरीय इंडीकेटर फ्रेमवर्क, निर्धारित किये गये है। उत्तर प्रदेश में समुद्र तटीय क्षेत्र न होने के कारण गोल संख्या 14 उ0प्र0 में लागू नही है।

सतत् विकास लक्ष्य

1. गरीबी उन्मूलन

गरीबी सिर्फ आमदनी या संसाधनों की सुलभता का अभाव नहीं है। यह शिक्षा के लिए घटते अवसरों, सामाजिक भेदभाव और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने की अक्षमता के रूप में प्रकट होती है। गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करना, 2030 के सतत् विकास एजेंडा का पहला लक्ष्य है। इसके लिए सामाजिक संरक्षण देना एवं बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति आवश्यक है। आर्थिक वृद्धि समावेशी हो एवं सभी को प्राकृतिक संसाधनों, उपयुक्त नई टेक्नोलॉजी तथा वित्तीय सेवाएं सुलभ होनी चाहिए।

2. शून्य भुखमरी

लक्ष्य–2 का उद्देश्य भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् कृषि को बढ़ावा देना है। वर्ष 2030 तक भूख और कुपोषण को मिटाने तथा खेती की उत्पादकता दोगुनी करने का लक्ष्य है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिनमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून शामिल हैं। खेती की ऐसी विधियाँ अपनाना, जिनसे उत्पादकता बढ़े, पारिस्थितिक प्रणालियों के संरक्षण में मदद मिले तथा जमीन एवं मिट्टी की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो।

3. उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली

उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली सतत् विकास का केंद्र बिंदु है। बेहतर स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि वर्ष 2030 तक सभी को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं और किफायती दवाएं सुलभ हों। संचारी और असंचारी रोगों के लिए टीकों और दवाओं के अनुसंधान और विकास को मजबूत करना होगा।

4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

सतत् विकास लक्ष्यों मे समावेशी, न्यायसंगत एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा–प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भी सबको उत्तम शिक्षा और आजीवन सीखने की सुविधा देना है। सरकार की प्रमुख योजना, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करना ही है।

5. लैंगिक समानता

लक्ष्य–5 का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिला भेदभाव और हिंसा को समाप्त करते हुए आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार, संपत्ति में स्वामित्व एवं राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया मे भागीदारी तथा नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना है।

लैंगिक समानता सरकार की प्राथमिकता का विषय है, इसकी पहल मे सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पहल का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा का समान अवसर देना है। इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि योजना और जननी सुरक्षा योजना आदि लैंगिक असमानता की खाई को पाटने मे कारगर सिद्ध हो रही है।

6. स्वच्छ जल और स्वच्छता

इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सबके लिए शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और साफ–सफाई की सुविधा सुलभ कराना है। इस दिशा में अनेक कार्यक्रम शुरु किए गए हैं, जिनमें स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और नमामि गंगे कार्यक्रम आदि शामिल है। प्रदूषण, कचरा और हानिकारक रसायनों तथा सामग्री को कम करना, जल की गुणवत्ता सुधारना, अनुपचारित गंदे जल का अनुपात कम करना, जल की रिसाइकलिंग मे वृद्धि तथा जल एवं स्वच्छता प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को मजबूती देना है।

7. सस्ती और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा

सतत् विकास लक्ष्य–7 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए किफायती, सतत् और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पवन, जल, सौर, बायोमास और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती एवं प्रदूषण मुक्त होती है। सरकार का राष्ट्रीय सौर मिशन, नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना से सबके लिए ऊर्जा सुलभता तथा उज्ज्वला एवं सौभाग्य योजना आादि इस हेतु महत्वपूर्ण प्रयास है।

8. उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि

आर्थिक वृद्धि का समावेशी होना अनिवार्य है अर्थात् सभी वर्गों को इसका लाभ अवश्य मिलना चाहिए। ऐसी विकासपरक नीतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो उत्पादन गतिविधियों, उत्कृष्ट रोजगार सृजन, नई उद्यमिता तथा वित्तीय सेवाओं सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना और वृद्धि को प्रोत्साहन दें।

9. उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं

समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देना तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना भी सतत् विकास का लक्ष्य है। वर्ष 2030 के लिए सतत् विकास एजेंडा का मूल मंत्र है 'कोई पीछे छूटने न पाए'। आवश्यक है, कि घरेलू वित्तीय संस्थाओं की क्षमता मजबूत की जाए, जिससे बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं को प्रोत्साहन मिले और वे सबके लिए सुलभ हो सके।

10. असमानताओं में कमी

इसमे सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन को प्रोत्साहन देना और सशक्त करना लक्ष्य है। बढ़ती असमानताएं मानव विकास पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। वर्ष 2030 तक उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार, समावेशन, वित्तीय सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की एक समग्र रणनीति पर कार्य कर रही है।

11. संवहनीय शहर और समुदाय

शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और संधारणीय बनाया जाना आवश्यक है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण मे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, सीवेज, स्वास्थ्य पर बुनियादी सेवाओं की सुलभता आदि सुनिश्चित करना लक्ष्य है। स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आदि योजनाएं शहरी क्षेत्रों के सतत् विकास के लिए बुनियादी सुधार का काम कर रहे हैं।

12. संवहनीय उपभोग और उत्पादन

संवहनीय उपभोग और उत्पादन का उद्देश्य संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, विनाश और प्रदूषण कम करके आर्थिक गतिविधियों से जन कल्याण मे वृद्धि करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। वर्ष 2030 तक सुनिश्चित करना कि जनसामान्य को सतत् विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली के बारे में उपयुक्त सूचना और जागरूकता हो।

13. जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी उपायों को नीतियों, रणनीतियों और नियोजन प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल, ऊर्जा कुशलता बढ़ाने, तथा जलवायु परिवर्तन के बारे में रणनीतिक जानकारी को प्रोत्साहित करने के बारे में अनेक कार्यक्रम भी अपनाए गए हैं।

14. जलीय जीवों की सुरक्षा

सतत् विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग करना है। यह लक्ष्य प्रदेश में लागू नही किया गया है।

15. थलीय जीवों की सुरक्षा

मानवीय गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन के कारण वृक्षों का कटाव और मरुस्थलीकरण, सतत् विकास में एक बड़ी चुनौती है। लक्ष्य–15 में प्राकृतिक पर्यावास का विनाश रोकने और जैव विविधता को स्थानीय नियोजन एवं विकास प्रक्रियाओं में शामिल करने को कहा गया है।

16. शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं

सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाज को प्रोत्साहन, सर्वसुलभ न्याय उपलब्ध कराना और सभी स्तरों पर जवाबदेही, समावेशी संस्थाओं की रचना करना लक्ष्य है।

17. लक्ष्य हेतु भागीदारी

कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण और सतत विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी एवं परस्पर जुड़े हुए वैश्विक विकास एजेंडा के लिए नई वैश्विक भागीदारी आवश्यक है।

सतत विकास लक्ष्य : नीति आयोग

नीति आयोग, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप सूचकांक तैयार किया है। हर नए संस्करण में कार्य निष्पादन की उत्कृष्टता के स्तर का निर्धारण करने और अब तक हुई प्रगति का आँकलन करने के अलावा केंद्र और राज्यों से मिले आँकड़ों को अद्यतन रखने का प्रयास किया जाता है। इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन का आँकलन किया जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है। इसका उद्देश्य, राज्यों की प्रगति का आँकलन करना, राज्यों के मध्य विकास की प्रतिस्पर्धा और परस्पर सहयोग को बढ़ाना है। रिपोर्ट का एक अन्य उद्देश्य राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को उनके विकास के बाधाओं की पहचान करने और प्राथमिकताओं को चुनने में सहायता करना है।

सतत् विकास लक्ष्य–2030 : उत्तर प्रदेश की प्रगति

सतत् विकास लक्ष्य–2030 को प्राप्त करने के लिये प्रदेश के 64 विभागों को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक गोल हेतु 16 विभागों को नोडल नामित किया गया है। इन सभी विभागों के सम्मिलित प्रयासों से विजन डॉक्यूमेन्ट–2030 तैयार किया गया है, जिसके अन्तर्गत 2030 तक गरीबी हटाने, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, भोजन तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जो देश व प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण कदम है, इसके मुख्य बिन्दु निम्नवत हैः–

- सबका सतत् एवं स्थायी विकास।
- कमजोर वर्गों को प्राथमिकता।
- सुशासन–न्यायिक एवं सुरक्षित वातावरण।
- अवसरों का सृजन।
- शिक्षा स्वास्थ्य एवं पोषण।
- पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षरण।

सतत् विकास लक्ष्य के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु अब तक किये गये कार्य

- सतत् विकास लक्ष्य हेतु स्ट्रेटजी 2024 तैयार कर लिया गया है।
- राज्य स्तर पर एस0डी0जी0 डैशबोर्ड / पोर्टल तैयार कर लिया गया है।
- एसडीजी गोल्स एवं उनके टार्गेट के सापेक्ष योजनाओं / कार्यक्रमों की मैपिंग कर ली गयी है।
- राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गयी है।
- सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नोडल विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एसडीजी विजन–2030, स्ट्रेटजी 2022 एवं 2024 के क्रियान्वयन हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है।
- जनपद स्तर पर टास्क फोर्स का गठन, टास्क फोर्स के दायित्व एवं कार्यक्षेत्र, मण्डल स्तरीय टास्क फोर्स व कार्यक्षेत्र तथा राज्य स्तरीय डैशबोर्ड सूचनाओं का अपडेशन का दायित्व निर्धारित कर दिया गया है।
- एसडीजी डैशबोर्ड में प्रदेश द्वारा दो प्रकार के इंडीकेटर्स की सूची तैयार की गयी है, जिन पर डैशबोर्ड / पोर्टल बना लिया गया है।
- ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत बहुआयामी गरीबी उन्मूलन सूचकांक (MPI) के प्रभावी एवं नियमित अनुश्रवण हेतु अन्तर विभागीय समन्वय समिति का गठन किया गया।
- नियोजन विभाग द्वारा एसडीजी के नोडल विभागों के सहयोग से स्टेट इण्डीकेटर्स फ्रेमवर्क/डिस्ट्रिक्ट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के 301 इण्डीकेटर्स विकसित किए गये हैं।
- एसडीजी के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी नोडल विभागों को अपने गोल से सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एक ठोस कार्ययोजना पुस्तिका के रूप में तैयार की गयी है ।

उल्लेखनीय है कि सतत् विकास लक्ष्य का उद्देश्य सबके लिए समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व की सृष्टि करना है। यह दृढ़ इच्छाशक्ति, कठोर परिश्रम, अनुभव, बौद्धिक कौशल, सतत् प्रयास एवं तकनीक के कुशल प्रयोग से प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में एस0डी0जी0 हमारी भावी पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य गढ़ने का सबसे बड़ा अवसर प्रदान करती हैं। सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में भारत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया छोटे से छोटा प्रयास भी लक्ष्य की प्राप्ति के दूरगामी परिणामों पर प्रभाव डालेगा। अतः इस दिशा में निरंतर प्रयास करते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।

****